संक्षिप्त

तीसरी पंचवर्षीय योजना



योजना आयोग
भारत सरकार

16 श्रावण, 1883 (7 अगस्त, 1961)

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, एलबियन प्रेस, कश्मीरी गेट, दिल्ली द्वारा मुद्रित।

भूमिका

इस रिपोर्ट मे तीसरी पचवर्षीय योजना के विकास सम्बन्धी लक्ष्यो, नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन है।

दो पंचवर्षीय योजनाओ से आर्थिक और सामाजिक जीवन की नीव मजबूत करने में मदद मिली है, और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक एव प्रौद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहन मिला है।

तीसरी पचवर्षीय योजना में सविधान के सामाजिक लक्ष्यो को अधिक यथार्थ रूप दिया गया है और यह योजना इन लक्ष्यो की सिद्धि की दिशा में बहुत बडा कदम है। इसमें पहली दो योजनाओं की सफलता और विफलता को ध्यान में रखा गया है और वे कार्य निर्धारित किए गए हैं जो अगले पन्द्रह वर्ष और उससे भी आगे के विकास को दृष्टि मे रख कर पूरे करने हैं।

तीसरी योजना तैयार करने का काम 1958 के अन्त मे शुरू हुआ और वह तीन मुख्य सोपानों में पूरा किया गया। प्रथम सोपान में, जो जुलाई, 1960 के प्रारम्भ में योजना का प्रारूप प्रकाशित होने के साथ समाप्त हुआ, केन्द्र तथा राज्यो द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलो ने विस्तृत अध्ययन किया। ससद ने अगस्त, 1960 मे इस प्रारूप पर सामान्यतया अपनी सहमति दे दी। योजना के प्रारूप पर देश भर में विचार हुआ और इसके आधार पर राज्यो की योजनाए तैयार की गईं। राज्यो के मुख्य मत्रियो ने सितम्बर और नवम्बर, 1960 मे इन योजनाओ पर विचार किया। जनवरी, 1961 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने तीसरी योजना के आकार के विषय में अपनी सिफारिशे की। परिषद् ने तीसरी योजना के लिए अधिकाधिक साधन जुटाने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक बचत समिति भी नियुक्त की। अन्त मे 31 मई और 1 जून, 1961 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने तीसरी योजना के प्रारूप पर विचार किया और उस पर सहमति दे दी।

तीसरी योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर नवम्बर, 1960 मे पाच संसदीय समितियों ने सावधानी से विचार किया। इन समितियों ने जो टीका की, और सुझाव दिए, यह रिपोर्ट तैयार करते समय उनसे लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। योजना के कई पहलू समय-समय पर ससद्-सदस्यो की समिति के सम्मुख भी रखे गए। इस समिति में विभिन्न राजनीतिक दलो के सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की। योजना आयोग से सम्बद्ध ससद्-सदस्यो की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न अवसरों पर योजना की समीक्षा की।

योजना तैयार करने के दौरान प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों और विद्वानों, व्यावसायिक संघों, उद्योगों और श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनो और स्वाधीन विशेषज्ञों ने

उदारतापूर्वक अपना समय दिया और उनके अनुभव से लाभ उठाया गया। योजना आयोग ने अर्थशास्त्रियो और वैज्ञानिको तथा भूमिसुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास-विशेषज्ञों के परामर्श और सुझावो से भी लाभ उठाया। कार्यक्रम-मूल्याकन संगठन, अनुसंधान-कार्यक्रम समिति, परियोजना समिति, केन्द्रीय साख्यिकी सगठन, भारतीय साख्यिकी सस्था और अनुसधान-कार्य में लगे अन्य प्रमुख सगठनो द्वारा प्रारम्भ किए गए अध्ययन से भी आयोग को सहायता मिली। जिला, खण्ड और गाव के स्तर पर योजनाए बनाने, विशेषकर कृषि, सहकारिता, शिक्षा और ग्रामोद्योगो के विकास की योजनाए बनाने का काम राष्ट्र तथा राज्यो की योजनाओ के बनाने के क्रम का अभिन्न अग रहा है। स्थानीय योजनाए पचायती राज की सफलता के मार्मिक तत्व हैं और इनके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लोगो को विकास का उत्तरदायित्व और सूत्र तथा शीघ्र उन्नति के उपाय और साधन सौंपे गए।

इस प्रकार तीसरी योजना तैयार करने का काम एक विराट राष्ट्रीय प्रयत्न रहा है, जिसमें अनेक सूत्रो से मूल्यवान सहायता मिली और इसके प्रत्येक काम में केन्द्रीय मत्रालयो और राज्य सरकारो के बीच गहरा सहयोग रहा।

तीसरी योजना दीर्घकालीन विकास के कार्यक्रम का पहला सोपान है। यह कार्यक्रम अगले पन्द्रह वर्ष या उसके अधिक अवधि का होगा। इस अवधि मे भारत की अर्थ-व्यवस्था का केवल तेजी से विस्तार ही नही करना है, बल्कि साथ ही साथ उसे आत्मनिर्भर और आत्मवाहक भी बनाना है। इस दीर्घकालीन मार्ग-निर्धारण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनो के विकास, कृषि तथा उद्योगो की उन्नति और सामाजिक ढाचे मे परिवर्तन का खाका खीचना है और यह प्रादेशिक और राष्ट्रीय 'विकास की एकीकृत योजना पेश करता है।

योजना में पाच वर्ष की अवधि के लिए बहुत महान् उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हे। ये लक्ष्य केवल बीते समय की तुलना मे बड़े हे, राष्ट्र की आवश्यकता और लक्ष्य-प्राप्ति की सामर्थ्य की दृष्टि से नही। ये न्यूनतम लक्ष्य तो पूरे किए ही जाने चाहिए, परन्तु इनका वास्तविक उद्देश्य पहले से भी अधिक प्रयत्न का मार्ग प्रशस्त करना और तुरन्त कुछ करने की भावना पैदा करना है।

इस कार्य की विशालता और उसकी बहुमुखी चुनौती को कम नही आकना चाहिए। योजना मे सबसे अधिक जोर उसे क्रियान्वित करने, शीघ्र गति और सम्पूर्ण रूप से व्यावहारिक परिणामो पर पहुचने, अधिकाधिक उत्पादन और रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने और मानवीय साधनो का विकास करने पर होगा। अनुशासन और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एव आर्थिक उन्नति तथा समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के मूल आधार हैं। तीसरी योजना के प्रत्येक कदम पर निष्ठापूर्ण नेतृत्व, सार्वजनिक सेवाओ की अधिकतम कर्तव्यपरायणता और कार्य-कुशलता, जनता के व्यापक सहयोग और सहानुभूति तथा अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभाने और भविष्य मे और भार वहन करने की तत्परता की आवश्यकता होगी।

अध्याय 1

योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य

: 1 :

भारत के विकास का बुनियादी उद्देश्य निश्चयत. यह होना चाहिए कि भारतीय जनता के लिए सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाए । समूचे विश्व की दृष्टि से, भारत और इसी प्रकार अन्य देशों के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति का विश्व में शान्ति-स्थापना के साथ गहरा सम्बन्ध है और वह इसी बात पर निर्भर है । अल्प-विकसित और गरीब देशों या राष्ट्रों का देर तक रहना ही विश्वशान्ति के लिए एक स्थायी खतरा है । यह अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व के कल्याण और शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश से गरीबी और तथा अज्ञान को मिटा दिया जाए जिससे एक स्वतन्त्र मानवता का निर्माण किया जा सके ।

2. भारत के 40 करोड़, बल्कि इससे भी अधिक लोगो के लिए सुखी जीवन की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा कार्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने मे बहुत समय लगेगा, किन्तु इससे निम्न उद्देश्य सामने नही रखा जा सकता क्योकि इस समय उठाए गए प्रत्येक कदम का सम्बन्ध अन्तिम उद्देश्य से है । गरीबी के अभिशाप और उससे पैदा होने वाली सभी बुराइयो का सामना करना, यही तात्कालिक समस्या है । यह कार्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति के द्वारा ही किया जा सकता है जिससे कि प्रौद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसमें सभी नागरिको को समान अवसर प्राप्त हो । इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक रिवाजो और संस्थाओं में दूरगामी परिवर्तन करने होगे और पुरानी परम्परागत व्यवस्था के स्थान पर एक गतिशील समाज की स्थापना करनी होगी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी मे विज्ञान का दृष्टिकोण और प्रयोग स्वीकार करना होगा । कुछ हद तक, पिछली पीढियों मे परिवर्तन का यह दोहरा पहलू भारतीय विचारधारा मे विद्यमान रहा है । धीरे-धीरे इसने अधिक मूर्त रूप धारण किया है और यह आयोजन का आधार बन गया है ।

3. अपने प्रारम्भिक दिनो से ही, भारतीय राष्ट्रवाद मे आर्थिक चिन्तन और सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा तत्व मौजूद रहा है । जनता की गरीबी को दूर करने के लिए और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के समस्त ढाचे का पुनर्निर्माण करने के लिए स्वाधीनता को एक अनिवार्य साधन समझा जाता था । ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन बढा और भारत के लोगो मे फैला, इसकी सामाजिक अन्तर्गत वस्तु और अधिक गहरी हो गई । गाधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन का जनता की सेवा के साथ अधिक से अधिक सम्बन्ध होता गया और स्वाधीनता संग्राम के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य अधिक निश्चित होते गए ।

4. सविधान मे बुनियादी उद्देश्यो को 'राजनीति के निदेशक सिद्धान्त' में बताया गया है। उनमे से कुछ ये हैं—

"राज्य एक ऐसी समाज-व्यवस्था को यथासम्भव प्रभावशाली रूप से स्थापित और रक्षित करके जनता के कल्याण को बढाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त सस्थाओ मे व्याप्त होगा।"

और भी—

"राज्य खास तौर पर निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनी नीति का संचालन करेगा—

(क) नागरिको, पुरुषो और स्त्रियो को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समाज के भौतिक साधनो के स्वामित्व और नियन्त्रण का इस प्रकार विभाजन हो जिससे सभी का सर्वाधिक भला हो;

(ग) आर्थिक प्रणाली के सचालन के परिणाम-स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों के सकेन्द्रण से जनता का अहित न हो।"

दिसम्बर 1954 में इन सिद्धान्तो को और अधिक निश्चित दिशा प्रदान की गई जबकि ससद ने समाज के समाजवादी ढाचे को सामाजिक और आर्थिक नीति का उद्देश्य स्वीकार किया। इस धारणा से, जिसमे समाज और प्रजातन्त्र के मूल्य और योजनाबद्ध विकास के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ है, एकदम कोई परिवर्तन नही हुआ, बल्कि यह तो भारत के स्वतन्त्रता सग्राम मे गहरे रूप से विद्यमान थी।

5. स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारत के योजनाबद्ध विकास के सामने दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं—प्रजातन्त्रीय साधनो द्वारा शीघ्रता से बढने वाली और प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करना, और न्याय पर आधारित एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करना जिसमे प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। एक ऐसे देश मे, जिसकी बहुत बडी जनसख्या हो और वह जनसख्या भूतकाल से बुरी तरह बधी हुई हो, परम्परागत समाज को बदल कर एक गतिशील समाज की स्थापना करना बहुत बडा कार्य है। चूकि यह कार्य शान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनो द्वारा तथा जनता की रजामन्दी से करना था, इसलिए यह और भी अधिक कठिन हो गया। यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनो को स्वीकार करे, क्योकि ये वही साधन थे जो स्वाधीनता सग्राम मे अपनाए गए थे।

:2:

योजनाबद्ध विकास

6. स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर भारत को अनेक विशाल समस्याओ का सामना करना पडा। आर्थिक और सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओ को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रीय आयोजन करना आवश्यक था, जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सके, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की नीव डाली जा सके तथा शिक्षा एव अन्य सेवाओ का

विस्तार किया जा सके। यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र गति से उन्नति करने, आर्थिक और सामाजिक जीवन की संस्थाओं का पुनर्निर्माण करने तथा राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्ति का संचय करने के लिए योजनाबद्ध विकास ही एक साधन था।

7. पंचवर्षीय योजना में विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसका बुनियादी उद्देश्य यह है कि निरन्तर आर्थिक उन्नति की दृढ़ नींव रखी जाए, लाभदायक रोजगार के अवसरों में निरन्तर वृद्धि की जाए और जनता के जीवन-स्तर तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार किया जाए। निश्चयतः कृषि को प्रथम प्राथमिकता दी गई है और यथासम्भव ऊंचे स्तर तक कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों ही उद्योग की प्रगति पर निर्भर करते हैं। उद्योग से न केवल नए औजार प्राप्त होते हैं, बल्कि इससे किसान का मानसिक दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगता है। इसलिए कृषि और उद्योग विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग समझे जाने चाहिएं और योजनाबद्ध विकास द्वारा उद्योग की उन्नति और अधिक तेजी से करनी होगी और आर्थिक प्रगति की रफ्तार भी बढ़ानी होगी, खास तौर पर भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से यह आशा की जाती है वह, खास तौर पर, बुनियादी और सामरिक महत्व के उद्योगों, अथवा ऐसे उद्योगों, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से है, के और अधिक विकास के लिए व्यवस्था करे; और सरकार जहां तक जरूरी होगा अन्य उद्योग भी अपने हाथ में ले सकती है। अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निरन्तर बढ़ते हुए स्तर पर राज्य-व्यापार को भी हाथ में लेना होगा। इस प्रकार समस्त उपलब्ध अभिकरणों का पूरा उपयोग करते हुए यह आशा की जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण रूप से तथा तुलनात्मक दृष्टि से और निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा।

8. अर्थ-व्यवस्था का द्रुत विस्तार होने से सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए उन्नति के और अधिक व्यापक अवसर पैदा होते हैं और कई प्रकार से उनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। निजी क्षेत्र में न केवल संगठित उद्योग सम्मिलित हैं, बल्कि कृषि, छोटे उद्योग, व्यापार और मकान निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले बहुत-से अनेक कार्य भी सम्मिलित हैं। इसे अधिकाधिक मात्रा में सहकारी प्रयत्नों का स्वरूप लेना होगा। देश के योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किन्तु इसे सदा राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे में काम करना होगा और समाज के प्रति इसके जो कर्तव्य हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा। निस्सन्देह इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध हैं, उनके परिणाम-स्वरूप थोड़े-से व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के हाथ में आर्थिक शक्ति का संचय न हो जाए और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आय और सम्पत्ति की विषमताओं को निरन्तर कम किया जाए।

9. विकास की योजनाओं में यह आशा की जाती है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओं में संगठन का अधिकाधिक मात्रा में मुख्य आधार बन जाए, खास तौर पर कृषि,

छोटे उद्योग, वितरण, निर्माण और स्थानीय समाजों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये एक ओर दैनिक उपयोग की तथा अन्य वस्तुओं को और बड़े पैमाने पर रोजगार को उपलब्ध करते हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय आय का और अधिक न्याय-सगत वितरण करने में और कार्य-कुशलता तथा जनशक्ति के उपलब्ध साधनों के प्रयोग में सहायक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर में जो विषमताएं हैं, उन्हें निरन्तर कम करना होगा और औद्योगीकरण के लाभों को देश के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित करना होगा। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी भी तरह से आसान नहीं है और आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का सन्तुलन करना पड़ेगा। फिर भी अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के साथ-साथ कम विकसित क्षेत्रों का सघन विकास करना सम्भव हो जाएगा।

10. योजनाबद्ध विकास करने के लिए स्वय और शीघ्र प्रगति तथा समाज के समाजवादी ढांचे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी कसौटी यह है कि समूचे समाज का हित हो, विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों का। सफलता और गतिशीलता के कारण ही तेजी से विकसित होने वाली अर्थ-व्यवस्था में सगठन और प्रबन्ध तथा सामाजिक नीति की नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्र के विकास में मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का क्या हिस्सा हो, इसको ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनका मूल्यांकन करना होगा।

: 3 :

समाजवाद की ओर प्रगति

11. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियादी धारणा यह है कि समाजवादी ढंग पर देश का विकास किया जाएगा। यह विकास प्रजातन्त्र के द्वारा होगा और इसमें जनता व्यापक रूप से हिस्सा लेगी। इस प्रकार के विकास द्वारा शीघ्रता से आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार का विस्तार होगा तथा न्याय्य वितरण होगा, आय और धन की विषमताओं में कमी होगी, आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को रोका जाएगा और एक स्वतन्त्र तथा समान समाज के मूल्यों और दृष्टिकोण का निर्माण होगा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसलिए आर्थिक कार्यों का इस प्रकार सगठन किया जाना चाहिए कि उत्पादन और उन्नति तथा न्याय्य वितरण की कसौटियां समान रूप से सही उतरें। समाजवाद की ओर प्रगति की बहुत-सारी दिशाएं हैं जिनमें से प्रत्येक के द्वारा अन्यों का महत्व बढ़ता है।

पहली बात तो यह कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को कुशल होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए और इसमें निरन्तर एक ऐसे स्तर तक विकसित होने की सामर्थ्य होनी चाहिए जिससे जन-साधारण का कल्याण किया जा सके। अल्प-विकसित देशों में आर्थिक प्रगति की तेज रफ्तार और एक विशाल सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र का विकास ही ऐसे मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा वर्तमान स्थिति को बदल कर समाजवादी समाज की ओर परिवर्तन किया सकता है।

दूसरी बात यह है कि एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था होनी चाहिए, खास तौर पर खाद्य, काम, शिक्षा के लिए अवसर, स्वास्थ्य और सफाई का युक्तिसंगत प्रबन्ध, मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सामान्य जीवन के सुख-साधन जुटाए जा सकें।

तीसरी बात यह कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों द्वारा न केवल वे आर्थिक और सामाजिक विषमताएं कम होनी चाहिए जो पहले से मौजूद हैं बल्कि इनसे अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार शीघ्रता से विस्तार होना चाहिए, जिससे आर्थिक शक्ति और ऐकाधिकार किसी भी एक स्थान पर जमा न हो जाएं।

अन्तिम बात यह है कि *सामाजिक मूल्यों और उद्दीपकों पर तथा समाज के समस्त* वर्गों में सर्वमान्य हित और एक दूसरे के प्रति दायित्व की भावना विकसित करने पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायता देना है जो बुनियादी तौर पर अपने अन्दर से एकीकृत हो तथा जिसकी शक्ति इस बात में निहित हो कि उसके सर्वमान्य मूल्य हैं और उसके नागरिकों में एक साझेदारी की भावना है।

: 4 :

समान अवसर

12. समान अवसर प्राप्त करने और राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि जो कोई भी व्यक्ति काम की तलाश करे, उसे लाभदायक रोजगार प्राप्त हो। आर्थिक ढांचे में कमियां होने के कारण औद्योगिक आधार को पर्याप्त रूप से दृढ बनाना और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि तभी अर्थ-व्यवस्था द्वारा समस्त श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त स्तर पर पारिश्रमिक की व्यवस्था की जा सकती है। इन कार्यों में समय लगेगा। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि बड़े और छोटे उद्योगों, कृषि और आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के विकास-कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों में न्यूनतम आय वाले वर्गों के लोगों के लिए काम करने के अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए। अधिक उन्नत देशों में जनता के विभिन्न वर्गों को और अधिक समान अवसर प्रदान करने में शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के विकास का एक बहुत बड़ा भाग रहा है और इससे समाज को और अधिक गति प्राप्त हुई है। आय को पुनर्वितरित करने तथा बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में भी सामाजिक-सेवाओं ने सहायता दी है। खास तौर पर, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विस्तार, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए और अधिक अवसरों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों और अन्य प्रकार की सहायता के लिए अनुदान और स्वास्थ्य, सफाई, जल-पूर्ति और मकानों सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार के द्वारा भारत में भी सामाजिक सेवाओं के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक विकास की योजना में अनुसूचित आदिम जातियों तथा जातियों के लिए कल्याण के कार्यक्रम तथा अन्य कल्याण सेवाएं बड़ी

महत्वपूर्ण है । ज्यो-ज्यो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा और बीमा को भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी । इस दिशा में प्रारम्भिक महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए जा चुके है ।

13. समाज के स्तर पर जैसे-जैसे समाजवाद के विकास के लिए प्रयत्न किए जाते है, आर्थिक विकास और सामाजिक सेवाओ का महत्व अवसरो की समानता स्थापित करने में अधिक बढ जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास आन्दोलन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है । इसके मुख्य उद्देश्यो में से एक उद्देश्य यह है कि वह एक निरन्तर प्रगतिशील सहकारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के लिए परिस्थितिया पैदा करे जिसका विभाजित व्यावसायिक ढाचा हो और जिसमे समाज के कमजोर वर्गों को अन्य वर्गों के स्तर पर लाया जाए। ग्राम, खड और जिला स्तर पर पचायती राज की संस्थाओ के विकास द्वारा इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा । इनसे जिला प्रशासन के ढाचे और ग्रामीण विकास के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । शहरी क्षेत्रो में भी उपयुक्त सामाजिक नीतियों की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पर भूमि के प्रयोग का सावधानीपूर्वक आयोजन, भूमि प्राप्त करने के लिए बडे पैमाने पर कार्यक्रम, कम आय वाले वर्गों और जनता के गरीब वर्गों की सहायता के लिए आवश्यक नीतिया, पूजीगत लाभो और शहरी सम्पत्तियो पर पर्याप्त कर, शानदार और अनावश्यक भवनों के निर्माण को रोकना और भूमि की मिल्कियत तथा किरायो सम्बन्धी परिस्थितियो पर सार्वजनिक सतर्कता ।

: 5 :

आर्थिक शक्ति का विभाजन और आय सम्बन्धी विषमताएं

14. अपेक्षाकृत थोडे-से लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के इकट्ठा हो जाने से और इसके जो अन्य उपयोग हो सकते है उनसे प्रजातंत्र मे सन्तुलन-शक्ति बिगड़ जाती है, सामाजिक ढाचे पर नए दबाव और तनाव पडते है और आर्थिक अवसरो के विभाजन में बाधा पडती है । फिर भी कई आर्थिक और प्रौद्योगिक कारणो से शीघ्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा अच्छी तरह जमी हुई फर्मों को अपने आकार को बढाने और उद्योग-व्यापार के नए क्षेत्रो मे प्रविष्ट होने के अवसर और अधिक बढ जाते है । इसलिए नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति एक स्थान पर जमा न हो, एकाधिकार सम्बन्धी प्रवृत्तियां न बढ़ें, और एक प्रकार के औद्योगिक सगठन के स्वरूप को बढावा मिले जिससे उच्च स्तर पर उत्पादन हो और राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के अन्दर नए उपक्रमियों, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योग-धधो और सहकारी सगठनो को उन्नति का पूरा क्षेत्र प्राप्त हो । इसलिए प्रशासकीय तरीको, प्रथाओ तथा उन साधनों का सबसे अधिक महत्व है जिनके द्वारा इन उद्देश्यो की पूर्ति होगी । मोटे तौर पर, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके तीन पहलू होंगे—सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, उद्योग-व्यापार में आने वाले नए लोगो, मध्यम और छोटे उद्योगो और सहकारी आधार पर सगठित उद्योगो के लिए अवसरो का विस्तार तथा नियत्रण और नियमन के सरकारी अधिकारो का प्रभावशाली प्रयोग एवं उचित वित्तीय उपायो का प्रयोग । उद्योग के स्वामित्व का आधार काफी व्यापक

बनाने, उपक्रम का विस्तार करने और उद्योग-व्यापार में लगने वाले नए व्यक्तियों के लिए उदार सुविधाओं तथा सहकारी सगठनो की उन्नति के लिए उपर्युक्त साधन काफी बड़ी हद तक पहले से ही उपलब्ध हैं। किन्तु फिर भी उनका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि भूतकाल की अपेक्षा उनसे उद्देश्य की और अधिक सिद्धि हो और उनमें अधिक समन्वय हो। उदाहरण के तौर पर ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करने में जिनका सम्बन्ध इस तरह की बातों से है जैसे लाइसेंस देना, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, गांवों में बिजली लगाना और क्षेत्रीय आयोजन, धन और पूंजीगत लाभों पर कर और कम्पनियों के नियमन और प्रबन्ध के लिए कानून बनाना। इन तथा अन्य बातो के सम्बन्ध में जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनकी, तीसरी योजना के कार्यों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए फिर से जांच करनी होगी।

15. यह ठीक है कि ग्रामीण व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने चाहिए, किन्तु औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप पैदा होने वाली आय और सम्पत्ति की विषमताओं से भी टेढी समस्याएं पैदा होती हैं। कई कारणो से, जब तक कि विशेष उपाय ही न बरते जाएं, तब तक अल्प-विकसित देशो में आर्थिक विकास के प्रथम चरणों में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे आय के स्तरो का अन्तर पहले की भी अपेक्षा और अधिक बढ जाता है। यहा आवश्यक समस्या यह है कि ऊची और नीची आयों के अन्तर को कम किया जाए और न्यूनतम आय का स्तर बढाया जाए। इस कार्य के लिए कई विभिन्न नीतिया अपनानी होंगी जैसे प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, ऐसे उपायों को बरतना जिनसे कि सार्वजनिक और निजी दोनो ही क्षेत्रो में योग्य व्यक्तियों के लिए शीघ्रता से और अधिक अवसर प्राप्त हों, और ऐसी कर सम्बन्धी नीतिया जिनसे सार्वजनिक एव निजी क्षेत्रो के ऊची आय के वर्गों की शुद्ध आय उचित स्तर तक आ जाए। अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में निरन्तर इस बात का प्रयत्न करना है कि आयो की एक उचित सीमा निर्धारित की जाए, जैसा कि कर जाच आयोग ने सुझाव दिया है कि यह सीमा औसत परिवार की आय की लगभग तीस गुना होना चाहिए। यद्यपि अधिकाश जनता की आय बहुत थोड़ी है इसलिए आय की इस सीमा से काफी विषमता प्रकट होती है, किन्तु छोटी आयो के बढ़ने पर इस विषमता को और अधिक कम किया जा सकता है।

16. आय सम्बन्धी विषमताओं की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण तथा गैर-ग्रामीण आयो के अन्तर से सम्बद्ध है और यह अन्तर औद्योगिक एव आर्थिक विकास के कारण और अधिक बढ जाता है। यह उद्देश्य इन कार्यों के द्वारा पूरा करना होगा—कृषि सम्बन्धी उत्पादन मे वृद्धि, सामाजिक सेवाओं का विकास, भूमि पर निर्भरता में कमी और उद्योग के विस्तार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक ढाचे का विविध उद्योग-धन्धो में विस्तार और एक ऐसी कृषि सम्बन्धी मूल्य नीति का प्रतिपादन जिससे किसान के हितो की पूरी रक्षा हो और जो शहरी उपभोक्ता के लिए भी उचित हो।

17. प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में ऊंची आयें प्राय: पूंजीगत लाभ, व्यापार और सट्टे से होने वाले लाभ या कुछ ऐसी आवश्यक बातो के कारण होती हैं जो कानून की दृष्टि से जायज हैं। उचित सामाजिक नीतियो द्वारा पूंजीगत लाभों और सट्टे आदि से होने वाली

आय सीमित कर दी जानी चाहिए और राज्य को अपना उचित हिस्सा ले लेना चाहिए। दूसरे, कर-प्रणाली के विस्तार और सुधार द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं जिनसे होने वाली आयों पर पूरी तरह से कर लगाया जाए; जो लोग कर न दें उन्हें कड़ी सजा दी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कर से बचने के कम से कम अवसर मिल सकें। खास तौर पर निश्चित आय वाले लोगों, जो निम्नतर मध्यम आय वाले वर्गों में आते हैं, की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि जरूरी चीजों के दाम कम रखे जाएं और उन्हें सामाजिक सेवाएं विशेषत: शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान आदि की सुविधाएं सुलभ हों। पूरी तरह से बेरोजगार या अर्ध-रोजगार वाले लोगों का वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसकी ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। रोजगार के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी जितना अधिक सम्भव हो उन्हें दिए जाने चाहिए।

: 6 :

आर्थिक और सामाजिक एकीकरण

18. समाज के समाजवादी संगठन की स्थापना निश्चय ही एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसा समाज कई विभिन्न मार्गों से प्रगति करने पर ही स्थापित हो सकता है। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इस समय यह जरूरी है कि हममें यह भावना हो कि हमें बहुत जल्दी इस उद्देश्य तक पहुंचना है और अपनी गति बढ़ानी है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास में समय का व्यवधान पड़ जाने से नए दबाव पैदा हो जाते हैं। इस समय इस विषय पर ठीक-ठीक सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसके बिना निश्चित उपाय मालूम करना कठिन है। योजना आयोग द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच कर रही है कि पहली और दूसरी योजना की अवधि में जीवन-स्तर में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। यह समिति यह भी अध्ययन कर रही है कि आय और धन के वितरण में हाल ही में क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं और खास तौर पर वह इस बात का पता लगा रही है कि किस हद तक आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम-स्वरूप सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का जमाव हुआ है।

19. यद्यपि अभी विकास के क्षेत्र में बहुत-सी कमियां हैं, किन्तु धीरे-धीरे योजनाबद्ध विकास योजना के अन्तर्गत समाजवादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, किन्तु इसे सुदृढ़ बनाना होगा और अपने कार्य-संचालन में इसे और अधिक उपयोगी बनाना होगा। सार्वजनिक प्रशासन और आर्थिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को और अधिक पूर्णत: तथा निश्चय के साथ कार्यान्वित करना चाहिए और मूल्यांकन की और अधिक कड़ी कसौटियां स्वीकार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदा ही नैतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर उचित बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आर्थिक प्रगति सार्थक होती है। यदि देश में आवश्यक एकता और अनुशासन हो तथा समाज के विभिन्न वर्गों में विकास का बोझ सहन करने की इच्छा हो और इस समय उनका क्या कर्तव्य है इसका एहसास हो तो आर्थिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की उन्नति बहुत अधिक तेजी

से हो सकती है। जिन नीतियों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है उनसे सामाजिक गति को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, मजदूर सघो, सहकारी आन्दोलन, स्वैच्छिक सगठनो और विश्वविद्यालयों को शक्ति मिलेगी और ग्रामीण तथा शहरी समाजों में एक ऐसे रचनात्मक नेतृत्व का निर्माण होगा जिसका काफी व्यापक आधार होगा। इनसे आर्थिक शक्ति के जमाव और एकाधिकार की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी, सास्कृतिक और आर्थिक एकीकरण के सम्बन्ध सुदृढ होंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को काम करने का, समान अवसर और एक न्यूनतम जीवन-स्तर का अधिकार प्राप्त होगा। अन्ततोगत्वा, आर्थिक विकास एक साध्य का साधन मात्र है, और साध्य है—प्रयत्न और व्यापक रूप से सम्मिलित होकर किए गए बलिदानों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें कोई जाति, श्रेणी या विशेषाधिकार न होगा और जिसमे समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के समस्त भागों को विकसित होने और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान देने के लिए पूरा अवसर प्राप्त होगा।

20. आयोजन वाछित लक्ष्यों की ओर एक निरन्तर जारी रहने वाला आन्दोलन है और इसी कारण सब मुख्य निर्णय ऐसे अभिकरणों द्वारा किए जाने चाहिए कि जिन्हें इन लक्ष्यों और इनके पीछे जो सामाजिक उद्देश्य है, उसकी जानकारी हो। पाच साल की अवधि पर विचार करते हुए भी आगे के और दीर्घकालीन आयोजन को सदा दृष्टि में रखना चाहिए। ज्यों-ज्यों यह प्रक्रिया विकसित होती है, जनता के विकास में वृद्धि होने से उसे एक निश्चित लयात्मक आनन्द मिलता है और उसमें उद्यम और सफलता की भावना पैदा होती है; लोगों को जीवन में एक उद्देश्य की अनुभूति होती है, और वे इतिहास के निर्माण में भाग ले रहे हैं, यह भावना उनमे पैदा होती है। वस्तुतः मनुष्यों और मानवीय व्यक्तित्व का विकास, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आयोजन के लिए भौतिक रूप मे पूंजी लगानी होती है, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की समृद्धि के लिए शक्ति लगाई जाए। अपने समस्त बोझो और समस्याओ के साथ आज भारत के लोग एक ऐसे नए विश्व के सीमान्त पर रह रहे है जिसे बनाने मे भी वे सहायता कर रहे है। इस सीमान्त को पार करने के लिए उनमे साहस और उद्यम, सहन-शक्ति की भावना और कठोर कार्य करने की शक्ति और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए।

अध्याय 2

दीर्घकालीन आर्थिक विकास

: 1 :

भावी चित्र की आवश्यकता

अनेक दशाब्दियो तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था लगभग निष्प्रवाह रही है। उसके विकास की गति जनसख्या में वृद्धि की गति से कुछ ही अधिक थी। पिछली एक दशाब्दी मे वह 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत गति से आगे बढी है और कुल राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय मे केवल 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकाश जनता के जीवन स्तर पर गहरी छाप छोडने के लिए आर्थिक विकास की गति काफी बढाई जानी चाहिए और जनसख्या में वृद्धि की गति को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। मूल रूप से कार्य यह है कि भली प्रकार चिन्तन के बाद बनायी गयी एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत ज्ञान, टेक्नॉलाजी और श्रेष्ठतर सगठन के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनो का विकास किया जाए।

2. विकास की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसके प्रत्येक चरण के लक्ष्य और प्राथमिकताएं एक व्यापक उद्देश्य से जुडी रहती हैं। ऐसे दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को सामने रखने की वास्तविक उपयोगिता यह है कि वह चालू निर्णयो को करने में मूल्यवान सिद्ध होता है। ऐसा सामने न रहने से ये निर्णय गलत हो सकते हैं और महगे पड सकते हैं। फलस्वरूप, बाद में उनमें अत्यधिक सशोधन की जरूरत पडती है। दीर्घकालीन योजना जब पर्याप्त विवरण सहित तैयार की जाती है, तब उससे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो की परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है और अर्थ-व्यवस्था की उन्नति मे जो सम्भव बाधाए आ सकती हैं उन्हें भी साफ-साफ समझने में मदद मिलती है। घोषित सामाजिक लक्ष्यो की सिद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन बढने से उत्पन्न होने वाली माग और पूर्ति सम्बन्धी समस्याओ का विश्लेषण करके योजना इस बात में मदद करती है कि साधनो के अधिक से अधिक इस्तेमाल, आर्थिक क्रिया-कलाप के प्रादेशिक वितरण और उसके आकार तथा स्थान के विषय में परस्पर सुसम्बद्ध और सामयिक निर्णय किए जा सकें। प्रादेशिक वितरण वाली बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योकि भारत जैसे विशाल और विविध देश में कुछ ऐसी समस्याए उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका स्वरूप प्रादेशिक हो और जो प्रादेशिक सघर्ष से सम्बन्ध रखती हैं। ये समस्याएं विभिन्न प्रदेशो को राष्ट्रीय विकास के व्यापकतर खाके में शामिल कर लेनेवाली एक दीर्घकालीन योजना द्वारा ही हल की जा सकती हैं। विशेष कर, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसधान और शिल्पिक शिक्षा

शामिल हैं, निश्चित और अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता है। विकास के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से नीति और कार्यक्रम निर्धारित करने और प्रगति को आंकने में लाभ होता है। वास्तविक उपलब्धि और अनुभव के आधार पर स्वय इस दृष्टिकोण का भी समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

3. पहली योजना में 1951 से 1981 तक के तीस वर्षो मे आर्थिक विकास का भविष्य-चित्र आकड़ों मे प्रस्तुत किया गया था। पहली योजना से जो स्थितिया और धारणाएं एक प्रकार से उत्तराधिकार के रूप मे चली आ रही है, उनकी दूसरी योजना में अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धियों की रोशनी में समीक्षा की गयी। यह सुझाया गया कि 1950-51 की तुलना मे 1967-68 तक राष्ट्रीय आय और 1973-74 तक प्रतिव्यक्ति आय दुगनी हो जाएगी। राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष लगभग 6 प्रतिशत भी बढती रहे, तब भी, जनसख्या-वृद्धि और उसके भावी रुख को देखते हुए, पाचवी योजना के मध्य तक 1950 51 की प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करने का दूसरी योजना में व्यक्त इरादा पूरा करना कठिन होगा। 1971 और 1976 के लिए इस समय जो अस्थायी अनुमान है, उनके आधार पर 1961-76 के बीच जनसख्या में कुल वृद्धि 18 करोड 70 लाख हो सकती है। यह अनुमान है कि जनसख्या मे इस वृद्धि के साथ-साथ इसी अवधि में श्रमिक वर्ग की सख्या लगभग 7 करोड़ बढ़ सकती है। जनसख्या में इस वृद्धि को देखते हुए और बेरोजगारी तथा अल्प-उत्पादकता की समस्या को हल करने की जरूरत समझते हुए यह आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था का यथासम्भव विस्तार किया जाए।

: 2

दीर्घकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण

4. अगली तीन योजनाओं की अवधि मे यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास की समस्त सम्भावनाओं का पूर्ण और प्रभावशाली ढग से लाभ उठाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की ऐसी नीति पर चला जाए, जिससे अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो और वह यथासम्भव अल्पावधि मे आत्मनिर्भर और आत्मवाहक हो जाए। तीसरी और उसके बाद आनेवाली योजनाओं में जो नीति रखी गयी है, उसमें कृषि और उद्योग, आर्थिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास, और घरेलू तथा बाह्य साधनों की परस्पर-निर्भरता पर जोर दिया गया है।

5. **कृषि और देहाती अर्थ-व्यवस्था**—देहात मे जनशक्ति और स्थानीय साधनों के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर कृषि का विकास देश की शीघ्र उन्नति की कुजी है। पर्याप्त सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग, अच्छे बीज और उपकरणों के इस्तेमाल, किसानों को खेती के सुधरे तरीकों की शिक्षा, भू-धारण नियमों मे सुधार और सहकारी ढग पर कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास से अपेक्षाकृत कम समय में उत्पादन का स्तर काफी ऊचा किया जा सकता है। इस अवधि मे जो लक्ष्य प्राप्त करने है, वे है; विविध और कुशल कृषि-प्रणाली का विकास, जिसमें पशुपालन, दुग्ध-उत्पादन, मांस-मछली का उत्पादन, मुर्गीपालन आदि

शामिल है, सारी जनसंख्या के लिए सन्तुलित और पर्याप्त भोजन की व्यवस्था; और निर्यात तथा उद्योगों की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिए व्यापारिक फसलों का विकास।

6. **बुनियादी और भारी उद्योग**—अपने प्राकृतिक साधनों के कारण भारत में औद्योगिक उन्नति की काफी क्षमता है। अपेक्षाकृत सस्ते में इस्पात, बिजली, ईंधन और अन्य मूल पदार्थ पैदा करने की क्षमता और देश में ही एक बड़ी और बढ़ती हुई माग होने के कारण भारत विकास के लिए आवश्यक मशीनें और अनेक प्रकार का रासायनिक तथा बिजली और इंजीनियरी का सामान तैयार कर सकता है। इनसे अपनी बारी में मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास को बल मिलेगा और शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इस प्रकार एक एकीकृत औद्योगिक ढाचे का निर्माण करने और तुलनात्मक दृष्टि से लाभपूर्ण, औद्योगिक उत्पादन का विकास करना सम्भव होगा। कम पूजी और माध्यमिक वस्तुओं के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए इस्पात, कोयला, तेल, बिजली और मशीन-निर्माण जैसे उद्योगों पर विशेष रूप से जोर देना होगा। आत्मनिर्भर और आत्मवाहक विकास के लिए इन उद्योगों का बढ़ना जरूरी है।

7. **मानवीय साधन और उत्पादकता**—दीर्घकालीन योजना का एक आवश्यक अंग यह है कि विभिन्न राज्यों में साधारण और शिल्पिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार द्वारा समूचे राष्ट्र की उत्पादकता का स्तर ऊचा करने के लिए ऐसे द्रुत उपाय अपनाए जाए जो प्रभावशाली हों। यह अनिवार्य है कि प्रशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम उनकी आवश्यकता पड़ने से पहले शुरू किया जाए। इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही जरूरी है कि जितनी जन-शक्ति उपलब्ध है, उसका अधिक से अधिक पूर्ण और प्रभावशाली ढग से इस्तेमाल किया जाए।

8. **जनसंख्या**—जनसंख्या-वृद्धि को एक अवधि तक स्थिर रखना आयोजित विकास का केन्द्र-बिन्दु है। अत परिवार का कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, उनके लिए व्यापक पैमाने पर सुविधाओं और परामर्श की व्यवस्था करना और सभी देहाती और शहरी समुदायों में लोकप्रिय प्रयत्न करना जरूरी है।

9. **विकास के लिए साधन**—विकास की तेज गति को बनाए रख सकने वाली आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए मुख्य शर्तें ये हैं कि देश में पूजी का निर्माण पर्याप्त रूप से होता रहे, निर्यात के विकास के लिए यथासम्भव अधिक प्रयत्न किया जाए और अन्तरिम सकटकाल में विदेशी सहायता मिलती रहे। विकास की नीति का एक मूल लक्ष्य ऐसे हालात तैयार करना है, जिनमें बाहरी सहायता पर निर्भरता शीघ्र से शीघ्र खत्म हो जाए।

: 3 :

10. **1961–76 का चित्र**—भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को मोटे तौर पर नजर में रख यह माना जाता है कि 1960-61 के मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय दूसरी योजना के अन्त में लगभग 14,500 करोड़ रु० से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 19 हजार करोड़ रु०, चौथी योजना के अन्त तक लगभग 25 हजार करोड़ रु०

और पांचवीं योजना के अन्त तक 33 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ रु० तक हो जानी चाहिए। जनसंख्या में लगभग 2 प्रतिशत की अनुमित वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखें, तो प्रति व्यक्ति आय 1960-61 के अन्त में 330 रु० से बढ़कर 1966, 1971 और 1976 में क्रमश: 385 रु० 450 रु० और 530 रु० हो जानी चाहिए। इससे यह जरूरत पड़ेगी कि राष्ट्रीय आय के अंश रूप जो कुल पूंजी लगे, वह वर्तमान 11 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी योजना में 14-15, चौथी योजना मे 17-18 और पाचवी योजना मे 19-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो। दूसरे शब्दो में, तीसरी योजना में लगायी जाने वाली लगभग 10,500 करोड़ रु० की पूंजी की तुलना मे चौथी योजना में 17 हजार करोड़ रु० और पाचवी योजना मे 25 हजार करोड़ रु० की पूंजी लगनी चाहिए। घरेलू बचत भी इसी अनुपात से वर्तमान 8.5 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी योजना में 11.5 प्रतिशत, चौथी योजना में 15 से 16 प्रतिशत और पाचवी योजना में 18 से 19 प्रतिशत होनी चाहिए। पाचवी योजना के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह बाह्य सहायता के बिना सन्तोषजनक गति से बढ़ती रहे और सामान्य रूप से जो विदेशी पूंजी देश में लगती है, केवल वही आती रहे।

11. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकांश में दीर्घकालीन योजनाओं की व्यावहारिकता इस बात में है कि वे वर्तमान कार्यों और निर्णयो के करने मे मार्ग-दर्शक बनती हैं और भविष्य की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। मूल उद्योगों के विषय में ये बाते विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। समन्वित विकास, भौतिक साधन और विदेशी मुद्रा, और उद्योगो की विभिन्न स्थानो में स्थापना को लेकर जो शिल्पिक तथा अन्य समस्याए सामने आती हैं, उनको हल करने के लिए काफी समय तक विचार करने और तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारंभिक अध्ययन के बाद कुछ वस्तुओं के विषय में 1970-71 के लिए क्षमता सम्बन्धी निम्नलिखित अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

इस्पात के ढोके	180-190 लाख टन
कच्चा लोहा	30-40 ,,
अलमुनियम	2.3-2.5 ,,
बिजली	210-230 लाख किलोवाट
कोयला	1700-1800 लाख टन
तेल-शोधन	180-200 ,,
नत्रजन उर्वरक	20-22 ,, (नत्रजन)
सीमेंट	240-260 लाख टन
मशीन-निर्माण	1600 करोड़ रु० मूल्य की
रेलो द्वारा माल की ढुलाई	3800-4200 लाख टन
अनाज	1250 ,,
निर्यात	1300-1400 करोड़ रु० मूल्य का

इन लक्ष्यो से इस बात का संकेत मिलता है कि कितना प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्य इस विषय के और शिल्पिक अध्ययन का भी अच्छा आधार बन सकते हैं।

:4:

दीर्घकालीन विकास योजना की तैयारी

12. दीर्घकालीन योजना बनाने में इसका बहुत महत्व है कि सही आंकडे और शिल्पिक जानकारी उपलब्ध हों। इसीलिए उपलब्ध आंकडो और शिल्पिक जानकारी को परिष्कृत करने के लिए तीसरी योजना में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विकासशील अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक जटिल सम्बन्धों और सही अनुपात का विश्लेषण करने के लिए इस जानकारी की विशेष आवश्यकता होगी। विकास के प्रत्येक चरण में समूचे कार्यक्रम को एक निरन्तर और अबाध प्रक्रिया मानना होगा और बहुत बडे परिमाण में आर्थिक, शिल्पिक और सांख्यिक विश्लेषण करना होगा। इसमें, प्रत्येक अवधि के अन्त में वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान माध्यमिक वस्तुओं, कच्चे माल और शिल्पियों की जरूरत का पता लगाने की दृष्टि से उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन और पूंजी विनियोग तथा आयात में बचत और निर्यात बढाने की सम्भावनाओं का निर्धारण शामिल है।

13 निश्चित कार्यक्रम और नीति वाली कोई दीर्घकालीन योजना केवल समूचे राष्ट्र को दृष्टि में रखकर ही नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि उसमें इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों के साधनों के विकास की कितनी सम्भावना है, जिससे उन्नति की गति मन्द किए बिना अधिक से अधिक क्षेत्र को विकास का लाभ पहुंचे। अतः दीर्घकालीन योजना को आर्थिक और सामाजिक विकास का ऐसा खाका खींचना चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखा गया हो और जिसमें यह सब राष्ट्रीय विकास के एकीकृत प्रयत्न में शामिल हों।

14. इस दिशा में दीर्घकालीन योजना को चलाने के लिए केन्द्र और राज्यों में विभिन्न सरकारी अभिकरणों और वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान में लगे प्रमुख संस्थानों के मध्य गहरे और निरन्तर सहयोग की आवश्यकता है। जैसे-जैसे अधिक जानकारी और आंकड़े उपलब्ध होते जाएंगे, दीर्घकालीन योजना के खाके को भर दिया जाएगा और टेक्नालाजी में प्रगति साधनों की अधिक जानकारी और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों की प्रगति के अनुसार स्वयं इस योजना में भी समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। योजना आयोग ने और स्वाधीन अनुसंधान संस्थानों ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। पांचवीं योजना के अन्त तक की अवधि को छूने वाली एक वृहत्तर योजना की तैयारी के लिए अगले तीन वर्षों में काफी साधन लगाने का प्रस्ताव है।

अध्याय 3

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण करते हुए, हाल के वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था में हुई प्रगति, वर्तमान आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों और देश के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों तथा पहले अध्यायों में वर्णित दीर्घकालीन भावी वृद्धि, इन सबका ध्यान रखा गया है।

2. पिछली शताब्दी में भारत की अर्थ-व्यवस्था का काफी तेजी से विस्तार हुआ है, देश के भावी सामाजिक व आर्थिक ढांचे का खाका बन चुका है और दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीव पड़ चुकी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो में कुल विनियोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। यह राशि दूसरी योजना के अन्त में बढकर लगभग 1600 करोड़ रुपये हो गई। सरकारी क्षेत्र में विनियोग इस अवधि में 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 800 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हो गया। वर्तमान भावों के आधार पर पहली और दूसरी योजना में 10,110 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ जिसमें से 5210 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और 4900 करोड़ निजी क्षेत्र में लगे। पहली योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय 18 प्रतिशत बढी, जब कि मूल लक्ष्य केवल 12 प्रतिशत वृद्धि का था। यह वृद्धि अधिकाशतः कृषि उत्पादन में प्रगति के कारण हुई। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 20 प्रतिशत हुई जबकि लक्ष्य 25 प्रतिशत का था। कृषि उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा और खाद्यान्नों में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई। सुसगठित उत्पादक उद्योगों में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। पिछले दस वर्षों में हुई वृद्धि का मोटा अंदाज पृष्ठ 18 और 19 में दी गई सारिणी में अंकित कुछ चुने हुए सूचकों से हो सकता है।

3. गत दस वर्ष में वृद्धि की गति एक-सी नही रही। इसमें ऊंच-नीच हुई, कभी प्राकृतिक कारणों या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो के कारण तो कभी क्रियान्वयन की कमियों के कारण। जनसंख्या में वृद्धि ने बेरोजगारी की समस्या को और गभीर बना दिया। दूसरी योजना में 80 लाख नई नौकरियों के बढने का अनुमान है, जिसमें से 65 लाख कृषि के अलावा हैं। दूसरी योजना के अन्त में 90 लाख व्यक्ति बेकार थे। हालांकि राष्ट्रीय-जीवन के हर अंग में काफी उन्नति हुई है, फिर भी उसके साथ ही अनिवार्य रूप से कुछ कठिनाइयां और मुश्किलें पैदा हुई। कुछ असफलताएं और गलतियां हुई, जिनसे बचा जा सकता था और अभी भी हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे में कुछ कमजोरियां शेष हैं, लेकिन इन सबके बावजूद हर दिशा में कुछ नये कदम बढाये गये हैं, और बहुत मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ है।

वस्तु (1)	इकाई (2)	1950–51 (3)	1955–56 (4)	1960–61 (5)	1950–51 की अपेक्षा 1960–61 में हुई वृद्धि का प्रतिशत (6)
राष्ट्रीय आय (1960–61 के मूल्यों के आधार पर)	करोड़ रु०	10240	12130	14500	41.6
प्रति व्यक्ति आय (1960–61 के मूल्यो के आधार पर)	रुपये	284	306	330	16.2
कृषि उत्पादन सूचक अक (1949–50=100)		95.6	116.8	135.0	41.2
खाद्यान्न उत्पादन	करोड टन	5.22*	6.58*	7.60	45.6
नत्रजन वाले उर्वरक उपभुक्त	हज़ार टन	55	105	230	318.2
सिंचित क्षेत्र (विशुद्ध योग)	करोड एकड	5.15	5 62	7.00	35.9
किसानों को दिये जाने वाला सहकार आन्दोलन अग्रिम धन	करोड़ रुपये	22.9	49.6	200.0	773.4
औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक (1950–51=100)		100	139	194	94.0
तैयार लोहा	लाख टन	14	17	35	150.0
अलमुनियम	हज़ार टन	3.7	7.3	18.5	400.0
मशीनी औजार	करोड़ रुपये	0.34	0.78	5.5	1517.6
गंधक का तेज़ाब	हज़ार टन	99	164	363	266.7

पैट्रोलियम के उत्पादन	लाख टन	—	36	57	—
सूती कपड़ा					
मिल से निर्मित	करोड़ गज	372	510.2	512.7	37.8
खादी, हथकरघे तथा बिजली के करघे का बना	करोड़ गज	89.7	177.3	234.9	161.9
योगफल	करोड गज	461.7	687.5	747.6	61.9
बिजली—लगे हुए कारखानों की क्षमता	लाख किलोवाट	23†	34†	57	147.8
रेलो द्वारा ढोया हुआ माल	करोड टन	9.14	11.40	15.40	68.5
सड़कें—राष्ट्रीय मार्ग शामिल करके	हजार मील	97.5	122 0	144.0	47.7
सामान्य शिक्षा					
विद्यालयों में विद्यार्थियों की सख्या	करोड़ो मे	2.35	3.13	4.35	85.5
तकनीकी शिक्षा					
इंजीनियरी और टेकनोलोजी डिग्री देने वाली संस्थाओ की क्षमता	हजारो मे	4.1	5.9	13.9	239
स्वास्थ्य					
अस्पतालों में रोगी-शय्याएं	हजारों में	113	125	186	64.6

*उत्पादन के अनुमानों में आंकड़े एकत्र करने की नई विधि और 1956–57 तक के नये अनुमानो के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है।

†कैलेंडर वर्ष 1950 और 1955 के आकड़े।

4. तीसरी योजना बनाते समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य रहे हैं—

(1) राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि, और पूंजी-विनियोग का ऐसा स्वरूप बनाना ताकि वृद्धि का यह क्रम अगली योजना में भी जारी रहे।

(2) खाद्यान्नो के मामलों में देश स्वावलम्बी हो जाए और कृषि की उपज इतनी बढे जिससे उद्योगो और निर्यात दोनो की आवश्यकताए पूरी हों।

(3) इस्पात, रासायनिक उद्योग और बिजली सरीखे बुनियादी उद्योगो का विस्तार हो और यंत्र-सामग्री बनाने की क्षमता इतनी बढ जाए, ताकि दसेक वर्ष के अन्दर औद्योगीकरण की समस्त आवश्यकताए पूरी होने लगें।

(4) देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाय और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो, तथा

(5) अवसर की समानता उत्तरोत्तर बढे, आय और सम्पत्ति में विषमता घटे तथा आर्थिक क्षमता का वितरण और अधिक समुचित हो।

5. तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि, आत्मनिर्भर और स्वनिर्मित अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक सघन विकास की दशाब्दी का प्रथम चरण है। हालांकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था अब आकार में कहीं बडी है, और इसके कार्यकलाप बहुत बढ गये हैं, इसे बढती हुई मागो को पूरा करना है और ऐसी अनेक योजनाओ में काफी विनियोग करना पड़ेगा जिनका फल चौथी योजना में ही मिलना शुरू होगा। इसलिए तीसरी योजना में यथासम्भव अधिकतम विनियोग करने की आवश्यकता है।

6. तीसरी योजना में विकास की आम शैली अधिकाशत: दूसरी योजना के मूल निर्धारण तथा अनुभवो के आधार से ही बनी है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयो के मार्ग में यह विकास की समस्याओ का प्रतिनिधित्व करती है और इसके क्रियान्वयन के लिए और अधिकतर प्रयास तथा शीघ्र काम पूरा करने की भावना की आवश्यकता है। तीसरी योजना विशेषकर कृषि अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग, बिजली और परिवहन का विकास करने और औद्योगिक तथा प्राविधिक परिवर्तन को तीव्र करने, अवसर की समानता और समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा मे प्रगति करने और रोजगार चाहने वाले तमाम व्यक्तियो को रोजगार देने का उद्देश्य लेकर चलेगी। इन उद्देश्यो वाली विकास की योजना के लिए राष्ट्र को दृढ प्रयास और त्याग करना पड़ेगा। यह अत्यावश्यक है कि तीसरी योजना की अवधि मे विकास का बोझ सब पर बराबर पड़े और हर चरण में आर्थिक और वित्तीय तथा अन्य नीतिया इस प्रकार बनाई जाए जिससे अधिकाश लोगों के कल्याण और रहन-सहन के स्तर मे सुधार हो।

7. तीसरी योजना में विकास के कार्यक्रम मे कृषि का सबसे पहला स्थान है। कृषि उत्पादन को अधिकतम अग्रिमता दी जाएगी और योजना के कृषि लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनो की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विविधीकृत करना होगा ताकि कृषि पर निर्भर जनसख्या मे कमी हो। तीसरी योजना मे कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास का मार्ग दर्शक तत्व यह रहेगा कि जो कुछ किया जा सकता है, उसके लिए वित्तीय साधन उपलब्ध हों, और हर क्षेत्र की संभावनाओ का अधिकतम विकास

किया जाए। तीसरी योजना का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग का है। यह कार्य योजना में शामिल विकास कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर बनाए गए जनशक्ति के उपयोग के लिए विस्तृत ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों द्वारा किया जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व, और आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर अधिकाधिक रहेगी। सेवा सहकारियों का संगठन किया जायगा और इस काम के लिए ग्राम समाज को प्रारंभिक इकाई माना जाएगा। ग्रामीण प्रगति के लिए अपरिहार्य सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह गांव के स्तर पर सहकारिता और सामुदायिक विकास की वृद्धि का युक्तिसंगत परिणाम है।

8. दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधन और बिजली तथा यंत्रनिर्माण और रासायनिक उद्योग आदि मूल उद्योगों को तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधार रूप माना गया है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था अर्थात सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हालांकि निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान करना है, फिर भी अर्थ-व्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान और अधिक प्रमुख हो जाएगा। तीसरी योजना में छोटे उद्योगों को औद्योगिक ढांचे का महत्वपूर्ण अंग बनाने के प्रयास जारी रहेंगे; ऐसा बड़े और छोटे उद्योगों में और अधिक समन्वय, औद्योगीकरण के लाभों को छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और प्रारंभिक ग्रामीण उद्योगों में नई सुधरी हुई प्रणालियों के प्रारंभ के द्वारा किया जाएगा।

9. तीसरी योजना में शिक्षा एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास पर काफी बल दिया गया है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास में सन्तुलन बनाने के लिए जितनी आवश्यक हैं उतनी ही योजना के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जरूरी हैं। समाज में शिक्षा के प्रचार तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के बिना बड़ा प्राविधिक परिवर्तन या उत्पादन में वृद्धि का होना सम्भव नही है।

10. रोजगार की समस्या को हल करने के लिए दो दिशाओं में एक साथ प्रयत्न की जरूरत है। योजना मे वर्णित विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार चलाना है जिससे उनसे अधिकतम रोजगार पैदा हो सकें। उनका कार्यान्वयन समन्वित ढंग से हर क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना है। अनेक क्षेत्रों में जहां जनशक्ति का उपयोग और अधिक सघन रूप में किया जा सकता है, वहां योजना के विकास कार्यक्रम को तीव्रतर कर उन्हें योजना के अन्तिम चरणों की आवश्यकताओं के अनुसार बढाया जा सकता है। यह कार्रवाई उन क्षेत्रों में विशेष रूप से आवश्यक होगी, जहां जनसंख्या घनी है और बेकारी अधिक है। यह अनुमान है कि योजना के विकास कार्यक्रम 1 करोड़ 40 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे, जबकि इस योजना की अवधि में नए रोजगार चाहने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख और बढ़ेगी। इस प्रकार जो शेष बेरोजगार बचेंगे, उन्हें ग्रामीण विकास के बड़े कार्यक्रमों, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों तथा अन्य कामो में लगाया जाएगा।

11. वृद्धि की संचयशील दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए यह आवश्यक है कि

राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत से भी अधिक विनियोग किया जाए जबकि वर्तमान स्तर केवल लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। इसका अर्थ होगा कि घरेलू बचत वर्तमान साढ़े आठ प्रतिशत से बढ़ाकर योजना के अन्त तक लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत की जाए। स्वदेशी साधनों के अतिरिक्त काफी विदेशी सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। विकास के इस चरण में विदेशी साधनों पर निर्भरता इस बात का संकेत है कि तीसरी योजना में ऐसी नीति अपनानी होगी, और उपाय करने होंगे जिनसे आयात कम हो और निर्यात से आमदनी बढ़े।

12. तीसरी योजना में उत्पादन का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि खाद्यान्नों और अन्य उपभोक्ता माल यथेष्ट मात्रा में पैदा किया जाए। फिर भी यह अनिवार्य है कि समय-समय पर मुद्रा-स्फीति भर उठाने लगे। योजना में ऐसी मूल्य-नीति स्वीकार की गई है, जिसके अनुसार सम्बन्धित भावों का उतार-चढ़ाव योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप रहेगा, और कम आमदनी वाले समुदाय जिन आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनके भाव अधिक नहीं बढ़ेंगे। यह भी आवश्यक है कि अपेक्षया अनावश्यक वस्तुओं और, सेवाओं के उपयोग पर नियन्त्रण किया जाए। इसी प्रकार उत्पादन के ढांचे का नियोजन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि देश के सीमित साधनों को अपेक्षया अनावश्यक माल और सेवाओं के उत्पादन में न लगाया जाए। इन उपायों का आर्थिक स्थिरता की परिस्थिति में तीव्र विकास करने के लिए ही महत्व नहीं है, बल्कि ये तीसरी योजना के सफल नियान्वयन के लिए आवश्यक घरेलू साधनों और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक हैं।

13. तीसरी योजना में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि परियोजनाओं की अवस्थाओं का विभाजन एक दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाए, उनके नियोजन और उनसे मिलने वाले लाभ दोनों में निरन्तरता बनी रहे और दीर्घकालीन तथा अपेक्षया अल्पकालीन परियोजनाओं के बीच सन्तुलन रखा जाए। उद्योग, परिवहन और बिजली जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों के नियोजन और कार्यान्वय में गहरा समन्वय होना नई परियोजनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि चालू कारखानों में उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। उद्योगों का कार्यक्रम, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अन्वेषण और प्राविधिक शिक्षा भी सम्मिलित है, स्वयं में पूर्ण बनाया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो परियोजनाएं अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की क्षमता को बढ़ाने में सहायता दें उन्हें न्यूनतम अवधि में चलाया और पूरा किया जाए।

14. दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के तीव्र विकास में राज्यों की योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं तथा ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य बनाये गये हैं उनकी प्राप्ति राज्यों की योजनाओं के सफल नियान्वयन पर ही निर्भर करती है। बड़े उद्योगों और विशेषकर मूल और भारी उद्योगों का विकास होने से राज्यों की योजनाओं को बिजली और प्राविधिक शिक्षा के विकास, आवास और शहरी विकास की योजनाओं तथा ग्रामीण और औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के गहरे समन्वय के उपायों की व्यवस्था करनी है। राज्यों

की योजनाएं बनाने और उनका आकार और ढांचा नियत करते समय इन बातों को यथा-संभव ध्यान में रखा गया है।

15. तीसरी योजना में भूतकाल की अपेक्षा भारतीय अर्थ-व्यवस्था के निदेशन और प्रबन्ध में नियोजन और कार्यान्वयन के लिए पहले से कहीं अधिक सुधरे ढग और मशीनरी, सांख्यिकीय और आर्थिक आंकडे, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्राविधिक तथा अन्य विकास के यथोचित मूल्यांकन, देश के साधनों का और अधिक ज्ञान तथा पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित विश्लेषण और अन्वेषण की आवश्यकता है।

16. तीसरी योजना की अवधि के पाच वर्षों में राष्ट्र उतनी सफलता प्राप्त करने का इरादा रखता है, जितनी पहली और दूसरी योजनाओं के दस वर्षों में प्राप्त की गई। यह काम बहुत बड़ा है, जरूरी है और वर्तमान तथा भविष्य के लिए इसका बहुत बडा महत्व है। इसके प्रशासनिक प्रभाव और संभावनाएं अत्यन्त विस्तृत हैं और उनके लिए हर क्षेत्र में कार्यकुशलता के अत्यधिक ऊचे स्तर की आवश्यक्ता है। प्रभावी कार्यान्वियन के लिए साधनों के एकत्रीकरण, बदलती हुई आवश्यक्ताओं की स्वीकृति, हर चरण में साधनों के समन्वय और एकत्रीकरण, आने वाली कठिनाइयो और समस्याओं के पूर्वाभास की क्षमता, विकास के लिए अनुकूल अवसरो से लाभ उठाने में तत्परता और सबसे अधिक विद्वान और कुशल कार्यकर्त्ताओं तथा योजना के उद्देश्यो के अनुरूप सगठनों की आवश्यकता है। विकास की योजना चाहे वह कितनी ही विस्तृत हो या संक्षिप्त, केवल कार्यक्रम का मोटा ढांचा भर दर्शाती है। इसकी सफलता अनेक प्रकार के घटको पर निर्भर करती है जैसे विकास के भार और चुनौती के प्रति लोगो में चेतना, नई उत्पादक शक्तियों का प्रकट होना और आधुनिक विज्ञान और टैक्नालाजी का अधिक उपयोग, दृष्टिकोण और प्रेरणा में परिवर्तन और अंत में विश्वास का ऐसा वातावरण जिसमें यह समझा जाय कि तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विस्तृत आर्थिक अवसर दोनों का उपाय है।

अध्याय 4

योजना के लक्ष्य और खर्च

पिछले अध्याय में जो लक्ष्य बताये गये है उनको पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि अगले 5 वर्ष में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास हो वह एक निर्धारित सीमा से कम न हो। तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इसी को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। अनुमान है कि अगले 5 साल में राष्ट्रीय आय में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में कम से कम 17 प्रतिशत की। योजना की एक झाकी देने के लिए नीचे की तालिका में कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्य दिये गये हैं—

मुख्य लक्ष्य

वस्तु (1)	संख्या (2)	1960-61 (3)	1965-66 (4)	1960-61 से 1965-66 में वृद्धि-प्रतिशत (5)
खेती की उपज का सूचक अंक (1949-50=100)		135	176	30
अनाज की पैदावार	लाख टन में	760	1000	32
नत्रजनी खाद की खपत	टन	2,30,000	10,00,000	335
सिंचित क्षेत्र का रकबा (शुद्ध योग)	लाख एकड़	700	900	29
सहकारी आन्दोलन : किसानों को उधार	करोड़ रु०	200	530	165
औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक (1950-51=100)		194	329	70
उत्पादन :				
इस्पात के ढोके	लाख टनों में	35	92	163
अलमुनियम	टन	18,500	80,000	332
मशीनी औज़ार	करोड़ रु० में	5.5	30	445
गंधक का तेज़ाब	टन	3,63,000	15,00,000	313
पेट्रोल जन्य पदार्थ	लाख टन में	57	99	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कपड़ा :				
मिल का	लाख गज में	51,270	58,000	13
हथकरघा, बिजली करघा और खादी	लाख गज में	23,490	35,000	49
जोड़	लाख गज में	74,760	93,000	24
खनिज :				
लौह खनिज	लाख टन में	107	300	180
कोयला	लाख टन में	546✓	970	76
निर्यात	करोड़ रु० में	645	850	32
बिजली : स्थापित क्षमता	लाख कि० वा० में	57	127	123
रेलवे–माल जो ढोया जाएगा	लाख टन में	1540	2450	59
सड़क–बस, ट्रकों की संख्या	संख्या	2,10,000	3,65,000	74
जहाज–टन भार	लाख जी० आर० टी०	9	10.9	21
शिक्षा, स्कूलों में छात्रों की संख्या	लाख में	435	639	47
शिल्पिक शिक्षा (इंजीनियरी और टैकनालाजी में डिग्री के लिए भर्ती)	संख्या	13,900	19,100	37
स्वास्थ्य :				
अस्पतालों में पलंग	संख्या	1,86,000	2,40,000	29
डाक्टरों की संख्या	संख्या	70,000	81,000	16
खपत :				
भोजन	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी	2,100	2,300 ✓	10
कपड़ा	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग गज	15.5	17.2 ✓	11

इस पुस्तिका के अन्त में परिशिष्ट 1 में तीसरी योजना के लक्ष्यों का अधिक ब्योरा दिया गया है।

2. जनसंख्या में वृद्धि, और लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को देखते हुए और अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में स्वतः विकास करने की स्थिति में पहुंचने के लिए, यह आवश्यक है कि अगले 5 वर्ष में उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयत्न संभव हों, किए जाएं। इसके अलावा चौथी योजना की तैयारी के लिए तीसरी योजना में

भी कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तीसरी योजना के कार्यक्रम उपर्युक्त दोनो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने मे सरकारी क्षेत्र मे 8000 करोड़ रु० से अधिक खर्च होगा और निजी क्षेत्र मे 4100 करोड रु०* खर्च का अनुमान है।

3. पिछला अनुभव यह है कि 5 वर्ष की योजना बनाते समय यदि उन्ही साधनों को ध्यान में रखा जाता है जो उस समय दिखाई देते हैं, तो आगे चलकर जो अवसर हाथ में आते हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नही किया जा सकता। इसलिए 5 वर्ष की अवधि के लिए जो भौतिक कार्यक्रम बनाये जाए वे बिल्कुल उन साधनो पर निर्भर न होने चाहिए जो योजना की तैयारी के समय दिखाई दें। साल-ब-साल कार्यक्रमो के खर्च जुटाने की कोशिश करनी चाहिए।

4. इस समय उपलब्ध आर्थिक साधनो का अनुमान 7,500 करोड रु० है। किन्तु इधर जाच-पड़ताल से पता चला है कि देश मे बचत बढ़ाने के लिए और उपाय किए जाएं तो ये साधन और बढ सकते हैं। वास्तव मे, योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी जिस हद तक पूर्ति हो सकेगी उसी हद तक और साधन भी जुटायें जा सकेंगे। भारत की विकास योजनाओं के लिए मित्र देशो से और विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो से जो सहायता मिल रही है उससे यह आशा होती है कि तीसरी योजना के लक्ष्यो की पूर्ति में विदेशी मुद्रा की कमी विशेष बाधक न होगी। दूसरी ओर, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी योजना के कुछ कार्यक्रम इस अवधि में पूरे न हो सकें और उनमें जो रुपया लगने वाला है उसे चौथी योजना के शुरू में लगाया जाए। कार्यक्रमो मे जो कुछ भी हेर-फेर करने पड़े, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि तीसरी योजना के जो मुख्य या बुनियादी लक्ष्य हैं वे समय के अन्दर पूरे हो जाए।

5. नीचे की तालिका मे दिखाया गया है कि 7,500 करोड़ रु० किन मुख्य-मुख्य मदों मे खर्च किये जाएगे :

खर्च का ब्योरा

(करोड़ रु०)

मद	दूसरी योजना		तीसरी योजना				
	कुल खर्च	प्रतिशत	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्र	कुल खर्च	प्रतिशत
खेती और सामुदायिक विकास	530	11	919	24	125	1068	14
सिंचाई के बडे और मध्यम काम	420	9	630	2	18	650	9
बिजली	445	10	880	23	109	1012	13
ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग	175	4	137	4	123	264	4
बड़े उद्योग और खनिज	900	20	70	—	1450	1520	20
यातायात, सचार	1300	28	226	35	1225	1486	20
सामाजिक सेवा आदि	830	18	863	87	350	1300	17
कच्चा और अध तैयार माल (इनवेंटरी)					200	200	3
योग	4600	100	3725	175	3600	7500	100

*इसमें 200 करोड़ रु० की वह रकम शामिल नही है जो सरकारी क्षेत्र से निजी-क्षेत्र में डाली जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में खर्च होने वाले 7,500 करोड रु० में से 6,300 करोड़ रु० पूंजी में लगाये जाएंगे और कर्मचारियों का वेतन, आर्थिक सहायता ,आदि चालू खर्च 1,200 करोड रु० होगा। इस रकम मे म्यूनिसपैलटियो और पचायतों आदि स्थानीय सस्थाओ के विकास का केवल वह खर्च शामिल है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारे अपने योजना-खर्च के रूप में करेंगी। इसमें वह रकम शामिल नही है जो स्थानीय संस्थाएं अपने पास से लगाएगी या जो स्थानीय जनता स्थानीय कार्यो मे नगद या सामग्री आदि के रूप में देगी।

6. 10,400 करोड रु० के नियोजन मे 2030 करोड रु० से कुछ अधिक की विदेशी मुद्रा की दरकार होगी। दूसरी योजना के अंतिम वर्ष में सरकारी और निजी नियोजनो की राशि करीब 1,600 करोड रु० थी। आशा है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में यह करीब 2,600 करोड़ रु० हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र में नियोजन इस अवधि मे 8,00 करोड़ रु० से बढ़कर 1,700 करोड़ रु० हो जाएगा। तीसरी योजना में कुल नियोजन करीब 54। प्रतिशत बढाने का लक्ष्य है, 70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र मे और करीब 32 प्रतिशत निजी क्षेत्र में।

7. इस संक्षिप्त विवरण के अन्त में परिशिष्ट 3 मे केन्द्रीय और राज्यों की योजनाओ के खर्च का ब्योरा दिया गया है। साधारणतः विकास योजनाओ को राज्यों की योजनाओ में शामिल किया गया है और केवल कुछ थोड़ी-सी ही योजनाओ को केन्द्रीय सरकार की योजनाओं मे रखा गया है, जो केन्द्रीय मत्रालय की ओर से चालू की जाएगी। इस प्रकार यह कोशिश की गई है कि राज्यों की योजनाओ का क्षेत्र और बढ़े तथा उनकी विकास योजनाएं समन्वित ढंग से चलें। राज्यो की योजनाए तय करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनकी क्या विशेष आवश्यकताए और कठिनाइया है, उन्होने अब तक कितना काम और प्रगति की है, उनके विकास मे क्या त्रुटियां रह गयी हैं, मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने मे वे क्या योग दे सकेंगे और वहा कितने साधन है और कितने जुटाये जा सकते हैं। राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशो के सब कार्यक्रमो का कुल जोड 4022 करोड़ रु० आता है। इनका ब्योरा इस पुस्तिका के अन्त मे परिशिष्ट 3 में पहली और दूसरी योजनाओं के तुलनात्मक आंकड़ो के साथ किया गया है।

8. ऊपर, भौतिक कार्यक्रमो और खर्च की मदो का जो मोटा ब्योरा दिया गया है उससे यह पता चलता है कि हमें इस योजना मे कितना काम करना है और किन बातों पर कितना जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत विकास के कुछ ठोस कार्यक्रम शामिल है जिनका संक्षेप में इस विवरण मे उल्लेख किया जाएगा।

9. तीसरी योजना में जो कार्यक्रम रखे गये है उनसे 1 करोड 40 लाख आदमियो को काम मिलने की आशा है। हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण तीसरी योजना की अवधि में करीब 1 करोड 70 लाख और आदमियो को काम देने की जरूरत पडेगी। अतः हमें अधिक-से-अधिक लोगो को काम-धंधे दिलाने का प्रयत्न करना है। इनमें से कुछ लोगो को छोटे और ग्रामीण उद्योगो में खपाना होगा और कुछ को खेती और सामाजिक सेवाओं में। इसके लिए इन सबका विस्तार करना होगा। इसके अलावा गावो मे निर्माण के काम शुरू किये जाएंगे जिनमे अधिक-से-अधिक लोगो को काम में लगाया जाएगा।

10. अनुमान है कि यदि तीसरी योजना के सारे कार्यक्रम समय से पूरे हो गए तो 1960-61 के मूल्यों के आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय करीब 34 प्रतिशत बढ जाएगी । खेती और उससे सबंधित धधों का शुद्ध उत्पादन करीब 25 प्रतिशत बढ़ेगा, खानों और और करखानो का करीब 82 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों का करीब 32 प्रतिशत । खेती, खान और कारखानो के उत्पादन वृद्धि का अनुमान योजनाओ के लक्ष्यों के आधार पर किया गया है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन का केवल मोटा अन्दाज लगाया जा सकता है । राष्ट्रीय आय मे 34 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बहुत-सी कठिन समस्याओ को हल करना होगा, जिनमें एक बहुत बड़ी समस्या है विकास कार्यों के लिए यथेष्ट रकम जुटाने की, फिर भी मोटा अन्दाज यह लगाया गया है कि तीसरी योजना के दौरान में राष्ट्रीय आय में कम से कम 30 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। 1960-61 के मूल्यों के अनुसार दूसरी योजना के अंत में राष्ट्रीय आय में करीब 14,500 करोड़ अनुमानी जाती है, जिसे तीसरी योजना के अन्त तक बढकर 19,000 करोड़ हो जाना चाहिए । वर्तमान जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1960-61 मे 330 रु० होती है जिसे तीसरी योजना के अन्त में 385 रु० हो जाना चाहिए ।

अध्याय 5

योजना के लिए वित्तीय साधन

आयोजन की समस्या की मूल बात है विकास की पर्याप्त दर के लिए साधन एकत्रित करना। योजना में 10,400 करोड़ रु० के विनियोग कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि इतने विनियोग के लिए हमें विनियोग-दर को बढ़ाना होगा—इस समय राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत विनियोग में लगता है, इसे बढ़ाकर लगभग 14 प्रतिशत करना होगा। विनियोग के कुछ भाग के लिए हमें विदेशी सहायता भी लेनी होगी। देशी बचत की दर को भी वर्तमान समय की राष्ट्रीय आय के 8.5 प्रतिशत से तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 11.5 प्रतिशत करना होगा। प्रत्यक्ष है कि इसके लिए हमें कुल उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयास करना होगा जैसा कि योजना में कहा गया है। साथ ही हमें विनियोग की आवश्यकताओं को देखते हुए उपभोग को सीमाओं में रखने के लिए आर्थिक नीतियों का निरन्तर अनुकरण करना होगा। पिछले दस वर्षों में उत्पादन बढ़ाने और आगे विस्तार करने की क्षमता में जो प्रगति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए योजना के विनियोग और बचत के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं बशर्ते कि साधनों को दक्षतापूर्वक इकट्ठा किया जाए और लगाया जाए और विदेशी विनिमय पर्याप्त मात्रा में मिल सके।

2. भौतिक रूप अथवा वित्तीय रूप, दोनों में आयोजन का लक्ष्य अन्ततः एक ही है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा निश्चयात्मक फल नहीं दे सकता। विनियोग-दर अन्ततोगत्वा निर्णय द्वारा ही निश्चित होगी। समय-समय पर इस निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी—इसलिए योजना में कुछ हद तक लचीलापन होना आवश्यक है ताकि व्यय में आवश्यक रद्दोबदल की जा सके। हमारा लक्ष्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना है और इन पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार की कमी से विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। साधन जुटाने की प्रणाली और इनमें से हरेक का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के लिए वित्त

3. सरकारी क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यों के लिए कुल 8,000 करोड़ रु० से भी अधिक की व्यवस्था की गई है। इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए आन्तरिक साधनों को जुटाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना होगा। परियोजनाओं के विभिन्न चरणों और उन पर होने वाले वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में अनिश्चितताएं हैं। औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति सीधे तौर पर विदेशी विनिमय की उपलब्धि पर निर्भर है। हालांकि विदेशी सहायता की वास्तविक आवश्यकता कुछ ज्यादा है, यह निर्णय किया गया है कि

प्रारम्भिक रूपरेखा में बताए हुए मत के अनुसार पी० एल० 480 के अतिरिक्त कुल विदेशी सहायता 2600 करोड़ रु० से अधिक नहीं होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय सरकारी क्षेत्र में होने वाले कुल व्यय की राशि 7500 करोड़ रु० निर्धारित की गई है। परन्तु यहां यह जोर के साथ कहना भी जरूरी है कि इस अनुमान को बचत की मात्रा बढ़ाकर और अधिक संचित कर ऊपर ले जाने की हर सम्भव कोशिश की जाए।

4. योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय होने वाले कुल 7500 करोड़ रु० में से विनियोग अनुमानतः 6300 करोड़ रु० के होंगे और कर्मचारियों, सहायता की रकमों इत्यादि पर चालू व्यय 1200 करोड़ रु० होगा। 6300 करोड़ रुपये के विनियोग व्यय में 200 करोड़ रु० की वह राशि भी शामिल है, जिसको निजी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, आवास इत्यादि कुछ चुने हुए विनियोगों पर व्यय करने के लिए दिया जायेगा। इस प्रकार वास्तविक सरकारी विनियोग 6100 करोड़ रुपये होगा।

5. प्रारम्भिक रूपरेखा में सरकारी क्षेत्र के साधनों का अनुमान 7250 करोड़ रुपये था—केन्द्र में 6050 करोड़ रु० और राज्यों में 1200 करोड़ रुपये। बाद में राज्य सरकारों से हुई बातचीत तथा 1960-61 के केन्द्रीय बजट की दुबारा समीक्षा करने पर इस अनुमान का संशोधन कर इसे 7453 करोड़ रुपये कर दिया गया है—इसमें से 6107 करोड़ रु० केन्द्र से और 1346 करोड़ रु० राज्यों से प्राप्त होंगे। इस अनुमान को 7500 करोड़ रु० बनाकर जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा गया। परिषद् ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए साधनों के कुल अनुमान (7500 करोड़ रु०) और भौतिक कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए कुल आवश्यकताओं (8000 करोड़ रु०) में जो अन्तर है, उसे पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यक्ष है कि इस समस्या का उत्तर इस पर निर्भर है कि कहां तक बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आन्तरिक बचत में वृद्धि की जाती है। परिषद ने बचत बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन और खोज करने के लिए एक बचत समिति नियुक्त की। 1961-62 के केन्द्र और राज्य सरकारों के बजटों और आन्तरिक बचतों के हर मद के अन्तर्गत अधिक साधन जुटाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के पश्चात समिति ने यह आशावादी निष्कर्ष निकाला कि केन्द्र और राज्य मिलकर पहले से अधिक साधन जुटा सकते हैं। परन्तु इस अवस्था में यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि भौतिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं और वित्तीय साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए किन दिशाओं में कदम उठाए जाएं। साथ ही विदेशी विनिमय साधनों की उपलब्धि की सीमाओं को भी ध्यान में रखना था। साधन जुटाने में हर वर्ष जो प्रगति हो, उसके प्रकाश में इस समस्या की निरन्तर समीक्षा करना आवश्यक है। हालांकि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय व्यय की राशि इस समय 7500 करोड़ रु० निर्धारित की गई है, इसमें और सुधार करने और खाई को पाटने के लिए निरन्तर प्रयास करने होंगे।

6 सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो वित्त-व्यवस्था की गई है, वह नीचे दी गई सारिणी में दी जा रही है। तुलना के लिए हर मुख्य वित्त-साधन से दूसरी योजना-अवधि में जो राशि प्राप्त हुई थी, वह भी सारिणी में दी जा रही है। अन्त के दो कालमों में केन्द्र और राज्यों के अनुमान अलग-अलग दिए जा रहे हैं।

वित्तीय साधन

(दूसरी और तीसरी योजना के लिए)

(करोड़ रुपये)

मद	दूसरी योजना		तीसरी योजना		
	आरम्भिक अनुमान	वर्तमान अनुमान	योग	केन्द्र	राज्य
1. वर्तमान राजस्व से बची हुई राशि (अतिरिक्त करों को छोड़कर)	350	(–) 50	550	410	140
2. रेलों से प्राप्ति	150	150[1]	100	100	—
3. अन्य सार्वजनिक उद्यमों से बचत	—[2]	—[2]	450	300	150
4. जनता से ऋण (शुद्ध)	700	780[3]	800	475	325
5. छोटी बचतें (शुद्ध)	500	400	600	213	387
6. प्राविडेण्ट फण्ड (शुद्ध)	250 (मद 6 से 8)	170	265	183	82
7. इस्पात समीकरण कोष (शुद्ध)		38	105	105	—
8. पूंजी खाते में जमा विविध रकमें (गैर-योजना व्यय के अतिरिक्त)		22	170	428	–258
9. 1 से 8 तक का योग	1950	1510	3040	2214	826
10. अतिरिक्त कर, जिनमें सार्वजनिक उद्यमों में अधिक बचत करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं	450[4]	1052	1710	1100	610
11. विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई रकमें	800	1090[5]	2200	2200	—
12. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	1200	948	550	524	26
योग	4800	4600	7500	6038	1462

(1) किराये और माल-भाड़े में हुई वृद्धि सहित।

(2) सारिणी के 1 से 8 मदों में शामिल।

(3) इसमें पी० एल० 480 निधि में से स्टेट बैंक द्वारा किए गए विनियोग शामिल हैं।

(4) इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये का अन्तर और आन्तरिक प्रयासों से पूरा करना होगा।

(5) इसमें रिजर्व बैंक द्वारा पी० एल० 480 निधि में से 1960-61 में विशेष ऋण-पत्रों में लगाई गई राशि भी शामिल है।

7. दूसरी योजना के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि सारिणी में दिए गए हर साधन से प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाने मे जितनी भी सतर्कता बरती जाए, वास्तव में अलग-अलग मदो से प्राप्त होने वाली आय अनुमानों से भिन्न होगी। अतः आगामी पाच वर्षों की अवधि के लिए हमें सम्पूर्ण वित्त-योजना की पर्याप्तता पर ध्यान देना चाहिए न कि हर मद के अलग-अलग अनुमानो पर। दृष्टान्त के लिए राजस्व से प्राप्त होने वाली बचत का अनुमान लगाते समय यह मानकर चलना पड़ेगा कि आर्थिक कार्रवाइयों में वृद्धि के फलस्वरूप कर से प्राप्त होने वाली आय इतनी हद तक बढेगी। परन्तु अर्थ-व्यवस्था की विकास-गति हर वर्ष भिन्न-भिन्न हो सकती है, और कर प्राप्ति भी इस पर निर्भर करती है कि नई आय किस ओर जाती है। इसी तरह व्यय में भी गैर-योजना व्यय, विकास सम्बन्धी और गैर-विकास सम्बन्धी दोनो की प्रवृत्ति का अनुमान भी मोटे तौर पर ही लगाया जा सकता है। कुछ मामलों मे तो, जैसे सार्वजनिक उद्यमो से प्राप्त होने वाली बचत के, आकड़े वास्तव में अपर्याप्त हे। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि साधन जुटाने के विभिन्न तरीके कही न कही एक-दूसरे पर निर्भर करते है; दृष्टान्त के लिए यह सम्भव है कि एक स्थिति में कर लगाकर अधिक प्राप्ति हो सकती है, पर दूसरी स्थिति में मण्डी से ऋण लेने से अधिक प्राप्ति होती है। विदेशी सहायता की सामयिक उपलब्धि का भी आन्तरिक बचत और विनियोग के प्रयत्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों मे मूल्यो की प्रवृत्ति और कठिन विदेशी विनिमय स्थिति को देखते हुए तीसरी योजना की अवधि मे घाटे की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही सीमित मात्रा में अपनाई जाएगी।

राज्य सरकारों के साधन

8. राज्यो के 1961-62 के बजटो के प्रकाश मे की गई राज्यो के साधनो की समीक्षा से ज्ञात होता है कि राज्यो के साधनो की अवस्था इस समय अगस्त-नवम्बर 1960 में उनसे हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप प्राप्त हुई जानकारी से काफी बेहतर है। पहले राज्यो के अनुमानित साधन 1346 करोड़ रु० थे, अब यह अनुमान बढ़कर 1462 करोड़ रु० हो गया है। इस सुधार का मुख्य कारण आय-कर और विभाजीय उत्पादन शुल्को के अन्तर्गत काफी साधनो को केन्द्र से राज्यो को चला जाना है। राज्यो के साधन 1462 करोड़ रु० के हैं, केन्द्रीय सहायता 2375 करोड रु० की होगी; इस प्रकार राज्यों की योजनाओ के लिए उपलब्ध साधन कुल 3837 करोड रुपये के होगे। यह राशि 3847 करोड़ रुपये की राशि के लगभग बराबर ही है, जिसे राज्यो की योजनाओ के लिए स्वीकार किया गया है।

अतिरिक्त कर

9. तीसरी योजना मे 1710 करोड़ रु० के अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है— 1100 करोड़ रु० के केन्द्र मे और 610 करोड रु० के राज्यो मे। करों की यह न्यूनतम अनिवार्य राशि है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो को बढाना और सार्वजनिक उद्यमो से होने वाली बचतो मे वृद्धि करना आवश्यक होगा। अप्रत्यक्ष कर समाज के हाथों विभाज्य (डिस्पोजेबल) आय को घटा कर सरकारी क्षेत्र के साधनो में वृद्धि करते हैं। प्रत्यक्ष कर व्यय की जाने वाली कुल आय से प्राप्त होने वाली कुल वस्तुओ

और सेवाओं में कमी करते हैं। दोनों प्रकार के करों में से चुनाव व्यावहारिक आधार पर करना पड़ेगा। जिस बात पर जोर देना है, वह यह है कि कर इस प्रकार लगाए जाए कि योजना की विनियोग-आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोग सीमित रहे। यह अनिवार्य है कि अधिकतर अतिरिक्त कर केन्द्रीय सरकार ही लगाए। इस दिशा में 1961-62 में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकारें भी अपने हिस्से के करों की उगाही करें, यह भी कम जरूरी नहीं है। ग्राम्य क्षेत्र में कर लगाना अधिकतर उन्हीं के क्षेत्र में आता है। उन्हें बिक्री कर जैसे लचकदार आय के साधनों का पहले से अधिक अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए।

निजी विनियोग

10. निजी विनियोग के लिए भी उसी बचत कोष से राशि मिलती है, जिससे सार्वजनिक विनियोग को। दूसरी योजना-अवधि की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि बचत कोष में से सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ निजी विनियोग के लिए भी कुल 4300 करोड़ रु० की बचत भी प्राप्त हो सकती है। नीचे दी गई सारिणी में इस विनियोग राशि के विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय और दूसरी योजना-अवधि के अनुमान (प्रारम्भिक तथा बाद में संशोधित) दिए गए हैं—

निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग[1]

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना		तीसरी योजना के अनुमान
	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	
1. कृषि (सिंचाई-सहित)	275	675	850
2. बिजली	40	40	50
3. परिवहन	85	135	250
4. ग्रामीण और लघु उद्योग	100	225	325
5. बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ	575	725[2]	1,100[2]
6. आवास और अन्य इमारती काम	925	1,000	1,125
7. इन्वेंटरियां	400	500	600
योग	2,400	3,300	4,300

(1) ये आकड़े निजी क्षेत्र के सम्पूर्ण पूजी-विनियोग के द्योतक हैं, और इनमें सरकारी क्षेत्र से हस्तान्तरित साधनों से होने वाला पूजी-विनियोग भी शामिल है।

(2) इन अंकों में यन्त्रों को आधुनिक बनाने और बदलने के लिए किया जाने वाला पूंजी-विनियोग शामिल नहीं, जिसका अनुमान 150-200 करोड़ रु० है।

11. निजी क्षेत्र में लगाए जाने वाले कुल 4300 करोड़ रु० में से 200 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र से हस्तान्तरित किए जाएंगे। कृषि, लघु उद्योगों और सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक आंशिक सहायता देगा। निजी क्षेत्र को 300 करोड़ रु० तक की विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है। कुल मिला कर निजी क्षेत्र में 4300 करोड़ रु० के विनियोग की सम्भावना ठीक ही है।

विदेशी विनिमय साधन

12. आन्तरिक साधनों की कमी को कुछ हद तक अतिरिक्त प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी साधन इसकी तुलना में कठिन समस्या है। दूसरी योजना में भुगतान सन्तुलन 2100 करोड़ रु० प्रतिकूल था—यह राशि प्रारम्भिक अनुमान से लगभग दुगुनी है। तीसरी योजना के आरम्भ होते समय विदेशी विनिमय कोष घट कर इतना कम रह गया है कि उसमें से और अधिक राशि निकाली नहीं जा सकती। इसलिए हमें निर्यात-आय बढ़ाने की हर सम्भव कोशिश करनी होगी; साथ ही कड़ी बजट नीति और आयातों के लिए विदेशी विनिमय निर्धारित करने की नीति भी जारी रखनी होगी।

13. पृष्ठ 35 की सारिणी में तीसरी योजना के भुगतान सन्तुलन के अनुमान दिए गए हैं।

14. निर्यात लक्ष्य 3700 करोड़ रु० रखा गया है जब कि दूसरी योजना अवधि में कुल निर्यात 3053 करोड़ रु० का हुआ था। पुरानी और नई दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्यात काफी बढ़ाना आवश्यक होगा। देश की आयात की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, साथ ही विदेशी ऋणों सम्बन्धी सेवा की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी पांच वर्षों में और उससे भी आगे के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। निर्यात के वर्तमान स्तर से प्राप्त होने वाली कुल राशि को ध्यान में रख कर और काम चालू रखने के लिए आवश्यक आयात के लिए *लगभग 3650 करोड़ रु० की व्यवस्था करने के पश्चात (इस मद के लिए वास्तविक* आवश्यकता तो इससे अधिक है) विदेशी विनिमय की प्राप्ति और अदायगी लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। हालांकि देश को 2030 करोड़ रु० के आयात की आवश्यकता है, योजना में 1900 करोड़ रु० के आयात की व्यवस्था की गई है। पी० एल० 480 सहायता के अतिरिक्त तीसरी योजना में कुल विदेशी सहायता लगभग 2600 करोड़ रु० आंकी गई है—इसमें 200 करोड़ रु० के विशेष पूंजीगत माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात और 500 करोड़ रु० की देनदारी चुकाने की व्यवस्था है। भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का देश को सामना करना पड़ रहा है, वे विकास-क्रम का एक अंग हैं और आने वाले कुछ वर्षों तक हमें उनका सामना करना पड़ता रहेगा। इस अवधि के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है, पर हमारा लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था को अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनाना होना चाहिए।

15. कुल मिला कर विदेशी सहायता मिलने के अच्छे लक्षण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के तत्वावधान में मई 1961 में मित्र देशों के संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत को

तीसरी योजना की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं के लिए वित्त-व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना का योग	तीसरी योजना का योग	1961-62	तीसरी योजना का वार्षिक औसत
क. प्राप्ति				
1. निर्यात	3,053	3,700	667	740
2. अदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दान को छोड़कर)	520[1]	0	22	0
3. पूंजी का व्यवहार (शुद्ध) (सरकारी ऋणों और निजी विदेशी विनियोग को छोड़कर)	–172	–450	–133	–110
4. विदेशी सहायता	927[2]	2600	575[3]	520
5. विदेशी विनिमय आरक्षित कोष से निकाली गई राशि	598	0	0	0
1 से 5 तक का योग[4]	4826	5750	1 131	1150
ख. अदायगी				
1. परियोजनाओं के लिए मशीनों साज-सज्जा का आयात	4826 (1 से 3 तक)	1900	325	380
2. पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुर्जे, मध्यमवर्ती वस्तुएं इत्यादि		200	60	40
3. काम चालू रखने के लिए किए गए आयात		3,650	746	730
1 से 3 तक का योग	4826	5750	1131	1150

(1) इसमें वह राशि भी शामिल है, जो आरम्भ में भारत ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात होने वाले माल के भाड़े में दी, पर बाद में अमरीका ने वह राशि भारत को लौटा दी।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गई शुद्ध राशि भी इसमें शामिल है।

(3) यह अंक आयात के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का द्योतक है।

(4) दोनों में पी० एल०-480 आयात शामिल नहीं है—दूसरी योजना के लिए लगभग 534 करोड़ रु० और तीसरी योजना के लिए 600 करोड़ रु०।

तात्कालिक भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी समस्याओं और 1961-62 और 1962-63 के आयात की आवश्यकताओं के लिए कुल 1089 करोड रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। सोवियत रूस ने पहले के 238 करोड़ रुपये के दो ऋणो को तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है। चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और स्विट्ज़रलैण्ड जैसे कुछ अन्य मित्र देशों ने कुल मिलाकर 67 करोड रु० के ऋण देना स्वीकार किया है। विदेशी सहायता के क्षेत्र में हाल में जो प्रगति हुई है, वह भी काफी उत्साहवर्धक है। ससार के अविकसित भागों के विकास के लिए मिलजुल कर सहायता देने की दिशा मे यह एक साहसपूर्ण कदम है। मित्र देशो की इस सद्भावनापूर्ण पेशकश को देखते हुए हमें भी अपने आन्तरिक साधन जुटाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही हमे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उपलब्ध सहायता का अर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक हित में उपयोग किया जाए। जहा तक आन्तरिक और विदेशी साधनों का प्रश्न है हमे उत्पादन और बचत में निरन्तर वृद्धि करनी होगी—योजना की सफलता के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है।

उपसंहार

16. सार्वजनिक क्षेत्र मे साधनो के अनुमान को, जो इस समय 7500 करोड़ रु० है, इस दिशा में सम्भावनाओं की सीमा नही समझना चाहिए। तीसरी योजना में बचत में निरन्तर किस-किस दिशा मे वृद्धि की जा सकती है, इस बात का गहन और निरन्तर अध्ययन करना होगा। सारे, गैर-योजना व्यय की कड़ी समीक्षा की जाए, क्योकि योजना और गैर-योजना मदो पर होने वाले व्यय मे बचत से प्राप्त होने वाले कुछ साधन विकास मे लगाए जा सकते है। दूसरी योजना के अनुभव के आधार पर यह सम्भावना है कि जितना इस समय दिखाई देता है, बाद में उससे कही ज्यादा कर शायद लगाए जा सकें। प्राविडेन्ट फन्ड, जीवन बीमा का विस्तार और ऐसी ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओ से बचतो को उस कार्य के लिए बनाई गई सस्थाओ के द्वारा बढा कर साधनों में और वृद्धि की जा सकती है। बचत बढ़ाने के लिए देशव्यापी, विशेष कर देहाती क्षेत्रो में आन्दोलन की आवश्यकता है। राज्यों में स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को अधिक-से-अधिक उत्तरदायित्व सौंपने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर इन सस्थाओं द्वारा समाज को स्थानीय विकास कार्यक्रमो में अधिक रुचि लेने और योग देने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो विकास के लिए पहले से अधिक साधन जुटाए जा सकते हैं।

17. वित्तीय साधनो की सीमा कभी अपरिवर्तनीय नहीं होती। वह इस पर निर्भर करती है कि हम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार का और कितना प्रयास करते हैं, उनकी बचत बढाने, वित्तीय और अन्य कार्रवाइयों द्वारा साधनो को उपभोग अथवा गैर-प्राथमिक विनियोगो मे चले जाने से रोकने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह यथासमय अपना वित्त आप जुटा सकें। पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र मे काफी मात्रा में विनियोग हुआ है; अब हमें इस बात के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि इन परियोजनाओ से पर्याप्त बचत हो, जिसका प्रयोग

उनको और आगे बढ़ाने में हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें परियोजनाओं का चुनाव करते समय इस बात को निरन्तर ध्यान में रखें कि ऐसी योजनाएं चुनी जाएं, जिनमें विनियोग का फल जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो। किसी परियोजना को आरम्भ करने में और उसे उत्पादक बनाने में थोड़ी-सी देर हो जाने पर विनियोग के लिए उपलब्ध साधनों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आयोजन और कार्यान्वियन् में थोड़ा-थोड़ा सुधार ही कुल मिलाकर बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समस्या के इस पहलू पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम उस सीमा से भी अधिक साधन जुटा सकते हैं, जो इस समय बताई गई है।

18. साधनों की समस्या प्रशासनिक और संगठन सम्बन्धी दक्षता की समस्याओं से सम्बद्ध है। तीसरी योजना की सफलता इन दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है– (क) खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन कितना बढ़ाया जाता है, और (ख) निर्यात आय बढ़ाने के लिए किस जोर-शोर से कोशिश की जाती है। इन दोनों दिशाओं में सफलता प्राप्त होने पर वित्त सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयों पर अधिकाधिक मात्रा में काबू पाया जा सकता है।

अध्याय 6

तीसरी योजना में मूल्य-नीति

विकासमान व्यवस्था मे मूल्य-नीति के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं : (क) पहला यह कि योजना में जो लक्ष्य और प्राथमिकताएं निश्चित की गयी हैं उसी हिसाब से चीजों के भाव भी रहे, और (ख) दूसरी यह कि कम आमदनी वाले लोगो के व्यवहार की आवश्यक वस्तुओ के भाव अधिक न बढने पाए। पहली और दूसरी योजनाओं में इन्ही दो बातों पर जोर दिया गया था और भावो में अनुचित घट-बढ होने पर उनको रोकने के लिए कारंवाई की गयी थी। फिर भी पहली योजना की अवधि में भावो में बहुत उतार-चढ़ाव होता रहा और दूसरी योजना की पूरी अवधि मे उनका रुख बढाव की ओर रहा है। तीसरी योजना के आरम्भ के समय थोक भाव और रहन-सहन का स्तर काफी बढ गया है और इसका उपाय करना आवश्यक है कि तीसरी योजना के दौरान मे महगाई या मुद्रा-स्फीति का दबाव और न बढने पावे और समाज की कमजोर श्रेणियो के लोगो के रहन-सहन का स्तर गिरने न पाये।

तीसरी योजना में भावों का रुख

2. तीसरी योजना के 5 वर्ष की अवधि के अन्त तक विकास-कार्यों में नियोजन 11 प्रतिशत से बढकर 14 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसका अर्थ यह होगा कि लोगो के हाथ में और रुपया आवेगा। इसलिए मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए इसी हिसाब से माल या वस्तुए भी और उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी योजना मे नियोजन की गति बढने से जो मुद्रा-स्फीति पैदा हुई वह कुछ अश तक विदेशी विनिमय के सचित कोष से रुपया निकालकर सभाली गयी। अब तीसरी योजना मे ऐसा नही किया जा सकता। यद्यपि पिछले वर्षों में देश मे खेती और कल-कारखानो की उत्पादन-शक्ति काफी बढी है और तीसरी योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था से बहुत कम काम लिया जाएगा, फिर भी भावों के बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। एक तो वर्षा का कुछ भरोसा नही, दूसरे उपभोग या खपत को रोकने के उपाय पूरी तरह कारगर नही हो पाते, इसलिए सभव है कि इस योजना की अवधि मे कुछ समय तक भाव अधिक रहे, अर्थात् चीजों की कुछ कमी रहे। तीसरे, यद्यपि योजना मे यह खयाल रखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों मे विकास संतुलित ढंग से हो फिर भी यह संभावना रहती है कि किसी क्षेत्र में विकास अधिक हो और किसी मे कम। चूकि यह संभव नही है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से रुपया लगाया जाय या उत्पादन हो। इसलिए उपर्युक्त कारणो से तीसरी योजना में भावो पर, खासकर आवश्यक चीजों के भावो पर कड़ी नजर रखनी होगी और कठिनाई उपस्थित होने पर पहले से उपाय सोचकर तैयार रखने पड़ेगे।

मूल्य-नीति की संभावनाएं

3. मूल्य-नीति व्यापक आर्थिक नीति का अंग है और किसी विशेष वस्तु के मूल्य के सम्बन्ध में बिना और बातों पर विचार किए नीति नही स्थिर की जा सकती। भावो का उतार-चढ़ाव और स्तर केवल सरकार की नीति या निर्णयो पर नही निर्भर रहता। उसका संबंध उपभोक्ताओं और रुपया लगाने वालो से भी है, जो अपना हित देखते हैं। योजना इन सबको मिलाकर मूल्य-नीति निर्धारित करने की कोशिश करती है, परन्तु भावो के रुख में जल्दी बहुत अधिक परिवर्तन करना सभव नही होता। विकास के क्रम में भावों का कुछ ऊपर चढ़ना स्वाभाविक है। विकास-कार्यो मे जो रुपया लगाया जाता है उसका फल तुरंत नही मिलता और कुछ चीजों मे तो काफी समय के बाद फल मिलता है, अर्थात् उत्पादन शुरू होता है। इसके अलावा नया काम शुरू करने मे काफी साधन लगाने पड़ते हैं और कर्मचारियो को काफी पैसा देना होता है। इससे भी मुद्रा-स्फीति होती है।

4. दूसरी तरफ मुद्रा-स्फीति या महगाई के रुख को कम करने वाले भी कुछ तत्व हैं। जैसे, जो साधन अब तक बेकार पड़े हैं उनको उत्पादन में लगाने से उत्पादन बढता है। इसके अलावा खेती आदि कुछ ऐसे धन्धे हैं जिनमे बिना अधिक पूजी लगाए जल्दी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन बातो से मुद्रा-स्फीति कम होती है। इसके अलावा पहले जिन कामों में रुपया लगाया जा चुका है जब उनसे उत्पादन होने लगता है और जब देश मे शिल्प और प्रबन्ध, दोनों की कुशलता बढ़ती है तो कम खर्च में अधिक उत्पादन होने लगता है।

5. परन्तु ऐसा भी होता है कि मुद्रा-स्फीति का रुख अधिक तेज हो और उसको कम करने वाली शक्तिया पूरा काम न कर सकें। पिछड़े हुए देश या पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को उन्नत करने के लिए वर्षों तक विकास के काम में लगातार रुपया लगाना पड़ता है और अकुशल देहाती मजदूरों को कारीगरी और शिल्प सिखाना पड़ता है। इसमे अनेक कठिनाइया आती हैं। साधन और सामग्री जुटाने मे काफी रुपया लगाना पड़ता है और जिन चीजो का जल्दी विकास करना है उनमे रुपया लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनको काफी मुनाफे का आश्वासन देना पड़ता है। इसलिए आवश्यक चीजों की महगाई रोकने का पूरा प्रयत्न करते हुए भी भावो का कुछ बढना अनिवार्य है। फिर भी मूल्यों के बढ़ जाने से विकास की योजनाओं का खर्च तो बढ जाता है, परन्तु उनका वास्तविक आकार या तत्व नही बढता। महगाई का एक और बुरा परिणाम यह होता है कि जिन चीजो में रुपया लगना चाहिए उनमें न लग कर और चीजो मे लगता है। मूल्य नीति की मुख्य समस्या यह है कि मूल्यो पर नियत्रण और अकुश न तो बहुत अधिक होने चाहिए और न बहुत कम। मूल्यों को नियत्रण में रखने के लिए खास-खास स्थानो पर अकुश रखना पड़ेगा।

मूल्य-नीति के अग

6. मूल्य-नीति में वित्त और अर्थ-नीति भी आ जाती है। वित्त-नीति का उद्देश्य लोगों के हाथ से फालतू रुपए को खीचना होना चाहिए, जिससे चीजो की माग न बढ़े और कमी न पडे और रुपया बचाया जाय तथा विकास के कामों मे लगाया जाए। इस सबध में सरकारी

कारखानों की मूल्य-नीति के बारे में भी कुछ कहना जरूरी है। इन कारखानों को बचत बढ़ाने में योग देना चाहिए। इसलिए उन्हें इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे मुनाफा हो। उनकी बनायी चीजों का दाम भी इतना होना चाहिए कि उनमें जो पूंजी लगी है उसका अच्छा ब्याज मिले।

7. अर्थ-नीति भी वित्त-नीति के साथ-साथ चलनी चाहिए। जैसे, वित्त-नीति का उद्देश्य यह है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोगों के हाथ से फालतू रुपया खिंच जाए, वैसे ही अर्थ-नीति का उद्देश्य बैंकों के लेन-देन को नियमित करना है, सट्टेबाजी को रोकना और सामग्रियों का अत्यधिक सचय न होने देना है।

8. व्यापार-नीति द्वारा भी देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोका जा सकता है। पर अभी कई साल तक हमें आयात को घटाना और निर्यात को बढ़ाना है। इसलिए देश में मूल्यों का रुख तेजी की ओर ही रहेगा।

9. आर्थिक और वित्तीय नियंत्रणों के बिना अन्य उपायों का पूरा असर नहीं होता। परन्तु केवल इनसे भी मूल्यों का नियंत्रण नहीं होता और कम आमदनी वाले तथा बंधी हुई आमदनी वाले लोगों को दामों के बढ़ने से जो कष्ट होता है उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष नियंत्रण और परिमाण नियत करना जरूरी होगा। जो चीजें बुनियादी रूप से आवश्यक हैं उनके दामों को स्थिर रखना पड़ेगा। जो कुछ कम आवश्यक हैं या जिन्हें आराम या विलास की चीजें कहा जा सकता है उनके भावों में बढ़ती बर्दाश्त करनी होगी। आराम और विलास की चीजों के सम्बन्ध में नीति तय करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि हमें विकास के लिए और साधन जुटाने हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर अलग-अलग विचार करना होगा। सबके लिए एक-सी नीति नहीं निर्धारित की जा सकती।

10 सरकार को इस समय भी अनेक वस्तुओं की मात्रा निर्धारित करने और मूल्यों में नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे इस्पात, सीमेंट, कपास, चीनी, कोयला, रसायन और पाट आदि। आवश्यक वस्तु कानून और औद्योगिक विकास और नियंत्रण कानून, दोनों के अन्तर्गत इनके दाम और वितरण पर नियंत्रण रखा जाता है। जिन चीजों पर उत्पादन-शुल्क लग सकता है उनके दामों को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार समय-समय पर उत्पादन-शुल्क की दरों में परिवर्तन कर सकती है। अभी तो बजट के समय शुल्कों में परिवर्तन किया जाता है। परन्तु सरकार को अब साल के बीच में भी नियत सीमा के अन्दर इन शुल्कों में आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए। किन चीजों पर नियंत्रण किया जाए या किन का दाम घटाया या बढ़ाया जाए, यह समय-समय पर इनके उत्पादन और मांग की स्थिति को देखकर निश्चय करना होगा।

गल्ले का खुला व्यापार

11. हमारे देश में कम आमदनी वाले परिवारों का मुख्य खर्च गल्ले पर होता है। इसलिए अनाज का दाम स्थिर रहना बहुत जरूरी है। पिछले वर्षों के अनुभव से पता चला है कि अनाज के वितरण पर से पूरी तरह कंट्रोल रखना या हटाना, दोनों ही ठीक नहीं हैं।

दो बातो को ध्यान में रखना होगा । एक यह कि अनाज पैदा करने वाले किसान को उचित दाम मिले, अर्थात् किसान को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी खेती की फसल का दाम एक हद से नीचे नही गिरेगा । दूसरी ओर इसका भी प्रबन्ध करना चाहिए कि जन-साधारण को, खासकर अनाज का अत्यधिक दाम नही देना पड़े । इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखकर नियंत्रण आदि की कार्रवाई करनी होगी और उच्चतम या न्यूनतम दाम नियत करना होगा । दाम को स्थिर रखने के लिए गल्ले का सुरक्षित भंडार रखना होगा और बराबर बड़े पैमाने पर खरीद और बिक्री करते रहना पड़ेगा । सरकार के सामने एक बड़ी कठिनाई यह रही है कि उसके पास गल्ला रखने के लिए गोदामों की कमी थी । इसलिए सरकार को अपने अन्तर्गत गल्ले की खत्तियो या गोदामो की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी । लोगो को यह मालूम हो जाना चाहिए कि तीसरी योजना की पूरी अवधि में यदि गल्ले का दाम गिरने लगा तो सरकार खरीद करेगी और दाम बढ़ने लगा तो अपने भडार से गल्ला बेचना शुरू कर देगी । सरकार द्वारा गल्ले की यह खरीद और बिक्री उचित समय पर, बहुत-से स्थानों पर होनी चाहिए, ताकि जहा भाव बढ़ते या गिरते नजर आए वहां इसका पूरा असर पड़े । इस काम के लिए सरकार को करीब 50 लाख टन अनाज का स्टाक रखना चाहिए । सरकार को किसानो से गल्ले की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियों और सहकारी एजेंसियों का जाल बिछाना पडेगा, गल्ले में थोक व्यापार के लिए लाइसेंस देने होगे, कुछ चीजों में स्वयं यानी सरकारी व्यापार करना होगा और फुटकर बिक्री का प्रबन्ध भी सहकारी और सरकारी दुकानो के जरिये करना होगा । तभी गल्ले की सरकारी खरीद और बिक्री के द्वारा अनाज के भावो मे आने वाली मौसमी और क्षेत्रीय तेजी-मंदी रोकी जा सकेगी तथा भावो को स्थिर रखा जा सकेगा । इसका मतलब यह है कि मूल्यो के नियत्रण के लिए सरकार को निजी व्यापारियो के बजाय सरकारी और सहकारी व्यापार की व्यवस्था को बढाना होगा ।

12. निष्कर्ष यह है कि विकास के दौरान में दाम बिल्कुल स्थिर नही रह सकते । कुछ चीजो का दाम अवश्य बढेगा । इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि बुनियादी आवश्यकता की चीजो का दाम एक खास सीमा से ऊपर न चढे, बहुत अधिक न घटे । दामो को नियन्त्रित करने के लिए अनेक स्थानो पर कार्रवाइया करनी पड़ती है । अर्थ और वित्त-नीति में बराबर ऐसा परिवर्तन करना पडता है जिससे उपभोग या खपत घटे और बचत बढ़े । प्रत्यक्ष नियत्रण या कट्रोल का सहारा कुछ खास चीजो मे ही लेना चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा अनाज आदि जिन्सो का स्टाक रखना और खरीद-बिक्री करना आदि अति आवश्यक है । योजना मे आवश्यक वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की गई है । मुख्य काम इन लक्ष्यो को पूरा करना है । योजना में यह भी व्यवस्था है कि सरकार गल्ले की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी और सरकारी दोनों प्रकार का संगठन स्थापित करे, ताकि भावो की तेजी-मदी, मुनाफाखोरी और अनुचित सचय को रोका जा सके ।

अध्याय 7

विदेशी व्यापार का विकास

आयात और निर्यात की समीक्षा

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ पिछले वर्षों में आयात भी काफी बढ़ा है। पहली योजना की अवधि में कुल 3620 करोड़ रु० मूल्य की वस्तुओं का आयात हुआ। इस प्रकार औसतन 724 करोड़ प्रतिवर्ष का आयात हुआ। दूसरी योजना में कुल 5360 करोड़ रु० मूल्य के माल के आयात का अनुमान है और वार्षिक औसत 1072 करोड़ रु० का है, जो पहली योजना के औसत से 50 प्रतिशत अधिक है। दूसरी योजना में अधिक आयात मशीनों, कच्चे माल, पुर्जों आदि की आवश्यकता के कारण हुआ।

2. पूंजी लगाने के बृहत्तर कार्यक्रम और मूल तथा भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देते रहने के कारण, दूसरी योजना के मुकाबले तीसरी योजना में और भी अधिक आयात की आवश्यकता है। तीसरी योजना में परियोजनाओं के लिए आयात की जाने वाली मशीनों और सामान की कीमत 1900 करोड़ रु० होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त देश में मशीनों और साज-सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी पुर्जों आदि के आयात के लिए भी कम से कम 200 करोड़ रु० चाहिए। आयात से आई हुई वस्तु के अलावा अन्य वस्तु से काम चलाने की सम्भावनाओं के लिए गुंजायश रखने के बाद, अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कच्चे माल, माध्यमिक वस्तुओं, प्रतिस्थापन के लिए मशीनों, उपभोक्ताओं के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं आदि के लिए भी कम से कम 3650 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में इस प्रकार कुल आयात 5750 करोड़ रु० मूल्य का होने का अनुमान है। इसमें पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत किया जाने वाला 600 करोड़ रु० मूल्य का आयात शामिल नहीं है।

3. पिछले दस वर्षों में भारत का निर्यात कुल मिलाकर निष्प्रवाह रहा है। पहली योजना की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 609 करोड़ रु० मूल्य का और दूसरी योजना की अवधि में 614 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ। परिमाण की दृष्टि से दूसरी योजना में निर्यात 9 प्रतिशत अधिक रहा, परन्तु वस्तुओं के मूल्य गिरने से आय नहीं बढ़ी। यहां यह भी कह देना चाहिए कि इन दस वर्षों में जहां संसार का निर्यात-व्यापार दुगुना हुआ, वहां भारत का निर्यात-व्यापार 1950 में विश्व-व्यापार के 2.1 प्रतिशत से घटकर 1960 में 1.1 प्रतिशत रह गया।

4. जहां तक पिछले दस वर्षों में निर्यात-व्यापार के ढांचे का सम्बन्ध है, कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात नहीं बढ़ा, परन्तु नए तैयार माल और खनिज लोहे जैसी वस्तुओं के

निर्यात में काफी वृद्धि हुई। परन्तु जिन वस्तुओं का परम्परागत निर्यात होता आया है, उनके निर्यात में हुई कमी इस वृद्धि से पूरी नही हुई।

5. पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर दूसरी योजना के मध्य से, निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं—सगठन की दृष्टि से विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित की गयीं, निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना हुई है, और प्रचार, व्यापारिक मेलों और प्रदर्शनियो के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयी हैं। दूसरी ओर, निर्यात पर नियंत्रण और कोटा प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं, अधिकतर निर्यात-शुल्क खत्म कर दिए गए हैं, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क की वापसी होती है, निर्यात किये जाने वाले माल के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए विशेष लाइसेंस दिए जाते हैं और परिवहन की सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी बात यह है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार को विविधता प्रदान की गयी है और सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढाए गए हैं।

तीसरी योजना के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य

6. निर्यात को काफी बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशाओं मे, विशेषकर निम्नलिखित दिशाओं में, प्रगति करनी होगी—

(क) देश में होने वाली खपत को उचित सीमा मे रखना होगा, जिससे निर्यात के लिए माल बचे ;

(ख) ऐसे कदम उठाना जरूरी होगा, जिनसे देश मे खपत के मुकाबले माल को बाहर भेजना अधिक लाभप्रद बन जाए ;

(ग) निर्यात किया जानेवाला माल तैयार करने वाले उद्योगों को शीघ्र से शीघ्र अपनी उत्पादकता बढ़ानी और लागत घटानी होगी, जिससे वे दूसरो से होड़ कर सकें। उद्योगो के लिए लाइसेंस देने की नीति भी इस प्रकार संशोधित करनी होगी कि उससे निर्यात को प्रोत्साहन मिले; और

(घ) जनमत को निर्यात के पक्ष में करना होगा, उद्योग और व्यवसाय को पूरे प्रयत्न के लिये तैयार करना होगा, मंडियो सम्बन्धी जानकारी और अनुसंधान के लिए सरकारी सगठनों और विदेशो में व्यापारिक प्रतिनिधियो के काम को सुधारना होगा और ऋण, बीमा आदि सुविधाओं को बढाना होगा।

7. निर्यात के विषय का जो अध्ययन किया गया है और निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नो तथा विदेशो में मांग के लिए बड़े पैमाने पर जिस प्रकार प्रयास किए जाने का अनुमान है, उसके आधार पर यह आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में 3700 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात होगा। वास्तव में इससे भी अधिक निर्यात का प्रयत्न किया जाना चाहिए। भुगतान के उत्तरदायित्व और अर्थ-व्यवस्था के सधारण तथा उसके विकास में सहायक आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख, यह अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रु० से 1400 करोड़ रु० तक, अर्थात् वर्तमान स्तर से दुगुना बढाना होगा। पांचवी योजना तक भारत की अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मवाहक बनाने के लिए यह स्वयं एक आवश्यक शर्त है।

निर्यात बढ़ाने के लिए कदम

8. निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के प्रस्ताव मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं—सामान्य नीति और निर्धारित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम। सामान्य नीति का मुख्य उद्देश्य देश को निर्यात-प्रयत्न बढ़ाने के लिए तैयार करना, घरेलू खपत को सीमित कर निर्यात के लिए माल बचाना और उत्पादन की लागत घटाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की जाएगी, उसकी एक हद के बाद देश की अर्थ-व्यवस्था पर निश्चय ही प्रतिक्रिया होगी।

9. निर्यात-कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि योजना के कृषि और उद्योग सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा किया जाए।

10 यदि ये लक्ष्य पूरे न हुए, तो जो कदम अन्यथा उठाए जा सकते हैं, वे उठाने कठिन होंगे। निर्यात बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू खपत में वृद्धि पर अंकुश लगाया जाय। यह अंकुश इसलिए जरूरी है कि निर्यात के लिए जो माल कम मात्रा में उपलब्ध है, वह बढ़े और पूंजी लगाते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिले, जो निर्यात के लिए माल तैयार करते हैं। खपत पर अंकुश से जो अतिरिक्त निर्यात होगा, उसके कारण अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति अनुपात से अधिक बढ़ेगी। सिद्धान्त की दृष्टि से जरूरत इस बात की नहीं है कि कुल अथवा प्रतिव्यक्ति खपत में बिल्कुल कमी कर दी जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि खपत की रफ्तार को धीमा किया जाए। ये और अन्य कदम उठाते समय यह आवश्यक होगा कि लोग निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को समझें और इस बात को स्वीकार करें कि जब सभी लोग समान रूप से कुछ न कुछ त्याग नहीं करें, तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।

11. निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि निर्यात के लिए माल उपलब्ध हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि निर्यात-योग्य माल ऐसे दामों पर उपलब्ध हो जो विदेशी मंडियों में दूसरे देशों के माल से होड़ कर सके। इस दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि मुद्रास्फीति के दबावों को वश में रखा जाए।

12. निर्यात बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अधिकतर भारतीय उद्योग वर्तमान से कम लागत पर माल तैयार करने योग्य बनें। कुछ उद्योगों में माल की लागत कम करने के तरीकों पर विचार के लिए अध्ययन-दल नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की लागत की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि एक-एक उद्योग में व्यवस्थित रूप से लागत घटाने का कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। यह अनुभव किया गया है कि निर्यात-व्यापार की उन्नति के लिए जो उद्योग महत्वपूर्ण हैं, उनकी स्थापना के लाइसेंस देने की नीति निर्धारित करते समय किस प्रकार कम से कम लागत में उत्पादन हो सकता है इसे ध्यान में रखा जाए। विभिन्न उद्योगों को कहां-कहां स्थापित किया जाए, यह निश्चय करते समय भी इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

13. देश में तेजी से मांग बढ़ने का यह असर भी होता है कि विदेशों में माल बेचने के मुकाबले घरेलू मंडी में माल बेचना अधिक लाभप्रद बन जाता है। इस रुख को ठीक करने के लिए थोड़े से समय तक सीमित वित्तीय कदम उठाना आवश्यक हो सकता है।

14. विदेशी मुद्रा देते समय उन उद्योगों को निश्चय ही प्राथमिकता देनी होगी, जो निर्यात के लिए माल तैयार करते हैं या जिनका काफी माल निर्यात के लिए बचता है। कुछ मामलों में यह भी आवश्यक हो सकता है कि निर्यात के लिए माल बचाने के उद्देश्य से यह निर्धारित कर दिया जाए कि कोई कारखाना अपने माल का कितना अंश देश मे बेच सकता है। सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अपने माल का एक भाग निर्यात के लिए निर्धारित कर, निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न में अग्रणी बनना चाहिए।

15. विदेशी मंडियों के अध्ययन और उनके सम्बन्ध में ताजी से ताजी जानकारी रखने के काम में निर्यात-प्रोत्साहन-परिषदों को अग्रणी रहना चाहिए। विदेशों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे विदेशी मंडियों सम्बन्धी जानकारी उद्योगों को दें। निर्यात बढाने में राज्य व्यापार संगठन महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सहकारी संगठनो की मार्फत निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। गैर-सरकारी निर्यात संगठनो के प्रयत्नों को भी बढावा देने का प्रस्ताव है।

16. निर्यात की विविधता बढाने और नई मंडियां ढूंढने का कार्य विदेश-व्यापार के विस्तार और अन्य देशों से व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढाने के व्यापक प्रयत्न का अंग माना जाना चाहिए। अगले वर्षों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए मशीनों, पुर्जों और कच्चे माल की आवश्यकता होगी और इन देशों से आर्थिक सम्बन्ध बढाना, दोनों पक्षों के हित में होगा। यूरोपीय सांझा बाजार के देशों को निर्यात बढाने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन देशों से भारत का आयात अधिक है और निर्यात कम है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप से भारत के व्यापारिक सौदे इस आधार पर होते हैं कि उनसे जितने माल का आयात किया जाता है, उतने ही मूल्य का माल उन्हें निर्यात किया जाता है। अगले कुछ वर्षों मे इन देशों को निर्यात बढ़ाने की बात सोची जा सकती है। उत्तर अमरीका, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका से भारत के आयात का एक चौथाई भाग आता है। उनकी विकासशील अर्थ-व्यवस्था और जीवनयापन के उच्च स्तर के कारण इस बात की बहुत गुंजायश है कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए और विशेष रूप से निर्यात अधिक किया जाए।

अध्याय 8

सब क्षेत्रों का संतुलित विकास

योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के सभी भागों का संतुलित ढंग से विकास हो, जो भाग कम विकसित हैं उनकी आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाय और देश भर में व्यापक रूप से उद्योग स्थापित किये जाएं। इस प्रकार के संतुलित विकास में कुछ कठिनाइयां आती हैं, खासकर शुरू में। जब साधन कम होते हैं तो उनको उन चीजों में लगाने में फायदा होता है जिससे ज्यादा लाभ हो। ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों अधिक चीजों में धन और साधन लगाये जाते हैं और इनसे लाभ भी बढ़ता जाता है। विकास के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जाय ताकि विकास के लिए अधिक साधन मिलें। यह लगातार चलने वाली क्रिया है और एक कदम से अगला कदम बंधा हुआ है। अर्थात् विकास का एक क्रम पूरा होने पर उसी के आधार पर दूसरा क्रम शुरू किया जाता है। जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, कुछ खास उद्योगों का और कुछ खास क्षेत्रों का विशेष विकास अनिवार्य हो जाता है। पर इसके साथ ही खेती, छोटे उद्योग-धंधे, बिजली, यातायात और शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं में सभी ओर व्यापक प्रगति होनी चाहिए। उद्योगों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में भी रुपया लगाने से विकास के क्रम में सहायता मिलती है। प्राकृतिक साधनों से भरापूरा बड़ा देश क्रमबद्ध विकास की दीर्घकालीन योजना बनाकर अपना निरन्तर और तीव्र विकास कर सकता है और साथ ही अपने पिछड़े हुए भागों की भी उन्नति करके उन्हें अन्य भागों के बराबर ला सकता है।

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास ये दोनों बातें एक-दूसरे से बंधी हैं और धीरे-धीरे प्रत्येक भाग का विकास इस ढंग से किया जा सकता है कि वहां के प्राकृतिक साधनों और निवासियों की प्रतिभा और धन का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। किस भाग का विकास किस ढंग से होना चाहिए और उसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं इसका बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और फिर तेजी से विकास करने के लिए उपाय निकालने चाहिए। उद्योगों को बढ़ाने से, खासकर भारी और बुनियादी उद्योगों से, व्यापक और तेज विकास को सहायता मिलती है। पर देश का प्रत्येक भाग भारी उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं होता। भारी उद्योगों की स्थापना से ही लोगों की स्थिति में सुधार होगा, यह बात भी हमेशा आवश्यक नहीं। ऐसे अनेक देश हैं या एक देश के अन्दर ही अनेक भाग हैं जहां उद्योगों का बहुत अधिक विकास न होने पर भी वहां के प्राकृतिक साधनों और जन-शक्ति का अधिक अच्छा उपयोग करने से लोगों की स्थिति में

सुधार हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र को यह देखना चाहिए कि वहां किस प्रकार का उद्योग स्थापित हो सकता है और अच्छी तरह चल सकता है और उसे इसी प्रकार के उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

3. ऊपर जो बातें कही गयी हैं उन्हीं के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनाये गये थे। इनमें मुख्य-मुख्य ये हैं :—

(1) खेती, सामुदायिक विकास, सिंचाई, खासकर सिंचाई के छोटे काम और स्थानीय विकास के ऐसे कामों को प्राथमिकता दी गयी थी जो जल्दी से जल्दी सारे देश में फैलाये जा सकें।

(2) जिन क्षेत्रों में उद्योग कम थे और बेकारी अधिक थी वहां जल्दी-जल्दी बिजली, पानी, यातायात और संचार तथा काम-धंधे की शिक्षा का प्रबन्ध।

(3) ग्रामीण और छोटे धंधों का विस्तार।

(4) सरकारी और निजी उद्योगों का स्थान नियत करने में देश के सभी भागों के संतुलित विकास को ध्यान में रखना और जहां उद्योगों की स्थापना के स्थान का निश्चय कच्चे माल की उपलब्धि या अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण न करना हो वहां इस पहलू का विशेष रूप से ध्यान रखना।

दूसरी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाये गये जिनसे जनता की प्रत्यक्ष भलाई हो, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाये गये और अधिक से अधिक स्थानों पर कल-कारखाने कायम किए गए।

4. तीसरी योजना में देश के विभिन्न भागों के विकास के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। कुछ मुख्य कार्यक्रम राज्य सरकारों को सौंपे गये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य अपने यहां खेती की पैदावार बढ़ाने, लोगों की आमदनी में अधिक वृद्धि करने और उन्हें काम देने, सामाजिक सेवाओं का विस्तार और पिछड़े इलाकों की उन्नति करने का अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके। तीसरी योजना में राज्यों की योजनाएं बनाने और उनके लिए रुपया नियत करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के विकास में जो अन्तर है वह कम हो।

5. राज्यों की योजनाओं के अलावा पिछड़े हुए इलाकों के विकास में तीसरी योजना में किये जाने वाले अन्य कामों से भी मदद मिलेगी। जैसे खेती का भरपूर विकास, सिंचाई, का विस्तार, ग्रामीण और घरेलू उद्योगों की उन्नति, बिजली, सड़क और यातायात का विस्तार, 6 से 11 तक की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध, माध्यमिक, शिल्पिक और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की भलाई के काम और जन-साधारण की रहन-सहन की स्थिति में सुधार तथा पानी आदि का प्रबन्ध; ये सब ऐसे काम हैं जिनसे देश भर में तीव्र आर्थिक विकास का रास्ता खुल जाएगा। गावों में निर्माण के जो कार्यक्रम शुरू किये जाएगे उनसे सभी जगह लोगों को काम मिलेगा और उन इलाकों को खास लाभ होगा जहां जनसंख्या बहुत घनी है। देश के कुछ भागों में चाय, कहवा और रबड़ के बागों का काफी विस्तार किया जाएगा। जिन स्थानों में बड़ी उद्योग योजनाएं शुरू की गयी हैं और जहां बांध आदि बने हैं वे विकास के मुख्य केन्द्र बन जाएंगे।

6. बुनियादी उद्योगों के स्थान का चुनाव शिल्पिक और आर्थिक कारणों से किया जाता है। पर जिन उद्योगों का माल बाहर निर्यात किया जा सकता है उनके लिए ऐसा स्थान चुनना होगा जहां खर्च कम पड़े ताकि दूसरे देशों में हमारा माल सस्ता बिक सके। इसके साथ ही उन इलाकों में भी सरकारी और निजी कारखाने कायम करने होंगे जहां उद्योग विकास के साधन मौजूद हैं। साधारणतः इस बात का खयाल रखना पड़ेगा कि अन्य उद्योग-धंधे उन्हीं स्थानों पर न खुलें जहां पहले से बहुत-से कल-कारखाने स्थापित हैं। परन्तु इन जगहों में नये कारखानों का खुलना बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसी जगहों पर उत्पादन की लागत कम आती है। सरकारी कारखानों के लिए अब तक जो स्थान चुने गये हैं वे एक ही क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। निजी कारखानों की स्थापना का लाइसेंस देते समय भी कम विकसित इलाकों का खयाल रखा जाता है और उद्योगपतियों को इन इलाकों में कारखाने स्थापित करने के उपयुक्त स्थान के सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है। निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों की प्रगति पर बराबर ध्यान रखा जाता है और नये उद्योगों को क्षेत्रवार खुलवाने की कोशिश की जाती है। तीसरी योजना में पिछड़े इलाकों में उद्योग-विकास-क्षेत्र स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है।

7. बड़े उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ तभी होता है जब उसके साथ उसके पूरक रूप में और काम-धंधे भी स्थापित किए जाएं। इसलिए योजना बनाते समय प्रत्येक बड़े उद्योग-कार्य का प्रोजेक्ट को उस क्षेत्र के समग्र विकास का केन्द्र मान कर चलना चाहिए।

8. क्षेत्रों में विकास की गुंजाइश पर विचार करते समय विज्ञान और शिल्प में नयी प्रगति पर भी ध्यान रखना चाहिए। बिजली का इन्तजाम होने से और गावों में बिजली लगने से विकास की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। तीसरी योजना में देश के अनेक कम विकसित इलाकों में बिजली का इन्तजाम हो जाएगा।

जिन कम विकसित क्षेत्रों में नये कारखाने स्थापित किये जाएं वहां शिल्पिक, व्यावहारिक और माध्यमिक शिक्षालय भी खुलने चाहिए। जिन इलाकों में घनी आबादी है वहां शिल्प-शिक्षा का विस्तार करने से लोगों को काम सीख कर दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा और उस क्षेत्र की भी उन्नति होगी।

तीसरी योजना में यह व्यवस्था है विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति और आर्थिक प्रवृत्तियों का लगातार अध्ययन किया जाए, कम विकसित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके साधनों का पता लगाया जाए और उनके विकास के बारे में अध्ययन किया जाए। प्रत्येक राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं, जो दूसरों से पीछे हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि राज्यों के अंक विभागों के सहयोग से केन्द्रीय-अंक-संगठन विभिन्न राज्यों के वार्षिक आय का तुलनात्मक ब्योरा तैयार करे।

पूरे देश का विकास और विभिन्न क्षेत्रों का विकास वास्तव में एक ही क्रिया के दो भाग हैं। पूरे देश की आर्थिक उन्नति विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति पर निर्भर है और हर क्षेत्र के साधनों का जितना विकास होगा उतना ही तीव्र सारे देश का विकास होगा। किसी एक

क्षेत्र के विकास पर ही बहुत अधिक ध्यान देना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश की उन्नति से ही विभिन्न क्षेत्रों का पूरा विकास हो सकता है। क्षेत्रो के सतुलित विकास के लिए दीर्घकाल तक क्रमबद्ध प्रयत्न करना होगा। उद्देश्य यह होना चाहिए कि उचित अवधि के भीतर देश के सब क्षेत्रों की भरपूर आर्थिक उन्नति हो और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रहे। इसलिए सभी क्षेत्रो की प्रगति पर ध्यान रखना होगा और जो क्षेत्र पिछड़ते नजर आएं वहा विकास का विशेष प्रयत्न करना होगा।

अध्याय 9

रोजगार और जनशक्ति

भारत के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य लोगो को रोजगार दिलाना रहा है। विकास की काफी लम्बी अवधि के बाद ही जनशक्ति के उपलब्ध साधनो का पूरा उपयोग किया जा सकता है। फिर भी, तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यो में से एक उद्देश्य यह रखा गया है कि योजना की अवधि मे श्रमिक वर्ग मे जितनी वृद्धि हो उतनी ही वृद्धि रोजगार के अवसरो में भी होनी चाहिए।

2. सख्या की दृष्टि से, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना उन अत्यन्त कठिन कार्यों मे से एक है, जिन्हे अगले पाच वर्षों में करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी, ये दोनो ही साथ-साथ दिखाई पडती हैं और उनके बीच कोई स्पष्ट अन्तर प्रतीत नही होता। ग्रामो में साधारणतया बेरोजगारी का स्वरूप अर्द्ध-बेरोजगारी है। यह अर्द्ध-बेरोजगारी मन्दी के मौसमो मे और अधिक उल्लेखनीय हो जाती है। शहरी क्षेत्रो मे व्यापार, यातायात और उद्योग की स्थिति में जो उतार-चढाव होता है, उसी के अनुसार रोजगार मे भी उतार-चढाव आता है। इस प्रकार परिस्थितियो मे जो अन्तर होता है, उसका रोजगार के आकडो में होने वाली वृद्धि या कमी से पता चलता है। सामान्यतः गावो में अर्द्ध-बेरोजगारी की जो परेशानी है, वही कस्बो मे भी कुछ मात्रा मे है।

3. रोजगार के बारे मे इस समय प्राप्त सामग्री अधरी है। फिर भी जो सीमित जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक जिन लोगो को रोजगार नही दिलाया जा सका, उनकी सख्या लगभग 90 लाख है। दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में 53 लाख लोगो के बेरोजगार रह जाने का अन्दाज़ा था, किन्तु इसकी तुलना मे बेरोजगार रहने वाले लोगो में जो वृद्धि हुई उसका यह अर्थ है कि यद्यपि रोजगार की समस्या पर आयोजन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किन्तु फिर भी श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगो की सख्या में जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाब से लोगो को रोजगार नही दिलाया जा सका। पूर्ण बेरोजगारी के अतिरिक्त, जिन लोगों के पास कुछ काम है, किन्तु जो अतिरिक्त कार्य भी करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से अर्द्ध-रोजगार वाले लोगो की सख्या लगभग 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड 80 लाख तक है। 1961 की जनगणना से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि मे श्रमिक वर्ग में लगभग 1 करोड 70 लाख लोगो की वृद्धि होगी, इस वृद्धि की एक तिहाई शहरी क्षेत्रो मे होगी। इसके विपरीत यह अनुमान है कि तीसरी योजना में 1 करोड़ 40 लाख लोगो को—1 करोड़ 5 लाख लोगो को कृषि-भिन्न कार्यो में और 35 लाख लोगों को कृषि में अतिरिक्त रोजगार दिलाया जाएगा। नीचे की तालिका मे कृषि-भिन्न-कार्यों मे रोजगार का विवरण दिया गया है :

अतिरिक्त कृषि-भिन्न रोजगार

(लाखों में)

क्षेत्र	तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार
1. निर्माण[1]	23.00
2. सिंचाई और बिजली	1.00
3. रेल	1.40
4. अन्य यातायात और संचार	8.80
5. उद्योग और खनिज	7.50
6. छोटे उद्योग	9.00
7. वन, मछलीपालन और सम्बद्ध सेवाएं	7.20
8. शिक्षा	5.90
9. स्वास्थ्य	1.40
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.80
11. सरकारी सेवा	1.50
योग	67.50
12. 'अन्य' जिनमें उद्योग और व्यापार सम्मिलित हैं, 1 से 11 तक की मदों के कुल योग का 56 प्रतिशत	37.80
	कुल योग 105.30

इस प्रकार श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों को काम दिलाने के लिए 30 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार होना चाहिए।

4. रोजगार की समस्या को तीन मुख्य रूपों में सुलझाने का विचार है। पहला, योजना के ढांचे के अंतर्गत ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिनसे पहले की अपेक्षा रोजगार के प्रभावों का

(1) चूंकि निर्माण कार्य से बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है, इसलिए विभिन्न विकास क्षेत्रों में रोजगार का निम्न रूप से दिया गया विवरण उपयोगी होगा :

	(लाखों में)
क. कृषि और सामुदायिक विकास	6.10
ख. सिंचाई और बिजली	4.90
ग. उद्योग और खनिज, जिसमें कुटीर और लघु उद्योग भी सम्मिलित हैं	4.60
घ. यातायात और संचार, (रेल सहित)	3.40
ङ. सामाजिक सेवाए	3.50
च. विविध	0.50
	कुल योग 23.00

फैलाव अधिक व्यापक और सतुलित रूप से हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रो के औद्योगीकरण का एक काफी बड़ा कार्यक्रम हाथ मे लेना चाहिए, जिसमे इन बातो पर विशेष जोर दिया जाए :— ग्रामीण क्षेत्रो मे बिजली लगाना, ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, ग्रामीण उद्योगो की उन्नति, और जनशक्ति को प्रभावशाली रूप में फिर से काम में लगाना। तीसरा, लघु उद्योगो द्वारा रोजगार बढ़ाने के अन्य उपायो के अतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को सगठित करने का विचार है, जिनसे लगभग 25 लाख और सम्भवत. इससे भी अधिक लोगो को साल में औसतन 100 दिन तक काम मिलेगा।

5. समूचे देश अथवा बडे-बड़े प्रदेशो जैसे राज्यो की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करना पर्याप्त नही है। प्रत्येक जिले के विकास कार्यक्रम हैं जिनका सम्बन्ध कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्राम और लघु उद्योग, सचार और सामाजिक सेवाओ से है और जिनका उद्देश्य अपने क्षेत्र मे आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर को ऊचा उठाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हर स्तर पर—जिला, ग्राम और खण्ड स्तर पर अधिक से अधिक रूप में सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय रोजगार के इस प्रकार के विश्लेषण से अधिकारियों को इस बात मे सहायता मिलेगी कि वे विशिष्ट वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियो को रोजगार दिलाने के लिए साधन जुटा सकें और स्थानीय परिस्थितियो एव साधनो को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में इस समस्या को जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार सुलझा सकें।

6. बहुत बडे पैमाने पर बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी, और तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगो की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि निर्माण क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले लोगों को और कितना अधिक रोजगार दिया जा सकता है, इस बात की फिर से जाच की जाए। श्रम-उद्दीपक उपाय बरते जाने चाहिए, किन्तु जहा इनकी आवश्यकता न हो वहा इन्हे नही बरतना चाहिए। यदि पूर्वायोजन और आवश्यक संगठन किया जाय तो हाल ही के वर्षों की अपेक्षा जनशक्ति का और बडी हद तक उपयोग करना सम्भव है।

7. यद्यपि हाल के वर्षों मे ग्राम और लघु उद्योगो की उन्नति के लिए बहुत-कुछ किया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक बडी सख्या में लोगो को रोजगार दिलाने की सभावनाए निकालनी हैं। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि मौजूदा उद्योगो को कच्चे माल की यथेष्ट पूर्ति, प्रोसेसिंग तथा अन्य सुविधाओ की व्यवस्था की जाए। इन सुविधाओ मे ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हैं। इस बात के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए कि छोटे एक्को (चाहे वे कारीगरो की सहकारी समितियो द्वारा अथवा वैयक्तिक उपक्रमियो द्वारा चलाए जा रहे हो) को अपना अधिकतम उत्पादन-सामर्थ्य प्राप्त करने में सहायता की जाए। ग्रामीण औद्योगीकरण और गावो मे बिजली लगाना, ये दोनो सम्बद्ध कार्यक्रम हैं और ग्रामीण क्षेत्रो में स्थिर रोजगार के अवसर बढाने के लिए इनका सबसे अधिक महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में और छोटे-छोटे कस्बो और गावो मे औद्योगिक विकास के केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है और ये सुधरे हुए यातायात एव अन्य सुविधाओ के द्वारा एक-दूसरे से जुडे हुए होने चाहिए। प्रत्येक जिले में अग्रिम आयोजन के द्वारा कृषि

सम्बन्धी और औद्योगिक विकास का कार्यक्रम बिजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना चाहिए।

8. अर्द्ध-रोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह आवश्यक है कि न केवल सभी लोग कृषि कार्य में विज्ञान का प्रयोग करे, बल्कि ग्रामीण आर्थिक ढाचे को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करना और उसे सुदृढ बनाना भी आवश्यक है। ग्राम और लघु उद्योगों तथा प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमो को और अधिक बढ़ाना होगा और ग्रामीण क्षेत्रो में नए उद्योग स्थापित करने होंगे। इस प्रकार जहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, वहा समस्त ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापक निर्माण कार्यक्रमो की आवश्यकता है खास तौर पर उन क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिए जहा अधिकाश लोग भूमि पर निर्भर है, और जहां काफी बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगारी है। इस कार्यक्रम में खण्ड और ग्राम स्तर पर मुख्यतः स्थानीय निर्माण-कार्य किए जाएगे। विशेषत. कृषि के मन्दे मौसम में कार्यान्वित करने के लिए निर्माण कार्यक्रम बनाए जाएंगे। गांवो में जो निर्माण कार्य होंगे, उन सभी में ग्राम की दरों पर मजदूरियां दी जाएगी। ऊपर जो बाते बताई गई है, मोटे तौर पर उनका अनुसरण करते हुए हाल ही मे 34 प्रारम्भिक परियोजनाएं चालू की गई हैं। इनमें सिंचाई, वन लगाना, भूमि संरक्षण, नालिया बनाना, भूमि का पुनरुद्धार, संचार साधनों मे सुधार आदि की पूरक योजनाएं सम्मिलित हैं। प्रारम्भिक परियोजनाओं के आधार पर अन्य क्षेत्रो मे एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का विचार है। अस्थायी तौर पर यह अनुमान है कि निर्माण कार्यक्रमो द्वारा पहले वर्ष में 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए, दूसरे वर्ष मे 4 लाख से 5 लाख तक व्यक्तियों को और तीसरे वर्ष में लगभग 10 लाख व्यक्तियो को रोजगार दिया जाना चाहिए और इस प्रकार बढते-बढते योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल जाना चाहिए। योजना की अवधि मे इस समूचे कार्यक्रम पर कुल व्यय 150 करोड रुपया हो सकता है। कार्यक्रम के आगे बढने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि मजदूरी की अदायगी आशिक रूप में खाद्यान्नों के रूप में हो। निर्माण कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए मुख्यतः राज्यों में और जहा तक जरूरी हो वहा तक केन्द्र में पर्याप्त संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

9. शीघ्रता से औद्योगीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप पढ़े-लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएगे। इसलिए उद्योगो के लिए जिस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन करने होगे। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के कारण इस बात की ओर अधिक ध्यान देना होगा कि पढ़े-लिखे लोग लाभदायक रोजगार में लगाए जाएं। अनुमान है कि इस समय लगभग 10 लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। तीसरी योजना की अवधि में हाई स्कूल तथा इससे ऊपर की शिक्षा-प्राप्त लोगों की सख्या लगभग 30 लाख हो जाने का अनुमान है, जिन्हे रोजगार दिलाना होगा। कृषि, उद्योग और यातायात की उन्नति होने से कुशल और व्यावसायिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियो की अधिक माग होगी और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हाल के वर्षों में हाथ के काम के प्रति पढ़े-लिखे लोगो के रुख में परिवर्तन हुआ है और उन्हे विकासशील अर्थ-व्यवस्था की

आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार है। सहकारी समितियों और वैज्ञानिक खेती तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो जाने से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पढ़े-लिखे लोगों के लिए नियमित और निरन्तर रोजगार का क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में प्राप्त रोजगार से उन्हें सही मायनों में उतनी ही आय होगी, जितनी कि शहरों में होती है। यह भी संभव हो जाएगा कि काफी बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे नवयुवकों को ग्रामीण केन्द्रों में, जहां बिजली उपलब्ध की जा सके, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाए।

10. इस बात की आवश्यकता है कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या जो पूरी होने वाली हैं, वहां से कुशल कर्मचारियों को लेकर उन परियोजनाओं में लगाया जाए जिनका आरम्भ होने वाला है। दूसरी योजना में इस कार्य के लिए बनाए गए संगठन ने सन्तोषजनक रूप से कार्य किया है। इस संगठन को बनाए रखते हुए यदि इसी प्रकार की परियोजनाओं की अवस्थाओं का विभाजन और अधिक अच्छे ढंग से किया जाए तथा पूर्वायोजन किया जाए तो इस समस्या का अधिक आसानी से सामना किया जा सकता है।

अध्याय 10

सार्वजनिक उद्यमों का संगठन

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में कई मुख्य औद्योगिक उद्यमों की स्थापना हुई है। तीसरी योजना की अवधि में कई अन्य ऐसे उद्यमों की स्थापना होगी। वास्तव में हर आने वाली योजना में स्थापित होने वाले नए उद्यमों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। अब तक तो नई परियोजनाएं शुरू करने और उनके लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने पर जोर रहा है—समस्या महत्वपूर्ण उद्यमो के शुरुआत की थी। परन्तु अब समय आ गया है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि इन उद्यमों के प्रबन्ध को कैसे सर्वोत्तम बनाया जाए ताकि ये पहले से अधिक दक्ष उत्पादक बनें और उनसे काफी अधिक बचत हो, जो उनके भावी विस्तार में लगाई जा सके—वे सुघड़ आयोजन, सुप्रबन्ध और श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के अच्छे आपसी सम्बन्धो की दृष्टि से दूसरों के लिए आदर्श बनें। परियोजना की रूपरेखा कितनी भी अच्छी हो और कारखाना कितने ही अच्छे ढंग से खड़ा किया जाए, अन्ततः इसकी सफलता अथवा असफलता प्रबन्धकों की योग्यता पर निर्भर होगी।

2. उत्पादक वर्ग में सार्वजनिक उद्यमों के सगठन के तीन विभिन्न रूप हैं: (1) सरकारी विभाग द्वारा प्रशासित, (२) कानून द्वारा स्थापित निगम (कारपोरेशन), और (3) कम्पनी कानून के अन्तर्गत ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियां। कुछ समय पूर्व तक हर उत्पादक इकाई के लिए एक स्वतन्त्र कम्पनी बनाने की प्रवृत्ति थी। जहा यह अनुभव किया जाता था कि कई उद्यमों मे विशेष तालमेल की आवश्यकता होगी, वहां कुछ ऐसे निदेशक रख लिए जाते थे, जो एक साथ कई उद्यमो के निदेशक मण्डल के सदस्य थे।

3. अब यह महसूस किया जा रहा है कि जहा तक सम्भव हो यह कोशिश की जाए कि इतनी सख्या मे और इतने प्रकार के अलग-अलग सगठन न खोले जाएं कि उनका प्रबन्ध भी कठिन हो जाए—अब नीति मोटे तौर पर एक ही क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमों को एक ही सूत्र में बांधने की है। इससे अलग-अलग इकाइयां मिली-जुली सयुक्त सुविधाओं से लाभ उठा सकती हैं—अलग-अलग होने की अवस्था में ये सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो सकती। इससे बचत और कुशलता बढती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार कई उत्पादक इकाइयों को एक कम्पनी के अन्तर्गत लाने से निदेशक मण्डलों का अत्यधिक केन्द्रीकरण न हो जाए या उत्पादक इकाइयो की रोजमर्रा की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप न हो अन्यथा उद्यम के जनरल मैनेजरों के पास न इतने अधिकार होंगे और न ही इतनी प्रेरणा कि वे उद्यम को बगैर किसी रुकावट के दक्षतापूर्वक चला सकें।

4. कुछ वर्ष पूर्व तक शुरू-शुरू में परियोजनाओं की देखरेख विभागो के जिम्मे होती थी। बाद में यह निर्णय किया गया कि व्यापारिक किस्म के सरकारी उद्यमों को कम्पनियों

मे सगठित किया जाए । इस समय अधिकतर नई परियोजनाओं के लिए प्रायः एक नई कम्पनी बनाई जाती है, जो आरम्भ से ही परियोजना की—निर्माण के चरण सहित—देखरेख करती है । वर्तमान कम्पनियो को अपने क्षेत्र मे नई-नई इकाइया स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और बडी-बडी कम्पनियो को डिजाइन और निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) के लिए अलग से अपने विशिष्ट अभिकरण बनाने को कहा जा रहा है ।

5. औद्योगिक और व्यापारिक उद्यमो को अच्छे ढग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमो के सचालन सम्बन्धी निर्णय तुरन्त किए जाए । उद्यम के प्रबन्धक उद्यम से लाभ दिखा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनको अधिकार दिए जाएं और उद्यमों को चलाने मे थोडे अदलबदल की गुजायश रखी जाए । किसी उद्यम के दक्षतापूर्वक चलाने के रास्ते में कई रुकावटें हो सकती हैं, जैसे, प्रबन्धक वर्ग मे पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों का अभाव, प्रबन्धक कर्मचारियो मे योग्यता का अभाव, उद्यम के अन्दर अधिकारों का अपर्याप्त विकेन्द्रीकरण (जिसके फलस्वरूप कर्तव्य और उत्तरदायित्वो के विभाजन की परिभाषा नही की जा सकती) और लाभ तथा लागत के प्रति अपर्याप्त जागरूकता ।

6. कुछ महत्वपूर्ण विषयो पर, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, नीचे विचार किया जा रहा है—

सार्वजनिक उत्तरदायित्व—सार्वजनिक उद्योगो का जनतान्त्रिक नियन्त्रण के अन्तर्गत होना बहुत महत्वपूर्ण है । साथ ही इस बात से भी आम तौर पर सभी सहमत हैं कि एक सार्वजनिक उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे सरकार और ससद से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो । इसलिए ससद की एक समिति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो ससद की उचित आलोचना के प्रकाश मे सार्वजनिक उद्यमो में सुधार करे ।

7. **निदेशक मण्डल का गठन और कर्तव्य**—मण्डल का मुख्य उद्देश्य मोटे तौर पर उद्यम की नीति और सामान्य उद्देश्य निर्धारित करना होना चाहिए । निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक या जनरल मैनेजर को पूरा अधिकार होना चाहिए और आवश्यक फल प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी उस पर होना चाहिए । प्रबन्ध निदेशक और / या चेयरमैन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए और बहुत छोटी सस्थाओं को छोडकर सभी में पूर्णकालिक होना चाहिए । मण्डल के सदस्यो का चुनाव योग्यता, अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर किया जाए । निदेशक मण्डल को नियुक्त करने और वेतन निर्धारित करने के पर्याप्त अधिकार होने चाहिए । जहा मन्त्रालय कम्पनी को अधिकार सौंपेंगे वहा कम्पनी को भी चाहिए कि वह निजी उद्यमो के जनरल मैनेजरों को अधिकार सौंपे, अन्यथा अत्यधिक केन्द्रीकरण की त्रुटियां रह जाएगी और उद्यमो को अच्छी तरह चलाने मे रुकावट पडेगी ।

8. **प्रबन्ध निदेशक / जनरल मैनेजर**—प्रबन्ध निदेशक / जनरल मैनेजर को नेतृत्व, निदेशन और मुख्य प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए । उनका चुनाव तक्नीकी दक्षता, प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व के गुणो के आधार पर होना चाहिए । सामान्य निदेशन नियम निर्धारित किए जाएं और उनके ढांचे के अन्तर्गत काम करने की उसे पूरी स्वतन्त्रता दी

जाए—उसे उद्यम को सफल बनाने का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाए। वह रोजमर्रा के फैसले स्वयं करे। यह मान कर चला जाए कि दक्षता के हित में जब फैसले जल्दी किए जाएंगे, तो कुछ गलतियां होना अनिवार्य है। अगर जनरल मैनेजर का काम अच्छा हो, तो उसे एक उद्यम में काफी समय तक रखा जाए, ताकि उसे वहां की समस्याओं और सम्भावनाओं का पूरी तरह ज्ञान हो जाए—इससे वह अपना काम अच्छी तरह कर सकेगा।

जनरल मैनेजर की सहायता के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर्मचारी होने चाहिए जो पर्याप्त नियन्त्रण, निदेशन, देखरेख और सब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में उसके सहायक हों। जनरल मैनेजर उनको अधिकार सौंपे जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए—उनको ही सफलता-असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

9. **वित्तीय सलाहकार का काम**—सब कम्पनियों को एक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार मिलना चाहिए जो जनरल मैनेजर के नीचे काम करे। वित्तीय सलाहकार को केवल व्यय-नियन्त्रण पर ही ध्यान देने की बजाय वित्तीय प्रबन्ध की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

10. **प्रबन्धक वर्ग का विकास**—उद्यमों की दक्षता काफी हद तक दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होगी जिनका सेवि-वर्ग प्रबन्ध (परसनेल मैनेजमेण्ट) से सम्बन्ध है। ये दो बातें हैं—संस्था में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रशिक्षण और मुख्य नियुक्तियों के लिए अन्ततः चुने जाने के लिए कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों में न केवल तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए कि वह सारे कारखाने के हित को ध्यान में रखना सीखे।

11. **अग्रिम आयोजन**—किसी उद्यम की सफलता के लिए आयोजन आवश्यक है, आयोजन अर्थात् पहले से यह तय करना कि क्या किया जाए। इसी से वह आधार प्राप्त होगा जिस पर सगठन, साधनों को एकत्र करके काम में लगाना, निदेशन तथा नियन्त्रण किया जाएगा। किसी भी उद्यम की योजनाएं बहुस्तरीय होनी चाहिए। सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाएं—इसके साथ एक योजना-माला हो जिसमें एक-से-एक विस्तृत योजना हो। हर विस्तृत योजना का उद्देश्य उस सामान्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो, जिसका वह एक अंग है। इसी प्रकार दीर्घकालीन योजनाएं हों जैसे पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएं और बजट हों और हर विभाग के रोजमर्रे का विस्तृत कार्यक्रम हो।

12. पहले से आयोजन करने से यह जानने का मौका रहता है कि हर भाग दूसरे से मेल खाता है और उद्देश्य की प्राप्ति में लगाया गया है। सतर्कता और वास्तविकतापूर्ण ढंग से किए गए पूर्व-आयोजन से रुकावटें प्रकाश में आती भी हैं, तो घटना घटने से पूर्व ही उनका कुछ हल निकालने के लिए काफी समय होता है। परन्तु अगर आपत्ति आने पर ही उसका समाधान आरम्भ किया जाए, तो आपत्ति के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से अत्यधिक क्षति होगी। विशिष्ट लक्ष्य और उसके अन्तर्गत उपलक्ष्य निर्धारित करना सम्पूर्ण आयोजन क्रम का एक अभिन्न अंग है। अधिक विस्तृत योजना के अपेक्षित परिणामों की व्याख्या के लिए विभिन्न प्रकार के संचालन स्तर और 'आदर्श' निर्धारित करना आवश्यक होगा।

13. प्रेरणाएं—जिस उद्यम ने उत्पादन के वास्तविकतापूर्ण 'आदर्श' निर्धारित किए हैं, उसके लिए मजदूरी की प्रेरणा प्रणाली आरम्भ करना आसान है। इस प्रणाली से श्रम उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और किस्म सुधारने में बहुत सहायता मिलती है। इनको अधिक से अधिक लागू करना चाहिए।

14. अनुसन्धान विभाग—सार्वजनिक उद्यमों में अनुसन्धान और विकास विभाग अवश्य रखे जाएं जिनमें पर्याप्त कर्मचारी हों। यह विभाग वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा निरन्तर किस्म-सुधार और संचालन-सम्बन्धी और तकनीकी दक्षता में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहें।

15. सेवि-वर्ग सम्बन्ध—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे ऐसी श्रम नीति का अनुसरण करें जिससे उचित लागत पर योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकें और उन्हें उद्यम में रहने की प्रेरणा भी हो।

16. बचतें और उनका उपयोग—सार्वजनिक उद्यमों का यह कर्तव्य है कि दक्षतापूर्वक उत्पादन करें और नई पूंजी का निर्माण करें जिसे आगे विकास-कार्यों में लगाया जा सके। साथ ही उनको निरन्तर पहले से अच्छे ढंग से काम करने, अपने विकास और विस्तार की योजनाएं बनाने और उनको शुरू करने और आवश्यक साधन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिए।

17. इस संक्षिप्त समीक्षा का उद्देश्य अलग-अलग उद्यमों के लिए विस्तृत संचालन सम्बन्धी सिफारिशें करना नहीं है, परन्तु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना है जिन पर पहले से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्याय 11

प्रशासन और जनसहयोग

भूमिका

तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र को पहली दो योजनाओं, यानी पिछले दशक की अपेक्षा कहीं बड़ा प्रयास करना है। योजना के उद्देश्यो और लक्ष्यो पर वक्तव्य से उस महान कर्तव्य का अन्दाजा लगना मुश्किल है जिसे अगले पांच वर्ष में राष्ट्र ने करने का इरादा किया है। अन्तिम विश्लेषण में यह विश्वास ही योजना का मूल आधार है कि आवश्यकतानुसार प्रयास होगा और राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर मानव शक्ति से जो कुछ सम्भव है योजना को कार्यान्वित करने के लिए वह सब प्रयास सर्वाधिक कार्यकुशलता से किए जाएगे। पंचवर्षीय योजना जिन मूल धारणाओ पर आधारित है यह उनमे सबसे महत्वपूर्ण ही नही बल्कि सर्वाधिक कठिन भी है।

2. योजना का कार्यान्वयन अनेक स्तरो पर होगा जैसे राष्ट्र, राज्य, जिला, खड और गाव। हर स्तर पर जो काम होने है उन्हे करने वाले विभिन्न अभिकरणो के बीच सहयोग होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों को समझे और ये उद्देश्य जिस तरह पूरे किए जाने है उन उपायों को भी समझें। हमारे जैसे विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में जहा प्रशासन सघीय प्रकार का है इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि विभिन्न स्तरो पर आपसी सम्पर्क कैसा है और एक ही स्तर पर विभिन्न अभिकरणो में कितना घनिष्ठ सम्पर्क है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में विस्तारशील सार्वजनिक क्षेत्र और अधिकाशतः असंगठित निजी क्षेत्र के साथ-साथ बढने से भी अनेक कठिन प्रशासनिक समस्याए पैदा हो जाती हैं।

3. पिछली दशाब्दी में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए है और अनेक नए तरीके अपनाए गए हैं। इस दौरान नई पद्धतियां अपनाई गई और नई प्रथाएं प्रचलित हुई। हालाकि इनमे से अनेक को अभी एक-दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होने और प्रशासन प्रणाली में आत्मसात होने में समय लगेगा। सरकार की जिम्मेदारियों का क्षेत्र और विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य का परिमाण और जटिलताएं भी बहुत बढ गई हैं। प्रशासनिक मशीन पर बहुत भार है और इस ढाचे में कई स्तरो पर काम करने वाले व्यक्तियों की सख्या और योग्यता पर्याप्त नही है। विकास योजनाओ को क्रियान्वित करने में प्रशासनिक काम अभी भी बहुत बढ चुका है लेकिन तीसरी योजना में तो यह और कई गुना बढेगा और इसमें सन्देह नही कि जनसम्पर्क की अनेक नई समस्याए पैदा होगी। प्रशासन को जैसे जैसे नए उत्तरदायित्व निभाने पड़ेगें वैसे वैसे इसका आकार भी बढेगा और आकार बढ़ने पर इसके कार्य की गति मंद होती जाएगी। हर स्तर पर देरी होती है, काम में बाधा पड़ती है और अनुमित उत्पादन कम हो जाता है। जो काम चल रहे हैं यदि

उनका प्रबन्ध ठीक न हो और उसकी आलोचना होने लगे तो नए कामों को करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान प्रशासनिक प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तन करने की और काम करने के ढंग और दृष्टिकोण के पुनरवलोकन की आवश्यकता है।

4. गत वर्षों में प्रशासन के कुछ पहलुओं की कमियां विशेष रूप से सामने आई हैं। ये हैं अनेक क्षेत्रों में क्रियान्वयन की मंद गति, बड़ी योजनाओं के नियोजन, निर्माण और क्रियान्वयन की समस्याएं, विशेषकर उनके व्यय में वृद्धि और काम का समयानुसार न होना, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई, अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरा समन्वय करने की समस्या तथा इन सबसे ऊपर सम्पूर्ण समाज का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की समस्या। तीसरी योजना की वृहत्तर पृष्ठभूमि में ये समस्याएं और जटिल बनेंगी तथा इनका हल और अधिक आवश्यक हो जाएगा। तीसरी योजना के जो फल निकलेंगे विशेषकर पहले चरणों में वे इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम इन समस्याओं को किस तरह हल करते हैं।

कार्यकुशलता और मानदंड

5. विकास प्रशासन के हर पहलू की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। फिर भी सुधार की कुछ सामान्य दिशाएं हैं जो प्रशासन की सब शाखाओं पर लागू होती हैं। प्रमुख लक्ष्य ईमानदारी, दक्षता और क्रियान्वयन की द्रुत गति का ऊंचा स्तर रखने का होना चाहिए। विभिन्न प्रक्रियाओं में क्रियान्वयन की गति और दक्षता का कुछ हद तक आपसी सम्बन्ध होता है। यह सब मानते हैं कि संगठन और कार्यपद्धति में परिवर्तन के साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी वर्तमान प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाए बिना इन उपायों से अधिक लाभ नहीं हो सकता। किसी परियोजना के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में पहली आवश्यकता सम्बन्धित अभिकरण पर और विशेषत व्यक्तियों पर विशिष्ट उत्तरदायित्व डालने की जरूरत है। निर्धारित सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही उसे आवश्यक समर्थन और विश्वास प्राप्त होना चाहिए। आजकल हर छोटी छोटी बात के लिए जब तक बारबार दूसरों के साथ परामर्श नहीं किया जाता तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। इससे सार्थक कार्रवाई करने पर बुरा असर पड़ता है इसलिए परामर्श केवल बड़े बड़े मामलों में और कम से कम किया जाना चाहिए। वित्तीय नियंत्रण को लागू करना इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

उपलब्ध परिणामों को ही सफलता अथवा असफलता की कसौटी मानना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना बनाते समय यह साफ कर दिया जाए कि क्या काम होना है, किस तरह होना है और विभिन्न अभिकरणों या व्यक्तियों का क्या उत्तरदायित्व है तथा योजना के विभिन्न चरण किस क्रम में क्रियान्वित हों और एक-दूसरे में मिल-जुल कर परिणामदायक हों। जहां तक केन्द्रीय मन्त्रालयों और सचिवालय विभागों

का सम्बन्ध है उनका प्रमुख काम नीति निर्धारण, आम निरीक्षण और मानदडो को लागू करना होना चाहिए तथा कार्यकारी अभिकरणों को और अधिक अधिकार होने चाहिए ताकि वे अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकें।

6. लक्ष्यों का निर्धारण बहुत गभीर अध्ययन के बाद किया जाना चाहिए और समय की अनुसूची तथा क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व के हिसाब से उनके विभिन्न चरण निर्धारित किए जाने चाहिए। पचवर्षीय लक्ष्यो पर प्राप्त अनुभव की दृष्टि से हर वर्ष पुनर्विचार होना चहिए और सभावित भावी प्रवृत्तियो को ध्यान में रखते हुए अगला कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए।

7. औद्योगिक कारखानो आदि अनेक कार्यो में कर्मचारियो को प्रेरित करने के लिए द्राव्यिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रशासन में अद्राव्यिक प्रोत्साहनों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। जैसे काम की मान्यता और प्रशसा के विभिन्न ढंग, काम मे भागीदारी की भावना और पारस्परिक आदर और मैत्री पर आधारित मानव सम्बन्ध।

8. दूसरी योजना में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता और गति बढाने तथा उनके निर्माण और सचालन में और अधिक किफायतशारी करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव हैं :—

(1) बड़ी परियोजनाओ से लाभ काफी देर बाद मिलने शुरू होते हैं और उनके बनाने मे बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में इन्हें दस से पन्द्रह वर्षीय विकास की योजना का अग बना देना चाहिए।

(2) तीसरी योजना में शामिल अनेक परियोजनाओ के लिए अभी उपलब्ध सूचना यथेष्ट नही है। इन परियोजनाओ पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए यथेष्ट अग्रिम विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तीसरी योजना की परियोजनाओ की तैयारी का काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। चौथी योजना को ध्यान मे रखकर परियोजनाओ का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए ताकि अगले तीन साल में वे काफी हद तक पूरे हो जाएं।

(3) जिन केन्द्रीय मत्रालयो का औद्योगिक विकास से सबध है उन्हे शीघ्र ही अच्छी साज-सज्जा से युक्त प्राविधिक नियोजन शाखाए खोलनी चाहिए। कुछ प्रमुख उद्योगो के लिए प्राविधिक परामर्शदाता मडल बनाने पर भी मत्रालयों को विचार करना चाहिए।

(4) बड़े-बड़े सरकारी उद्यमों को डिजाइन और गवेषणा शाखाएं खोलनी चाहिए और जहा ये मौजूद हैं उन्हे और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। यथा सभव इन्ही शाखाओं मे नई परियोजनाओ के प्रारूप तैयार होने चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि मत्रालयो की प्राविधिक नियोजन शाखाएं परियोजनाओ के क्रियान्वयन के प्राविधिक और आर्थिक पहलुओं तथा नीति

और प्रशासन के स्तर पर समन्वय सम्बन्धी समस्याओं पर अधिक ध्यान दे सकेंगी ।

(5) व्यय अनुमानों की छानबीन और परियोजनाओं के आर्थिक पहलुओं की जांच के वर्तमान प्रबन्ध को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए । वित्त मंत्रालय को प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के सब औद्योगिक उद्यमों के वित्तीय और आर्थिक पहलुओं पर प्रतिवेदन देना चाहिए ।

(6) दीर्घावधि बडी परियोजनाओं में कार्य का इस तरह विभाजन किया जाए ताकि योजना के हर चरण में उनसे निरन्तर लाभ मिलता रहे । इसके लिए परियोजना के विभिन्न चरणों तथा सबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म समन्वय की आवश्यकता है । यह समन्वय क्रियान्वयन के स्तर पर तथा उसके समानान्तर और पूरक विनियोगों के नियोजन दोनों में होना आवश्यक है । परियोजनाओं की सफलता के लिए अग्रिम नियोजन सही व्यय अनुमान और कार्यक्रम और तकनीक में निरन्तर सुधार होना चाहिए ।

(7) बडी परियोजनाओं में उनके प्रबंध के अन्तर्गत ही किफायतशारी, उत्पादकता में वृद्धि और क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए विशेष अनुभाग होने चाहिए । केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों को अपने आधीन बडी औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान प्रबन्ध की समीक्षा करनी चाहिए । इन प्रस्तावित अनुभागों को सर्वोच्च प्रबन्धकों के अन्तर्गत काम करना चाहिए लेकिन दिन प्रति दिन के काम में उन्हें हस्तक्षेप नही करना चाहिए ।

9. योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र में भी किफायतशारी, देशी सामान के उपयोग, विदेशी मुद्रा की बचत, उत्पादन बनाए रखने और विकास के लिए व्यय, निर्यात बढाने, रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की योग्यता में सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । समस्याओं के हल और प्रशासन तथा कल्याण में ऊचे मानदंड स्थापित करने के लिए विकास परिषदों को हर उद्योग में सर्वोत्तम नेतृत्व को काम में लाना चाहिए । इन दिशाओं में उन्हें अपना योगदान बढाने में मदद देनी चाहिए ।

कर्मचारी वर्ग

10. तीसरी योजना की सफलता के लिए प्रमुख समस्या आवश्यक दृष्टिकोण और अनुभव वाले कर्मचारीवर्ग को तैयार करने की है । इसके लिए योजना में निम्न लिखित सुझाव दिए गए हैं :

(1) कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आगामी अनेक वर्षों तक सर्वोच्च स्तर के कर्मचारी या विशेष अनुभव वाले कर्मचारी यथेष्ट नही मिलेंगे । इन क्षेत्रों में द्रुत विकास के लिए यह आवश्यक है कि कुछ अवधि तक उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों के अलावा कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए ।

(2) तीसरी योजना के हर क्षेत्र मे मुख्य काम ऐसे योग्य मैनेजरो को तैयार करना है जो अपना काम जानते हो और जिनमे नेतृत्व की योग्यता हो। अधिकतर हर सगठन मे ही कर्मचारियो के मझले स्तर से ही ऐसे व्यक्तियो को ढूढ़ना होगा। इन कर्मचारियो को दिन प्रति दिन के काम मे अधिक उत्तर-दायित्व सौंपा जाए और प्रबन्ध के उच्चतर कामो का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही हर परियोजना मे सगठन के विभिन्न स्तरो तथा हर स्तर पर परामर्श और विचार-विमर्श की प्रथा डालना भी आवश्यक है।

(3) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लगे हुए अफसरो का जल्दी-जल्दी तबादला करने से काम की निरन्तरता और सगठन की मनोदशा को ठेस पहुचती है क्योंकि विकास के वर्तमान चरण में इन अफसरो का पथ-प्रदर्शन का काम और कठिन होता है। किसी भी बड़ी जगह पाच से दस साल के कम समय मे अच्छे परिणाम हासिल नही किए जा सक्ते। ऐसी हालत में इन व्यक्तियो को पद वृद्धि की आशाए देने में कोई हिचकिचाहट नही करनी चाहिए।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की हर बड़ी परियोजना में जहां कही सभव हो अप्रेंटिस इत्यादि के प्रशिक्षण का सगठित कार्यक्रम होना चाहिए और साथ ही पोलीटेकनिक और अन्य केन्द्रो में सस्थागत प्रशिक्षण तो चलते ही रहने चाहिए।

निर्माण में किफायतशारी

11. विकास के अनेक क्षेत्रों मे निर्माण पर अधिकाश व्यय होता है। मूल आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए भवन-निर्माण के कार्य मे काफी बचत की सम्भावना है। निर्माण कार्यों मे बचत करने के सवाल पर केन्द्रीय मत्रालयो और राज्य सरकारो के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया और इसके लिए आवश्यक उपायों पर आम सहमति है। योजना में इन उपायो का उल्लेख किया गया है।

नियोजन का तात्पर्य

12. तीसरी योजना में प्रबन्ध, नियोजन और क्रियान्वयन की समस्याओ के विपद आकार को देखते हुए उन उपायों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है जिनसे नियोजन की प्रक्रिया और मशीन विभिन्न स्तरो पर सुधर सकती है, मूल्याकन और अधिक शुद्ध बनाया जा सकता है तथा नियोजन के लिए बेहतर आंकड़े तथा अन्य साधन उपलब्ध किए जा सकते है। नियोजन का संगठन और स्कीम जिन प्रमुख दिशाओं मे मजबूत की जा सकती है निम्नलिखित है :

(1) उद्योग, परिवहन, बिजली और अन्य क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओ का महत्व राष्ट्रीय नियोजन में निरन्तर बढ़ रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग इन परियोजनाओं के काम से सम्पर्क रखने का प्रयास करेगा, और उसका विषयान्तरित विश्लेषण करके मत्रालयो और राज्यो को बताएगा। इस दृष्टिकोण से योजना आयोग के काम तथा योजना कार्य समिति और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के काम का पुनरावलोकन किया जा रहा है। विभिन्न साख्यिकीय अभिकरण में घनिष्ठ सहयोग तथा आर्थिक और सामाजिक अनुसधान के विस्तार की आवश्यकता भी है।

(2) परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान प्रणाली में मत्रालयो और राज्यों के सहयोग से काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

(3) तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति मे राज्यो की योजनाओं का अत्यधिक महत्व है। राज्यो को भी दीर्घावधि योजना तैयार करने में सहयोग देना होगा। अब तक नियोजन का जो काम हुआ है उसमे राज्यो के नियोजन विभागो ने अच्छा काम किया है लेकिन अब राज्यो को इस पर विचार करना होगा कि उन्हे किस दिशा मे अपने विभागों को और मजबूत बनाना चाहिए।

(4) पचायती राज के प्रवर्तन से राज्यो के विभागो, जिले के प्राविधिक तथा अन्य अधिकारियो और खडो के विस्तार कार्यकर्त्ताओं का उत्तरदायित्व बहुत बढ गया है। पचायत राज की तरह योजना की सफलता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता के प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी शुरू से ही विभिन्न समस्याओ पर उचित दृष्टिकोण अपनाएं।

(5) अब तक योजनाओ मे शहरी क्षेत्रो को सक्रिय रूप से साथ नही लिया गया। यह परिकल्पना है कि नियोजन के अगले चरण में यथासम्भव अधिक से अधिक शहरो और कस्बो को और हर हालत में एक लाख से अधिक जनसख्या वाले नगरो को सक्रिय रूप से नियोजन मे लगना चाहिए, हर नगर अपने साधनो को एकत्र कर अपने नगरवासियो के लिए अधिक सुविधाए उपलब्ध करने मे सहायता करे। इस काम की तैयारी तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही शुरू हो जानी चाहिए।

जन-सहयोग और योगदान

13. जनतत्रीय आदर्शों और रचनात्मक कार्यों की परम्परा वाले विकासोन्मुख देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए जनता के सहयोग का सर्वोच्च महत्व है। जनसहयोग की धारणा का विशुद्ध अर्थों में स्वयसेवी क्रियाकलाप के ऐसे विस्तृत क्षेत्र से आशय है जिसमें नेतृत्व और सगठनात्मक उत्तरदायित्व पूरी तरह जनता और उसके नेताओ पर होता है और वे अपने लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए कानूनी प्रोत्साहन या राज्यशक्ति का मुंह नही ताकते। उचित रूप से संगठित स्वयसेवी क्रियाकलाप के

समाज को उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने और समाज के कमजोर और अभावग्रस्त वर्गों का रहन-सहन बेहतर करने में बहुत अधिक मदद मिल सकती है। जनता का पहले से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों से पूरी तरह और साफ ढंग से आगाह कर दिया जाए। पंचायती राज बनने से गांवों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे उन्हें स्थानीय विकास कार्यक्रमों को चलाने में अपने ज्ञान और नेतृत्व का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा।

14. जनसहयोग कार्यक्रम का विशेष पहलू यह है कि लोगों में स्वेच्छापूर्वक सेवा करने की बड़े पैमाने पर भावना विद्यमान है। अब स्वयंसेवी सेवा का रुख कल्याण कार्यक्रमों से हटाकर सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में लगना है जिन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तत्काल करने की आवश्यकता है वे हैं शहरों में गंदी बस्तियां, उपभोक्ता सहकारी स्टोर, कल्याणकारी सेवा चिकित्सा इत्यादि तथा गांवों में शिक्षा, साक्षरता, पंचायतों को मजबूत बनाना, सहकारी सेवा तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में और अधिक सक्रिय सहयोग आदि स्वयंसेवी अभिकरणों को नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों, छोटे और स्थानीय कार्यों, सादे भवन निर्माण और भवन निर्माण के सामान की पूर्ति आदि कार्यों को करने में सहायता दी जाएगी। इससे ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भर रहने की स्थिति में सुधार तो होगा ही लेकिन उसके साथ ही बेकार पड़ी जनशक्ति का उपयोग होगा, निर्माण व्यय में किफायत होगी, श्रमिकों की हालत सुधरेगी और कल्याण कार्यों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे।

15. योजना के महत्व, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की जानकारी को जनता में और अधिक लोकप्रिय बनाने के वर्तमान प्रबन्धों में सुधार होना चाहिए ताकि जनसहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिले। योजना का संदेश देश के कोने-कोने और घर-घर में पहुंचना होगा।

16. जनसहयोग के क्षेत्र में कुछ और भी उच्च कर्तव्य हैं जिनका सम्बन्ध मूल आवश्यकताओं और राष्ट्र के आदर्श और लक्ष्यों से है। वर्तमान परिस्थितियों में इनके प्रति जनता का विशेष उत्तरदायित्व है। समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आज जो समाज में आचरण का दर्रा है, जो विचार करने का ढग है उसमें राष्ट्रीय हित को आत्मसात किया जाए। इसके तीन प्रमुख अंग हैं :—

(1) राष्ट्र प्रेम और उसके भविष्य में विश्वास, जिसका परिणाम होगा ईमानदारी और एकता की भावना में वृद्धि, (2) अर्थव्यवस्था के आधारस्वरूप क्रमिक समाजवाद और सहकारिता की वृद्धि तथा (3) सदाचारी जीवन।

17. स्वयंसेवी संस्थाओं से इतनी बड़ी आशा की जाती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उनका संगठन और तकनीक इन कामों को करने में समर्थ हो। अपने साधनों का सार्थक उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं अग्रिम नियोजन करें, आवश्यकताओं का उचित तखमीना लगाएं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करें तथा कार्यक्रमों को ठीक क्रियान्वयन, यथेष्ट निरीक्षण और मूल्यांकन करें। उन्हें स्थानीय निकायों से अंतरंग रूप से मिलकर काम करना चाहिए और एक प्रकार से नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों और

पंचायतों आदि की श्रृंखला के रूप में काम करना चाहिए। कार्यक्रम संयुक्त रूप में बनाए जाएं और उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की जाए। सरकारी अभिकरण केवल सहयोग करें और निदेशन और नियंत्रण का काम इन संस्थाओं के नेताओं पर छोड़ दें। केवल इसी तरह इन संस्थाओं का राष्ट्रीय रूप बन सकता है और तभी इनमें प्रत्येक नागरिक का चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करता हो, आकर्षण होगा। स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं के छोटे दलों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रोत्साहन देना चाहिए और बड़ी संस्थाओं को इनकी सहायता करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कार्य क्षेत्र, जो सामुदायिक विकास खंडों की तरह हैं, ऐसी संस्थाओं को काम करने का अवसर प्रदान करेंगे तथा उनके कार्यकलाप का समन्वय करेंगे। यही भावना शहरी क्षेत्रों में भी पहुंचाई जाएगी।

18. तीसरी योजना में विश्वविद्यालय योजना गोष्ठियों को भी अधिक काम करना है। उन्हें विश्वविद्यालयों और कालेजों को समाज के निकट सम्पर्क में लाना तथा अध्यापकों और छात्रों को राष्ट्रीय विकास के रचनात्मक कार्यक्रमों में अधिकाधिक योगदान के लिए प्रेरित करना होगा।

अध्याय 12

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भूमिका

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास-कार्यक्रमों का क्षेत्र व्यापक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, वह कृषि उत्पादन को बढाने के प्रयत्नों पर आधारित है। बड़ी और छोटी परियोजनाओं से सिंचाई का विकास, भूमि संरक्षण कार्यक्रम और उर्वरकों की आपूर्ति, उन्नत बीज और ऋण तथा ग्राम-स्तर तक विस्तार सेवाओं की व्यवस्था, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए हैं। सामुदायिक विकास आन्दोलन द्वारा प्रत्येक गांव की समूची जनता की शक्ति का संचय करना होगा और इस की जनशक्ति तथा अन्य साधनों का प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना होगा। पशुपालन और दुग्ध उद्योग की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के साथ कृषि उत्पादन की योजनाओं का गहरा सम्बन्ध है। दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से वन सम्पत्ति की देख-भाल, भूमि और नमी का संरक्षण और गावों में ईंधन के लिए वृक्षों का लगाना, इन बातों का बड़ा महत्व है। सहकारी विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं और जिन पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक जोर दिया जाएगा, उनका यह उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाए, जिससे ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गों को विशेष लाभ पहुंचे। भूमि सुधार नीतियों का यह उद्देश्य है कि भूतकाल से चले आए कृषि सम्बन्धी ढांचे के कारण अधिक उत्पादन के मार्ग में जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर किया जाए तथा सहकारी आधार पर संगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का रास्ता तैयार किया जाए। ग्रामीण जीवन को परिवर्तित करने की योजना में-(जो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही-हैं) एक मुख्य सवाल यह है कि कृषि श्रमिकों की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए और भूतकाल में उन्हें जिन सामाजिक असमर्थताओं का सामना करना पड़ा है, उन्हे दूर करने के लिए कौन से साधन अपनाए जाएं। इस प्रकार ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का एक दूसरे से सम्बन्ध है। इस पृष्ठभूमि को रखकर इस अध्याय में संक्षेप से उन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न विषयों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाएंगे :

(1) कृषि उत्पादन;

(2) पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और मछली-उद्योग;

(3) वन और भूमि सरक्षण;
(4) सामुदायिक विकास;
(5) सहकारिता;
(6) भूमि सुधार, और
(7) कृषि श्रमिक

I कृषि उत्पादन

प्रगति की समीक्षा

पहली और दूसरी योजना में कृषि उत्पादन का देशनाक (आधार 1949-50) । कर 135 हो गया, खाद्यान्नों का देशनाक 132 एव अन्य फसलो का देशनाक 142 था पहली योजना में कृषि उत्पादन में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना 5 में से पहले 2 वर्ष—1957-58 और 1959-60—प्रतिकूल रहे और कृषि उत्पादन कुल वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत हुई। नवम्बर 1956 में उद्घोषित कृषि उत्पादन के संशोि लक्ष्य और दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानित उत्पादन की तुलना नीचे की सारि में की गई है —

वस्तु	एकक	दूसरी योजना के लिए सशोधित लक्ष्य	अनुमानित उत्पादन 1960-61
खाद्यान्न	लाख टन	805	760*
गन्ना (गुड)	,, ,,	78	80
कपास	लाख गाठें	65	51
पटसन	,, ,,	55	40

दूसरी योजना में उत्पादन का जो रुख रहा, उसको ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त महत्‍ पूर्ण है कि तीसरी योजना में खाद्यान्नो में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त, व्या‍ सायिक फसलो में विशेषतः कपास, तेलहन और पटसन में काफी वृद्धि की जानी चाहिए

2. दूसरी योजना में कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने में जो प्रगति हुई उसका सार नीचे दिया गया है।

* फसलो के उत्पादन के सशोधित अनुमान उपलब्ध हो जाने पर यह आशा है कि 1960-61 में खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग 7 करोड़ 80 लाख टन हो जाएगा।

कार्यक्रम	एकक	अनुमानित उपलब्धि
1. बड़ी और मध्यम सिंचाई	लाख एकड़ (कुल)	69
2. छोटी सिंचाई	,,	90
3. कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	,,	20
4. भूमि सुधार	,,	12
5. उन्नत बीजों का क्षेत्र (खाद्यान्न)	,,	550
6. नत्रजन की खपत	हजार टन	230
7. फास्फेट युक्त उर्वरकों की खपत (पी$_2$ ओ$_5$)	,,	70
8. शहरी कूड़ा-खाद	लाख टन	30
9. ग्रामीण कूड़ा-खाद	,,	830
10. हरी खाद	लाख एकड़	118

दूसरी योजना में कुछ दिशाओं में उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी कि आशा की गई थी; विशेषतः उन कार्यक्रमों में जिनमें जनता का बड़े पैमाने पर सम्मिलित होना आवश्यक था (जैसे कि भूमि संरक्षण), उर्वरकों की आपूर्ति, सिंचाई के लाभों का जल्दी ही उपयोग और क्षेत्र स्तर पर सघन कार्य। परिणामतः कृषि के सम्बन्ध में तीसरी योजना में बहुत अधिक कार्य करने को शेष है। किसी अन्य बात की अपेक्षा, तीसरी पचवर्षीय योजना की सफलता इसके कृषि लक्ष्यों के पूरा होने पर अधिक निर्भर होगी।

तीसरी योजना के प्रति दृष्टिकोण

3. तीसरी योजना के लिए कृषि उत्पादन के कार्यक्रम बनाते समय जो मुख्य बात सामने रही है, वह यह है कि वित्तीय अथवा अन्य साधनों की कमी के कारण कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तदनुसार पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस बात का आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता हुई, तो योजना की प्रगति के साथ-साथ, उनकी व्यवस्था की जाएगी। एक बड़े पैमाने पर उर्वरकों की आपूर्ति का भी प्रबन्ध करना होगा। राज्यों में कृषि प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और विभिन्न अभिकरणों, विशेषतः कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध अभिकरणों में घनिष्टतम समन्वय किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। सहकारी अभिकरणों द्वारा ऋण दिए जाने में विस्तार किया जा रहा है और इस आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था के साथ ऋण का सम्बन्ध हो।

4. सामुदायिक विकास संगठन का और खण्ड तथा ग्राम स्तर पर विस्तार के कार्यकर्ताओं का प्रमुख कार्य यह है कि वे कृषि के भरपूर विकास के लिए ग्रामीण समाज को तैयार

करें, सरकार की ओर से जो अभिकरण कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य का निदेशन करें और उनमें शीघ्र काम करने की भावना पैदा करे। वे इस का भी ध्यान रखें कि ठीक समय पर और ठीक स्थान पर और अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूर्तियां, सेवाएं तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृषि-विभागों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को आवश्यक आपूर्तियां, प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसका यह अर्थ है कि गांव के समस्त परिवारों, विशेषतः खेती में लगे हुए परिवारों को, ग्रामीण सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में सम्मिलित किया जाए। ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा और बड़े परिणाम प्राप्त करने में सहायता दी जाए। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि राज्यों तथा केन्द्र में स्थानीय तथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यक्रमों के जो संगठन हैं, उनमें सुधार किया जाए।

5. कृषि कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 1281 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे :

	(करोड़ रुपये)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि उत्पादन	98.10	226.07
छोटी सिंचाई	94.94	176.76
भूमि संरक्षण	17.61	72.73
सहकारिता	33.83	80.10
सामुदायिक विकास (कृषि कार्यक्रम)	50.00	126.00
बड़ी और मध्यम सिंचाई	372.17	599.34
कुल योग	666.65	1281.00

इसके अतिरिक्त, सहकारी एजेन्सियों से 530 करोड़ रुपये के अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण तथा 150 करोड़ रुपये के (बकाया रकम) दीर्घकालीन ऋणों की आशा है।

विकास के कार्यक्रम

6. कृषि के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अधीन जो मुख्य लक्ष्य हैं उनका सार नीचे दिया गया है:

कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य—तीसरी योजना

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य
i–सिंचाई		
1– बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल)	लाख एकड़	128
2–छोटी सिंचाई (कुल)	,,	128
(अ) कृषि	,,	95
(ब) सामुदायिक	,,	33
कुल		384
(ii) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार आदि		
(अ) कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	लाख एकड़	110
(ब) सूखी खेती	,,	220
(स) भूमि सुधार	,,	36
(द) लोनी और क्षारीय भूमियों का सुधार	,,	2
(iii) उन्नत बीजों–खाद्यान्न का अतिरिक्त क्षेत्र	,,	1480
(iv) रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (न)	हजार टन	1000
(ब) फास्फेट युक्त (पी$_2$ ओ$_5$)	,,	400
(स) पोटाशयुक्त (के$_2$ ओ)	,,	200
(v) कार्बनिक और हरी खाद		
(अ) शहरी कूड़ा–खाद	लाख टन	50
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद	,,	1500
(स) हरी खाद	लाख एकड़	390
(vi) वनस्पति संरक्षण	लाख एकड़	500

ऊपर जिन विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हे स्थानीय जनता के अधिक से अधिक सहयोग से कार्यान्वित करना होगा और ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण चुने गए 15 जिलों में विशेष तौर पर भरपूर विकास का कार्य किया जाएगा।

करें, सरकार की ओर से जो अभिकरण कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य का निदेशन करें और उनमें शीघ्र काम करने की भावना पैदा करें। वे इस का भी ध्यान रखें कि ठीक समय पर और ठीक स्थान पर और अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूर्तियां, सेवाएं तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृषि-विभागों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को आवश्यक आपूर्तियां, प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसका यह अर्थ है कि गाव के समस्त परिवारों, विशेषत. खेती में लगे हुए परिवारों को, ग्रामीण सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में सम्मिलित किया जाए। ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा और बड़े परिणाम प्राप्त करने में सहायता दी जाए। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि राज्यों तथा केन्द्र में स्थानीय तथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यक्रमों के जो संगठन हैं, उनमें सुधार किया जाए।

5. कृषि कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 1281 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे :

	(करोड़ रुपये)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि उत्पादन	98.10	226.07
छोटी सिंचाई	94.94	176.76
भूमि संरक्षण	17.61	72.73
सहकारिता	33.83	80.10
सामुदायिक विकास (कृषि कार्यक्रम)	50.00	126.00
बड़ी और मध्यम सिंचाई	372.17	599.34
कुल योग	666.65	1281.00

इसके अतिरिक्त, सहकारी एजेन्सियों से 530 करोड़ रुपये के अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण तथा 150 करोड़ रुपये के (बकाया रकम) दीर्घकालीन ऋणों, की आशा है।

विकास के कार्यक्रम

6. कृषि के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अधीन जो मुख्य लक्ष्य हैं उनका सार नीचे दिया गया है:

कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य—तीसरी योजना

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य
i–सिंचाई		
1– बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल)	लाख एकड़	128
2–छोटी सिंचाई (कुल)	"	128
(अ) कृषि	"	95
(ब) सामुदायिक	"	33
कुल		384
(ii) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार आदि		
(अ) कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	लाख एकड़	110
(ब) सूखी खेती	"	220
(स) भूमि सुधार	"	36
(द) लोनी और क्षारीय भूमियों का सुधार	"	2
(iii) उन्नत बीजों–खाद्यान्न का अतिरिक्त क्षेत्र	"	1480
(iv) रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (न)	हजार टन	1000
(ब) फास्फेट युक्त (पी$_2$ ओ$_5$)	"	400
(स) पोटाशयुक्त (के$_2$ ओ)	"	200
(v) कार्बनिक और हरी खाद		
(अ) शहरी कूड़ा–खाद	लाख टन	50
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद	"	1500
(स) हरी खाद	लाख एकड़	390
(vi) वनस्पति संरक्षण	लाख एकड़	500

ऊपर जिन विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हें स्थानीय जनता के अधिक से अधिक सहयोग से कार्यान्वित करना होगा और ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण चुने गए 15 जिलों में विशेष तौर पर भरपूर विकास का कार्य किया जाएगा।

7. ऊपर जिन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है उनमें से प्रत्येक के बारे में हाल के वर्षों में जिन मुख्य त्रुटियों का सामना करना पड़ा है, उनका योजना में उल्लेख किया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि तीसरी योजना में किस प्रकार से कार्य का संगठन किया जाना चाहिए। सिंचाई के छोटे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जिन पहलुओं पर जोर दिया गया है उनमें ये बातें सम्मिलित हैं—सिंचाई के छोटे कार्यों का, सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में विकास करने की आवश्यकता जिसमें स्थानीय लोगो द्वारा रुपया-पैसा अथवा श्रम के रूप में योगदान देने का बड़ा महत्व है, व्यवस्थित पर्यवेक्षण और जांच का महत्व, सिंचाई के छोटे कार्यों की देखभाल एव रक्षा के लिए स्थानीय समाजो तथा उन लोगो पर जो इनसे लाभ उठाए, कुछ कानूनी दायित्व डालने की आवश्यकता, तथा सिंचाई कार्यों के पूरा होने तथा उनसे लाभ उठाने में समय का जो व्यवधान पड़ता है, उसमें कमी। तीसरी योजना में स्थानीय खाद के साधनो, विशेषत. कार्बनिक खाद के विकास पर और अधिक जोर देना होगा।

पहली और दूसरी योजना में जो कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए उन में एक बड़ी भारी कमी रह गई थी और वह थी उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग। उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों के प्रयोग में प्रगति करने के लिए कई दिशाओं में कदम उठाने की आवश्यकता है। सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा जिन अधिक महत्वपूर्ण दिशाओ में कदम उठाए जाने चाहिए, उनका सम्बन्ध निम्न बातो से है :

1–कृषि उपकरणों के लिए जिस प्रकार के लोहे और इस्पात की आवश्यकता हो, उसकी पर्याप्त आपूर्ति;

2–प्रत्येक राज्य मे उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुसन्धान, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना;

3–उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणो का प्रदर्शन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जिला और खण्ड स्तर पर राज्य सरकारो द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था;

4–राज्यीय कृषि विभागो के कृषि इंजीनियरिंग अधिभागो को सुदृढ़ करना;

5–उन्नत प्रकार के उपकरणो की आपूर्ति के लिए ऋण सम्बन्धी निश्चित प्रबन्ध करना और समस्त विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रो में कृषि कारखानों की स्थापना।

उत्पादन के लक्ष्य

8. कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमो की दृष्टि से तीसरी योजना के अन्त तक उत्पादन के जो लक्ष्य सामने रखे गए हैं, वे निम्न हैं :

तीसरी योजना में उत्पादन के लक्ष्य

वस्तु	एकक	आधार स्तर पर उत्पादन 1960-61	अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य 1961-66	अनुमानित उत्पादन 1965-66	प्रतिशत में वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन	760	240	1,000	31.6
तेलहन	"	71	27	98	38.0
गन्ना (गुड)	"	80	20	100	25.0
कपास	लाख गाठे	51	19	70	37.2
पटसन	"	40	22	62*	55.0
नारियल	लाख फल	45,000	7,750	52,750	17.2
सुपारी	हजार टन	93	7	100	7.5
काजू	"	73	77	150	105.5
काली मिर्च	"	26	1	27	3.9
इलायची	"	2.26	0 36	2.62	15.9
लाख	"	50	12	62	24.0
तम्बाकू	"	300	25	325	8.3
चाय	लाख पौंड	7,250	1,750	9,000	24.1
काफी	हजार टन	48	32	80	67.7
रबड़	"	26.4	18 6	45	70.5

* इसमें मेस्ता सम्मिलित नहीं है जिसकी तीसरी योजना में 13 लाख अतिरिक्त गांठें प्राप्त हो सकती है।

उत्पादन में इन वृद्धियों का अर्थ यह है कि प्रति एकड़ पैदावार को काफी हद तक बढ़ाना होगा अर्थात् दूसरी योजना की औसत पैदावार से प्रति एकड़ चावल की पैदावार लगभग 27.5 प्रतिशत, गेहूं की लगभग 20 प्रतिशत, तेलहन की लगभग 11 प्रतिशत, कपास की लगभग 14 प्रतिशत, पटसन की लगभग 16 प्रतिशत और गन्ने की पैदावार लगभग 18 प्रतिशत बढ़ानी होगी। पैदावार में ये अधिकांश वृद्धियां उन क्षेत्रों में करनी होगी जिनमें सिंचाई होती है और जहा वर्षा निश्चित रूप से होती है, किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी भूमि संरक्षण और सूखी खेती के द्वारा औसत पैदावार में कुछ वृद्धि जरूर होनी चाहिए।

ऊपर जो लक्ष्य दिए गए हैं उनके अनुसार कृषि उत्पादन का निदेशनांक 1960-61 में 135 से बढ कर 1965-66 में 176 हो जाना चाहिए यानी 5 वर्ष की अवधि मे कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत होनी चाहिए। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1960-61 में 16 औस से बढकर 1965-66 मे 17.5 औंस हो जाने की आशा है। और कपड़े की खपत प्रति वर्ष 15.5 गज से बढकर 17.2 गज हो जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में प्रति दिन खाद्य तेलो की खपत 0.4 औंस से 0.5 औंस हो जाने की आशा है।

कृषि कार्यक्रमों के अन्य पहलू

9. यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में व्यावसायिक फसलों, विशेषतः कपास, पटसन और तेलहनो का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयत्न किए जाएं। इन फसलों के लिए विभिन्न वस्तु समितियो द्वारा विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन फसलो और बागान फसलो, विशेषतः चाय, काफी और रबड़ के लिए पर्याप्त वित्त और उर्वरकों को उपलब्ध करना होगा। योजना में कई सम्बद्ध कृषि कार्यक्रमो की व्यवस्था की गई है जिनमें फल, सब्जियां और सहायक अन्नों के उत्पादन के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

10. इस समय देश के कुल 2500 बाजारों मे से 725 मंडियो का नियमन किया जा रहा है। तीसरी योजना में शेष मंडियो को भी नियमन की योजना के अन्तर्गत ले लिया जाएगा और हाट-व्यवस्था सूचना सेवा के अन्तर्गत सूचना-केन्द्रों की सख्या काफी बढाई जाएगी। लगभग 500 हाट-बाजार इन केन्द्रों के अन्तर्गत हैं।

इस समय सरकार के पास कुल भण्डारण क्षमता 25 लाख टन है, जिसमें से एक तिहाई पर उसका स्वामित्व है। इस क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख टन करना होगा, जिसमें से लगभग 35 लाख टन क्षमता पर सरकार का अपना स्वामित्व होगा। गोदाम निगमो की भण्डारण क्षमता को लगभग 3 लाख 50 हजार टन से बढ़ा कर 16 लाख टन से अधिक करना होगा। और सरकारी समितियों के गोदामों की क्षमता को 8 लाख टन से बढ़ाकर लगभग 20 लाख टन करना होगा।

11. कृषि कालेजों की संख्या 53 से बढ़ा कर 57 करनी होगी और इनमें प्रति वर्ष दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5,600 से बढाकर 6,200 करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है, उसी के ढंग

पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कृषि अनुसन्धान के कार्यक्रमों में जो बातें सम्मिलित की गई हैं, वे ये हैं—राज्यों मे अनुसन्धान संगठनों को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्रीय आधार पर अनुसंधान का विकास, भूमि विज्ञान और मृदा विज्ञान की नई संस्थाओं की स्थापना, चारा और घास-भूमियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान, विषाणु अनुसन्धान तथा सिंचाई प्रणालियों तथा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओं का गहन अध्ययन। राज्यों में कृषि प्रशासन को दृढ़ बनाने वाले कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे कर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। सूरतगढ़ के राजकीय फार्म के ढंग पर एक या सम्भवतः दो और राजकीय यांत्रिक फार्म स्थापित करने का भी विचार है।

12. योजना की अवधि में महत्वपूर्ण अन्न और कपास, तेलहन तथा पटसन जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम लाभकारी दाम निश्चित कर देने से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्दीपक प्राप्त होंगे और इस प्रकार तीसरी योजना में विकास के जो विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं वे और अधिक प्रभावशाली हो जाएगें। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार को जिन मूल्यों पर खरीदना और बेचना चाहिए उनका निर्णय बुवाई के मौसम से काफ़ी पहले ही कर लेना चाहिए।

II पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और मछली-उद्योग

पूरक तथा सहायक अन्नों के उत्पादन को बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता के कारण विशेषतः प्रोटीन का उत्पादन बढाने की आवश्यकता के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन, और मछली-उद्योग के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

पशु-पालन

2. विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कृषि की एक ठोस प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में पशुपालन के विकास की परिकल्पना की गई है। फार्मों के उप-उत्पादनों के अधिक अच्छे उपयोग के लिए, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए, साल भर कृषकों को पूरा रोजगार दिलाने के लिए और ग्रामीण आयों में वृद्धि करने के लिए मिली-जुली खेती पर बल दिया जायगा। तीसरी योजना में पशुपालन के विकास के लिए 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 21 करोड़ रुपया थी।

3. भारत में पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, किन्तु उनकी उत्पादकता बहुत कम है। इस प्रकार प्रति दोहन गायों का औसत दूध लगभग 400 पौंड है और भैंसों का लगभग 1,100 पौंड, जबकि अधिक उन्नत पश्चिमी देशों में दूध की यह मात्रा 5,000 पौंड या इससे अधिक है। इस समय दूध का कुल उत्पादन लगभग 2 करोड़ 20 लाख

टन है और यह आंदा है कि योजना के अन्त तक यह बढ़ कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो जाएगा। बुनियादी नीति यह है कि इस प्रकार की नस्लें तैयार की जाएं और उनका विकास किया जाए कि जिनसे अच्छी खेती के लिए तगड़े बैल और मानवीय खपत के लिए और अधिक दूध की प्राप्ति, ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हों।

4. पहली दोनों योजनाओं में केन्द्र ग्राम योजना पशुओं के भरपूर विकास का एक मुख्य कार्यक्रम रही है। इस योजना पर हाल ही में सावधानतापूर्वक फिर से विचार किया गया है। केन्द्र ग्राम क्षेत्रो मे वधिया करने के कार्यक्रम को और बढाया जाएगा। बछड़े तैयार करने की सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी, वर्तमान चारे के साधनो का और अधिक अच्छा उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और सीमान्त तथा उपसीमान्त भूमियों में चारे की फसलें बोने पर भी ध्यान दिया जाएगा। परीक्षण के तौर पर यह भी विचार है कि ऊंचाईवाले क्षेत्रो में और जहा भारी वर्षा होती है, वहा नस्ल सुधारने के लिए अच्छी जाति के विदेशी सांडो से गर्भाधान कराया जाए और एक ऐसा फार्म खोला जाए कि जहा अच्छी नस्ल के पशु रखे जाएं। सभी महत्वपूर्ण नस्लों के लिए एक ऐसी योजना निरन्तर लागू की जाएगी जिससे पैदा होने वाली नस्ल की जाच की जा सके।

5. मुख्य प्रजनन क्षेत्रो में प्रजनन सोसाइटियों को प्रोत्साहन देना होगा। ये पशुओ के पंजीकरण और दुग्ध उत्पादन के हिसाब-किताब की व्यवस्था करेंगी और अन्य क्षेत्रों में प्रजनन साडो की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति करेंगी। कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार के अतिरिक्त, प्रजनन साडो की कमी को पूरा करने के लिए यह विचार है कि प्रजनन क्षेत्रों में सांड तैयार करने के 11 फार्म खोले जाएं। 30,000 सांड बछड़े तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। मौजूदा 33 सरकारी पशु-प्रजनन फार्मों मे जो पशु मौजूद हैं उनकी सख्या बढाई जाए और कई नए पशु फार्म स्थापित किए जाए।

6 अतिरिक्त तथा अनुत्पादक पशुओ की समस्या की गम्भीरता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यद्यपि इस प्रकार के पशुओं की सख्या के आकडे भिन्न-भिन्न हैं। पशुओं की सख्या अधिक होने के कारण उन्हे पौष्टिक चारा नहीं मिलता और पौष्टिक चारा न मिलने से उत्पादकता बढाने के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इसलिए पशुओ के सुधार और व्यवस्थित प्रजनन के कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि घटिया किस्म के पशुओ को हटा दिया जाए। मौजूदा 59 गो-सदनो के अतिरिक्त, 23 और गो-सदन स्थापित किए जाएगें। किन्तु इस कार्यक्रम में कुछ कठिनाइया हैं, जिनमे से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वन क्षेत्रो के अन्तरवर्ती भागो में उपयुक्त स्थान नही मिलते जहां कि आवश्यक चरागाहो की सुविधाएं उपलब्ध हों। बेकार नर पशुओं को हटा देने के लिए तीसरी योजना में वधिया बनाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने का विचार है। पहले उन क्षेत्रो में व्यापक रूप से बधिया करने का कार्य किया जाएगा जहा पशुओ के भरपूर विकास कार्यक्रम चालू किए गए हैं और बाद में अन्य क्षेत्रों मे भी यह कार्य किया जाएगा।

7 तीसरी योजना के अन्त तक पशु-चिकित्सा के लिए 8,000 अस्पताल और औष-

धालय हो जाएंगे । 1963-64 तक देश के समस्त मवेशियों को खूनी दस्तों की बीमारी से बचाने के लिए टीके लगा दिए जाएंगे ।

8. जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे, उनमें से कुछ ये हैं—दो प्रादेशिक सुअर प्रजनन तथा सुअर के मांस की फैक्टरियों, 12 सुअर प्रजनन एकक और 140 सुअर प्रजनन विकास खण्डों की स्थापना । एक अश्व प्रजनन फार्म भी स्थापित किया जाएगा जिसमें 10 अभिजनन केन्द्र होंगे । एक राष्ट्रीय अभिजनन सहकारी योजना तथा एक निजी अभिजनन योजना पर विचार किया जा रहा है । ऊन की किस्म सुधारने और स्थानीय भेड़ों की नस्लों का विकास करने के लिए 15 भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना करने और 17 मौजूदा फार्मों का विस्तार करने का विचार है । जो विभिन्न उपाय बरते जाएंगे, उनके परिणामस्वरूप यह आशा है कि ऊन का मौजूदा उत्पादन 7 करोड़ 20 लाख पौंड से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त तक 9 करोड़ पौंड हो जाएगा । कुक्कुट पालन के विकास के कार्यक्रम में 60 राज्य कुक्कुट फार्मों, 3 क्षेत्रीय कुक्कुट फार्मों और 50 विस्तार तथा विकास केन्द्रों में वृद्धि करना सम्मिलित है ।

9. अपने आप मरे हुए पशुओं की खालें और अधिक अच्छे ढंग से इकट्ठा करने और उन्नत तरीकों से चमड़ा उतारने के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाएगा । इसके लिए समय पर मृत पशु का मिल जाना और उप-उत्पादनों का पूरा उपयोग, उन्नत तरीको से खालों और चमड़ों की कमाई तथा चुने हुए केन्द्रो में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी । एक बड़ा और 14 छोटे खाल उतारने और उसे बनाने तथा पशु शव का उपयोग करने वाले केन्द्रो की स्थापना की जाएगी तथा 2 चलते-फिरते हड्डियों के चूरा करने वाले एकक एवं खाल उतारने, बनाने और उसके उपयोग के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा ।

10. 1960 में गोसंवर्द्धन की केन्द्रीय परिषद का पुनःसगठन किया गया था । इसे पशुओं के संरक्षण और विकास से सम्बद्ध क्रियाकलाप को समन्वित करने का विशेष दायित्व सौंपा गया था, खास तौर पर गायों के विकास का । अपने अन्य कार्यों के अन्तर्गत, यह परिषद् गोशाला और चर्मालय के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करेगी । तीसरी योजना में 168 गोशालाओं की सहायता की जाएगी जिससे कि वे पशु प्रजनन तथा दुग्ध उत्पादन एककों के रूप में विकसित हो सकें ।

11. दूसरी योजना की अवधि में 5 पशु-चिकित्सा कालेजों का विस्तार किया गया था और 3 नए कालेज स्थापित किए गए थे । तीसरी योजना में 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज स्थापित किए जाएगे । लगभग 70,000 पशु रखनेवाले लोगो को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रबन्ध किए जाएंगे ।

दुग्ध उद्योग और दूध की आपूर्त्ति

12. भारत में दुग्ध उद्योग के सामने कई समस्याएं है जैसे कि बिखरे हुए तथा छोटे

पैमाने पर दूध का उत्पादन, देश के अधिकांश भागों में यातायात की अपर्याप्त सुविधाएं, दूध इकट्ठा करने, तैयार करने और बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी तथा संयंत्र के आयात पर निर्भरता, प्राविधिक तथा कुशल कर्मचारियों की कमी तथा उचित रूप से संगठित हाट-व्यवस्था का अभाव। इसलिए एक संगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त दूध का संग्रह करने तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर दूध की बनी चीजों तथा अच्छे प्रकार के दूध की आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे।

13. दुग्ध उद्योग के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति का उद्देश्य दुग्ध उद्योग की परियोजनाओं में वृद्धि करना है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करने पर और अधिक जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त दूध की विक्रय-व्यवस्था के लिए योजनाएं बनानी होंगी। दूध की आपूर्ति तथा संग्रह का कार्य गांवों में अनेक उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। दूध तैयार करने तथा उसके वितरण और दूध की बनी चीजों को तैयार करने का कार्य सहकारी आधार पर चलाए जाने वाले संयत्रों द्वारा संगठित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विकास किया जाएगा, उसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी दूध की बनी चीजों को तैयार करने के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

14. तीसरी योजना की अवधि में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और निरन्तर बढ़ने वाले औद्योगिक उपनगरों में दुग्ध आपूर्ति की 55 नई योजनाएं चालू की जाएंगी। ग्रामीण दुग्ध बस्तियों का विकास करने के लिए 8 मलाई मक्खन निकालने के केन्द्र, 4 दुग्ध चूर्ण की फैक्टरियां और 2 पनीर फैक्टरियां स्थापित की जाएंगी। दूध की आपूर्ति करनेवाले बड़े संयंत्रों के पास 4 पशु चारा तैयार करनेवाली फैक्टरियां भी लगाई जाएंगी। तीसरी योजना में दुग्ध उद्योग के विकास के लिए लगभग 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दुग्ध उद्योग के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उद्योग के लिए आवश्यक साज-सामान और मशीनरी को देश में ही बनाने के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।

15. दुग्ध उद्योग के कार्यक्रम प्रभावशाली रूप से आसपास के गांवों की अर्थ-व्यवस्था के साथ सम्बद्ध होंगे, ताकि ऐसे पशुओं के विकास को बढ़ावा मिल सके जिन से दोहरे उद्देश्य पूरे हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन नीति को सफल बनाने की दिशा में सुधारू पशु खरीदने के लिए ऋणों की सहायता दी जाएगी। गायों की अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए जहां तक संभव हो, संयंत्रों द्वारा गायों का दूध भी उसी दाम पर खरीदा जाना चाहिए जिस दाम पर भैंसों का दूध।

16. तीसरी योजना की अवधि में करनाल स्थित राष्ट्रीय दुग्ध उद्योग अनुसन्धान संस्था का विस्तार किया जाएगा। बंगलौर, इलाहाबाद, आनन्द तथा आरे में भारतीय डेरी डिप्लोमा के लिए और करनाल में डेरी उद्योग में बी० एस-सी० पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में आनन्द नामक स्थान पर एक दुग्ध विज्ञान कालेज स्थापित किया जाएगा।

मछली पालन

17. भारतीय समुद्रों के जलीय साधन बहुत से हैं और विस्तृत हैं। मछली पकड़ने और उससे संबद्ध उद्योगों से लगभग 10 लाख मछियारों को रोजगार मिलता है, जिनमें से अधिकांश अत्यन्त गरीबी की हालत में रहते हैं। तीसरी योजना के लिए मछली पालन की योजनाएं बनाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उत्पादन बढ़ाया जाए किन्तु इसके साथ ही मछियारों की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की आवश्यकता को भी ध्यान मे रखा गया है। निर्यात व्यापार को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

18. अब बड़े पैमाने पर अन्तर्देशीय मछली पालन में विस्तार करना सम्भव हो गया है क्योंकि भारतीय मछलियों पर न्यासर्ग उपचार द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक ऐसी तकनीक का विकास हो गया है कि जिससे मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके परिणामस्वरूप देश के किसी भी भाग में, चाहे वह स्वाभाविक रूप से मछलियों के अण्डे देने के अनुकूल हो या न हो, मछलियों से अण्डे प्राप्त हो सकते हैं और मछलियां पैदा हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से 'कॉमन कार्प' मछली की किस्म भी लाई गई है जो बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। विभिन्न राज्यों में लगभग 50,000 एकड़ जलीय क्षेत्र का प्रदर्शन-मछली-फार्मों के रूप में उपयोग किया जाएगा। 120 करोड़ छोटी मछलियां और मछली के बीज जमा करने का भी विचार है। नदी घाटियों में भी नियमित रूप से मछलियो को रखा जाएगा, क्योंकि इनमें भी मछली पालन के विकास के लिए काफी गुंजाइश है। एक महत्वपूर्ण स्थानीय साधन के रूप में, पंचायत समितियों और पंचायतों को मछली तालाबों का भी विकास करना चाहिए।

19. तीसरी पंचवर्षीय योजना में मछली पालन की सहकारी समितियों का निर्माण और संचालन मछली पालन के विकास कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय मछली पालन की लगभग 2,100 सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्यों की कुल संख्या लगभग 2 लाख 20 हजार है। मछली पालन की सहकारी समितियों को अपने कार्य में जो सफलता मिली है वह एक जैसी नहीं है, उनमें से केवल 800 सहकारी समितियों का ही कार्य सन्तोषजनक कहा जा सकता है। तीसरी योजना में मछली पालन की सहकारी समितियो को सुदृढ़ बनाया जाएगा, उनका और अधिक विकास किया जाएगा और उन्हें हाट-व्यवस्था तथा उत्पादक सहकारी समितियों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। ये कार्य निस्सन्देह बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा।

20. देश की लगभग दो तिहाई मछलियों का अनुमानित उत्पादन समुद्र से होता है। तीसरी योजना में मछली पकड़ने के लिए 4,000 नई यंत्रसज्जित नावें चालू करने का विचार है। गहरे समुद्र में मछली मारने के मौजूदा 4 केन्द्रीय स्टेशनों के मछली पकड़ने के प्रारम्भिक कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा, और अतिरिक्त एककों की स्थापना की जाएगी। 35 बड़े जहाज भी चलाए जाएंगे और 16 बन्दरगाहों पर मछलियो को लादने और उतारने की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

21. मछली एक ऐसी चीज है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उसकी हाट-व्यवस्था की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न राज्यों में 72 आइस और कोल्ड स्टोरेज प्लांट वितरित किए जाएंगे, जिससे मछलियां खपत केन्द्रों तक अच्छी हालत में पहुच सकें। मुख्य मार्गों पर लगभग 20 नए रेफ्रीजरेटेड डिब्बे चलाए जाएंगे। ऐसी आशा है कि मछलियों का उत्पादन 14 लाख टन से बढकर 18 लाख टन हो जाएगा। मछलियो के निर्यात का मूल्य 6 करोड रुपये से बढकर लगभग 12 करोड़ रुपया हो जाने की आशा है। तीसरी योजना में मछली पालन के विकास के लिए लगभग 29 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

22 समुद्र में मछली पालन, समुद्रशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों मे मछली पालन, ताजे पानी मे मछली पालन और समुद्र के इधर-उधर जमा जल में मछली पालन आदि के सम्बन्ध में नई जाच-पडताल की जाएगी। जिला स्तर पर मछली पालन प्रबन्धकीय कर्मचारियो के लिए एक मछली पालन प्रशिक्षण सस्था ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। कोचीन में विभिन्न स्तरों पर मछली पालन में लगे लोगो के प्रशिक्षण के लिए एक सस्था स्थापित की जाएगी। तीसरी पचवर्षीय योजना में मछली पालन विकास की विभिन्न योजनाओ को चलाने के लिए जिन लोगो की आवश्यकता होगी अनुमानतः उनकी कुल संख्या लगभग 2,100 होगी। उनके प्रशिक्षण के लिए उचित प्रबन्ध किए गए हैं।

III वन और भूमि-संरक्षण

वन-साधनो का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। भारत में भूमि-सरक्षण और उत्पादन की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है।

देश की कुल भूमि के केवल 22 प्रतिशत मे ही वन है, जबकि एक-तिहाई क्षेत्र मे वन होना वाछनीय है। औद्योगिक उपयोग और घरेलू कार्यों के लिए वनो में पैदा होने वाली विभिन्न वस्तुओ की माग लगातार बढ रही है। इस समय औद्योगिक लकड़ी, जिसमें लुगदी बनाने के काम आने वाली लकड़ी भी शामिल है, की मांग 45 लाख टन होने का अनुमान है। यह माग 1975 तक लगभग 95 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। जनसंख्या बढने, साक्षरता में वृद्धि होने और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के साथ-साथ *कागज और रेयन बनाने के काम आने वाली लुगदी की मांग काफी बढ जाने की सम्भावना* है। इस दिशा में यदि विशेष प्रयत्न न किया गया, तो 1975 तक उत्पादन 55 लाख टन से अधिक बढ सकता है और इस प्रकार 1975 में 40 लाख टन की कमी रह जाएगी। ईंधन की कमी 10 करोड़ टन हो जाने की सम्भावना है।

2. पहली और दूसरी योजनाओं में 55 हजार एकड़ क्षेत्र में दियासलाई बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी और 3 लाख 30 हजार एकड़ क्षेत्र में इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का काम शुरू किया गया। लगभग 18 हजार वर्गमील क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन

किया गया, वन-क्षेत्रों में 9 हजार मील लम्बी सड़कों का विकास किया गया और हीन दशा में पड़े हुए लगभग 4 लाख एकड़ वनो का पुनरुद्धार किया गया। वृक्ष काटने के सुधरे तरीको का भी प्रदर्शन किया गया।

3. तीसरी योजना में उन कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनसे देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओ की पूर्ति मे सहायता मिले और उपलब्ध वनोत्पादनो का, जिनमें घटिया लकडी और लुगदी के काम आने वाली लकड़ी भी शामिल है, किफायत और कुशलता से उपयोग किया जा सके। अविलम्ब जिस लक्ष्य की पूर्ति करनी है, वह यह है कि इमारती लकड़ी निकालने के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढाया जाए, वन संचार का विकास किया जाए और सरक्षण तथा परिपक्वता की प्रक्रियाओ का अधिक उपयोग कर लकडी का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। योजना मे विभिन्न विकास कार्यक्रमो के लिए 51 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. उद्योगों की बढती हुई आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए नए वन लगाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। इन वनों में केवल धीरे-धीरे बढ़ने वाले पुरानी किस्म के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, बल्कि ऐसे वृक्ष भी लगाने चाहिए, जो जल्दी बढे। तीसरी पचवर्षीय योजना मे नए वन लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में टीक, दियासलाई के उपयोग की लकडी, बास, वाटल और कजुवरिना आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा 3 लाख एकड क्षेत्र में जल्दी बढने वाले इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

5. यह अनुमान है कि तीसरी योजना में 12 लाख एकड क्षेत्र में वन लगाने का काम होगा। इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से चलाने में पंचायत समितियों और पचायतो की सहायता की जानी चाहिए और वन-विभागों को इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए बीज और नए पौधे उपलब्ध हो। राज्यो के और राष्ट्रीय राजपथो, नहरों और रेल की पटरियो के किनारे पेड उगाने के कार्यक्रमो को बढाया जाना चाहिए।

6. वृक्ष काटने के उन्नत औजार बनाने के उन्नत तरीको से छीजन कम होती है और लकडी का अधिक उपयोग होता है। अनेक राज्यो मे वन-विभागो के कर्मचारियो को इन उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करने की शिक्षा दी गई है। देहरादून की वन-अनुसन्धान सस्था मे उन्नत उपकरणों को तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। हिमालय पर्वत श्रेणी मे बहुत ऊचाई पर जो घने वन है, उनसे या तो लाभ नहीं उठाया गया है, या केवल आंशिक लाभ उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन वनो तक पहुचना कठिन है। वनो के बेहतर उपयोग के लिए योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि वनो में 15 हजार मील लम्बी वन-सडकें बनाई जाए और इन सड़को को मुख्य सड़को और नदियो के घाटो से जोड दिया जाए।

7. अव्वल दर्जे की इमारती लकड़ी कम है, इसलिए उसके बदले दोयम दर्जे की लकड़ी को अच्छी तरह से पकाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि लकड़ी को परिपक्व करने के 27 और परिपक्वता एवं सरक्षण के 3 संयंत्र

लगाए जाए। यह बहुत जरूरी है कि बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी का इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण कामों के लिए ही किया जाए, जिनके लिए कोई दूसरी लकड़ी काम में नहीं लाई जा सकती।

8. लगभग 43 हजार वर्गमील क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का काम करने का प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमाकन पहले हो चुका है, उनमें पुनर्वास का काम बढ़ाकर 6 लाख एकड़ में किया जाएगा।

9. विनियोग से पहले वन-साधनों और उद्योगों के व्यापक सर्वेक्षण की एक परियोजना तीसरी योजना में शामिल कर ली गई है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी बढ़ने वाले वृक्ष लगाने का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जाए, अन्तर्प्रदेश में स्थित वनों तक पहुंचा जाए और वनों पर आधारित उद्योगों की आर्थिक दृष्टि से उन्नति की सम्भावना का निश्चय किया जाए। विभिन्न उद्योगों के अगले पन्द्रह वर्ष या अधिक की आवश्यकताओं का इस सर्वेक्षण में अधिक ध्यान रखा जाएगा। इस सर्वेक्षण के बाद परिवहन की सुविधाओं को सुधारने, लकड़ी का उपयोग करने, रोड बनाने आदि के विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। इस सर्वेक्षण के आधार पर जो कदम उठाए जाएंगे, उनसे इमारती लकड़ी और आर्थिक महत्व की अन्य वस्तुओं की पूर्ति और उनकी माग के बीच के अन्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

10. देहरादून की वन-अनुसंधान संस्था में होने वाले काम को विस्तृत करने के लिए तीन प्रादेशिक अनुसधान केन्द्र खोले जाएगे। इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी की मजबूती, दीर्घजीवन और किफायती इस्तेमाल के विषय में व्यापक अध्ययन होगा। कीमती उत्पादन, जैसे चन्दन, अगर आदि की उपज को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अन्वेषण किया जाएगा। विविध प्रकार के बासों और बेंतों को उगाने और उनका उपयोग करने के विषय में परीक्षण किए जाएगे।

11. यह अनुमान है कि विभिन्न राज्य-वन-विभागों के 480 अधिकारियों और 1,520 रेंजरों को प्रशिक्षित करना होगा। देहरादून और कोयम्बटूर-स्थित वर्तमान संस्थाओं में प्रवेश भी तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा। फारेस्टरों और फारेस्ट-गार्डों जैसे 10 हजार क्षेत्र-कर्मचारियों की प्रशिक्षा की राज्य व्यवस्था राज्यों की ओर से होगी।

12. प्राकृतिक सरक्षण वन-विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और देश में पाए जाने वाले जन्तुओं और वृक्षों की रक्षा और उनका उचित प्रबन्ध इसके अन्तर्गत है। तीसरी योजना में 5 चिड़ियाघरों, 5 राष्ट्रीय उप-वनों और 10 वन्य-जन्तु-शरण्यों की स्थापना और विकास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। दिल्ली के चिड़ियाघर को और अधिक विकसित किया जाएगा।

13. वनों में काम करने वाले कर्मचारियों की सहकारी समितियां बनाने और इनको उचित रियायत देने का प्रस्ताव है। राज्यों की योजनाओं में इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि इस वर्ग के कर्मचारियों को आवास, डाक्टरी सहायता, पीने के पानी की पूर्ति और प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएं।

14. वनों के विकास में जनता के सहयोग का बहुत महत्व है। वृक्ष चाहे जनता द्वारा लगाए जाएं या सरकारी अभिकरणों द्वारा, उनकी देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब सम्पूर्ण जनता वृक्षों के महत्व को समझे और उनके संरक्षण के लिए प्रयत्न करे। गांवों में ईंधन के लिए जो वन लगाए जाते हैं, वे सारे गांव की मूल्यवान सम्पत्ति है। इस पूंजी को पैदा करने में ग्रामीण समाज की मदद की जानी चाहिए और इन वनो के प्रबन्ध का अधिकाधिक उत्तरदायित्व जल्दी से जल्दी पचायत समितियो और पचायतो पर डाल देना चहिए।

भूमि-संरक्षण

15. यह अनुमान है कि इस समय लगभग २० करोड एकड़ क्षेत्र भू-क्षरण से ग्रसित है। भूमि-सरक्षण और भूमि में नमी को बनाए रखने की व्यापक योजना बनाने और उससे लाभ उठाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है।

16. पहली योजना में 7 लाख एकड खेतो की जमीन में मेड बनाने और उत्तलन का काम शुरू किया गया। भूमि और जल-संरक्षण की समस्याओं के अध्ययन के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान एव प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए। इसके अलावा रेगिस्तान की समस्याओ के अध्ययन के लिए जोधपुर में मरुभूमि वनरोपण और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया। दूसरी योजना मे मेंडबन्दी और भूमि-उत्तलन के कार्य मे अच्छी प्रगति हुई और 20 लाख एकड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। भूमि-सरक्षण और भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय एकीकृत सर्वेक्षण शुरू किया गया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमे से 20 लाख एकड भूमि नदियो के जल-ग्राहक क्षेत्रो में है। सूखी खेती के तरीको को लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों मे नदियो के जलग्राहक क्षेत्र मे 40 प्रदर्शन-परियोजनाओ के लिए मजूरी दी गई। इनमें से कुछ परियोजनाए शुरू की जा चुकी है और तीसरी योजना मे इन परि-योजनाओं का काम और भी बढाया जाएगा। विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रो में जो अनुसन्धान-कार्य हुआ है, उससे बहुत मूल्यवान व्यावहारिक परिणाम निकले हैं। इन केन्द्रो मे चलायमान रेतीले टीलों को अचल करने के तरीके निकाले गए और लगभग 1,800 एकड़ भूमि में ऐसे टीलो को स्थिर किया गया। राष्ट्रसंघीय आर्थिक, सामाजिक एव सास्कृतिक सगठन के सहयोग से जोधपुर के मरुभूमि वनरोपण एवं अनुसन्धान-केन्द्र का केन्द्रीय शुष्क-क्षेत्र-अनुसन्धान सस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया। राजस्थान में चरागाहो के विकास की एक योजना शुरू की गई। अब तक 18 विकास-खण्डो में लगभग 50 छोटे चरागाह बनाए गए हैं।

17. कृषि-साधनो के विकास के लिए यह जरूरी है कि भूमि-सरक्षण और शुष्क खेती का कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू किया जाए और देहात के लोग बड़े पैमाने पर उसमें भाग लें। तीसरी योजना मे लगभग 1 करोड़ 10 लाख एकड़ खेती की जमीन मे मेड़बन्दी होगी और लगभग 2 करोड़ 20 लाख एकड़ को शुष्क खेती के तरीको से लाभ पहुचेगा।

18. बड़ी नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्राहक क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण का कार्य तुरन्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर काफी धन लगाया जा चुका है। अन्ततः लगभग 1 करोड़ 50 लाख एकड़ क्षेत्र में भूमि-संरक्षण-कार्य करने की जरूरत होगी। दूसरी योजना में यह काम लगभग 1 लाख 40 हजार एकड़ में हुआ। तीसरी योजना में यह कार्यक्रम और 10 लाख एकड़ में शुरू करने के लिए 11 करोड़ रु० रखे गए हैं।

19. सिंचाई वाली भूमि के बिगड़ने का एक प्रधान कारण भूमिगत पानी के स्तर का उठना और लोनी और क्षारीय भूमि का बढ़ना है। जैसे-जैसे सिंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे भूमि के बिगड़ने की सम्भावना भी बढ़ेगी। अतः जल-प्लावन वाले क्षेत्रों से जल की निकासी की व्यवस्था आवश्यक है। तीसरी योजना में लगभग 2 लाख एकड़ जल-प्लावित, लोनी और क्षारीय भूमि को खेती-योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

20. यह प्रस्ताव है कि ऐसी भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और उसके तल-रूप नक्शे तैयार किए जाएं, जिससे उन्हें खेती-योग्य बनाने की परियोजनाएं तैयार करने और शुरू करने में सुविधा हो। तीसरी योजना में, प्रभावित राज्यों में, 40 हजार एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया जाएगा।

21. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ने रेतीले क्षेत्रों और तत्सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के अनुसंधान का कार्य शुरू किया है। रेतीली भूमि को खेती-योग्य बनाने के तरीकों के अध्ययन के लिए एक आजमाइशी परियोजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। लगभग 1 लाख एकड़ मरुभूमि में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी कदम उठाए जाएंगे। इसमें विभिन्न राज्यों में वनरोपण और चरागाहों के विकास का काम भी शामिल है।

22. पहाड़ी क्षेत्र, काट डाले गए वन और बंजर भूमि एक गम्भीर समस्या बन गए हैं। इन क्षेत्रों में भू-क्षरण का पहाड़ों और मैदानों, दोनों की खेती पर बुरा असर पड़ता है। यह स्थिति मवेशियों के ज्यादा चरने, अदल-बदल कर खेती करने और निरंकुश रूप से पेड़ों के गिराए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। भू-क्षरण को रोकने और उत्पादकता पुनःस्सस्थापित करने के लिए वनरोपण और चरागाहों के विकास का काम लगभग 7 लाख एकड़ क्षेत्र में फैलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र, काटे गए वन और बंजर भूमि आ जाएगी।

23. तीसरी योजना में 1 करोड़ 50 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र के सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। इसमें से अधिकांश क्षेत्र नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्राहक क्षेत्रों में है। केन्द्रीय भूमि-संरक्षण मण्डल ने देहरादून, चंडीगढ़, कोटा, दमाड़, आगरा, बेलरी, उदकमण्डलम, दून और जोधपुर में जो प्रादेशिक अनुसंधान एवं प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए हैं, उन्हें भू-क्षरण की प्रादेशिक समस्याओं के अध्ययन के लिए दृढ़ किया जाएगा। लाल भूमि वाले क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए दो और केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक उड़ीसा और दूसरा आंध्र प्रदेश में होगा। केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्था शुष्क क्षेत्रों की मूल और व्यावहारिक समस्याओं के विषय में अनुसंधान करेगी। रेगिस्तान की चलायमान रेत को स्थिर रखने के लिए चरागाहों के विकास की एक योजना भी चल रही है। तीसरी योजना में भूमि-संरक्षण-कार्यों के लिए लगभग 350 अधिकारियों, 1,700

सहायकों और 9,000 उप-सहायकों की आवश्यकता का अनुमान है। इन जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं को समुचित रूप से बढाया जा रहा है।

24. नदी-घाटी-परियोजनाओं में, जहां काफी लागत वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और शुष्क क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रख यह जरूरी होगा कि प्रत्येक राज्य में एक भूमि-संरक्षण-संगठन स्थापित किया जाए। यह संगठन आवश्यकतानुसार एक विभाग हो सकता है या किसी वर्तमान विभाग की एक शाखा और उसे भूमि-संरक्षण-कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हे चलाने का भार सौंपा जा सकता है। विभिन्न सम्बद्ध विभागों के बीच समन्वय भी होना चाहिए।

25. मेंडबन्दी और सूखी खेती जैसे भूमि-संरक्षण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय लक्ष्य यह रहना चाहिए कि भूमि के स्वामियों अथवा उसका इस्तेमाल करने वालों को स्वेच्छा से भूमि-संरक्षण के उपाय अधिक से अधिक मात्रा मे अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर जनता का सहयोग प्राप्त किया जाए। पर्याप्त और सामयिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय नेताओं को अपने पक्ष में करने से भूमि और जल-संरक्षण का कार्यक्रम तेजी से चल सकेगा।

26. इस बात की सिफारिश की गई है कि उपयुक्त कानून बनाकर राज्य सरकारों को बडी अथवा छोटी नदियों के क्षेत्र या गावों के समूह के लिए भूमि-संरक्षण-योजनाए तैयार करने का अधिकार दे दिया जाए। इन योजनाओ से जिन लोगो को लाभ पहुचता है, यदि वे उसे पूरा करने के लिए स्वयं काम न करें, तो यह काम सरकार पूरा करे या उसकी ओर से पंचायत समिति करे और लागत उन लोगों से वसूल कर ले, जिन्हे लाभ पहुचे। कुछ राज्यो में इस प्रकार के कानून पहले से हैं और अन्य राज्य भी ऐसे ही कानून बनाने का विचार कर रहे हैं।

IV सामुदायिक विकास

इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 3,100 से अधिक विकास खण्डों में लागू किया जा चुका है जिनमें 3 लाख 70 हजार गाव शामिल हैं। इनमे से लगभग 880 खण्ड सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 5 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हैं और दूसरे सोपान में पहुंच गए हैं। अक्तूबर 1963 तक यह कार्यक्रम देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारित हो चुकेगा। पहली दो योजनाओं में सामुदायिक विकास के लिए कुल लगभग 240 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना में कुल 294 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 28 करोड़ रुपये पचायतों के लिए रखे गए हैं।

दूसरी योजना की अवधि मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे 3 महत्वपूर्ण बातें हुईं :—(1) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास संगठनों को सामुदायिक विकास की

एक योजना में मिला दिया जाना, (2) पंचायती राज का आरम्भ, (3) खण्ड को आयोजन एवं विकास की इकाई के रूप में स्वीकार करना।

2. जिला योजना के सामान्य ढांचे के अन्तर्गत खण्ड योजना में उन समस्त सामाजिक तथा आर्थिक क्रिया-कलापों को सम्मिलित करने का विचार है जिनके लिए (1) खण्ड और ग्राम स्तरों पर स्थानीय रूप से आयोजन शुरू करना आवश्यक है, और (2) खण्ड के भीतर क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। खण्ड योजना की परिधि में आने वाली मुख्य कार्रवाइयों के प्रकार ये हैं :

(1) सामुदायिक विकास खण्ड के योजनाबद्ध बजट में, जिस दौर में काम पहुंच गया हो, उसके अनुसार आने वाली मदें;

(2) विभिन्न विभागों के बजट में शामिल होने वाली ऐसी मदें जिन पर खण्ड संस्था के द्वारा अमल होना है;

(3) स्थानीय समुदाय या लाभान्वित होने वालों के द्वारा कानून से निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार शुरू किए गए काम;

(4) खण्ड में शुरू किए गए ऐसे काम, जिनमें अकुशल और अर्द्ध-कुशल मजदूर काम करते हैं; और

(5) खण्ड में खण्ड संस्था द्वारा इस उद्देश्य से शुरू की गई कार्रवाइयां, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं के निमित्त स्थानीय समुदायों का और अधिक योगदान प्राप्त किया जा सके।

3. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनःसंगठन करने के लिए इस समय जो बुनियादी प्रश्न है वह ग्राम-स्तर पर कृषि सम्बन्धी प्रयत्न का संगठन करना है। कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में तीसरी योजना में बड़े महान कार्य सामने रखे गए हैं जिनके लिए ग्राम-स्तर पर अत्यन्त भरपूर प्रयत्नों का संगठन करना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण समुदाय को तैयार करने में जिस हद तक प्रगति होगी उसी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों की हर समस्या को सुलझाना आसान होगा और अन्य दिशाओं में विशेषतः ग्रामीण उद्योग और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने में अधिक उन्नति की जा सकती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने का इतना अधिक महत्व है कि तीसरी योजना के तात्कालिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, सामुदायिक विकास आन्दोलन को जिस महत्वपूर्ण कसौटी पर पूरा उतरना है वह यह है कि यह आन्दोलन कृषि विस्तार अभिकरण के रूप में व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली सिद्ध हो। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अपने को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक विकास संगठन को समस्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए और यथासम्भव अधिकतम स्थानीय प्रयत्न के आधार पर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही कृषि विभागों तथा कृषि उत्पादन से सम्बद्ध अन्य विभागों के लिए यह जरूरी है कि वे सामुदायिक विकास संगठन को जिला और खण्ड स्तर पर आवश्यक विशेषज्ञ, निरीक्षण और पथप्रदर्शन तथा आपूर्तियां, प्रशिक्षित जनशक्ति तथा अन्य जरूरी साधन मुहैया करें।

4. ग्राम उत्पादन कार्यक्रम, गांव के समस्त किसानों को कृषि कार्य में जुटाने और स्थानीय समुदाय के साधनों को प्रभावशाली रूप से गतिशील करने का मुख्य साधन है। विस्तार के क्षेत्र में तीसरी योजना में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा वह यह है कि ग्राम की उत्पादन योजनाएं तैयार की जाएंगी। कृषि विकास के लिए अब तक कार्य की साधारण पद्धति के रूप में इस प्रकार की योजनाएं बनाने के विचार को क्रियान्वित नहीं किया गया था। ग्राम की उत्पादन योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित हैं उनके दो मुख्य वर्ग हैं—जैसे (अ) ऋण, उर्वरक और उन्नत बीजों की आपूर्ति, वनस्पति संरक्षण के लिए सहायता, छोटे सिंचाई कार्य आदि, जिनके लिए गांव के बाहर से कुछ सहायता देनी होगी, और (ब) बड़ी योजनाओं से सिंचाई करने के लिए खेतों में नालियों का रख-रखाव कंटूर बांध बांधना, गांव में तालाबों का खोदना और उनकी देखभाल, खाद के स्थानीय साधनों का विकास और उपयोग, गांवों के ईंधन के लिए पेड़ लगाने आदि का कार्यक्रम, जिनके लिए ग्रामीण समुदाय अथवा लाभान्वित होने वाले लोगों के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के कार्यक्रमों को पूरा करने में ग्राम समुदाय का उत्साह और सहयोग अधिकांश रूप से आपूर्तियों एवं ऋण आदि के कुशल संगठन तथा विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए प्राविधिक परामर्श की उत्तमता पर निर्भर होगा। ग्राम उत्पादन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए जिन विभिन्न तत्वों की आवश्यकता है उनके लिए तीसरी योजना में पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है।

पंचायती राज

5. पंचायती राज का महत्व इस बात में है कि यद्यपि पथप्रदर्शन और निरीक्षण का कार्य तो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा किन्तु ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व अब खण्ड पंचायत समिति का होगा जो ग्राम तथा जिला स्तर पर क्रमशः पंचायतों और जिला परिषदों के साथ मिल कर कार्य करेगी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र के लोग समस्त आबादी के हित में भरपूर और निरन्तर जारी रहने वाली उन्नति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को पंचायती राज के विकास का महत्व इस रूप में समझना चाहिए कि उससे जनता की सेवा के लिए नए-नए मार्ग मिलते हैं, न कि इस रूप में कि वह अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देता है। पंचायती राज में लोकतन्त्रीय संस्थाएं और विस्तार सेवाएं, ये दोनों ही सम्मिलित हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं। खण्ड तथा ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले विस्तार कर्मचारी यद्यपि पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हैं किन्तु वे उन अनेक प्रशासनिक और प्राविधिक कर्मचारियों के अंग हैं जो जिला और उससे भी परे तक फैले हुए हैं। पंचायती राज की स्थायी सफलता के लिए यह बड़ा जरूरी है कि सरकार ने जिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाओं की व्यवस्था की है वे पूरी ईमानदारी से काम करें और उन पर जो कार्य और जिम्मेदारियां डाली गई हैं उन्हें पूरी तरह से निभाएं। इसके साथ ही जिला और खण्ड स्तरों पर चुनी हुई संस्थाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के लाभ उपलब्ध होने चाहिए। बैंक, हाट-

व्यवस्था, प्रोसेसिंग, वितरण, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में राज्य और जिला स्तरो पर कार्य करने वाले संघीय सहकारी संगठनो का जिले में क्या कार्य है, इसको स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए और सहकारी आन्दोलन के रवैये तथा सिद्धान्तो के अनुकूल सहकारी समितियो को अपने दायित्व पूरा करने मे सहायता दी जानी चाहिए।

6. जिन मुख्य कसौटियों पर कस कर समय-समय पर पंचायती राज की सफलता आंकने की आवश्यकता है वे नीचे दी गई हैं :

(1) तीसरी योजना में सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि उत्पादन;

(2) ग्रामीण उद्योग का विकास,

(3) सहकारी संस्थाओ का विकास;

(4) स्थानीय जनशक्ति एव अन्य साधनो का पूरा उपयोग;

(5) शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता की सुविधाओ का विकास;

(6) पचायती राज की सस्थाओ के लिए उपलब्ध साधनों का, जहां तक लाभप्रद हो, वहा तक उपयोग, जैसे वित्त, कर्मचारी, प्राविधिक सहायता और उच्च स्तरो से अन्य सुविधाए तथा उनके द्वारा अपने साधन बढाने के प्रयत्न;

(7) ग्राम समुदाय के आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों को सहायता;

(8) स्वयंसेवी सगठनो के दायित्व पर विशेष जोर देते हुए, अधिकार और साहस का प्रगतिशील वितरण,

(9) व्यापक शिक्षा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियो और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक दूसरे को समझने की भावना और तालमेल पैदा करना, कार्यों तथा जिम्मेदारियो का स्पष्ट निर्धारण, और सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारियो की योग्यता में निरन्तर वृद्धि करना, और

(10) समुदाय में मेलजोल और स्वयं अपनी तथा परस्पर एक-दूसरे की सहायता की भावना।

7. अब तक प्राप्त सीमित अनुभव के आधार पर पचायती राज संस्थाओ के प्रभावशाली और सफल कार्य सम्पादन के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं :

(1) उच्च स्तरो पर सस्थाओ का विकास करते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और पचायत के कार्य पर सब से अधिक जोर दिया जाना चाहिए;

(2) जिला स्तर के प्राविधिक अफसरों को, खण्ड विकास अफसरों और पंचायत समितियो को अपनी सलाह और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए;

(3) खण्ड में विस्तार अफसरों को खण्ड विकास अफसर के नेतृत्व में मिल कर काम करते रहना चाहिए और उन योजनाओ के तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए जिन पर पंचायत समिति विचार करती है;

(4) अच्छी तरह सोच कर बनाई गई खण्ड योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने पर जोर दिया जाना चाहिए;

(5) राज्य स्तर पर प्राविधिक विभागों द्वारा पचायती राज की संस्थाओं का पथप्रदर्शन; और

(6) जिलाधीश (कलक्टर) को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिला स्तर पर जिला परिषद तथा विभिन्न क्षेत्रो के प्राविधिक अफसरो के बीच समन्वय हो तथा प्राविधिक अफसरों एव खण्ड स्तर पर पचायत समितियों तथा विस्तार अफसरो के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो और राज्य स्तर के विभागों से प्राविधिक परामर्श और पथप्रदर्शन निरन्तर प्राप्त होता रहे। उसे लोकतानिक सस्थाओं की और सार्वजनिक सेवाओं की सहायता करनी चाहिए ताकि वे रोजमर्रा के काम में और प्रशासनिक सम्बन्धो मे ठीक प्रकार की परम्पराओं का विकास कर सकें।

8. पंचायती राज की स्थापना से जिला प्रशासन को पुन संगठित करने का और बडा सवाल पैदा होता है। कई जिलो मे निम्न सगठन समानान्तर रूप से कार्य कर रहे है जिनके क्रियाकलाप में अधिकाशत. कोई समन्वय नही है :

(i) राजस्व प्रशासन जो कुछ विशिष्ट विकास कार्यो की देखभाल करता है जैसे कि तकावी, ऋण, वसूली आदि;

(ii) जिला, ताल्लुका और अन्य स्तरो पर स्थापित विकास विभाग;

(iii) सामुदायिक विकास संगठन जिनमें खण्ड अफसर और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं, और जो ग्राम स्तर पर पचायतो और सहकारी समितियों से सम्बन्धित हैं; और

(iv) स्थानीय बोर्ड (जहा ये अभी तक खत्म नही किए गए है)।

अब कुछ हद तक वैज्ञानिकन तथा कार्यो तथा सम्बन्धो की नई परिभाषा करना जरूरी हो गया है।

कमजोर वर्ग और रोजगार की समस्या

9. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास के अधिक व्यापक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के कल्याण की समस्या पर विचार किया जाना चाहिए क्योकि एक तरह से ग्राम समुदाय का अधिकाश भाग ऐसे लोगों का है जिन्हे आर्थिक दृष्टि से कमजोर कहा जा सकता है। कम आय, कम उत्पादन और निरन्तर बने रहने वाले रोजगार का अभाव—ये वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियां हैं। जब तक कि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था का काफी शीघ्रता से विकास न हो तब तक ग्राम समुदाय की अथवा उसके कमजोर वर्गों की समस्या का सुलझाना कठिन है। इसलिए मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि एक अधिक उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए और गावो मे बहुत बड़ी संख्या में कृषि-भिन्न धन्धो की व्यवस्था की जाए जिससे कि उत्पादन और रोजगार मे वृद्धि हो।

इसके साथ ही समस्त क्रियाकलाप में कम रियायत प्राप्त वर्गों की आवश्यकताओं की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

10. सामुदायिक विकास और ग्रामदान आन्दोलनों के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जिनमें ग्राम समुदाय द्वारा अपने समस्त लोगों के कल्याण, रोजगार और आजीविका की जिम्मेदारी को स्वीकार करना सम्मिलित है। गांव के कमजोर वर्गों की दृष्टि से यह बात सब से अधिक महत्व की है।

11. खण्ड संगठन, भूमि सुधार कानून को लागू करने में सहायता देकर उपयोगी सेवा कर सकता है। यह कानून सार्वजनिक मत तैयार करके और लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षा देकर पहले ही बताया जा चुका है। जनता के कमजोर वर्गों के तात्कालिक लाभ के लिए खण्ड संगठन जो अन्य कार्य कर सकता है, वे ये हैं : गांवों में सहायक रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण कारीगरों का उत्पादन बढ़ाना, श्रमिकों की सहकारी समितियों का संगठन करना और क्षेत्र के जनशक्ति सम्बन्धी साधनों के यथासम्भव पूर्ण उपयोग को बढ़ाना। जिस ग्राम निर्माण कार्यक्रम से तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक विशेषतः कृषि के मन्दे मौसम में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे वह एक बड़ी हद तक सामुदायिक विकास संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पहले उन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां बहुत अधिक आबादी है और काफी अर्द्ध-रोजगार की स्थिति है और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

V सहकारिता

सहकारिता और योजनाबद्ध विकास

समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सहकारिता आर्थिक जीवन की अनेक शाखाओं के, विशेषतः कृषि और छोटे सिंचाई कार्य, छोटे उद्योग, प्रोसेसिंग, क्रय-विक्रय, वितरण, आपूर्तियां, गांव में बिजली लगाना, मकान और निर्माण तथा स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सम्बन्धी संगठन का मुख्य आधार हो जानी चाहिए। मध्यम और बड़े उद्योगों और यातायात में भी अधिकांश क्रियाकलाप सहकारी आधार पर किए जा सकते हैं। इस प्रकार शीघ्रता से विकसित होने वाला एक सहकारी क्षेत्र, जिसमें किसान, मजदूर और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, रोजगार के अवसरों में विस्तार और शीघ्रता से आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक कारण बन गया है।

2. भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण तत्व हैं। सहकारिता अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढंग के परिवर्तन लाने के लिए मुख्य साधनों में से एक है। जैसा कि दूसरी

योजना में कहा गया था, किसी ऐसे देश में, जिसके आर्थिक ढाचे की जड़ें गावों में हों, सहकारिता केवल सहकारी आधार पर संगठित कुछ क्रियाकलाप-मात्र नही है, वल्कि यह उससे कही अधिक बड़ी चीज है। बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना है, जिससे एक सरकारी सामुदायिक संगठन की स्थापना हो और जिसमें जीवन के सब पहलुओं का समावेश हो। खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे सहकारिता उत्पादन का स्तर बढाने, प्रौद्योगिकी मे सुधार करने और रोजगार बढाने का मुख्य साधन है, जिससे समुदाय के प्रत्येक सदस्य की बुनियादी आवश्यकताए पूरी हो सकें।

3. ग्राम स्तर पर सहकारिता का अर्थ यह है कि समूचे ग्राम के सर्वसामान्य हित की दृष्टि से भूमि तथा अन्य साधनों और विभिन्न सेवाओ का विकास किया जाए और अपने समस्त सदस्यों के प्रति ग्राम समुदाय मे निरन्तर बनी रहने वाली दायित्व की भावना पैदा हो। यह सोचा गया है कि एक और अधिक बडी सहकारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अंग के रूप मे नीति का व्यापक ध्येय यह होना चाहिए कि कृषि तथा ग्रामीण जनता के कल्याण से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कई अन्य आर्थिक और सामाजिक सगठनो की प्रारम्भिक इकाई के रूप मे ग्राम का विकास किया जाए। इसके साथ ही कारीगर तथा अन्य व्यक्ति अपने सामान्य हितों की दृष्टि से सरकारी सघ बनाएगें, जो उनकी विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति करेंगे। भूमि सुधार और ग्राम तथा छोटे उद्योगो के लिए कार्यक्रम पंचायतो का विकास, सामुदायिक विकास मे समुदाय के दायित्वों तथा कार्यों पर बुनियादी तौर पर दिया गया जोर, ये सभी बाते इन्ही दिशाओ मे सकेत करती हैं। धीरे-धीरे कृषि सम्बन्धी आधार के दृढ़ हो जाने पर तथा ग्रामीण क्षेत्रो के व्यावसायिक ढाचे को और अधिक क्षेत्रों में क्रियाकलाप के लिए निरंतर और अधिक संस्था में सरकारी समितियो के संगठन की आवश्यकता होगी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तेज हो जाने पर और ग्राम समुदाय द्वारा कुशलता और उत्पादन के उच्च स्तर प्राप्त कर लेने पर सहकारिता को और अधिक बडी और पेचीदा मागो की पूर्ति करनी होगी। नई आवश्यकताओ एवं सम्भावनाओ के अनुकूल सहकारी सगठनो के विभिन्न स्वरूप विकसित होते रहेंगे।

4. तीसरी योजना मे सहकारिता के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना मे 34 करोड रुपये के प्रत्याशित व्यय की व्यवस्था गई थी।

सहकारी उधार ऋण

5. सहकारी उधार ऋण विषयक समिति के प्रस्तावों पर विचार करके राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह सामान्य नियम बनाया है कि ग्राम समुदाय को प्रारम्भिक इकाई मानकर उसके आधार पर सहकारी समितियों का सगठन किया जाना चाहिए। किन्तु यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जहा गाव बहुत छोटे हों, वहा सुचारु रूप से कार्य सचालन के लिए सहकारी समिति सगठित करने के निमित्त गावो की सख्या मे वृद्धि की जा सकती है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि कार्य ठीक रूप से किया जा सके और गाव की आवश्यक न्यूनतम सख्या सम्मिलित की जानी चाहिए, जिससे सहकारी समितियां ठीक प्रकार से कार्य कर सकें और उनमें सहकारिता के आवश्यक तत्व, जैसे स्वयंसेवी आधार, निकट सम्पर्क, सामाजिक

घनिष्ठता और पारस्परिक दायित्व का वातावरण कायम हो सके। किन्तु गांवों की सख्या में यह वृद्धि एक निश्चित अधिकतम हद ही होनी चाहिए, अर्थात 3,000 से अधिक लोगो (600 परिवार या लगभग 500 कृपक परिवार) की वृद्धि नहीं होनी चाहिए और वे हेडक्वार्टर गाव से 3 या 4 मील से अधिक की दूरी पर नहीं होने चाहिए। यद्यपि एक प्रारम्भिक गांव सोसाइटी के लिए 3,000 लोगों की संख्या साधारणतया बहुत अधिक है, फिर भी सहकारी समितियों के संगठन और आकार के बारे में अयुक्तिसंगत ढंग के कड़े नियम बनाना वाछनीय नही है। इस व्यापक ढाचे के अन्तर्गत सहकारी समितियों को स्वयं ही विकसित होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सगठन की इस योजना में उपयुक्त परिस्थितियो मे राज्य द्वारा हिस्सा-पूजी में शरीक होने के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रारम्भिक समितियो और केन्द्रीय बैंको के बीच में एकमुश्त रकमें देने के भी प्रस्ताव हैं, जिससे सहकारी समितिया सब प्रकार के किसानो को सदस्य बना सकें और उत्पादन की आवश्यकताओ तथा उनकी अदायगी की क्षमता के आधार पर उन्हे उधार ऋण की पर्याप्त सुविधाए दे सकें। प्रारम्भिक समितियो को 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिक से अधिक 900 रु० के प्रबन्ध अनुदान भी दिए जाते हैं।

6. पहली दो योजनाओ की अवधि मे प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियो की सख्या 1 05 लाख से बढ कर लगभग 2.10 लाख हो गई है और उनकी सदस्यता 44 लाख से बढ कर लगभग 1 करोड 70 लाख हो गई है और इनके द्वारा दिए गए ऋण लगभग 23 करोड रु० से बढकर लगभग 200 करोड रु० हो गए हैं। तीसरी योजना में प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियो की सख्या बढकर लगभग 2 लाख 30 हजार, सदस्यता 3 करोड 70 लाख (कृपकों का 60 प्रतिशत) हो जाएगी और छोटे तथा मध्यम ऋण देने का वार्षिक स्तर 530 करोड तथा दीर्घकालीन ऋण (रकम बकाया) 150 करोड रुपया हो जाएगा। जहा-जहां सहकारी आन्दोलन कमजोर है, वहा इसे मजबूत बनाने और इसका सगठन करने पर तीसरी योजना में काफी जोर दिया गया है और लगभग 52 हजार प्रारम्भिक समितियो को मजबूत बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में लगभग 42 हजार समितियो को पुन. सगठित किया गया था। इन लक्ष्यो को निर्धारित करने में मुख्य बात यह रही है कि तीसरी योजना मे और अधिक कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को पूरा बल मिले।

सहकारी क्रय-विक्रय

7. दूसरी योजना की अवधि में 1869 प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियो की सहायता की गई। तीसरी योजना मे 600 और प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियो की स्थापना हो जाने के बाद देश की 2,500 मण्डियों में से प्रत्येक मे अथवा प्रत्येक के पास एक क्रय-विक्रय समिति हो जाएगी। कृषि पैदावार के विक्रय के अतिरिक्त क्रय-विक्रय समितिया कृषि के लिए आवश्यक सामान के वितरक के रूप में भी कार्य करती हैं। इसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि सहकारी समितियां बिक्री के योग्य फालतू खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों का भी कार्य अधिक से अधिक परिमाण में करें। क्रय-विक्रय समितियों की कुछ मुख्य समस्याएं ये की

है—पर्याप्त वित्त प्राप्त करना, प्रबन्ध में सुधार करना और अपने सदस्यों से निरन्तर समर्थन प्राप्त करना। मूल्य को स्थिर करने वाली नीतियो के परिणामस्वरूप क्रय-विक्रय की सहकारी समितियो के विकास और उधार ऋण में विस्तार के लिए बडी सहायता मिलेगी।

8. क्रय-विक्रय के कार्यक्रम के साथ गोदामों के कार्यक्रम का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरी योजना के अन्त तक मण्डी केन्द्रों मे लगभग 1,670 और ग्रामीण क्षेत्रों मे 4,100 गोदाम स्थापित किए जा चुके थे। तीसरी योजना मे 990 अतिरिक्त गोदाम मण्डियों में और 9,200 गोदाम ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित किए जाएंगे।

सहकारी प्रोसेसिंग

9. ग्रामीण आय बढाने और उत्पादन के लिए सहकारी उत्पादन का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में सहकारी पहलुओं की दृष्टि से ग्रामीण आर्थिक ढाचे को सुदृढ़ बनाने के लिए भी यह आवश्यक है। 1960-61 में 30 सहकारी चीनी कारखाने उत्पादन कार्य कर रहे थे, और तीसरी योजना मे चीनी कारखानो की प्रगति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के अनुसार ऐसे और 25 कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं।

दूसरी योजना में चीनी कारखानो के अतिरिक्त 378 सहकारी प्रोसेसिंग एककों की सहायता की गई। तीसरी योजना के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में 783 सहकारी प्रोसेसिंग एककों की स्थापना सम्मिलित है, जिसमे 48 कपास की सफाई करने और गाठें बाधने के संयंत्र और 36 चावल मिलें और 29 पटसन के कारखाने, 33 तेल मिलें, 63 मूगफली कारखाने, 77 फल-डिब्बाबन्दी एकक, 411 धान कूटने की मिलें और 86 अन्य एकक होंगे।

10. योजना में चीनी को छोड कर अन्य प्रोसेसिंग एककों के संगठन के बारे मे दो-तरफा दृष्टिकोण रखा गया है। पहला यह कि उद्योग की प्रत्येक शाखा मे एकको की संख्या के बारे मे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र का कितना विकास किया जाए, इसका निर्णय व्यापक बातो के आधार पर किया जाना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए संयत्रों के नमूने, पूजी निवेश के अनुमान और कार्यान्वयन लागत तथा अन्य प्राविधिक सामग्री आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। सहकारी चीनी कारखानों की भाति अन्य प्रकार के उत्पादन एकको की वित्तीय सहायता के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में विभिन्न क्षेत्रो के व्यक्तियो और सहकारी समितियो से निश्चित प्रस्ताव मगाए जा सकते हैं। यदि आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हो, तो न केवल नए एकको की दृष्टि से सहकारी प्रोसेसिंग के विकास का बडा भारी क्षेत्र है, बल्कि जो एकक निजी व्यक्तियों के स्वामित्व मे हैं, उनका सहकारी आधार पर पुनर्गठन करने के लिए भी बडा भारी क्षेत्र है। व्यापक बातो पर विचार करते हुए यह पिछला पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि, सार्वजनिक नीति का उद्देश्य यह है कि निजी आधार की बजाय सहकारी आधार पर प्रोसेसिंग उद्योगो के संगठन मे परिवर्तन किया जाए और यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योकि बहुत से उद्योगो में इस समय या तो अतिरिक्त क्षमता है या उनकी वर्तमान क्षमता को बढाने का केवल सीमित क्षेत्र है।

सहकारी खेती

11. पहली और दूसरी, दोनो ही योजनाओं मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनःसंगठित करने में सहकारी खेती का जो योगदान हो सकता है, उस पर बल दिया गया था। दूसरी योजना मे यह लक्ष्य रखा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिनसे सहकारी खेती के विकास के लिए सुदृढ आधार प्राप्त होंगे, जिससे कि 10-15 वर्षों की अवधि में अधिकांश कृषि भूमि में सहकारी आधार पर खेती होने लगेगी। आबादी की वृद्धि तथा कृषि उत्पादन मे और ग्रामीण रोजगार में शीघ्रता से वृद्धि करने की आवश्यकता के कारण यह आवश्यक है कि समूचे देश में सहकारी आधार पर खेती का विकास करने के लिए और अधिक प्रयत्न किए जाए और विशेषत. दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। मुख्यत. सहकारी खेती का विकास सामान्य कृषि प्रयत्न की सफलता के परिणामस्वरूप होगा अर्थात सामुदायिक विकास आन्दोलन, उधार ऋण, क्रय-विक्रय, वितरण और प्रोसेसिंग में सहकारिता की प्रगति, ग्रामीण उद्योग की उन्नति तथा भूमि सुधार के उद्देश्यो की पूर्ति के द्वारा होगा। ग्रामीण प्रगति में सहकारी खेती का योगदान तभी महत्वपूर्ण होगा, जब वह ईमानदार स्थानीय नेताओं के अधीन एक स्वयसेवी जन आन्दोलन के रूप में विकसित हो और ग्राम के स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता की एक युक्तियुक्त परिणति हो। यदि सामुदायिक विकास का दृष्टिकोण मौजूद हो, और ग्राम समुदाय अपने सब सदस्यो की खुशहाली की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, तो सहकारी खेती की मुख्य समस्याएं केवल प्रबन्ध सम्बन्धी, प्राविधिक और शैक्षणिक रह जाएगी।

12. सहकारी खेती के सम्बन्ध मे कार्यकारी दल की सिफारिशो के आधार पर सितम्बर 1960 मे राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी कृषि समितियो के सगठन सम्बन्धी व्यापक सिद्धान्तो को तथा उन्हे दी जाने वाली सहायता को स्वीकार कर लिया था। सहकारी खेती के विकास के लिए सगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसके अन्तर्गत इस सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है कि सहकारी खेती एक स्वयसेवी आन्दोलन है, और इसलिए किसी सहकारी खेती समिति मे सम्मिलित होने के लिए किसी भी किसान को मजबूर करने का कोई सवाल नही होना चाहिए। इस स्वरूप में इन सवालो के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसका सकेत किया गया है—सहकारी खेती का आकार, प्रारम्भिक योजनाओ मे राज्य के शामिल होने का आधार तथा सहकारी खेती योजना के अन्य सगठन सम्बन्धी और आर्थिक पहलू। प्रारम्भिक योजनाओ के रूप में 3,200 सहकारी खेती समितिया स्थापित करने का विचार है। लगभग प्रत्येक जिले मे ऐसी 10 समितिया होगी। सहकारी खेती के विकास कार्यक्रम की यह पहली अवस्था होगी। ज्यो-ज्यो योजना में प्रगति होगी, प्रारम्भिक क्षेत्रो तथा अन्य स्थानो पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव की दृष्टि से सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएगे, ऐसी आशा है। सहकारी खेती के विकास में और अधिक उन्नति हो जाने पर ऐसे अतिरिक्त साधनो को उपलब्ध करने मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए, जो इस प्रयत्न को सफल बनाने के लिए आवश्यक है।

13. सहकारी खेती के विकास मे सामान्य पथ-प्रदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

14. 1959-60 मे 7,168 प्राथमिक दुकाने थी, जिनमें सदस्यता लगभग 14 लाख थी और जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी 2.4 करोड़ रु० थी। इन दुकानो मे से एक तिहाई से कम मुनाफे पर चल रही थी । तीसरी योजना के कार्यक्रमो में अस्थायी तौर पर 50 थोक और 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता दुकानो की सहायता करने के लिए व्यवस्था की गई है । किन्तु इन लक्ष्यों पर उपभोक्ता सहकारी समितियों विषयक समिति की हाल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और अधिक विचार करने की आवश्यकता होगी । ये उपभोक्ता दुकाने न केवल फुटकर मूल्यो को स्थिर करने में बल्कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने मे भी अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी ।

औद्योगिक सहकारी समितियां

'15. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास तथा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के निर्माण, इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए औद्योगिक कार्यों मे औद्योगिक सहकारी समितियो का एक बहुत बड़ा योगदान है । करघा उद्योग, नारियल जटा उद्योग तथा कुछ ग्राम उद्योगों मे औद्योगिक सहकारी समितियो को पर्याप्त सफलता मिली है । पिछले दो या तीन सालों मे कई रियायतें और सुविधाएं दी गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप सगठन के एक सामान्य रूप में औद्योगिक सहकारी समितियो के विकास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इन सुविधाओ को औद्योगिक सहकारी समितिया बनाने में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त करना चाहिए । तीसरी योजना मे इस दिशा में और भी अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

श्रमिक और निर्माण सहकारी समिति

16. तीसरी योजना मे स्वयसेवी सगठनों के साथ-साथ निर्माण कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक सहकारी समितिया एक बड़ा पार्ट अदा करें ।

श्रमिक और निर्माण सहकारी समितिया तथा स्वयसेवी सगठनो को ये चीजें बनाने का कार्य सौपा जा सकता है —सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण योजनाओ से सम्बद्ध सब प्रकार की मिट्टी से बनाई जाने वाली चीजें और सामान्य राजगीरी की चीजे, मामूली सरकारी इमारतें जैसे होस्टल, स्कूल के भवन तथा पत्थर और रेत आदि इमारती सामान की बडी मात्रा में आपूर्ति । सच्ची श्रमिक सहकारी समितिया और ऐच्छिक सगठन इस प्रकार के कार्य कर सकें, इसके लिए कुछ आवश्यक प्रशासकीय शर्तों का पालन करना होगा । योजना में इसका सकेत किया गया है और उद्देश्य यह रखा गया है कि विकास कार्य करने और मुख्यतः सरकारी विभागों, पचायत समितियो और पंचायतो द्वारा किए जाने वाले निर्माण द्वारा रोजगार दिलाने के महत्वपूर्ण साधनो के रूप में श्रमिक सहकारी समितियो और ऐच्छिक संगठनो का निर्माण किया जाना चाहिए । एक बार ऐसे संगठनो की स्थापना हो

जाने के बाद उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और समुदाय तक उनके लाभों को पहुचाने की नई सभावनाए पैदा हो जाएगी।

आवास सहकारी समितियां

17. ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत चुने हुए गांवो में ईंटें, दरवाजे, खिडकियां तथा अन्य आवश्यक चीजें बनाने के लिए आवास समितिया सगठित करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार कम आय वाले लोगो के लिए आवास योजना तथा शहरों में चालू की जाने वाली अन्य योजनाओ के अन्तर्गत सहकारी समितियों को अनुकूल शर्तों पर या तो जमीन दी जाती अथवा निजी जमीन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इन विभिन्न व्यवस्थाओ का सोद्देश्य रूप से तथा एक निरन्तर गतिशील नीति के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि शहरो और गावो, दोनो में आवास तथा जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों में पर्याप्त सुधार किया जा सके।

अन्य ऋण भिन्न सहकारी समितियां

18 ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियो की चर्चा की गई है, उनके अतिरिक्त गन्ना आपूर्ति समितिया, दुग्ध आपूर्ति समितियां, मछली पालन समितिया आदि का भी उल्लेख कर देना चाहिए, जिनकी सदस्य सख्या 1959-60 मे क्रमश: 23 लाख 40 हजार और 2,33,000 और 2,20 000 थी। दूसरी योजना के अन्त तक 16 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए थे और तीसरी योजना मे 33 और स्थापित किए जाएगे। तीसरी योजना मे मछली पालन तथा दुग्ध उद्योग के बड़े कार्यक्रम सम्मिलित है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमे सहकारी क्रिया-कलाप के विकास के लिए पर्याप्त गुजाइश है। पढे लिखे बेरोजगार व्यक्तियो को नए अवसर प्रदान करने के साधनो के रूप मे यातायात सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो इस बात पर विचार कर रही है कि आदिम जाति क्षेत्रो की विशेष आवश्यक्ताओ तथा परिस्थितियो के अनुकूल सहकारिता को बढावा देने के लिए क्या-क्या प्रणालियां और कानून बनाने चाहिए। इन क्षेत्रो में, विशेषत वन क्षेत्रो में, कार्य करने तथा परम्परागत धन्धो का विकास करने के लिए सहकारी समितिया बनाने की काफी गुजाइश है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से नए-नए क्रिया-कलापो को करने के निमित्त सहकारिता के सिद्धान्त का विस्तार किया जा सकता है।

सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन

19. तीसरी योजना के लिए राज्यो ने जो कार्यक्रम बनाए है, उनमें अन्य बातें भी सम्मिलित हैं : कनिष्ठ सहकारी कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए 13 और स्कूलों की स्थापना तथा परिगामी दलो के द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यो की शिक्षा की योजना को जारी रखना। सहकारी प्रशिक्षण विषयक अध्ययन दल ने अभी हाल में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमे मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्रो की सख्या को 15 से बढाकर

120 करने का प्रस्ताव है। इस दल की इन तथा अन्य सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

दूसरी योजना में राज्य सहकारी विभागो को सुदृढ बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस कार्य के लिए तीसरी योजना में भी व्यवस्था की गई।

20. ग्रामीण क्षेत्रों मे भरपूर विकास का आयोजन करने तथा उसे क्रियान्वित करने में पंचायती राज की सस्थाओ और सहकारी सगठनो का एक पूरक दायित्व है और उन्हे प्रत्येक पग पर घनिष्ठ रूप से सहयोग करना चाहिए। जिला परिषदों, पंचायत समितियो और ग्राम पचायतो को सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए और सामूहिक प्रयत्न तथा सामाजिक जिम्मेदारी का वातावरण तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें प्रत्येक स्तर पर सहकारी समितियो के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। सहकारी सगठनो के सम्बन्ध में नियामक अधिकार तो सरकार के पास ही रहने चाहिए, किन्तु उनमें से कुछ अधिकार निरन्तर संघीय सहकारी संगठनों को सौंपे जा सकते हैं। इनसे अपने आपको स्वय निर्मित करने में इस आन्दोलन को सहायता मिलेगी और स्थानीय नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलेगा।

सहकारिता जनता का ही एक आन्दोलन है, इसलिए सहकारिता के विकास के लिए साहस और आन्दोलन के कार्य को नियमित करने की जिम्मेदारी निरन्तर सहकारी संस्थाओं और उनके उच्चतर संघीय सगठनो पर ही डाली जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सहकारी क्रिया-कलाप के सभी क्षेत्रो मे कुशल संघीय सगठनों के निर्माण करने का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सगठनों की स्थिति बढ़ने पर उन्हे और अधिक अधिकार सौंपे जा सकते हैं तथा विभागीय मशीनरी का कार्यक्षेत्र घट कर केवल कुछ न्यूनतम अनुविहित कर्तव्यो का निष्पादन मात्र रह जा सकता है। ये अनुविहित कर्तव्य ये हैं––पंजीकरण, लेखा परीक्षण, झगड़ो का निबटारा करना और निरीक्षण। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार सम्बन्धी विकास कार्य सहकारी सघों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। राज्य तथा जिला स्तरो पर सहकारी सघो को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और उन्हे इन दायित्वो का पालन करने में सहायता दी जानी चाहिए तथा निचले स्तर से एक मजबूत संघीय ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।

VI भूमि सुधार

तीसरी योजना के उद्देश्य

भूमि सुधार कार्यक्रमों के, जिन्हे पहली और दूसरी योजनाओं मे विशेष महत्व दिया गया था, दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। एक तो यह कि पुराने जमाने से विरासत में मिले खेती-बाड़ी के ढांचे के कारण खेती की पैदावार बढाने मे आने वाली रुकावटों को हटा दिया जाए। इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, जिनमें कृषि की

अर्थव्यवस्था का विकास शीघ्रतापूर्वक हो, किसान अधिक कुशलता से खेती करने लगें और खेती की उत्पादकता बढ जाए। दूसरा उद्देश्य यह है कि कृषि व्यवस्था में से सामाजिक शोषण और अन्याय को निकाल दिया जाए और जमीन जोतने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इस प्रकार गाव के सब लोगो को यह विश्वास दिला दिया जाए कि सबका दर्जा बराबर का है और सब को आगे बढ़ने का एक सा मौका मिल सकता है।

2. ये उद्देश्य पूरे करने के लिए प्रधानतया ये उपाय किए गए थे—(1) बिचौलियो या लगान उगाहने वालो की समाप्ति, (2) जमीन के कानूनो मे संशोधन, जिसमें लगान को नियमित करना व कम करना, काश्त की सुरक्षा तथा अन्त मे किसानो को भूमि की मालिकी देना शामिल है, और (3) जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करना। यह अनुभव किया गया कि आजकल खेती की जमीन का जैसा वितरण है तथा छोटी-छोटी आराजियो की बहुतायत है, उसके रहते हुए, एक नियत परिमाण से अधिक जमीन भूमि-हीनो में बाट देने का निश्चय कर लेने पर भी बाटने के लिए फालतू जमीन बहुत अधिक नही मिलेगी। फिर भी, सोचा गया कि सहकारिता पर आधारित प्रगतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए उक्त विषमता का निवारण एक आवश्यक शर्त है। यहां यह भी जोर देकर बतला देना आवश्यक है कि जिन सिद्धान्तो के आधार पर भूमि सुधार की योजना बनाई गई है, उनका प्रयोजन भूमि पर आश्रित लोगो के विभिन्न वर्गों का पुनर्गठन कर देना ही नही है, अपितु वे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा के भाग हैं और उन्हे थोड़ा-बहुत देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर लागू करना होगा।

3. एक के बाद दूसरे राज्य मे भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बन जाने के बाद से भूमि सुधारों की आवश्यकता तथा उससे जिन उद्देश्यो की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है, उन्हे अधिक अच्छी तरह समझा जाने लगा है। अनेक कारणो से भूमि सुधारो का प्रभाव उतना नहीं पड़ा है, जितना पड़ने की आशा की गई थी। यह बात बहुत ही कम समझी गई है कि भूमि सुधार एक सचेष्ट विकास कार्यक्रम भी है। यह भलीभांति अनुभव नही किया जाता कि भू-स्वामित्व में सुधार करना तथा जोत की अधिकतम सीमा शीघ्र लागू करना सहकारिता पर आधारित ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की आवश्यक नीवें हैं। यही नही, भूमि सुधारो के प्रशासकीय अग की ओर पर्याप्त ध्यान ही नही दिया गया। मिल-मिलाकर कानून की उपेक्षा करने या अमल न करने की चेष्टाए बेरोक टोक चल रही हैं और कानून को कारगर तौर पर लागू करने के लिए ग्राम समाज का समर्थन तथा अनुमति भी हासिल नही की जा सकी है। कानून या उसके अधीन बने नियमो मे पाई जाने वाली खामिया दूर करने के साथ-साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि भूमि सुधार का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे इन पर अमल करने मे विलम्ब से पैदा होने वाली अनिश्चितता की भावना समाप्त की जा सके। भूमि सम्बन्धी कानूनो तथा अन्य सुधारो पर कारगर रूप से अमल करने के लिए जरूरी है कि सरकारी अभिकरण विशेष रूप से जोरदार तथा अनवरत प्रयास करें, क्योंकि सामान्यतः वर्तमान स्थितियो और अवस्थाओं को जारी रखने की ओर झुकाव रहता है। काश्तकारो को उनके अधिकारो से परिचित कराने के लिए ही

नही, वरन् प्रत्यक भाग के लोगों को भूमि सुधारों का उद्देश्य अधिक अच्छी तरह समझाने और अविलम्ब ये सुधार कार्य पूरे करने की आवश्यक्ता बताने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

बिचौलियों की समाप्ति

4. जमीदार, जागीर और इनाम आदि बिचौलियो के पास देश की करीब 40 प्रतिशत जमीन थी। कुछ गौण बिचौलियों को छोडकर शेष सबकी समाप्ति का काम पूरा किया जा चुका है। बिचौलियो की समाप्ति होने से 2 करोड से अधिक किसानो का सीधा सम्बन्ध राज्य से जुड़ गया है और काश्त योग्य परती पडी पर्याप्त जमीन तथा निजी जंगलात सरकार के प्रबन्ध में आ गए हैं। लेकिन हरजाने की कुल 670 करोड रु० की रकम में से केवल 164 करोड रु० मुख्य रूप से बाण्डो में अदा किया जा सका है। यह नितान्त आवश्यक है कि तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे सब सम्बन्धित राज्य मुआवजे के रूप में बाण्ड इन बिचौलियों को दे दें।

लगान व्यवस्था में सुधार

5. **लगान** : पिछले कुछ सालो में सभी राज्यों में लगान नियन्त्रित करने के कानून बन चुके हैं। कई राज्यों मे, पहली तथा दूसरी योजना मे दिए गए सुझावो के अनुसार अधिकतम लगान, कुल पैदावार का एक चौथाई या पाचवा भाग या उससे कुछ कम नियत किया गया है। कई राज्यो मे लगान को घटाकर योजना में सिफारिश किए हुए स्तर तक लाना बाकी है। आशा की जाती है कि इन राज्यों मे लगान घटाकर इस स्तर तक कर दिए जाएंगे, जिससे किसानो की आर्थिक दशा मे तेजी से सुधार होना आसान हो जाए। जैसा कि दूसरी योजना मे सुझाव दिया गया था, फसल के रूप में लिए जाने वाले लगान के बदले नकद रुपयो में लगान लेना वाछनीय है। प्रत्येक जिले की स्थिति का उचित खयाल रखते हुए, लगान को, यदि लगान चालू भू-राजस्व आकलन का गुणक घोषित कर दिया जाए तो, नकद लगान शुरू करने में आसानी हो जाएगी।

6. **काश्त की सुरक्षा** : काश्त को सुरक्षित कर देने के कानून 11 राज्यों तथा सभी संघीय प्रदेशों में बन चुके है। चार राज्यो में विधान मंडलो के समक्ष तत्सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन पडे हैं और शीघ्र ही उनके कानून बन जाने की आशा है। जब तक कानून न बन जाए तब तक के लिए काश्तकारो की बेदखली रोक दी गई है। काश्त की सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनो के तीन अनिवार्य उद्देश्य हैं :—प्रथम, कानूनी तरीको के अलावा और किसी भी तरह से काश्तकार बेदखल नही किया जा सकता; दूसरे, जमीन का मालिक केवल स्वय खेती करने के लिए ही जमीन पर फिर से काबिज हो सकता है; और तीसरे, मालिक द्वारा जमीन फिर ले लिए जाने पर भी काश्तकार को जमीन का न्यूनतम टुकड़ा मिलना निश्चित बना दिया गया है।

7. पिछले कुछ वर्षो में अनेक राज्यों मे 'खुशी से जमीन छोड़ देने' के नाम पर खासे बड़े पैमाने पर काश्तकारो की बेदखली हुई है। काश्त पर से खुशी से जमीन छोड़ देने

के अधिकांश मामलों में कार्रवाई के वास्तविक और सही होने में संदेह है। खुद काश्त करने की ठीक-ठीक परिभाषा उपलब्ध न होने के कारण भी काश्तकारों के हकों को सुरक्षित करने के कानूनों पर अमल करने में कठिनाइयां आई हैं। कुल मिलाकर कानून तथा *प्रशासकीय कार्रवाई, दोनों ही योजना के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए* नाकाफी रहे हैं। यह जरूरी है कि अपनी खुशी से जमीन छोड़ देने और उन पर जमींदार के फिर काबिज होने की रजिस्ट्री करने से सम्बन्धित सभी कानूनी एवं प्रशासकीय खामियां दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। राज्य सरकारों को 'खुद काश्त करने' की वर्तमान परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिए और उसमें आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

8. दूसरी पंचवर्षीय योजना में 'खुद काश्त करने' के नाम पर आराजियों पर फिर से अधिकार करने को नियमित करने के लिए विस्तृत सुझाव दिए गए थे। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं के प्रचलन से हुए अनुभव से मोटे तौर पर कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैं। आराजी पर फिर से मालिक द्वारा कब्जा करने के अधिकार से अनिश्चितता पैदा होती है और कानून द्वारा प्रदत्त काश्त की सुरक्षा कम होती है। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में यह सोचा गया था कि आराजी पर मालिक द्वारा फिर से कब्जा किए जाने की प्रक्रिया को 5 वर्ष से आगे ले जाने की आवश्यकता न होगी। यह समझा गया है कि जिन लोगों के पास कानूनी अनुमति के अनुरूप ही *परिवार की खेती के लिए जमीन है या इससे कम जमीन है,* उनको छोड़कर, बाकी किसी को आराजी पर पुनः काबिज होने का अधिकार न रहे, क्योंकि 5 वर्ष का समय समाप्त हो गया है। यही नहीं, किसान की स्थिति की अनिश्चित अवस्था भी खेती के विकास के हक में अच्छी न होगी। जमीन के छोटे मालिक, यानी जिनके पास परिवार के लिए ही खेती की या इससे कम जमीन है, उनका विशेष रूप से खयाल रखने की जरूरत है। उनको काश्तकार की आधी जमीन, जो किसी भी हालत में बुनियादी आराजी से कम न हो, फिर से अपने कब्जे में लेने दिया जाए। ऐसी अवस्था में जब काश्तकार के पास जमीन रहे ही नहीं, या बुनियादी आराजी से कम जमीन रह जाए, तो सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे खेती करने के लिए जमीन मिल सके।

9. *'खुद काश्त करने' के लिए जमीन पर फिर से कब्जा ले लेने की इस व्यवस्था* का बड़े-बड़े तथा मझले आकार वाले जमीन मालिक दुरुपयोग कर सकते हैं और अपने *सम्बन्धियों तथा अन्य लोगों को जमीन देकर स्वयं छोटे जमीन मालिकों की परिभाषा के* अन्तर्गत आ सकते हैं। इसके लिए सामान्यतः इस तरह के हस्तांतरण पर नियमन की व्यवस्था करना वांछनीय है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में किया गया है।

10. **काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके अनुसार जिन जमीनों पर जमींदार फिर से कब्जा नहीं कर सकता, उनके काश्तकारों को उनका मालिक बना दिया जाए और इस प्रकार जमींदार-काश्तकार-सम्बन्ध के अवशेषों को समाप्त कर दिया जाए। काश्तकारों को अपनी जोत की जमीन खरीदने का ऐच्छिक हक देने के स्थान पर

जमीदार द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकने योग्य जमीनों के काश्तकारों का संबंध सीधे सरकार के साथ स्थापित कर दिया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने के कानून बनाने मे कुछ प्रगति हुई है। यह सिफारिश है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना मे जमीदारों द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकने योग्य जमीनों पर काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

11.• प्रश्न उठता है कि क्या छोटे जमीदारों के काश्तकारों को भी भूस्वामित्व के अधिकार दिए जाएं। सिद्धान्त रूप में यह वांछनीय हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ी सख्या में छोटे जमीदारों पर पड़ेगा। इसे देखते हुए इस सम्बंध में एक सी नीति अपनाना सभव नहीं भी हो सकता है। राज्यो को इस समस्या को अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार अध्ययन करना चाहिए और तय करना चाहिए कि इसके लिए क्या कार्रवाई करने की जरूरत है।

जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण

12. दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए आध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल तथा संघ शासित प्रदेशों में कानून बन गए हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य एव हिमाचल प्रदेश में इससे पहले ही इस प्रकार के कानून बन गए थे। जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विधेयक बिहार, मद्रास तथा मैसूर के विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत हैं। पजाब के पेप्सू वाले भाग को छोड़कर शेष भाग में वर्तमान कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि बेदखल लोगों या बेदखल होने वाले काश्तकारो को फिर से बसाने के लिए उन लोगों से जमीन ले ले, जिनके पास स्वीकृत सीमा से अधिक जमीन है। कानून बन जाने के बाद आवश्यक काम यह रह जाता है कि उन पर तेजी से तथा कारगर तौर पर अमल किया जाए।

13. हस्तांतरण : इस सम्बध में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात है उन जमीदारों द्वारा जमीन के हस्तातरण की, जो जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण के अन्तर्गत आते है। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि हाल के वर्षों में जमीनों के हस्तातरण द्वारा जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानूनों का उद्देश्य तथा उनका ग्राम्य अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह प्रभाव विफल हो गया है। चूंकि परिवार के सदस्यों के मध्य जमीन का हस्तातरण तो अक्सर होगा, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि जोत की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए निर्धारित की जाए, न कि व्यक्तियों के लिए। लेकिन चूंकि अधिकांश राज्यों मे जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानून बन चुके है, उनकी खामियां या कमजोरियां दूर करने के सभी प्रयास वर्तमान कानूनो के ढाचे में ही फिट करने होंगे। जमीनों में हस्तातरण का प्रश्न संभवतः निम्न तरीको से हल किया जा सकता है :

(1) जहां हस्तांतरणों को मान्य न करने की कोई तारीख कानून में नियत नही

है, बड़ी संख्या में हस्तांतरण होने के कारण, एक तारीख निश्चित कर दी जाए, जिसके बाद हुए हस्तांतरणों को न माना जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन कर दिए जाएं। यह तारीख जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव प्रकाशित होने की तारीख या स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार उससे भी पहले की कोई नियत तारीख हो सकती है।

(2) इस नियत तारीख के बाद हुए हस्तांतरणों में भी निम्न प्रकार के हस्तांतरणों में भेद रखना ही होगा : (क) परिवार के सदस्यों के बीच हुए हस्तांतरण, (ख) बनामी हस्तांतरण या अन्य हस्तांतरण, जिनके लिए कोई मूल्य न दिया हो और न कोई रजिस्ट्री की गई हो, और (ग) रजिस्ट्री करके बाकायदा धन लेकर जमीन हस्तांतरित की गई हो। (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले हस्तांतरणों की तो अवहेलना की जा सकती है। (ग) कोटि में आने वाले हस्तांतरणों को भिन्न प्रकार से निबटाना होगा, क्योंकि हस्तांतरणकर्ता छोटा जमींदार हो या लेने वाला व्यक्ति भूमिहीन किसान हो, जिसने थोड़ी सी भूमि खरीदी हो। इस तरह के हस्तांतरणों को हर हालत में सुरक्षा प्रदान करनी होगी, बशर्ते कि वे एक निर्धारित सीमा यानी पारिवारिक आराजी तक ही हो।

(3) उपयुक्त अधिकारी द्वारा इन हस्तांतरणों पर ऊपर वर्णित ढंग से पुनर्विचार करने की व्यवस्था रहनी चाहिए।

14. जोत की अधिकतम सीमा से छूट : दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोत की अधिकतम सीमा से निम्न श्रेणियों के फार्मों को मुक्त रखने का विचार किया गया था :

(1) चाय, काफी तथा रबड़ के बगान।
(2) फल आदि के बाग, जहां वे उचित रूप से एक चक हों,
(3) पशु-पालन, दुग्ध या ऊन पैदा करने आदि के विशेष फार्म,
(4) चीनी कारखानों के गन्ने उगाने के फार्म और
(5) कुशल प्रबंध व्यवस्था में चल रहे फार्म, जो बड़े-बड़े चकों के रूप में हों, जिनमें काफी रुपया लगाया गया हो या स्थायी इमारतें आदि बनाई गई हो और जिन फार्मों को खत्म करने से उत्पादन कम होने की संभावना हो।

राज्यों में जोत की सीमा निर्धारित करने वाले जो कानून बनाए गए हैं, उनमें बगानों को इस सीमा से अनिवार्य रूप से मुक्त कर दिया गया है। विशेष प्रकार के फार्मों को रखने के लिए भी व्यवस्था उनमें है। चीनी कारखानों द्वारा चलाए जाने वाले गन्ने के फार्मों तथा कुशलतापूर्वक संचालित फार्मों के प्रति रुख के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है। कुशलतापूर्वक संचालित फार्मों तथा गन्ना कारखानों द्वारा संचालित फार्मों के संबंध में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो खास ख्याल रखा गया था और इस सम्बंध में जो सिफारिशें की गई थी, वे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भी वैध रहेंगी और प्रस्तावित मार्ग अपनाने

में लाभ रहेगा। इसके विपरीत, यदि कोई राज्य व्यावहारिक कठिनाइयों या किन्ही अन्य कारणों से भिन्न रास्ता अपनाना चाहे, तो उसे कुछ बातों का अवश्य खयाल रखना होगा। ये बातें हैं : एक, फार्मों की अभिन्नता नष्ट न हो तथा उनकी कार्यकुशलता न गिरने पाए, और दूसरे, गन्ना कारखानो के फार्मों के सम्बध मे यह खयाल रखना होगा कि कारखानों को कच्चा माल बराबर मिलने की व्यवस्था की जा सके।

15. यह महत्वपूर्ण बात है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने के कानूनों के फलस्वरूप जो फालतू जमीन सुलभ हो, वह परती जमीन तथा भूदान में मिली जमीन, भूमिहीन किसानों को फिर से बसाने की व्यवस्थित योजना के अनुसार बिना विलम्ब दे दी जानी चाहिए। भूमि देते समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उन लोगों को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी सुलभ की जाए, जिससे उस जमीन को लेने वाले लोग उच्च स्तर पर खेती कर सकें।

चकबन्दी

16. करीब 2 करोड 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी 1959-60 के अन्त तक की जा चुकी है और करीब 1 करोड 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी का काम हाथ में था। राज्यों ने जो कुछ बताया है, उसके अनुसार तीसरी योजना में करीब 3 करोड़ एकड़ जमीन की चकबदी का काम हाथ में लिया जाएगा। चकबंदी के काम में प्रगति मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में हुई है। अन्य राज्यों में दूसरी योजना की अवधि में अपेक्षाकृत कम प्रगति हो पाई है। यह अध्ययन करने का विचार है कि देश के दक्षिणी तथा पूर्वी भागो मे चकबन्दी कार्यक्रम का विस्तार करने में आने वाली बाधाओ को सर्वोत्तम ढंग से कैसे निबटाया जा सकता है और इन क्षेत्रो में चकबन्दी करने के वर्तमान तरीकों एवं प्रणाली मे क्या परिवर्तन या हेर-फेर करने जरूरी हैं।

भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानून

17. भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानूनों का क्या स्थान रहे, उनको किस तरह लागू किया जाए, इस पर प्रथम दो योजनाओ मे हुई बातों को देखते हुए विचार करने की आवश्यकता है। भूमि प्रबंध व्यवस्था संबंधी कानून केवल दो राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में बने हैं और उनमे भी इनको लागू नहीं किया गया है। लेकिन राज्यों में विशिष्ट कृषि कार्यों, यथा बजर जमीन के उपयोग, उन्नत बीजों का उपयोग, बीमारियों या कीट रोगों आदि के नियंत्रण के लिए बहुत से कानून विद्यमान हैं। कृषि-विकास के वर्तमान कार्यक्रमों तथा सामुदायिक विकास खडों में सुलभ विस्तार सेवाओ को ध्यान में रख कर इन कानूनों में सशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कानूनी अनिवार्यता को लागू करने तथा पंचायतों एवं पंचायत समितियों का इसमें क्या हाथ रहे, इस प्रश्न का वर्तमान कानूनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर और अध्ययन किया जाना चाहिए।

अमल करने की समस्या

18. राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों पर अमल करने से संबंधित समस्याओं का भूमि सुधार सम्बन्धी अध्ययन-दल ने अध्ययन किया था। अध्ययन-दल ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि भूस्वामित्व संबंधी अधिकारों के सही तथा नवीनतम रिकार्ड तैयार किए जाए। राजस्व प्रशासन को और भी सुदृढ करने की आवश्यकता पर भी उसने बल दिया था। अनेक क्षेत्रों में खाते खसरो को सारी दृष्टियों से पूरा कर दिया गया है। कुछ में और गहन कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। कई राज्यों में इस खाते खसरे में काश्तकार, उपकाश्तकार और फसल के साझेदार आदि के नाम नहीं होते हैं, इसलिए कानून पर अमल करना कठिन होता है। भूस्वामित्व सम्बन्धी सर्वेक्षणों तथा भूस्वामित्व सम्बन्धी खाते खसरों को तैयार करने और उनको ठीक करने के लिए खर्च की राशि कुछ राज्यों की योजना में सम्मिलित की गई और इसके लिए वे केन्द्रीय सहायता की भी हकदार हैं। जैसे-जैसे काम आगे चलेगा, इसके लिए की गई धन की व्यवस्था बढानी पड़ेगी।

19. वित्त आयोग की कार्यक्रम गवेषणा समिति ने देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक सर्वेक्षण किए है। इनमे भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनो को लागू करने में आने वाली समस्याएं बताई गई है। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का क्षेत्र व्यापक होने तथा स्थितियो में भिन्नता होने के कारण यह वाछनीय है कि इन अध्ययनो का विधिवत विस्तार किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयो तथा प्रमुख गवेषणा केन्द्रो की पूरी-पूरी सहायता ली जानी चाहिए। इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक सार्वजनीन योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रो को लिया जाए और भूमि सुधारो का, परिवर्तनकालीन दौर तथा उसके दूरगामी आर्थिक एव सामाजिक परिणामो की दृष्टि से मूल्याकन कराया जाए।

VII खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूरों की दो प्रमुख समस्याए भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके स्थान और उनके लिए काम की व्यवस्था से सम्बन्धित है। यद्यपि खेतिहर मजदूरो और सामान्य रूप से सभी पिछड़े वर्गों के मार्ग की सामाजिक असुविधाए बहुत कम हो गई है, उनकी आर्थिक समस्याएं, विशेषकर उनके लिए काम के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता अधिक प्रखर रूप से सामने आई है। पचवर्षीय योजनाओं का एक प्राथमिक लक्ष्य यह है कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के लिए काम के पूर्ण अवसर जुटाए जाएं और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा किया जाए और विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के स्तर तक उठने में सहायता दी जाए। उनकी समस्याए निश्चय ही एक चुनौती है और इन समस्याओ का सन्तोषजनक हल ढूंढना पूरे समुदाय का उत्तरदायित्व है।

2. खेतिहर मजदूरो की समस्या देहाती क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी और अल्प-रोजगार

की व्यापकतर समस्या का अंग है। कृषि व सिंचाई के विकास से उत्पादन और काम की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु इसमें बहुत ज्यादा लोग हिस्सेदार हैं। यह हमेशा अनुभव किया गया है कि ग्रामीण जनता के हित के लिए जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उनकी अनेक प्रकार से अनुपूर्ति की जानी चाहिए और खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन की स्थिति सुधारने और ग्रामविकास तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा गावो मे बढ़ाए जा रहे अवसरो का उन्हे भी उचित अश दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

3. पहली योजना मे खेतिहर मजदूरो को जमीन देने, जिन खेतों मे वे काम करते थे वहां से न हटाए जाने और न्यूनतम वेतन, विशेष कर विभिन्न राज्यो के उन क्षेत्रों मे जहां वेतन बहुत कम है, लागू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। दूसरी योजना में राज्य पुनर्वास की उन योजनाओं को चलाते रहे जो उन्होंने तैयार की थी और इनमें से अनेक योजनाओ के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी। कुछ राज्य सरकारो ने मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी या जमीन खरीदने के लिए सहायता दी। कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमो से खेतिहर मजदूरो को भी देहाती क्षेत्रो के अन्य लोगो के साथ-साथ काफी हद तक लाभ पहुंचने की आशा थी।

4. तीसरी योजना में देहाती अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है। कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई-कार्यों पर सरकारी क्षेत्र में 1,700 करोड रु० से भी अधिक व्यय किया जाएगा। इससे और ग्राम तथा लघु उद्योगो के विकास, गावो में बिजली लगाने और उनके लिए पीने के पानी का प्रबन्ध करने, देहातो में मकान बनाने और पिछडे वर्गों की भलाई के कार्यक्रमो से, जिनके लिए तीसरी योजना मे पर्याप्त व्यवस्था की गई है, खेतिहर मजदूरो तथा देहात के अन्य कमजोर वर्गों को काफी फायदा पहुचेगा। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा हाल ही में स्थापित केन्द्रीय खेतिहर मजदूर सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, 50 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरो के 7 लाख परिवारो को बसाने का प्रयत्न किया जाएगा। राज्यों ने खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए 4 करोड़ रु० की योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा राज्य सरकारो की जमीने देने की योजनाओ के लिए केन्द्र भी 8 करोड़ रु० देगा।

5. खेतिहर मजदूरो के लाभ के लिए तीसरी योजना मे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है—देहाती क्षेत्रो मे सकार्य परियोजनाओ का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक देहाती क्षेत्रो में लगभग 25 लाख लोगो को वर्ष मे लगभग 100 दिन के लिए, विशेषकर उस समय जब खेती का काम मन्दा हो, अतिरिक्त रोजगार देने की व्यवस्था की जा सकेगी। उन क्षेत्रो मे, जहां बहुत अधिक लोगों के लिए अल्प रोजगार रहता है, खेती की मन्दी के दिनों मे सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, भूमि को खेती योग्य बनाने, वन लगाने, भूमि का सरक्षण करने और सड़को का विकास करने जैसी कृषि-विकास की योजनाओ पर जोर दिया जाएगा।

6. सहकारी ढंग पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने और ग्रामीण समुदाय के अपने कर्तव्यो पर जोर देने का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण

आर्थिक ढांचे में विविधता पैदा करना ही नहीं है, बल्कि यथासम्भव शीघ्र एक एकीकृत समाज की स्थापना करना भी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जात-पांत या दर्जे के भेदभाव के बिना समान अवसर मिलें। दूसरे शब्दों में, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देहाती अर्थ-व्यवस्था का जो ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें खेतिहर मजदूर पूरी तरह और बराबरी के आधार पर भाग लेंगे और उनका आर्थिक और सामाजिक दर्जा शेष देहाती जनता के बराबर हो जाएगा। इस दिशा में वास्तविक प्रगति कितनी हुई, इस पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए और इसके लिए विशेष अध्ययन और मूल्यांकन तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति और राज्यों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए।

अध्याय 13

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

देश में लगभग 1 अरब 35 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट नदी-पानी-साधन उपलब्ध है। प्राकृतिक-भूवृत्त कारणों से, इनमें से केवल 45 करोड़ एकड़ फुट का ही सिंचाई के लिए उपयोग हो पाता है। दूसरी योजना के अन्त तक 12 करोड़ एकड़ फुट का उपयोग हो सकेगा। तीसरी योजना में और 4 करोड़ एकड़ फुट का उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

2. पहली और दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई में हुई प्रगति और तीसरी योजना के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

सिंचित क्षेत्र

(वास्तविक* क्षेत्र लाख एकड़ में)

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
बड़ी और मध्यम सिंचाई	220	249	310	425
छोटी सिंचाई	295	313	390	475
जोड़	515	562	700	900

बड़ी और मध्यम† सिंचाई-योजनाओं से अन्ततः कुल‡ लगभग 1,000 लाख एकड़ और छोटी सिंचाई से 750 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई का अनुमान है।

3. पहली और दूसरी योजनाओं में शामिल की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं की समस्त अनुमित लागत 1,400 करोड़ रु० है और इन योजनाओं के पूर्णतः विकसित

---

* वास्तविक सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र हैं, जिसकी एक वर्ष में सिंचाई हुई और जिसमें एक से अधिक फसल के लिए एक बार सींचा गया क्षेत्र शामिल है।

† जिन सिंचाई-योजनाओं पर 5 करोड़ रु० से अधिक लागत आती है, वे बड़ी मानी जाती हैं और जिन पर 10 लाख रु० से 5 करोड़ रु० तक लागत आती है, वे मध्यम मानी जाती हैं। 10 लाख रु० या उससे कम लागत की योजनाएं छोटी मानी जाती हैं, बशर्ते वे किसी बड़ी या मध्यम योजना का अंग न हों।

‡ कुल सिंचित क्षेत्र एक वर्ष में सींचे गए बुवाई वाले क्षेत्रों का जोड़ होता है, अर्थात वास्तविक सिंचित क्षेत्र में वह क्षेत्र जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक वर्ष में और फसलें भी बोई गई हों।

होने पर लगभग 380 लाख एकड भूमि की सिचाई होने की आशा है। दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई पर लगभग 800 करोड रु० खर्च किए जा चुके थे। इसमें बाढ-नियंत्रण का काम भी शामिल था। पहली और दूसरी योजनाओ के अन्त में इन सिंचाई-योजनाओ से जो लाभ हुआ, वह निम्नलिखित सारिणी में बताया गया है :

सिंचाई योजनाओं से हुए लाभ

अन्त में	जलमार्ग से निकासी पर कुल सिंचाई-क्षमता* (लाख एकड में)	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड में)	निकासी पर सिंचाई क्षमता का प्रतिशत	वास्तविक सिंचित क्षेत्र (लाख एकड में)
पहली योजना (1955-56)	65	31	48	29
दूसरी योजना (1960-61) (अनुमित)	132	100	76	90

4. **तीसरी योजना का कार्यक्रम :** तीसरी योजना में निम्नलिखित योजनाओं पर जोर दिया गया है :–

(1) दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो काम होते चले आ रहे हैं, उनको पूरा करके किसानो के खेतो तक पानी पहुचाया जाए, यानी खेतो तक नालियां† बनाने का काम पूरा होना चाहिए;

(2) जल-निकासी की और जल-प्लावन रोकने की योजनाएं; और

(3) मध्यम सिंचाई-परियोजनाए।

तीसरी योजना में जो नई परियोजनाएं शुरू की जानी है, उनमें लगभग 95 नई मध्यम सिंचाई-योजनाएं शामिल है। सिंचाई और बाढ-नियंत्रण-कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 661 करोड रु० खर्च होगा। इसमें से 436 करोड रु० उन सिंचाई-परियोजनाओ पर खर्च होगा जो दूसरी पचवर्षीय योजना से चली आ रही है, 164 करोड रु० नई परियोजनाओं पर और 61 करोड रु० बाढ-नियत्रण, जल-निकासी, और जल-प्लावन तथा समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाओं पर खर्च होगा। तीसरी योजना में विभिन्न मदो से जो लाभ होने का अनुमान है, वह इस प्रकार है :–

* सिंचाई-क्षमता उस क्षेत्र से मानी जाती है, जो जलमार्ग से निकासी के स्थल पर उपलब्ध पानी से सींचा जा सकता है।

† खेत नालियों से तात्पर्य उन नालियों से जिनके जरिए बम्बों या रजवाहों से खेतों को पानी पहुचाया जाता है।

तीसरी योजना के कार्यक्रम और उनके लाभ

वर्ग	अनुमित व्यय (करोड रु० में)	आंतरिक्त लाभ	
		सिंचाई-क्षमता (लाख एकड में)	कुल सिंचित क्षेत्र
1. सिंचाई			
चालू योजनाएं	436	138	116 5
नई योजनाए	164	24	11.5
	600	162	128.00
			वास्तविक क्षेत्र 115
2. बाढ़-नियंत्रण			
जल-निकासी, जल-प्लावन और समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाए	61	लगभग 50 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुचेगा और 25 मील समुद्र तटवर्ती भूमि की रक्षा हो सकेगी।	
कुल	661		

'कृषि' की मद में नदी-घाटी जलग्राहक क्षेत्रो मे भूमि के कटाव को रोकने के काम के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इसके अन्तर्गत लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र आ जाने का अनुमान है।

5. **बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी तथा जल-प्लावन और समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाएं :** बाढ़-नियत्रण, जल-निकासी और जल-प्लावन रोकने के काम का सिचाई से गहरा सम्बन्ध है और व्यापक विकास-योजनाए बनाते समय इन सब पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। देश के कुछ भागो मे, विशेषकर पजाब मे, जल-प्लावन की समस्या गम्भीर बन गई है और तीसरी योजना मे जल-प्लावन रोकने का काम बडे विस्तृत पैमाने पर करना होगा। इसी प्रकार कुछ समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रों, जैसे केरल, में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने पर भी समुचित ध्यान देना होगा।

6. **आर्थिक लाभ :** प्रायः सभी राज्यों मे सिचाई-योजनाएं इस समय घाटे मे चल रही है। सिचाई-कार्यों से हो सकने वाला आर्थिक लाभ काफी बढे, इसके लिए जिन विशेष कदमों की तुरन्त आवश्यकता है, वे हैं : सिचाई-सुविधाओ का तेजी से उपयोग; पानी की दरों मे सशोधन और अनिवार्य जल-शुल्क; खुशहाली-कर लगाने के लिए कानून और इस कर की वसूली और सिचाई के लिए मिलने वाले पानी के इस्तेमाल मे किफायत। पानी की दरों से मूलतः चालू खर्च और ऋण-प्रभार निकल आना चाहिए। अधिकतर राज्यो मे पानी की वर्तमान दरें अपेक्षतया कम है और उन्हे बढाने की जरूरत है। इसके अलावा जिन राज्यों मे पानी का प्रभार वैकल्पिक है, वहा एक अनिवार्य जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर लगना चाहिए, जिसके लिए सिचाई की सुविधाओ की व्यवस्था की गई हो—चाहे किसान पानी लें या न ले। तीन राज्यो को छोड़, बाकी सब मे खुशहाली कर सम्बन्धी कानून पास

किए जा चुके हैं, परन्तु ऐसे सभी राज्यों में इस कानून को लागू करने का काम पिछड़ गया है। बाढ़-शुल्क लगाने का कानून भी अनेक राज्यों में पास किया जा चुका है। तीसरी योजना में खुशहाली कर और बाढ़-शुल्क से 39 करोड़ रु० की प्राप्ति का जो अनुमान है, उसे पूरा करने के लिए बाकी राज्यों में आवश्यक कानून बनाना और जिन राज्यों में कानून बन चुका है, वहां इस कानून को लागू करना जरूरी है।

7. **सिंचाई-व्यवस्था का उपयोग :** सिंचाई-परियोजनाओं से शीघ्र लाभ उठाने के लिए जो मुख्य कदम उठाए जाने चाहिए, वे सुपरिचित हैं। ये कदम हैं : हेडवर्क्स, नहरें, सहायक नदियां, जल-मार्ग और खेतों की नालियां बनाने का काम एक साथ सम्पन्न करना ताकि जैसे ही हेडवर्क्स से पानी मिलने लगे, उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके; समूचे परियोजना-क्षेत्रों में विकास-खण्डों की स्थापना; परियोजना-अधिकारियों द्वारा गांव के नक्शे पर जल-मार्गों और खेतों की नालियों का रेखांकन और इन नक्शों को जिला तथा खण्ड अधिकारियों को भेजना अन्य विकास-कार्य करना और पानी के इस्तेमाल में किफायत करना; सम्बद्ध विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की योजना पहले से तैयार करना, जैसे अच्छे बीज और उर्वरक मुहैया करना, ऋण और हाट की सुविधाएं प्रदान करना आदि। किसी नई सिंचाई-परियोजना के शुरू के दो-तीन सालों में पानी की दरों में रियायत भी जरूरी है।

8. **अन्वेषण, अनुसंधान और डिजाइन :** प्रत्येक राज्य में सिंचाई के दीर्घकालीन विकास के लिए बृहत्तर योजनाएं तैयार कर ली जानी चाहिए। राज्य सरकारें जिन योजनाओं को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखना चाहें, उन योजनाओं का काफी समय रहते अन्वेषण हो जाना चाहिए और परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट तीसरी योजना के दौरान में ही सब प्रकार से पूरी कर ली जानी चाहिए। इस कार्य के लिए और तीसरी योजना में शामिल की गई योजनाओं के लिए भी राज्यों में अन्वेषण-दलों को दृढ़ करना चाहिए।

तीसरी योजना में सिंचाई सम्बन्धी बुनियादी अनुसंधान के कार्यक्रमों के लिए 120 लाख रु० रख गए हैं। यह अनुसंधान-कार्य पूना के केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसंधान केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में स्थित अन्य 15 अनुसंधान-केन्द्रों में चल रहा है। डिजाइन आदि तैयार करने के लिए भी प्रत्येक राज्य में एक उपयुक्त संगठन होना चाहिए, क्योंकि वह अनुसंधान संगठन के साथ-साथ काम करके सर्वाधिक उपयुक्त और कम खर्चीले डिजाइन तैयार कर सकता है।

9. **नदी-मण्डल :** जल-साधनों के एकीकृत और लाभपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि नदी-क्षेत्रों, विशेषकर बड़ी नदियों के क्षेत्रों, के विकास में राज्यों में परस्पर सहयोग हो। जल-साधनों के विषय में दीर्घकालीन योजना बनाते समय उद्योगों और बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की पानी की आवश्यकता भी विकास की एक प्रमुख समस्या बन जाएगी। प्रमुख नदी-क्षेत्रों के लिए नदी-मण्डल नियुक्त करने से समस्त नदी-क्षेत्र की आवश्यकताओं और जलग्राहक क्षेत्र में भूक्षरण को रोकने के प्रश्न पर समन्वित रूप से विचार हो सकेगा।

10. **जनसहयोग :** बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी और जल-प्लावन तथा समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाओ और सिचाई-कार्यों से जिन लोगो को लाभ होगा, उन्हें इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे स्वेच्छा से श्रमदान कर अथवा धन देकर इन योजनाओं को पूरा करने में मदद दे। ये योजनाएं स्थानीय निर्वाचित निकायो के सहयोग से पूरी की जानी चाहिए। जहा तक सम्भव हो, श्रमिक सहकारी सस्थाओ और स्वयसेवक संगठनों से काम लेना चाहिए।

11. **श्रमिकों और मशीनों का इस्तेमाल :** जब तक श्रमिको के इस्तेमाल से काम मे अत्यधिक देरी होने या बहुत ज्यादा लागत आने का भय न हो, तब तक सामान्यतः निर्माणकार्य के लिए श्रमिकों से ही काम लेना चाहिए। जहां आवश्यक हो, वहां मशीनों और श्रमिको के काम में सहायक अन्य औजारों का भी विवेकसगत इस्तेमाल किया जा सकता है।

12. **वर्तमान सिचाई-सुविधाओं को सुरक्षित रखना :** वर्तमान सिंचाई-सुविधाओ को भली भाति सुरक्षित रख उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए।

13. **नियंत्रण-मण्डल :** तीसरी योजना के अन्तर्गत अनेक बड़ी परियोजनाए शुरू की जा रही हैं। इनमें से कुछ के लिए नियत्रण-मण्डल नियुक्त करना अच्छा होगा, जिससे इन परियोजनाओ को कुशलतापूर्वक और किफायत से कार्यान्वित किया जा सके। जिन अन्य बड़ी योजनाओ के लिए नियत्रण-मण्डल नियुक्त न किए जाएं, उनकी बिजली और पानी मंत्रालय द्वारा समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे काम में कहीं गत्यवरोध न हो और इन परियोजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सके।

बिजली

14. पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के आरम्भ में देश मे बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता क्रमशः 23 लाख किलोवाट, 34 लाख 20 हजार किलोवाट और 57 लाख किलोवाट थी। दूसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 4 लाख 50 हजार किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित की गई। तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 14 लाख किलोवाट की बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित कर इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1975-76 तक देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किलोवाट तक हो जाने की सम्भावना है।

15. तीसरी योजना के अन्त तक चालू और बन रहे और परीक्षाधीन बिजलीघरों की कुल उत्पादन-क्षमता 1 करोड़ 34 लाख किलोवाट हो जाएगी, जिसमे से 1 करोड़ 26 लाख 90 हजार किलोवाट बिजली व्यापारिक उपयोग में लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर बिजली का प्रतिव्यक्ति उत्पादन 1951 के 18 किलोवाट से बढकर 1956 में 28 किलोवाट, 1961 में 45 किलोवाट और 1966 में लगभग 95 किलोवाट हो जाएगा। बिजली पहुंचाने की व्यवस्था भी और मजबूत की जाएगी और तीसरी योजना मे बिजली पहुचाने वाली 66 हजार मील लम्बी लाइनें (11 किलोवाट और उससे अधिक की) लगाई जाएगी।

बम्बई के निकट तारापुर में 300 मेगावाट की स्थापित क्षमता का एक अणुबिजली केन्द्र बनाने की योजना है।

16. **बिजली पर खर्च :** दूसरी योजना के अन्त तक बिजली पर 1,017 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 790 करोड़ रु० राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, 149 करोड़ रु० कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और 78 करोड़ रु० स्वयं बिजली पैदा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर खर्च होगा।

तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन के कार्यक्रम पर 1,089 करोड़ रु० (1,039 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और 50 करोड़ रु० गैर-सरकारी क्षेत्र में) खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 320 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में जो व्यय होगा, उसका विभाजन मोटे तौर पर इस प्रकार है : पनबिजली और तापीय बिजली-योजनाओं पर 661 करोड़ रु०; परमाणु-शक्ति पर 51 करोड़ रु०; और संचरण तथा वितरण की योजनाओं पर लगभग 327 करोड़ रु०, जिसमें गांवों में बिजली लगाने के काम पर खर्च होने वाला 105 करोड़ रु० भी शामिल है।

17. क्षमता में वृद्धि निम्नलिखित सारिणी में अंकित की गई है :—

स्थापित क्षमता तथा उत्पादित बिजली का विकास

	1950	1955	1960-61 (अनुमित)	1965-66 (अनुमित)
	(लाख किलोवाट में स्थापित क्षमता)			
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	6.3	15.2	33.2	98 2
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	10 8	11.8	13.6	14 5
खुद बिजली पैदा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	5.9	7.2	10 2	14 2
जोड़ :	23.0	34.2	57.0	126.9

बिजली का कुल उत्पादन दूसरी योजना के अन्त में 20 अरब किलोवाट घंटे से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक 45 अरब किलोवाट घंटे हो जाएगा। कुल उत्पादित बिजली के 63 प्रतिशत की खपत उद्योगों में होती है। दूसरे शब्दों में, 72 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को बेची जाती है।

18. **गांवों में बिजली :** तीसरी योजना में गांवों में बिजली लगाने पर 105 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जितने गांवों और कस्बों में बिजली लगी है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

बिजली वाले गांव और कस्बे

आबादी वर्ग	1951 की जनगणना के अनुसार संख्या	मार्च 1951 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई	मार्च 1956 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई	मार्च 1961 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई (अनुमित)	मार्च 1966 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई जा चुकेगी (अनुमित)
1 लाख से अधिक	73	49	73	73	73
50 हजार से 1 लाख तक	111	88	111	111	111
20 हजार से 50 हजार तक	401	240	366	399	401
10 हजार से 20 हजार तक	856	260	350	756	856
5 हजार से 10 हजार तक	3,101	258	1,200	1,800	3,101
5 हजार से कम	5,56,565	2,792	5,300	19,861	38,458
जोड़ :	5,61,107	3,687	7,400	23,000	43,000

19. अलग-थलग पड़े हुए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें 10 से 100 किलोवाट तक के पनबिजली संयंत्र मामूली लागत पर लगाए जा सकते हैं। 100 किलोवाट तक की क्षमता के छोटे-छोटे पनबिजली संयंत्र अब देश में बनाए जाने लगे हैं। आगे चलकर इनसे डीजल आल्टरनेटर सैटों के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हें हासिल करने या चलाने के लिए विदेशी मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

20. गांवों तक बिजली ले जाना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी बहुत होती है, बिजली की खपत कम होती है और बिजली की जरूरत—विशेष रूप से खेती में—खास मौकों पर ही पड़ती है। बिजली के भार-अनुपात को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों का, जिनके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, समन्वित रूप से विकास किया जाए। गांवों में बिजली लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि

सभी क्षेत्रों में उचित समय पर एक साथ काम शुरू किया जा सके। राज्यों से यह सिफारिश की गई है कि जिन जिलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, या उपलब्ध होने वाली है, उनमें ग्राम-विकास-कार्यक्रमो के बारे में सलाह देने के लिए एक छोटी-सी समिति बना देनी चाहिए। ग्रामोद्योगो और छोटे उद्योगों के विकास, बिजली से पानी खींचने वाली छोटी सिंचाई और देहाती क्षेत्रो में बिजली के उत्पादन और वितरण के कार्यक्रमो के बीच समन्वय होना चाहिए।

21. देहाती भार-अनुपात से पर्याप्त बिजली की सप्लाई, बिजली सप्लाई करने की दरें और बिजली के वितरण में पंचायत समितियों और ग्राम-पंचायतों के सहायक होने जैसे विभिन्न पहलुओं पर और आगे विचार हो रहा है।

22. बिजली के विकास के अन्य पहलू : 1948 के (पूर्ति) अधिनियम में कहा गया था यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी, पर्याप्त और एकरूप नीति बनाई जाए, जिसके आधार पर बिजली के राष्ट्रीय साधनो का नियन्त्रण और उपयोग करने वाले प्राधिकरणों के काम में समन्वय किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाओं का बन्धन न माना जाए और प्राकृतिक साधनो का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक किफायती ढंग से उपयोग किया जाए। भाखड़ा-नंगल, मचकुंड, तुंगभद्रा, चम्बल आदि परियोजनाओं को चलाने में अन्तर्राज्यीय सहयोग रहा है। इस प्रकार के सहयोग का और विस्तार आवश्यक है, जिससे बिजली उत्पादन का कार्य, प्रादेशिक और क्षेत्रीय आधार पर किया जा सके, न कि केवल एक राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाए। केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग में एक विशेष विभाग खोला जा रहा है, जो राज्य बिजली मंडलों और अन्य बिजली सभरण प्रतिष्ठानो के सहयोग से प्रादेशिक 'सुपरग्रिडों' के अध्ययन और उनसे सम्बन्धित योजना बनाने का काम करेगा।

23. बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जो स्वायत्त बिजली मण्डल स्थापित किए गए हैं, उन्हे राज्यो मे कुशल और किफायती ढंग से बिजली के उत्पादन, पूर्ति और वितरण के समन्वित विकास का कार्य सौंपा गया है। राज्य बिजली मण्डलों की वित्तीय स्थिति को, जो बहुत से मामलो में सन्तोषजनक नहीं है, काफी सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।

24. पनबिजली परियोजनाओं की बड़े व्यापक पैमाने पर जांच-पड़ताल की जरूरत होती है। इस प्रकार की पूरी जांच-पड़ताल को हुई परियोजनाएं कम हैं, जिससे बिजली प्राप्त करने के इस सस्ते साधन के तेजी से विकास में रुकावट पड़ी है। 120 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकने वाले 64 पनबिजली-स्थलों की जांच-पड़ताल का कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

25. राज्य बिजली मण्डलों और केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्याशित भार-अनुपात का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराना चाहिए और नियत अवधि के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

26. अनुसन्धान : बंगलौर में स्थापित बिजली अनुसन्धान संस्थान में बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान किया जाएगा। भोपाल में एक स्विच-गियर टेस्टिंग स्टेशन, स्विच-गियर के डिजाइनों की जांच तथा विकास के लिए स्थापित हो रहा है।

27. डिजाइन और निर्माण : बड़े पनबिजली और तापीय बिजलीघरों की योजना बनाने, उनके नमूने तैयार करने और उन्हें बनाने के लिए केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग में एक विशेषज्ञ-संगठन स्थापित किया जा रहा है। इस समय यह काम विदेशी सलाहकारों की मार्फत हो रहा है।

अध्याय 14

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

पहली और दूसरी योजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों ने रोजगार बढाने, उत्पादन में वृद्धि करने और आय के अधिक उचित वितरण के उद्देश्यों की दिशा में काफी योगदान किया। तीसरी योजना में और अधिक बड़े काम करने है, इसलिए इनके योगदान का महत्व और अधिक बढ जाएगा। इस क्षेत्र में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य लोगो को उत्पादन के नए तरीके अपनाने में मदद करना और इनके संगठनों को अधिक कार्य-कुशल बनाना है ताकि देश में ग्राम आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हो, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और कुछ अवधि बाद यह पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन जाए। लेकिन इसके साथ ही प्राविधिक परिवर्तन पर इस तरह का नियन्त्रण रखना पडेगा जिससे बडे पैमाने की प्राविधिक बेरोजगारी को बचाया जा सके। इसलिए इन उद्योगो की समस्याओं पर बराबर पुर्नविचार करने और आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है जिससे ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आवश्यक और अभिन्न अग के रूप मे अपना पूरा योगदान दे सकें।

प्रगति की समीक्षा

2. पहली योजना मे हथकरघा उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, रेसम, नारियल रेशा, दस्तकारी और लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रमो के बनाने में मदद करने और परामर्श देने के लिए अखिल भारतीय मण्डल नियुक्त करके इन उद्योगो की प्रगति के लिए एक बडा कदम उठाया गया। विकास कार्यक्रमो का एक महत्वपूर्ण अग इनमें लगे दस्तकारो को विविध रूप से सहायता पहुचाने का था, जैसे प्रशिक्षण सुविधाए, तकनीकी परामर्श, सुधरे हुए औजार आसान किस्तो पर देने का प्रबन्ध और बिक्री की दूकानो की स्थापना। दूसरी योजना में इन सब प्रकार की सहायता बहुत अधिक बढा दी गई। इसके लिए 180 करोड रुपये से कुछ कम खर्च किया गया जब कि पहली योजना में केवल 43 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। राज्यो के उद्योग विभागो को भी बढ़ाया गया।

3. इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार हथकरघे के कपड़े का उत्पादन 1950-51 में 74.2 करोड़ गज से बढ कर 1960-61 में लगभग 190 करोड गज हो गया। इसमें लगभग 30 लाख बुनकरो को पहले से अधिक रोजगार मिला। सहकारी समितियो में हथकरघों की सख्या 1953 में 7 लाख से बढ़ कर 1960 के मध्य तक 13 लाख हो गई। खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का उत्पादन 1950-51 में 70 लाख गज से बढ कर 1960-61 में 4.8 करोड़ गज हो गया। और अम्बर खादी का उत्पादन 1956-57

में 19 लाख गज से बढ कर 1960-61 में लगभग 260 लाख गज हो गया। इन कार्यक्रमों से लगभग 14 लाख कातने वालों को अर्द्ध-रोजगार मिला और लगभग 1.9 लाख बुनकरों और बढइयों इत्यादि को पूरा रोजगार मिला।

4. ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमों से दूसरी योजना में लगभग 5 लाख दस्तकारों और गांवों की महिला श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला। दूसरी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के सघन विकास के लिए एक सघन क्षेत्र योजना चलाई गई। कच्चे रेशम का उत्पादन 1951 के 25 लाख पौंड से बढ़ कर 1960 में 36 लाख पौंड हो गया। दूसरी योजना के अन्त में यह अनुमान था कि इस उद्योग में 35,000 व्यक्तियों को पूरा रोजगार और लगभग 27 लाख व्यक्तियों को आंशिक रोजगार मिला। नारियल के रेशे के धागे और सामान का निर्यात पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त के स्तर से नीचे रहा। इस उद्योग में इस समय लगभग 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। दस्तकारियों की चीजों की देश और विदेश दोनो मे बिक्री बढ़ी। यह अनुमान है कि गलीचों समेत लगभग 6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का सामान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों मे विदेश भेजा गया।

5. दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे अनेक छोटे उद्योग जैसे मशीनी औजार, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे और मोटरें, साइकिलें, राजगीरो के औजार तथा लोहे की चीजो का बहुत विकास हुआ और इनमे 25 से 50 प्रतिशत प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ा। छोटे उद्योगपतियो को किस्तो पर मशीन देने के लिए एक औद्योगिक विस्तार सेवा शुरू की गई जिसमें लगभग 4.2 करोड़ रुपए की मशीनें बिक्री-खरीद शर्तों पर दी। छोटे कारखानों ने निर्यात के लिए 6 लाख जोड़ी चमड़े के जूते तैयार किए। लगभग 60 औद्योगिक बस्तियां 1960-61 में पूरी हो गई, जिनमे 52 में 1,035 कारखाने थे, जिनमें 13,000 लोग काम करते थे। लघु उद्योगो के कार्यक्रम से अनुमान है कि लगभग 3 लाख लोगों को पूरा रोजगार मिला।

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण

6. तीसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगो के कार्यक्रम चलाते समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य सामने रखे जाएंगे :

(क) कारीगर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसे कार्यकुशल बनाने, प्राविधिक परामर्श देने, बढ़िया औजार और ऋण आदि की सहायता देकर उत्पादन-व्यय घटाना।

(ख) बिक्री में सहायता, उत्पादन में सहायता और आश्रय प्राप्त विक्रय आदि को धीरे-धीरे कम करना।

(ग) गावों और छोटे कस्बों में उद्योगो की वृद्धि को प्रोत्साहन देना।

(घ) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगो के सहायक के रूप में विकास करना।

(ङ) दस्तकारों की सहकारी समितियां बनाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति और उपाय किए जाएंगे, वे नीचे दिए जा रहे हैं।

7. **कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार :** प्राविधिक और प्रबन्धकीय कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं तीसरी योजना में बहुत बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की संस्थाएं चलाने की योजना बनाई गई है, जो आस-पास के गावों को लोहारी, बढ़ईगिरी इत्यादि पेशों का प्रशिक्षण देंगी। औद्योगिक विस्तार तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था बनाई जाएगी। विभिन्न उद्योगों में लगे हुए कारीगरों और दस्तकारों को सुधरे हुए औजार और मशीने देने के अलावा उन्हें तकनीकी परामर्श देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

8. **ऋण और पूंजी :** तीसरी योजना में ऋण देने की सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा और ऋण उचित शर्तों और न्यूनतम समय में दिया जाएगा। इसके लिए लक्ष्य यह रहेगा कि जितने ऋण की आवश्यकता पड़ती है, वह साधारण बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिले।

9. **संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम :** पहली और दूसरी योजनाओं में संगठन और सहायता के व्यावहारिक उपायों को 'संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम' के तत्व कहा गया था। संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम से भाव यह है कि किसी उद्योग के विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रम को बनाते समय उसमें बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का योगदान क्या रहेगा जिससे समाज की सारी माग सामाजिक और दूसरे उद्देश्यों के अनुरूप पूरी की जा सके। इस कार्यक्रम के दूसरे तत्व थे उत्पादन के क्षेत्र नियत करना, उद्योग के बड़े अंगों की क्षमता के विस्तार पर रोक लगाना, बड़े कारखानों पर शुल्क लगाना और टैक्सों, बिक्री में छूट, सहायता आदि देकर छोटे कारखानों को मूल्य की दृष्टि से लाभ पहुंचाना। यह महसूस किया गया कि संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम के आम असूलों को उद्योग विशेष की समस्याओं का पूरा अध्ययन और छानबीन करने के बाद ही लागू किया जाए।

10. **सरकारी सहायता, बिक्री में छूट आदि की भूमिका :** व्यवहार्य सहायता के कार्यक्रमों के क्रमिक विकास से यह आशा है कि तीसरी योजना में सरकारी सहायता और बिक्री में छूट आदि की आवश्यकता कम हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ पारम्परिक उद्योगों के मामले में इस प्रकार की सहायता देने और उनमें बने माल के लिए बाजार ढूंढने आदि के उपायों को अन्य लघु उद्योगों की अपेक्षा अधिक समय तक जारी रखना आवश्यक हो।

11. **ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों का औद्योगिक विकास :** तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों तथा ऐसे कम विकसित क्षेत्रों में जहां उद्योग खोलने की साफ सम्भावनाएं हों, उद्योगों की और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा। इसलिए जिन क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यक्रमों के कारण विभिन्न मौलिक सुविधाएं उपलब्ध

हो जाएंगी, उनके मामले पर गौर करना होगा और उन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में छोटे उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सहायता देनी होगी। इस प्रकार अनेक सफल केन्द्र बनाने होंगे ताकि वे और अधिक विस्तृत विकास के लिए केन्द्र या आदर्श का काम दे सकें। विशेषकर माल को विविध रूप में तैयार करने वाले उद्योग छोटे पैमाने पर और सहकारी समितियों द्वारा अधिकतम सीमा तक खोले जाने चाहिए। जहां बिजली तथा अन्य मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां ग्रामीण कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित करने में मदद करनी चाहिए।

12. **छोटे उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास** । बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के विभिन्न उपायो पर एक विशेष समिति विचार कर रही है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े कारखानों और छोटे-छोटे कारखानों का पारस्परिक सहयोग बढाने का प्रस्ताव है। उद्योग के हर पहलू में समाज की आवश्यकताओं का विस्तृत दृष्टिकोण लेना आवश्यक है जिससे पता चल सके कि बड़े और छोटे उद्योग क्या योगदान कर सकते हैं और उत्पादन का विभिन्न चरणों में किस प्रकार विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। ऐसे समन्वित विकास की दृष्टि से अनेक उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है।

13. **औद्योगिक सहकारी संस्थाएं** : तीसरी योजना मे वर्तमान सहकारी संस्थाओं के संगठन और पूजी को मजबूत बनाने और अधिकाधिक कारीगरों को उनमें भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जिन प्रमुख उपायो का प्रस्ताव है, वे हैं कुछ समय तक प्रबन्धकीय और निरीक्षक कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और प्रारम्भिक समितियों से केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी जो सूद ले, उसके लिए सरकारी सहायता देना। जिन छोटे उद्योगों में एक या कुछ थोड़े मालिक लोग हों, वहा सगठनो के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए।

14. **समन्वय के लिए प्रबन्ध** : इन कार्यक्रमों को जो विभिन्न मण्डल और एजेन्सियां विशेष तौर पर क्षेत्रों में चलाएंगी, उनके काम मे सामंजस्य लाने के उपायों की बड़ी आवश्यकता है। गावों में खेती, बिजली, परिवहन आदि का विकास हो जाने से यह आवश्यक हो जाएगा कि ग्रामीण औद्योगीकरण की समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो वर्तमान मण्डल आदि नही कर सकेंगे, क्योकि उनका कार्यक्षेत्र अपने विशेष उद्योग तक ही सीमित है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों और विभिन्न मण्डलों के साथ मिल कर आगे विचार करने का प्रस्ताव है।

15. **व्यय और व्यय-परिमाण** : *तीसरी योजना मे ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के* लिए 264 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। दूसरी योजना में इन पर 180 करोड़ रुपये से कुछ कम व्यय होने का अनुमान है। यह राशि विभिन्न उद्योगों पर निम्नलिखित रूप में व्यय की जाएगी :

उद्योग	दूसरी योजना (अनुमित व्यय)	(करोड़ रुपये में) तीसरी योजना (व्यय)		
		राज्य और केन्द्रीय प्रदेश	केन्द्र	योग
हथकरघा उद्योग क्षेत्र	29.7	31.0	3.0	34.0
हथकरघा क्षेत्र में बिजली के करघे	20	–	4.0	4.0
खादी—पारम्परिक अम्बर ग्रामोद्योग	82.4	34	37.0 32.0 20 0	92.4
रेशम उद्योग	3 1	5 5	1.5	7.0
नारियल रेशा उद्योग	2 0	2 4	0.8	3.2
दस्तकारी	4 8	6 1	2.5	8 6
लघु उद्योग	44 4	62 6	22.0	84.6
औद्योगिक बस्तियां	11 6	30 2	–	30.2
योग	180.0*	141 2	122.8	264.0

ऊपरलिखित व्यय के अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी इन उद्योगों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम और समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों में भी इन उद्योगों के लिए कुछ व्यवस्था है। निजी तौर पर जिनमें बैंक भी शामिल हैं लगभग 275 करोड़ रुपये इन उद्योगों में लगाए जाने का अनुमान है। हर कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि भवन निर्माण और ऊपरी खर्चों को न्यूनतम रखा जाए।

विकास के कार्यक्रम

16. हथकरघा और बिजली करघा उद्योग : हथकरघों पर बुनने वाले जुलाहों को पहले से अधिक काम देकर, उन्हें शेयर पूंजी के लिए ऋण देकर और सुधरे हुए तरीकों को प्रचलित किया जाएगा और साथ-साथ बिक्री छूट इत्यादि के महत्व को कम करके अन्य प्रकार की, उद्योग को दृढ़ बनाने वाली, सहायता देकर कमजोर सहकारी समितियों को बड़ा और सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। हथकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के भी उपाय किए जाएंगे। सहकारी समितियों में शामिल हथकरघा जुलाहों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगले कुछ वर्षों में नौ-साढ़े नौ हजार बिजली करघे लगाने का प्रस्ताव है। 1965-66 में कपड़े के कुल उत्पादन का लक्ष्य 930 करोड़ गज है उसमें से हथकरघा, बिजली करघा और खादी उद्योग का हिस्सा 350 करोड़ गज रखा गया है। लेकिन इन

* खर्च का अनुमान लगभग 175 करोड़ रु० है

उद्योगों में अलग-अलग कितना-कितना उत्पादन होगा इसका निश्चय अभी नहीं किया गया प्रत्येक क्षेत्र में हुई उन्नति को देखकर समय-समय पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

17. **पारम्परिक और अम्बर खादी :** खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सघन क्षेत्रों या ग्राम इकाइयों के रूप में ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम बनाया है उसी के अनुसार तीसरी योजना में खादी के विकास का कार्य चलेगा। इस कार्यक्रम में 3 हजार ग्राम इकाई खोलने का प्रस्ताव है जिसमें से हरेक में एक या एक से अधिक गाव होंगे जिनकी जनसंख्या लगभग 5 हजार होगी। भविष्य कार्यक्रम की एक विशेषता यह होगी कि इस कार्यक्रम में गावों में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए स्थानीय योजनाए बनाई जाएगी। किसान चरखा तो रहेगा ही लेकिन अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के और अधिक प्रयास किए जाएंगे और उसकी उत्पादकता को भी और अधिक बढाया जाएगा। यद्यपि इन उद्योगों में विकेन्द्रीकृत अंग के विभिन्न भागों के लिए कपडे के उत्पादन के लक्ष्य निश्चित नही किए गए हैं लेकिन खादी का कुल उत्पादन बढाकर 16 करोड गज करने का लक्ष्य है।

18. **ग्रामोद्योग :** ग्रामोद्योगो के द्रुत विकास करने में अनेक स्वाभाविक कठिनाइया हैं। ग्रामीण कारीगर अनेक गावो में बिखरे हुए होते हैं और उनमें साक्षरता की कमी है तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अन्य कठिनाइया है। प्रशिक्षित और सुशिक्षित कर्मचारियो की कमी, पूजी की कमी, कच्चे माल का इन्तजाम करने के लिए संगठन की अनुपस्थिति, काम करने के पुराने ढग, आदि। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्रों ने सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रो के लिए ग्रामोद्योगो के कार्यक्रम बनाए हैं जिनका लक्ष्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जहा कही आवश्यक हो और उपलब्ध हो वहा बिजली के उपयोग से तथा उत्पादन की सुधरी हुई प्रणालियो से इन उद्योगो का वर्तमान रूप बदल जाने की सम्भावना है। ये विकास कार्यक्रम धान को हाथ से कूटने, तेलहन से तेल निकालने, चमड़ा रगने, दियासलाई बनाने, गुड और खडसारी, मधुमक्खी पालन, ताड़-गुड, हाथ से बनाया हुआ कागज आदि उद्योगो के लिए नए उत्पादन केन्द्र खोलने, सुधरे हुए औजार देने तथा आम तौर से सघन विकास के कार्यक्रम हैं। हाथ से चावल कूटने के उद्योग की रक्षा के लिए चावल मिल उद्योग (नियत्रण) कानून 1958 बनाया गया था जिसके अनुसार चावल कूटने की मिलो के लाइसेंस देने पर नियत्रण रखा गया था और सहकारी समितियो द्वारा चलाए जाने वाली मिलों को लाइसेस देने में प्राथमिकता दी जाती थी। यह महसूस किया गया कि इस समस्या पर आगे फिर विचार किया जाए ताकि कानून में वर्णित नीति और अधिक प्रभावी ढग से लागू की जा सके।

19. **रेशम उद्योग :** इस उद्योग के विकास कार्यक्रम मे उत्पादन व्यय में कमी करने, उचित बिक्री सगठन तैयार करने, नीरोग अडे उपलब्ध कराने तथा निर्यात बढाने की सभावनाओं की खोज करने पर जोर दिया जाएगा। सिंचाई और उर्वरको का प्रबन्ध करके शहतूत की खेती को लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। पारम्परिक चरखे के स्थान पर नए चरखे प्रचलित किए जाएगे। गोटियो और कच्ची रेशम दोनो के लिए सहकारी विक्रय व्यवस्था का विकास किया जाएगा ताकि रेशम के कीड़े पालने वालों को अच्छी कीमत मिल

सके और कच्ची रेशम के भाव ज्यादा चढ़ने से रोके जा सकें। शहतूत और गैर शहतूत वाली रेशम का उत्पादन 1960 में 36 लाख पौंड से बढ़कर 1965-66 में 50 लाख पौंड होने की आशा है।

20. **नारियल रेशा उद्योग :** तीसरी योजना में इस उद्योग के माल का निर्यात बढ़ाने और उसमें सहकारी संस्थाओं को दृढ आधार पर संगठित करने पर जोर दिया जाएगा। नारियल रेशे को कातने वालों को मशीनें दी जाएगी ताकि काम की किस्म बढ़िया हो सके। इसके साथ ही प्रारम्भिक सहकारी समितियो के कार्यकलाप पर और अधिक देखरेख रखी जाएगी। इस उद्योग के उत्पादकों और निर्यात करने वालो की सहायता के लिए एक विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में उत्पादन की नई प्रणालियो को प्रोत्साहन देना नारियल के सार भाग तथा रेशों में से बचे हुए हिस्सो को उपयोग में लाना इसके अन्तर्गत है। गद्दो तथा ब्रुश रेशो के कार्य को भी बढाया जाएगा।

21. **दस्तकारियां :** अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल ने 12 चुनी हुई दस्तकारियों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। पिछले वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है उससे विभिन्न दस्तकारियो की मुख्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई। तीसरी योजना में इन समस्याओ को हल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएगे। विकास अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा लेकिन कुछ छोटे उपक्रमियो के संघ बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि किस्म पर नियन्त्रण किया जा सके और कारीगरो की दशा में सुधार हो तथा व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो। निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ ही दस्तकारियों के उत्पादन का इस तरह नए ढग से संगठन करना होगा ताकि देश के विभिन्न आय-वर्गों की आवश्यकताओ के अनुरूप ही सामान तैयार किया जा सके और ग्रामीण दस्तकारियों का भी विकास हो। तीसरी योजना के अन्तर्गत ये काम भी होंगे : बाहर भेजे जाने से पहले वस्तुओ का निरीक्षण तथा निर्यात करने वालो को ऋण सुविधा, डिजाइन तैयार करने के केन्द्र, अन्तरराज्य व्यापार को प्रोत्साहन, कुछ दस्तकारियो में प्रशिक्षण सुविधाएं, बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान और विक्रय भंडारो के प्रबन्ध और बिक्री सम्बन्धी प्रशिक्षण।

22. **लघु उद्योग :** दूसरी योजना में प्राविधिक परामर्श देने, उधारवित्त और प्रशिक्षण सुविधाए, मशीन देने, बिक्री की व्यवस्था, और कच्चे माल की उपलब्धि आदि की व्यवस्था के जो कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे उन्हे तीसरी योजना के बड़े कामो को देखते हुए और अधिक बढाया जाएगा। उत्पादन में वृद्धि और उसके विकेन्द्रीकरण के साथ ही तीसरी योजना के कार्यक्रमो का एक लक्ष्य यह भी रहेगा कि अधिक से अधिक उद्योगो के छोटे और बडे कारखानों में समन्वय रहे। छोटे कारखाने बडो के सहायक के रूप में बढें और छोटे उद्योग छोटे कस्बो और ग्रामीण क्षेत्रो में खुलें तथा उन्हे चलाने वाली सहकारी समितियों और नए उद्योगपतियो और उपक्रमियो को और अधिक सुविधाए मिलें। विकास का एक महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि कारखाने की क्षमता का पूरा फायदा उठाया जाए, इसके लिए एक से अधिक पालियां शुरू की जाए और आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध किया जाए। राज्य सरकारो और केन्द्रीय सरकार की माग भी अधिकतर छोटे उद्योगो से ही पूरी करने

की नीति और कड़े ढंग से लागू की जाए। राज्यों के साथ ही केन्द्र में स्टोर की क्रय सम्बन्धी नीतियों तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को और भी विस्तृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। अन्य विकास कार्यक्रमों में ये हैं : राज्य सरकारों द्वारा मुश्किल से मिलने वाले कच्चे माल के भंडार स्थापित करना, औद्योगिक बस्तियां बनाने, कच्चे माल के भंडारों का संचालन करने और सर्व सेवा सुविधा केन्द्र चलाने के लिए लघु उद्योग निगमों को स्थापित करना।

23. **औद्योगिक बस्तियां :** तीसरी योजना में लगभग 300 नई विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बस्तिया खोलने का विचार है। ये यथासम्भव छोटे और मझोले कस्बों के समीप बसाई जाएंगी। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वहां भी अनेक औद्योगिक बस्तियां खोलने का विचार है। बड़े शहरों और विकसित कस्बों के पास छोटे उद्योगपतियों को कारखाने बनाने के लिए केवल विकसित स्थान देने का भी प्रस्ताव है। छोटे उद्योगों को सहायक के रूप में विकसित करने के लिए यह सुझाव है कि बड़े उद्योगों के आस-पास उनके सहायक के रूप में पनप सकने वाली एक ही प्रकार के लघु उद्योगों की बस्तिया खोली जाएं। नई बस्तिया खोलते समय भवन निर्माण आदि कार्यों में कम से कम खर्च करने के अनेक सुझाव आ चुके हैं और उन पर पूरा अमल करना आवश्यक होगा।

रोजगार

24. तीसरी योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ऊपर लिखित कार्यक्रमों में जो रुपया लगाया जाएगा, आशा है उससे 80 लाख लोगों को आंशिक या पहले से अधिक रोजगार और लगभग 9 लाख लोगों को पूरा रोजगार मिलेगा।

25. **निर्यात :** नारियल रेशे का सामान, हथकरघे का कपड़ा और दस्तकारियों का सामान लगभग प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। लघु उद्योगों का भी कुछ माल निर्यात होने लगा है। लघु उद्योगों के माल की किस्म बढ़िया करके कीमत घटाकर और नए डिजाइन आदि बनाकर उनके और अधिक माल को बाहर भेजना सम्भव होगा।

आंकड़े

26. किसी कार्यक्रम का क्या प्रभाव हुआ इसको आंकने के लिए देश भर के आंकड़े अत्यन्त आवश्यक होते हैं, लेकिन लघु उद्योगों सम्बन्धी पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1961 की जनगणना से उम्मीद है कि औद्योगिक इकाइयों की एक पूरी सूची शायद मिल जाए। उसको ढांचा मानकर जो कारखाने दस या उससे अधिक कर्मचारी रखते हैं या जिनकी पूंजी 5 लाख से अधिक है उन सबका छमाही सर्वेक्षण करने का एक प्रस्ताव है।

अध्याय 15

उद्योग और खनिज

I

उद्योग

प्रगति को समीक्षा

पिछले 10 वर्ष में और खासकर दूसरी योजना की अवधि में उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हुआ है और अनेक प्रकार के उद्योग कायम किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में तीन नए इस्पात के कारखाने खोले गए हैं और निजी क्षेत्र के कारखानों का आकार दुगुना कर दिया गया है। बिजली के भारी सामान, भारी मशीनी औजार और भारी मशीनों को बनाने वाले कारखानों की नीव डाल दी गई है। रसायन-उद्योगो में उर्वरको और बुनियादी रसायनो का उत्पादन काफी बढ़ाया गया है और यूरिया, पैनेसिलीन, नकली रेशे, औद्योगिक विस्फोटक, रग-रोगन और अखबारी कागज जैसे नए पदार्थों का भी बनना शुरू हो गया है। और भी अनेक उद्योगो का उत्पादन बहुत बढा है। पिछले 10 वर्ष में सगठित उद्योगों का उत्पादन करीब-करीब दुगुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन का सूचक अक जो 1950-51 में 100 था, 1960-61 में 194 पहुच गया।

2 दूसरी ओर कुछ त्रुटिया भी रह गयी है, जैसे सन् 1960-61 में तैयार इस्पात का उत्पादन कुल 22 लाख टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 45 लाख टन था। उर्वरक आदि के कुछ महत्वपूर्ण कारखानो के पूरे होने में भी देरी लगी है। कुछ उद्योगो में योजना में निर्धारित लक्ष्य नही पूरा हो सका है।

3. पिछले 10 वर्ष में उद्योगो को देश भर मे फैलाने मे भी सफलता मिली है और बिल्कुल नयी जगहो में बड़े-बड़े कारखाने खोले गये है, जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर मे इस्पात कारखाने और राची में भारी मशीन का कारखाना, भोपाल मे बिजली के भारी सामान का कारखाना और नेवेली मे लिगनाइट का उद्योग। ये सब नयी जगहें हैं। इसी तरह निजी उद्योगो को भी ऐसे क्षेत्रो में स्थापित कराने की कोशिश की गयी है जहा अब तक कल-कारखाने नही थे।

4. दूसरी योजना की अवधि में सगठित उद्योगो में कुल मिलाकर स्थिर नियोजन 1620 करोड रु० हुआ है; सरकारी क्षेत्रो के कारखानो में 770 करोड़ रु० और निजी कारखानों में 850 करोड़, जबकि लक्ष्य क्रमश 560 करोड और 685 करोड़ रु० का था।

तीसरी योजना में नीति

5. उद्देश्य—1961-66 की अवधि के लिए जो औद्योगिक कार्यक्रम बनाया गया है उसका उद्देश्य अगले 15 साल में तेजी से औद्योगीकरण की नीव डालना है। इसलिए ऐसे

बुनियादी उद्योगों को स्थापित करना आवश्यक है जिनसे और उद्योग कायम हो सकें या और सामग्री बन सके । खासकर मशीनें बनाने पर बहुत जोर देना है । इसके साथ ही शिल्प, कारीगरी और डिजाइन भी बनाने की शिक्षा आवश्यक है ताकि आगे चलकर हम अपने आप उन्नति कर सकें और विदेशी सहायता का सहारा कम से कम लें । इसके साथ ही हमें उन चीजों को बनाने का भी इन्तजाम करना पड़ेगा जिनकी मांग अगले 5 वर्ष में होने की सम्भावना है । जरूरी चीजों की मांग तो पूरी करनी होगी पर आराम और विलास की चीजों के बारे में अधिक से अधिक संयम करना होगा । स्वभावतः उद्योगों का विकास कच्चे माल और बिजली की शक्ति पर निर्भर होगा, इसलिए इनको बढ़ाना भी आवश्यक है ।

6. **औद्योगिक नीति**— उद्योगों का विस्तार अप्रैल 1956 के उद्योग नीति संकल्प के अनुसार होगा । दूसरी योजना की तरह इस योजना में भी सरकारी और निजी क्षेत्रों को एक-दूसरे के सहायक और पूरक की तरह काम करना होगा ।

7. **औद्योगिक-प्राथमिकता**—हमारे साधन सीमित हैं । इसलिए नये कारखानों को बढ़ाने या वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के पहले जो कारखाने लग चुके हैं उनसे पूरा काम लेना जरूरी है । नये कारखानों को कायम करने के बजाय वर्तमान कारखानों का विस्तार करना अच्छा होगा क्योंकि इससे उत्पादन भी जल्दी होगा और उसकी लागत भी कम पड़ेगी । नये कारखाने हमें ऐसी चीजों के खोलने होंगे जो निर्यात हो सकें या जो ऐसी चीजें बनाए जो अब तक बाहर से आयात होती रही हैं, और जिनसे हमारी विदेशी मुद्रा का खर्च कम हो और आय बढ़े । ऐसे कारखानों का बहुत विस्तार सम्भव न होगा जो बाहर से आने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करते हों । हमें तो ऐसे कारखानों पर जोर देना होगा जिनका माल विदेशों में बिक सके ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उद्योगों को निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देनी होगी—

(1) ऐसे उद्योगों को पूरा करना जो दूसरी योजना में शुरू किये गये थे या जिन्हें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 1957-58 में रोक देना पड़ा था ।

(2) भारी इंजीनियरी और मशीन बनाने के कारखानों का विस्तार जैसे गढ़ाई और ढलाई, मिश्रित धातु और विशेष किस्म के इस्पात, लोहा और इस्पात और लोह-मिश्रित धातु के कारखाने । उर्वरक और पेट्रोल के कारखानों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा और इनसे नयी-नयी चीजें बनाने का उद्योग शुरू करना होगा ।

(3) अलमुनियम, खनिज तेल, घुलने वाली लुगदी, मूल कार्बनिक और अकार्बनिक-रसायन और पेट्रोल के रसायन तथा नये उद्योगों में काम आने वाले रसायन आदि के कारखानों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।

(4) दवा, कागज, कपड़ा, चीनी, तेल और इमारती सामग्री आदि के उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।

औद्योगिक विकास कार्यक्रम

8. तीसरी योजना में उद्योगों और खानों के विकास के जो लक्ष्य रखे गये हैं उनको

पूरा करने के लिए करीब 2993 करोड़ रु० की जरूरत पड़ेगी। इसमें करीब 1338 करोड़ की विदेशी मुद्रा की दरकार होगी। इनका ब्योरा नीचे दिया है—

(करोड़ रु० में)

	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सरकारी व निजी क्षेत्र	
	कुल रकम	विदेशी मुद्रा	कुल रकम	वि. मुद्रा	कुल रकम	वि. मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
(क) नया नियोजन						
(1) खानों का विकास	478	200	60	28	538	228
(2) उद्योगों का विकास	1330	660	1125	450	2455	1110
(ख) पुरानी मशीनों को बदलना	—	—	150	50	150	50
योग—	1808	860	1335	528	3143	1388

ऊपर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों के नियोजन की राशि 1808 करोड़ रु० दी गयी है। दूसरी जगह यही राशि 1882 करोड़ रु० बतायी गयी है, परन्तु इसमें बागान उद्योगों को आर्थिक सहायता, हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाज बनाने में सहायता, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और भारतीय मानक संस्था के कार्यक्रमों का खर्च, दशमिक प्रणाली के विस्तार का खर्च राष्ट्रीय-उद्योग-विकास-निगम के जरिये निजी कारखानों को सहायता और निजी उद्योगों को सरकारी कर्ज और उनके हिस्सों की सरकारी खरीद की रकम भी शामिल है।

ऊपर, पुरानी मशीनों को बदलने के लिए जो रकम रखी गयी है वह आवश्यकता से कम है। पर इससे अधिक तीसरी योजना में संभव नहीं।

9. खर्च के जो अनुमान ऊपर दिये गये हैं इनके मुकाबले इस समय साधन कम पड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और खानों के लिए जो रुपया रखा गया है और निजी क्षेत्र के लिए जितने रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है, उनकी राशि 2570 करोड़ रु० होती है, 1470 करोड़ रु०* सरकारी क्षेत्र के लिए और 1100 करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए।

इसके अलावा आशा है कि 150 करोड़ रु० उन कारखानों की मशीनें बदलने तथा उनमें आधुनिक मशीनें लगाने के लिए उपलब्ध होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के हैं।

अस्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तीसरी योजना की अवधि तक भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे और काफी काम चौथी योजना में ले जाना होगा। परन्तु इस समय यह कहना कठिन है कि कौन से कार्यक्रम चौथी योजना में ले जाये जाएंगे और कौन से लक्ष्य पूरे नहीं होंगे।

*इसमें 50 करोड़ रु० की वह रकम शामिल नहीं है जो निजी क्षेत्र को दी जाएगी।

10. **सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम :** सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खानों के कार्यक्रम में कुल मिला कर करीब 1882 करोड़ रु० लगेगा। योजना खर्च के कुल 7500 करोड़ रु० में से 1520 करोड़ इन कार्यक्रमों के लिए रखे गये हैं, 1450 करोड़ केन्द्र में और 70 करोड़ राज्यों में।

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में जो बड़े उद्योग चलाये जायेंगे उनमें लोहा और इस्पात, कारखानों की मशीन, बिजली का भारी सामान, मशीनी औजार, उर्वरक, मूल रसायन और ऐसे रसायन जिनसे दूसरी चीजें तैयार हो, जरूरी दवाएं और पैट्रोल साफ करने के कारखाने होंगे। इस कार्यक्रम को तैयार करने में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सैनिक कारखानों का जो विस्तार होगा उनसे भी असैनिक व्यवहार की कुछ चीजें तैयार होंगी, जैसे मिश्रित धातुएं, ट्रैक्टर, ट्रक और बिजली के उपकरण वगैरह।

राज्य सरकारों के बड़े औद्योगिक कार्यक्रम ये हैं :—मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना और आंध्र कागज मिल का विस्तार, दुर्गापुर की कोक भट्टी को दोहरा करना और दुर्गापुर से कलकत्ता तक नलो द्वारा गैस ले जाना, उर्वरक का उत्पादन बढाने के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने का विस्तार और ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स का विकास तथा दुर्गापुर इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा कास्टिक सोडा, फैनोल, थैलिक एनहाइड्राइड और अन्य कार्बनिक रसायनों का निर्माण। राज्यो की योजना में ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां उद्योगो का विकास कम हुआ है।

11. **निजी क्षेत्र के कार्यक्रम :** अप्रैल, 1956 के उद्योग-नीति-संकल्प की सूची 'ए' में ऐसे उद्योग रखे गये हैं जिन्हें सरकार स्थापित करेगी। परन्तु इसके अलावा बाकी चीजों में निजी क्षेत्र के लिए बहुत गुंजाइश है और तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए काफी जगह रखी गयी है।

अनुमान है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए करीब 1,250 करोड़ रु० उपलब्ध हो सकेंगे जो निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त होंगे :

	(करोड़ रु०)
संस्थाओं (बैंक आदि) से	130
केन्द्र और राज्य सरकारों से ऋण, सहायता और हिस्सों की खरीद	20
नई पूंजी	200
आंतरिक साधन (शुद्ध देनदारी)	600
विदेश से ऋण व पूंजी साझेदारी	300
	1250

परन्तु निजी क्षेत्रों की आवश्यकता ऊपर दी हुई रकम से अधिक होगी, अनुमानतः 1350 करोड़ रु०। इसके अलावा निजी उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा भी 530 करोड़ से कम दरकार न होगी और इसका प्रबन्ध करना भी एक समस्या है। फिर भी कोशिश की जाएगी कि सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले उद्योगों के लक्ष्य तो पूरे हो ही जाएं। इसलिए विचार यह है कि औद्योगिक कार्यक्रम की बराबर समीक्षा की जाए और स्थिति तथा प्रगति को देखते हुए हर छठे महीने विदेशी मुद्रा और ऋण की व्यवस्था की जाए।

औद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें

(क) धातु उद्योग

12. लोहा और इस्पात—इसमें 102 लाख टन इस्पात के ढोंके और 15 लाख टन बिक्री के लिए लोहा बनाने का लक्ष्य है। निजी उद्योग का हिस्सा 32 लाख टन इस्पात होगा। इस समय निजी उद्योगों की क्षमता 30 लाख टन की है। 2 लाख टन इस्पात, निजी क्षेत्र में कतरनों और पुराने लोहे को गलाने वाली बिजली की भट्टियों में बनेगा। इसी तरह निजी क्षेत्र के कारखानो में बिक्री के लिए 3 लाख टन लोहा भी बनेगा।

सरकारी क्षेत्र में सबसे जरूरी काम होगा कि दूसरी योजना में जो इस्पात कारखाने कायम हुए हैं उनमें पूरी क्षमता से उत्पादन कराना। तीसरी योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने के विस्तार का और बोकारो में नया इस्पात कारखाना लगाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा नेवेली के लिगनाइट से चलने वाला लोहे का कारखाना भी खोला जाएगा। बोकारो में 20 लाख टन इस्पात के ढोंके बनाने का लक्ष्य है पर प्रारम्भ में 10 लाख टन बनाने की मशीनें लगायी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र मे इस्पात बनाने के इन कार्यक्रमो पर कुल 525 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। मोटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में देश में 240 लाख टन तैयार इस्पात बनेगा। इसमें 3 लाख टन सन् 1965-66 में बोकारो के कारखाने में बनने की आशा है।

13. औजारों में काम आने वाली मिश्रित धातु और बेदागी इस्पात—दुर्गापुर में प्रतिवर्ष 48 हजार टन विशेष किस्म का इस्पात बनाने वाला एक कारखाना लगाया जाएगा। सैनिक कारखानो से भी करीब 50 हजार टन मिश्रित इस्पात तैयार होगा। तीसरी योजना के अन्त तक इस प्रकार के करीब 2 लाख टन इस्पात की दरकार होगी। बाकी इस्पात बनाने का काम निजी उद्योगो को सौंपा जाएगा।

14. अलमुनियम—सन् 1665-66 मे 87,500 टन बनाने का लक्ष्य है जो कि उन निजी कारखानो से पूरा हो जाएगा जिनके लाइसेंस दिये जा चुके हैं। परन्तु देश मे इलेक्ट्रोलिटिक तांबे की माग बढ़ रही है और तीसरी योजना मे इसका उत्पादन बढने की आशा बहुत कम है। इसलिए अलमुनियम के और कारखाने लगाने जरूरी हो जाएगे।

15. तांबा और जस्ता—तीसरी योजना में घटशिला मे इंडियन कॉपर कारपोरेशन के कारखाने मे इलेक्ट्रोलिटिक तांबे का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खेतड़ी और दड़ीबो की खानो में लगी भट्ठियो से भी करीब 11,500 टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबा प्रतिवर्ष बनाने की आशा है। राजस्थान में जावर की जस्ते की खानो से, उदयपुर के जस्ते की भट्ठी में करीब 15 हजार टन धातु प्रतिवर्ष तैयार होगी।

(ख) इन्जीनियरी उद्योग

16. लोहा और इस्पात की सप्लाई और मशीनो की माग बढने के कारण इस क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। सरकारी क्षेत्र मे मुख्यतः भारी मशीनो के बनाने पर जोर दिया जाएगा। बाकी चीजों को बनाने का काम निजी उद्योगो को सौंपा जाएगा।

17. **ढलाई और गढ़ाई**—मशीनों को बनाने के लिए ढलाई और गढाई के कारखाने अत्यन्त आवश्यक है। तीसरी योजना में 12 लाख टन भूरे लोहे की ढलाई और 2-2 लाख टन इस्पात की ढलाई और गढ़ाई करने का लक्ष्य है। सरकारी क्षेत्र में 1 लाख 39 हजार टन भूरे लोहे की ढलाई, 76 हजार टन इस्पात की ढलाई और इतनी ही गढाई की व्यवस्था की गई है। निजी उद्योग में ढलाई और गढ़ाई का काम मुख्यतः मोटर के कारखानो मे और कागज, चीनी, सीमेंट और कपडे की मशीनों के कारखानों में होगा।

18. **कारखानों की मशीनें**—सरकारी क्षेत्र में रांची मे भारी मशीनों को बनाने का कारखाना लगाया जाएगा, दुर्गापुर में खानो की मशीनों का और बिजली की भारी मशीनों का और भोपाल में बिजली के भारी सामान का। दो और बिजली के भारी सामान बनाने के कारखाने लगाए जाएंगे जिनकी जगह तय नहीं हुई है। भारी मशीनों के कारखाने मे प्रतिवर्ष 10 लाख टन इस्पात की मशीनें तैयार हो सकेंगी। खानों की मशीनो के कारखाने में प्रतिवर्ष 45 हजार टन माल बनेगा। बिजली के भारी सामान के तीनो कारखानों मे बिजली के बहुत-से यंत्र बनाये जाएंगे जिससे सन् 1971 से लेकर प्रतिवर्ष बिजली बनाने की क्षमता 20 लाख कि० वा० बढ़ती चली जाएगी। तीसरी योजना में कोयले के बिजली-घरों के लिए ऊंची दाब के बायलर भी बनाने का कार्यक्रम है।

निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े की मिलों के पूरे यन्त्र बनाकर तयार किए जाएंगे।

19. **मशीनी औजार**—1960-61 में करीब 7 करोड़ रु० के मशीनी औजार बनाने का अनुमान है। तीसरी योजना मे 30 करोड़ रु० के औजार बनान का लक्ष्य है। इसके अलावा करीब 5 करोड़ रु० के मशीनी औजार छोटे कारखानो मे बनेगे। सरकारी क्षेत्र मे हिन्दुस्तान मशीन टूल और प्रागा टूल कारखानो को बढाया जाएगा, राची मे एक नया भारी मशीन बनाने का कारखाना खोला जाएगा और पजाब मे हिन्दुस्तान मशीन टूल के बराबर का कारखाना खोला जाएगा। आशा है कि सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र में 15 करोड़ रु० के मशीनी औजार बनने लग जाएगे।

20. **यातायात का सामान**—सरकारी क्षेत्र में बिजली और डीजल के इजन बनाने, विशाखापत्तनम के जहाज कारखाने का विस्तार करने और कोचीन में एक और जहाज कारखाना खोलने की योजनाए मुख्य हैं। योजना मे प्रतिवर्ष 1 लाख मोटर गाड़िया और 60 हजार मोटर साइकिल, स्कूटर और तीन पहियें वाली गाडियां बनाने की व्यवस्था है। कोशिश यह करनी होगी कि मोटरों के 85 प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनने लगे ताकि इनके लिए हमें विदेशी मुद्रा अधिक न खर्च करनी पड़े। सवारी के मोटरों की बजाय व्यापारी मोटरें तथा ट्रक, बस, आदि बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा।

(ग) रसायन और संबंधित उद्योग

21. **उर्वरक**—अनुमान है कि 1965-66 तक 10 लाख टन नत्रजनयुक्त और 4 लाख टन पी$_2$ ओ$_5$ युक्त उर्वरक की जरूरत होगी। नत्रजनी खाद मिश्रित रूप में बनायी जाएगी ताकि फास्फेट की जरूरत भी कुछ हद तक इससे पूरी हो सके। नत्रजनी खाद के

कारखाने निजी और सरकारी दोनो क्षेत्रों में खोले जाएगें। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के अंत तक 7 लाख 30 हजार टन हो जाएगी। निजी क्षेत्र में भी 5 नये कारखानो को बढाने की ओर एक कारखाने का विस्तार करने की इजाजत दे दी गयी है। इन से करीब 4 लाख टन नत्रजन तैयार होगा। सुपरफास्फेट बनाने के जिन कारखानो की अनुमति दे दी गयी है उनसे और सरकारी तथा निजी कारखानो में बनने वाले मिश्रित उर्वरको से 1965-66 तक 4 लाख टन फास्फेट उपलब्ध होने की आशा है, जो हमारी जरूरत के लिए काफी है।

22. गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश—तीसरी योजना मे सन् 1965-66 तक गधक का तेजाब 17 लाख 50 हजार टन, कास्टिक सोडा 4 लाख टन और सोडा ऐश 5 लाख 30 हजार टन बनाने का लक्ष्य है। कास्टिक सोडा और सोडा ऐश दोनो में तीसरी योजना के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जाएगे।

23. कार्बनिक रसायन—इस क्षेत्र में भी बहुत विकास होगा। प्लास्टिक, रंग और दवाओ के उद्योगो के विकास के कारण कार्बनिक रसायन उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश हो गयी है और करीब 40 ऐसे रसायनो को बनाने का इन्तजाम किया जाएगा जिनका कुल उत्पादन 25,160 टन होगा और इसमें 15 हजार टन की और वृद्धि करने की भी व्यवस्था है।

24. पेट्रोल की सफाई—1965 तक 117 लाख टन पेट्रोलियम की दरकार होगी। पेट्रोल साफ करने की निजी क्षमता करीब 56 लाख टन है। नूनमती और बरौनी के सरकारी कारखानो की क्षमता 23 लाख टन होगी। जब ये कारखाने पूरे हो जाएगें तो देश में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 79 लाख टन हो जाएगा। गुजरात में तेल सफाई का तीसरा सरकारी कारखाना खोला जाएगा जिसकी क्षमता 20 लाख टन होगी। इन सबको मिलाकर जो उत्पादन होगा वह हमारी आवश्यकता से फिर भी कम रहेगा। परन्तु मोटर स्प्रिट हमारी आवश्यकता से 4 लाख टन अधिक बनेगी। इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

25 दवाएं—आन्ध्र प्रदेश मे सनत नगर में कृत्रिम (सिंथैटिक) दवाओ का कारखाना, ऋषिकेश के पास एंटी-बायोटिक दवाओ का कारखाना और केरल मे फीटो कैमिकल कारखाना खोला जाएगा। इनके अलावा निजी कारखानो मे जो दवाएं बनेंगी उनको मिलाकर तीसरी योजना के अंत तक हमारा देश मुख्य-मुख्य दवाओ मे प्राय: आत्म-निर्भर हो जाएगा।

26. प्लास्टिक—प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन भी बढाने का कार्यक्रम है और इसके लिए 85 हजार टन का लक्ष्य रखा गया है। पैट्रोल से जो रसायन प्राप्त होंगे उनसे प्लास्टिक उद्योग को सहायता मिलेगी।

27. सीमेंट—1965-66 तक 150 लाख टन सीमेंट बनाने का लक्ष्य है, जो दूसरी योजना के उत्पादन से 50 प्रतिशत अधिक है।

(घ) व्यवहार की चीजें

28. कपड़ा—तीसरी योजना के अन्त तक 930 करोड़ गज कपड़े की आवश्यकता का अनुमान है। इसमें 85 करोड़ गज निर्यात के लिए होगा। 930 करोड़ गज के लक्ष्य में से

350 करोड़ गज हथकरघा, बिजली का करघा और खादी उद्योग में बनेगा। कपड़े की मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी योजना की अवधि में 25 हजार स्वचालित करघे लगाए जाएंगे। मिलों में तकुओं की संख्या भी 165 लाख कर दी जाएगी, जो कि दूसरी योजना के अन्त में 127 लाख थी।

29. **नकली रेशा**—दूसरी योजना के अन्त में रेयन और नकली रेशा (स्टैंपल) उद्योग की क्षमता 10 करोड़ पौंड थी—523 लाख पौंड रेयन और 480 लाख पौंड रेशा। इसे बढ़ाकर 21 करोड़ 50 लाख पौंड कर दिया जाएगा—14 करोड़ पौंड रेयन और 7 करोड़ 50 लाख पौंड रेशा।

30. **कागज और अखबारी कागज**—1965-66 तक 7 लाख टन अखबारी और अन्य कागज की दरकार होगी। इस समय कागज उद्योग की क्षमता 4 लाख 10 हजार टन है जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक 8 लाख 20 हजार टन कर दिया जाएगा। अखबारी कागज की क्षमता 30 हजार टन से बढ़ाकर $1\frac{1}{2}$ लाख टन करने का प्रस्ताव है। कागज बनाने में अधिकतर गन्ने की खोई का इस्तेमाल करना होगा।

31. **चीनी**—तीसरी योजना में प्रतिवर्ष 35 लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य है। आशा है कि इसका 25 प्रतिशत सहकारी कारखानों में बनेगा। देश की जरूरत पूरी होने के बाद कुछ चीनी बच रहेगी जो निर्यात की जाएगी।

32. **तेल**—तिलहन और नारियल के तेल का उत्पादन 1965-66 तक 29 लाख टन हो जाएगा। तीसरी योजना में बिनौले के तेल का उत्पादन 1 लाख टन कर दिया जाएगा और खली से तेल का उत्पादन 40 हजार टन से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार टन प्रतिवर्ष हो जाएगा।

33. **औद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि**—आशा है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक 1965-66 में 329 हो जाएगा (1950-51=100)। 1960-61 का अनुमानित सूचक अंक 194 है और पहली योजना के अन्तिम वर्ष का 139।

: 2 :

खनिज और तेल

प्रगति की समीक्षा

1. पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में इसका ठीक-ठीक पता लगाने का प्रयत्न किया गया था कि हमारे देश में मुख्य-मुख्य खनिजों का कितना भंडार है और वह किस कोटि का है, ताकि उसकी रक्षा और उसको निकालने का उचित प्रबन्ध किया जा सके। दूसरी योजना में इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कोयला, लोहा और बाक्साइट की खुदाई काफी बढ़ी।

2. **कोयला**—दूसरी योजना में 6 करोड़ टन कोयला खोदने का लक्ष्य रखा गया था। अर्थात् सन् 1955 के उत्पादन से 2 करोड़ 20 लाख टन अधिक। इसमें से 1 करोड़ 20 लाख टन सरकारी खानों के जिम्मे रखा गया और बाकी 1 करोड़ टन निजी खानों के जो वर्तमान और उनसे लगी हुई नयी खानों से निकाला जाएगा। जो सरकारी और निजी खानें पहले से चल रही थीं उनके उत्पादन को बढ़ाने में तो कठिनाई नहीं हुई किन्तु नयी खानों के विकास में

काफी कठिनाइया पड़ी। खानो का पता लगाने और उन्हे प्राप्त करने में काफी समय लगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और खनन कार्य में दक्ष कर्मचारियों की भी कमी थी। इसलिए सन् 1960-61 से 5 करोड 46 लाख 20 हजार टन का ही उत्पादन हो सका जबकि लक्ष्य 6 करोड टन का था। परन्तु 1960-61 वर्ष की अंतिम तिमाही मे जिस गति से कोयला खोदा गया है उसमे वार्षिक उत्पादन 6 करोड टन से अधिक हो जाएगा। 1950 में 3 करोड 23 लाख 10 हजार टन कोयला खोदा गया था, जबकि 1955 में 3 करोड़ 82 लाख 30 हजार टन और 1960-61 मे 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार टन कोयला खोदा गया।

3. सन् 1952 मे कोयला खान सुरक्षा और बचाव कानून बनाया गया जिसमे सरकार को कोयला भडारो की बरबादी रोकने का अधिकार मिला। खानो में खुदाई के बाद पोली जगहो को भरना अनिवार्य बना दिया गया, लोहा बनाने के काम आने वाले कोयले की खुदाई पर नियत्रण किया गया, ताकि इसकी बरबादी न हो। घटिया कोयले को धो कर अच्छा बनाने के लिए 4 केन्द्रीय धुलाई कारखाने खोले गये और एक दुर्गापुर के इस्पात कारखाने मे खोला गया। दूसरी योजना में 64 लाख टन कोयले की धुलाई का लक्ष्य था। इसमें से 24 लाख टन की क्षमता के धुलाई-खाने कायम हो गये हैं और बाकी तीसरी योजना के शुरू के वर्षों में तैयार हो जाएगे।

4 कोयले की बरबादी रोकने के लिए, गैर जरूरी कामो में कोकिंग या अच्छे कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगायी गयी और ऐसी खानो को विशेष सहायता दी गयी जिनमें खुदाई बहुत गहराई मे होती है या जिनमे गैस अधिक है। इसके अलावा छोटी-छोटी और घाटे पर चलने वाली खानो को मिलाकर एक प्रबन्ध में लाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

5 खनिज तेल—देश मे खनिज तेल की खोज के लिए पहली योजना के अन्त मे विशेष सगठन स्थापित किया गया। दूसरी योजना मे इस काम को और भी बढ़ाया गया और ससद ने कानून पास करके इस सगठन को आइल एड नेचुरल गैस कमीशन का रूप दिया। यह कमीशन तेल की खोज के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण आदि करता है और पंजाब, खम्भात, उत्तर प्रदेश और ऊपरी असम मे इसने तेल के कुएं भी खुदवाए है। यद्यपि इस समय देश मे केवल असम मे डिगबोई से थोडा-सा ऐसा तेल निकलता है पर आशा है कि जल्दी ही नहरकटिया के कुओ से 27 5 लाख टन तेल निकलने लगेगा। इसे आयल इंडिया लि० निकालेगी। कच्चा तेल नलो के द्वारा गुवाहाटी और बरौनी के सफाई कारखानों में पहुचाया जाएगा। गुवाहाटी मे 7 5 लाख टन और बरौनी मे 20 लाख टन तेल साफ किया जाएगा।

6. खनिज उत्पादन—सन् 1950 मे 83 करोड रु० के खनिज खोदे गये थे। 10 वर्ष बाद अर्थात् सन् 1960 में 159 करोड रु० के खनिज खोदे गए। सबसे अधिक वृद्धि लोहे की खुदाई में हुई जिसका उत्पादन नु 1950 के 29 लाख 70 हजार टन से बढ़कर 1960 मे 105 लाख टन हो गया। यह वृद्धि देश मे इस्पात मिलो के खोलने और लोह खनिज के दूसरे देशो मे निर्यात के कारण हुई। कोयले का उत्पादन 323 लाख टन से बढ़कर 518 लाख टन हो गया, चूने के पत्थर का 29 लाख से 125 लाख टन, क्रोमाइट

का 17 हजार से 99 हजार टन, बाक्साइट का 64 हजार टन से 3 लाख 77 हजार टन और जिपसम (सेलखड़ी) का 2 लाख 4 हजार से 9 लाख 82 हजार टन हो गया।

7. **खानों की पड़ताल**—पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि मे भारत मे भूगर्भ सर्वे और खान कार्यालय का विस्तार किया गया और नए इलाको के बड़े भूगर्भ नक्शे तैयार किये गये। इनमे कुछ में बहुत महत्वपूर्ण खनिज भण्डार हैं। इसके अलावा कुछ चुने हुए इलाकों में कोयला, लोहा और अन्य धातु विशेषकर तांबा, शीशा और जस्ते की खोज के लिए खुदाई की गयी। ये इलाके राजस्थान (खेतडी और जावर) और सिक्किम में हैं। इन पड़तालों से देश के खनिज भंडार की अच्छी जानकारी मिली और पता चला कि कुछ चीजो के भंडार जितना अब तक अनुमान था उससे बहुत अधिक हैं।

तीसरी योजना में कार्यक्रम

8. तीसरी योजना मे देश के खनिज भण्डार का पता लगाने का और अधिक प्रयत्न किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा—

(क) ऐसी धातु या खनिज की खोज जो अब तक पूर्णत. या अधिकांशतः विदेशो से मंगाये जाते हैं,

(ख) लोहा, बाक्साइट, जिपसम, कोयला, चूने के पत्थर आदि की नयी खानों का पता लगाना जो देश के उद्योग में काम आ सके, और

(ग) निर्यात के लिए लोहा और अन्य धातु की नयी खानों का पता लगाना और उन्हे खोदना।

इस के लिए भूगर्भ पड़ताल को बढाना होगा और भू-भौतिकी तथा भू-रसायन के तरीकों से भी काम लेना होगा और जहा खनिज होने की सभावना है वहां उनके परिमाण और उनकी किस्म की अच्छी तरह जाच करना होगा।

कोयला

9. अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 970 लाख टन कोयले की दरकार होगी। इसका अर्थ यह है कि दूसरी योजना के लक्ष्य से जो 6 करोड़ टन था 370 लाख टन कोयला और बनाना होगा। यद्यपि दूसरी योजना का लक्ष्य पूरा नही हो सका, पर लक्ष्यानुसार क्षमता उत्पन्न हो गयी है।

10. तीसरी योजना मे जितने अधिक कोयले की जरूरत है उसको निकालने के लिए सरकारी क्षेत्र में बहुत-सी नयी खानें खोदनी पडेगी। इसमे बहुत मेहनत और बहुत रुपया लगेगा। 1960 में बढिया किस्म का कोकिंग कोयला 130 लाख टन निकाला गया था और 20 लाख टन ऐसा था जो मिलाकर (ब्लेंड) काम आ सकता था। धातु उद्योग के लिए तीसरी योजना के अन्त तक कम से कम 100 लाख टन कोकिंग कोयला और 20 लाख टन ब्लेन्डेबुल या मिलवा कोयला दरकार होगा। रेलो के लिए और अन्य उद्योगों के लिए करीब 100 लाख बढिया किस्म के गैर-कोकिंग कोयले की जरूरत होगी। इसलिए तीसरी योजना में मुख्य काम यह होगा कि इस्पात कारखानो को और रेलों आदि अन्य उद्योगो को उपयुक्त कोटि का कोयला यथेष्ट मात्रा मे मिलता रहे।

11. सरकार की नीति यह है कि नयी खानें सरकारी क्षेत्र में खोली जाएं और निजी क्षेत्र नें केवल वर्तमान खानो के विस्तार की ओर इससे लगी हुई खानो को खोदने की अनुमति दी जाए। इसलिए सरकारी क्षेत्र को 200 लाख टन और निजी क्षेत्र को 170 लाख टन कोयला और खोदने का काम सौंपा गया।

12. **सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम**—सरकारी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की सिंगारेणी खानो का उत्पादन 30 लाख टन बढाया जाए और बाकी 170 लाख टन, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अन्य खानों से निकालेगा।

13. निजी क्षेत्र की खानो में 110 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन वर्तमान खानो से और उन नयी खानो से होगा जो पट्टे पर दिये गये इलाके में हैं।

14. **सुरक्षा**—अपने देश में कोकिंग कोयले का भण्डार केवल 280 करोड़ टन है। पर बढ़िया किस्म के लोहे का भण्डार बहुत अधिक है। इसलिए एक ओर तो कोकिंग कोयले की बरबादी रोकनी होगी और दूसरी ओर उसकी खानों की रक्षा करनी होगी और घटिया कोयले की धुलाई या बढिया के साथ दूसरा कोयला मिलाकर इसका भण्डार बढाना होगा। बढिया कोयले की बरबादी रोकने के लिए कोयला परिषद की ईंधन कमेटी ने यह तय कर दिया है कि किस उद्योग को किस किस्म का कोयला कितनी मात्रा में दिया जाए।

15. **खानों में भराई**—तीसरी योजना में खानो की पोली जगह को भरने पर अधिक जोर दिया जाएगा क्योंकि इनमे से और कोयला खोदा जाएगा। खानो मे भरने के लिए दामोदर नदी से बालू भेजी जाएगी। बालू ले जाने के लिए झरिया की खानों तक तार द्वारा परिवहन की चार लाइनें और रानीगज की खानों तक 3 लाइनें लगायी जाएंगी जिन पर बाल्टियों में बालू ले जाया जाएगा।

16. **परिवहन**—कोयले की अधिकाश खानें बंगाल और बिहार में हैं। इसलिए इनके परिवहन में दिक्कत होती है। तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी कोयला निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ट्रकों और जहाजो के जरिये भी कोयला भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

17. **कोयला धुलाई के कारखाने**—तीसरी योजना में इस्पात के अधिक उत्पादन के लिए 127 लाख टन कोयले की धुलाई का और इन्तजाम करना पडेगा। जो धुलाई-खाने अभी हैं या जो बन रहे हैं उनमें 32 लाख टन और कोयले की धुलाई हो सकेगी। बाकी के लिए नये धुलाई-खाने खोलने पडेंगे। इन धुलाई-खानो में रेलवे की जरूरत का गैर-कोकिंग कोयला भी धोया जाएगा और खानों के कोयले की जाच करके देखा जाएगा कि उनकी धुलाई हो सकती है या नही।

18. **नंवेली लिगनाइट योजना**—मद्रास के दक्षिण अरकाट जिले में नंवेली में भूरे कोयले का जो भडार है उसके विकास के लिए दूसरी योजना मे निम्नलिखित कार्यक्रम थे—

(1) 350 लाख टन भूरा कोयला निकाला जाए जिससे

(क) 250 मे० वा० बिजली बनाने के कारखाने की आवश्यकता पूरी हो जाए,

(ख) यूरिया के रूप में 70 हजार टन नत्रजन-युक्त खाद बनाने के कारखाने की किए जा जरूरत को पूरा किया जाए, और

(ग) भूरे कोयले को फूंक कर 3 लाख 80 हजार टन कोयले के पिंड तैयार सकें।

(2) एक मिट्टी-धुलाई का कारखाना खुले जिसमें प्रतिवर्ष 6 हजार टन सफेद चीनी मिट्टी बन सके।

तीसरी योजना में उपर्युक्त कार्यक्रम पूरे किये जाएगे। बिजलीघर की क्षमता 150 मे० वा० और बढ़ायी जाएगी, तथा लिगनाइट का उत्पादन 350 लाख टन से बढाकर 480 लाख टन किया जाएगा जो बिजलीघर में काम आएगा।

19. खनिज तेल—खनिज तेल का कार्यक्रम यह है—(क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में तेल निकालना, (ख) आयल और नेचुरल गैस कमीशन द्वारा तेल की खोज, (ग) गुवाहाटी और बरौनी के सफाई कारखानों को पूरा करना और गुजरात मे 20 लाख टन क्षमता का नया कारखाना खड़ा करना, (घ) तेल को ले जाने के लिए नल लगाना, और (च) सरकारी तेल के कारखानों मे तैयार होने वाले और बाहर से आने वाले तेल और तेल पदार्थों की बिक्री का सरकारी प्रबन्ध करना।

20. दूसरी योजना में तेल की खोज में केवल 26 करोड़ रु० खर्च हुए थे जबकि तीसरी योजना में 115 करोड़ रु० खर्च होंगे और देश के अधिकाश क्षेत्रों मे, जिनमे कावेरी घाटी भी शामिल है, खोज होगी। तेल की खोज में विदेशो का भी सहयोग लेने का निश्चय किया गया है। बर्मा आयल कंपनी के साथ असम में तेल की खोज करने और तेल निकालने के लिए नया समझौता किया गया है। तीसरी योजना के अन्त तक देश में 65 लाख टन तेल निकलने की आशा है।

21. लोहा—तीसरी योजना में लोहा और इस्पात के उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके लिए 200 लाख टन और बाहर निर्यात के लिए 100 लाख टन लौह खनिज की दरकार होगी। इसलिए तीसरी योजना में 320 लाख टन लोहा निकालने का लक्ष्य है।

आशा है कि तीसरी योजना में 1963 तक किरीबुरू की खानो से कोयला निकलने लगेगा और मध्य प्रदेश की बेलडीला खानें भी चालू हो जाएगी, जिनसे प्रतिवर्ष 60 लाख टन लौह खनिज निकलेगा।

22. अन्य खनिज—तीसरी योजना में अन्य खनिजो का कार्यक्रम इस तरह है:

(1) राजस्थान में खेतड़ी और दडीबो की तांबे की खानो की खुदाई और 11,500 टन इलैक्ट्रोलिटिक तांबा बनाने की भट्टी लगाना।

(2) सिक्किम में रांगपो की तांबे की खानों की खुदाई और तांबा बनाने का कारखाना लगाना।

(3) बिहार में अमजोर की पायरिट खानों की खुदाई और 84 हजार टन एलिमेंटल सल्फर का उत्पादन।

(4) मद्रास में पन्ना को हीरे की खानों का विकास ।

(5) कोलार की सोने की खानों में और खोज तथा खुदाई व हुट्टी में सोने की खोज ।

23. **खनिज पड़ताल**—देश में खनिज भंडारो की और खोज के लिए तीसरी योजना में भूगर्भ सर्वे और खान कार्यालय के और विस्तार की व्यवस्था की गयी है । इन संगठनो के द्वारा देश के विभिन्न भागो में कोयला, लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, बाक्साइट, चूना, तांबा, शीशे और जस्ते की खोज होगी ।

अध्याय 16

परिवहन और संचार साधन

पिछली दशाब्दी में अर्थ-व्यवस्था के द्रुत विकास के कारण परिवहन की माग बहुत बढ गई है। यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में परिवहन क्षमता में काफी विस्तार किया गया, फिर भी बड़ी मुश्किल से दिनों-दिन बढ़ती हुई मांग पूरी हो पा रही है। विशेषकर रेलो को इस अवधि में परिवहन की मांग को पूरा करने में बडी कठिनाई रही।

2. पहली पंचवर्षीय योजना में परिवहन के क्षेत्र में सबसे बडा काम उन पुराने साधनों को बदलना या सुधारना था, जो उससे पहले की दशाब्दी मे भारी काम करने के कारण गिरी हुई हालत में पहुंच चुके थे। रेलों के डिब्बे और इजिनों की मरम्मत, पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाने, पुराने जहाजों को बदलकर नए जहाज उपलब्ध करने तथा बन्दरगाहों की साज-सज्जा की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए बहुत बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी योजना में भी इस काम के लिए, विशेषकर रेलों के पुराने सामान को बदलने के लिए बहुत बडी राशि लगाई गई। लेकिन दूसरी योजना में जोर नई लाइनें बिछाने और नए डिब्बे और इंजन बनाने पर रहा, ताकि अर्थ-व्यवस्था के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ढोने का बढा हुआ कार्य रेलें निभा सकें।

3. पहली और दूसरी योजना में परिवहन और सचार के विकास के कार्यक्रमों की प्रगति सन्तोषजनक रही। इस अवधि में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या 244,441 से बढकर 341,041; इंजन 8461 से बढकर 10,554 और सवारी गाडी के डिब्बे 20,502 से बढ़कर 28,171 हो गए। बडी मात्रा में नई लाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से हुआ। लगभग 1300 मील लाइन को दोहरा किया गया और 800 मील लाइन पर बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था की गई। इस अवधि में 1200 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गई और पिछले महायुद्ध में उखाड़ी गई 400 मील लम्बी लाइन फिर से बिछाई गई।

4. सड़कें बनाने के काम में भी बहुत प्रगति हुई। जहां 1950–51 में 97,500 मील बढिया सड़कें थी, अनुमान है कि 1960–61 में 144,000 मील बढ़िया सडकें बन चुकी थी। पक्की सडकों की मील संख्या भी 151,000 से बढकर 250,000 मील हो गई। इस अवधि में मोटरो की संख्या भी लगभग दुगुनी हुई। अर्थात जहा 1950–51 में केवल 81,000 माल ढोने की मोटरें थी, वहां 1960–61 में 160,000 मोटरें देश की सडकों पर दौड़ने लगीं।

5. भारतीय जहाजों की टन संख्या भी पहली दो योजनाओं की अवधि में 3.9 लाख

से बढकर 9 लाख हो गई। इस अवधि में बड़े-बड़े बन्दरगाहों की क्षमता भी दो करोड़ टन से बढ़कर 3 करोड 70 लाख टन हो गई। दूसरी योजना की अवधि में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनके पूरा होने पर आशा है बड़े बन्दरगाहों की क्षमता साढे चार करोड़ टन हो जाएगी।

6. 1953 मे हवाई सेवाओं के राष्ट्रीयकरण होने के बाद से नागरिक वायु परिवहन ने भी बहुत उन्नति की है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की क्षमता टन मीलों में 1953-54 में 4.6 करोड़ से बढकर 1960-61 में 6.9 करोड़ हो गई तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल की क्षमता इस अवधि में 1.7 करोड़ से बढकर 10.3 करोड़ हो गई।

7. रेलो ने 1950-51 मे 9 करोड़ 15 लाख टन माल ढोया था, जो 1960-61 में बढकर 15 करोड 40 लाख टन हो गया। इस अवधि में माल के लदान की औसत दूरी भी 292 मील से बढकर 354 मील हो गई। इस प्रकार मात्रा के हिसाब से माल की ढुलाई मे 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि टन मीलों के हिसाब से इसमें सौ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि में ट्रको द्वारा माल की ढुलाई तिगुनी बढ गई और परिवहन की माग में राष्ट्रीय आय या अर्थ-व्यवस्था के किसी भी बड़े क्षेत्र की वृद्धि से कही अधिक ज्यादा वृद्धि हुई।

8. **परिवहन में समन्वय : तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण**—दीर्घकालीन परिवहन नीति बनाने में परामर्श देने के लिए तथा इस नीति के अनुसार अगले पांच-दस वर्ष में विभिन्न साधनो का परिवहन में भाग निश्चित करने के लिए जुलाई 1959 में जो परिवहन नीति और समन्वय समिति बनाई गई थी, उसने फरवरी 1961 मे अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की। समिति ने इस रिपोर्ट में रेल और सड़क परिवहन में समन्वय से सम्बन्धित बहुत विस्तृत मसाला दिया है, और देश के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाने की दृष्टि से कई प्रश्न उठाए है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर तीसरी योजना के परिवहन कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जाएगा। फिर भी अगले कुछ वर्षों में परिवहन के विकास सम्बन्धी कुछ ऐसी बाते है, जिन पर इस समय भी प्रकाश डाला जा सकता है। पहली बात तो यह है कि तीसरी योजना की अवधि में भी कोयला, लोहा, इस्पात कारखानो आदि के लिए आवश्यक भारी माल का अधिकांश रेलो को ही ढोना पड़ेगा। दूसरे, हालाकि आज देश में परिवहन सुविधाओं की आम कमी है और यह आगे भी कुछ दिन बनी रहेगी, लेकिन इससे यह अर्थ नही निकाला जा सकता कि कुछ रास्तो पर और कुछ पदार्थों की ढुलाई में रेल और सड़क परिवहन में प्रतियोगिता नही चलेगी। कुछ क्षेत्रो में नई लाइनें बिछाने की विस्तृत योजना बनाते समय रेलो को उन क्षेत्रो में सड़क परिवहन के भावी विकास का भी ध्यान रखना होगा। नई लाइन बिछाने के प्रस्तावो पर विचार करते समय परिवहन के इन दोनो साधनों में समन्वय का ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। पहली दो योजनाओं की तरह तीसरी योजना में भी अधिकांश नई रेल लाइनों या तो रेलों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार या कोयला और अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई को ध्यान मे रख कर बनाई जाएगी। तीसरी चीज़ जो इस पर असर डालेगी, वह है भारतीय रेलों की वित्तीय

स्थिति। इस समिति ने कुछ ऐसी बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जिनसे रेलों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और इस सम्बन्ध में समिति ने विचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

9. **तीसरी योजना में परिवहन और संचार साधनों के लिए आवण्टन**—तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन और संचार साधनों के कार्यक्रमों के लिए 1486 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीचे दी गई सारिणी के अनुसार वितरित किया गया है—

तीसरी योजना में परिवहन और संचार साधनों के लिए व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	खर्च की व्यवस्था
रेल	890[1]
सड़कें, सड़क परिवहन	297
जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल परिवहन, बन्दरगाह और प्रकाश-स्तम्भ	153[2]
असैनिक वायु परिवहन	55
डाक और तार (दूरमुद्रक कारखाने समेत)	68
पर्यटन	8
प्रसारण	7
अन्य परिवहन और संचार साधन	8
योग	1486

कुछ कार्यक्रमों के लिए ऊपर जो वित्तीय व्यवस्था दर्शाई गई है, अनुमान है वास्तव में उन पर उससे अधिक व्यय होगा। इस प्रकार रेलो के कार्यक्रमो की कुल अनुमित व्यय स्टोर्ज सस्पेंस समेत लगभग 1325 करोड रुपये, सड़क परिवहन के कार्यक्रम लगभग 324 करोड़ रुपये, बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रम 115 करोड़ रुपये और डाक तार के कार्यक्रम का व्यय 78 करोड़ रुपये होगा।

रेलें

10. तीसरी योजना में रेलो के विकास का कार्यक्रम यह मान कर बनाया गया है कि 1965-66 में माल की ढुलाई 24 करोड 50 लाख टन पहुंच जाएगी। तीसरी योजना में

(1) रेल अपनी ह्रास निधि से जो 350 करोड़ रुपये इस्तेमाल करेंगी तथा उन्हें 'स्टोर्ज सस्पेंस' मद में जो 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, वह इसमें शामिल नही है।

(2) अनुमान है कि बड़े बन्दरगाह अपने साधनों से 20 करोड़ रुपये जुटाएंगे, जिसे इस राशि में शामिल कर लिया गया है।

माल की ढुलाई में जो 9.1 करोड टन वृद्धि की आशा है, उसमें से 7.95 करोड टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात का कच्चा माल, सीमेण्ट, निर्यात किया जाने वाला लोहा और रेलो का अपना माल होगा और शेष 1.15 करोड टन आम माल की ढुलाई में वृद्धि होगी। यह अनुमान केवल अस्थायी हैं।

11. पुराने डिब्बो और इजनो को बदलने के अलावा इस कार्यक्रम में 90,447 नए माल के डिब्बे, 5025 सवारी डिब्बे और 1150 इंजन प्राप्त करने की व्यवस्था है। कारखानो के कार्यक्रम में अन्य कामों के अतिरिक्त चित्तरंजन के कारखाने में भोपाल के बिजली की भारी मशीनो के कारखाने के सहयोग से बिजली के इजन तैयार करने का कार्यक्रम भी शामिल है। इसके साथ ही डीजल के इजन बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लाइन बिछाने के कार्यक्रम में 1600 मील लम्बी लाइन दोहरी की जाएगी, यार्डों का आधुनिकीकरण आदि किया जाएगा। इस काम मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रमुख लाइनो की क्षमता बढे तथा जिन क्षेत्रो में कोयले और लोहे आदि भारी माल की ढुलाई में वृद्धि होने की आशा है, वहा अतिरिक्त लाइने बिछाई जाए।

12. बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था करने के वे कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे जो दूसरी योजना में हाथ में लिए गए थे। केवल एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और वह है मुगलसराय से कानपुर तक बिजली से रेल चलाने के प्रबन्ध का।

13. पुरानी लाइन बदलने का जो काम बाकी है, वह इस योजना के अन्त तक पूरा किया जायगा। योजना में 5000 मील लम्बी लाइनो का पूरा सामान बदलने, 2500 मील लम्बी केवल लाइन बदलने और 2250 मील लाइनो के शहतीर बदलने की व्यवस्था है।

14. तीसरी योजना की अवधि में 1200 मील नई लाइनें बिछाने की व्यवस्था है। दूसरी योजना में शुरू की गई नई लाइनो अर्थात् गढ़वा रोड-राबर्ट्सगज, सम्भलपुर-तितलागढ और बिमलगढ-किरीबुरु के अतिरिक्त तीसरी योजना में निम्नलिखित नई लाइनें और बिछाने का कार्यक्रम है : झड-काडला, माधोपुर-कथुआ, उदयपुर-हिम्मतनगर, दिल्ली बचाकर चलने वाली लाइनें, दिवा-पानवेल-खारपडा-उरन, पाथरकण्डी-धर्मनगर, गुना-मकसी, राची-बोडामुण्ड, हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर, गाजियाबाद-तुगलकाबाद, बैलामिला-कोटवालसा और हालिदा बन्दरगाह के लिए नई लाइन। इनके अतिरिक्त कोयला उद्योग के विकास के सिलसिले मे 200 मील लम्बी नई लाइनो के बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त कार्यक्रमो में शामिल करने के लिए निम्नलिखित लाइनो पर भी विचार किया जा रहा है : (1) मंगलोर-हसन, (2) बगलौर-सलेम (3) मनमादुरई-विरुदुनगर और (4) उड़ीसा के खान क्षेत्र मुकिण्टा, दैत्रई से खड्गपुर-कटक लाइन तक मेन लाइन।

15. तीसरी योजना में कर्मचारियो के लिए 54,000 नए मकान बनाने का भी प्रस्ताव है। ये मकान उनके अतिरिक्त होगे जो अन्य कार्यक्रमो के अंग स्वरूप बनाए जाएंगे। कर्मचारियो के कल्याण के कार्यक्रमो में चिकित्सा सुविधाओ के विस्तार, मकानो में सुधार, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली और कर्मचारियों के मुहल्लो में मनोरंजन की सुविधाए आदि भी शामिल हैं।

16. तीसरी योजना में रेलों के विकास कार्यक्रम में यह उद्देश्य सामने रखा गया है कि रेलो को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तीसरी योजना की अवधि में डीजल और बिजली के इजन जो आजकल आयात किए जाते है, देश मे ही तैयार करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जायगा।

सड़कें

17. तीसरी योजना मे सड़कों के कार्यक्रम उस 20 वर्षीय--(961-81) सडक विकास योजना के मोटे उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसे राज्यो और केन्द्रीय सरकार के मुख्य इंजीनियरो ने तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकसित और कृषि क्षेत्रों का कोई भी गांव पक्की सड़क से चार मील से दूर और अन्य प्रकार की सडक से डेढ मील से दूर न रहे। इस योजना में 1981 तक 252,000 मील बढिया सड़के और 405,000 मील पक्की सडके बनाने का प्रस्ताव है।

18. मोटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना में लगभग 25,000 मील बढिया नई सड़कें बनेगी जबकि दूसरी योजना मे केवल 22,000 मील सडके बनी। सडक कार्यक्रम के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसका अधिकाश वर्तमान सडको के सुधार पर खर्च किया जाएगा, ताकि वे बढते हुए यातायात को सभाल सकें। इसमे सडकों को चौडा करना, उनकी सतह को समतल करना, बीच मे जहा सडके न हो वहा सडके और पुल आदि तैयार करना है। तीसरी योजना मे राष्ट्र-पथों के कार्यक्रम में दूसरी योजना मे शुरू की गई महत्व-पूर्ण सडकों और पुलों को पूरा करना भी शामिल है। इसके साथ ही जो नए राष्ट्र-पथ बने है, उनके खराब हिस्सों को सुधारना तथा कलकत्ता के पास विवेकानन्द पुल की सडक तथा राष्ट्र-पथों की अन्य कमियों को पूरा करना है। राष्ट्र पथो में उत्तरी सलमारा से ब्रह्मपुत्र के पुल तक एक सड़क 100 मील लम्बी बनाने का भी प्रस्ताव है।

19. ग्रामीण क्षेत्र में सडक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के लिए स्थानीय निकायों और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो के अलावा अनेक राज्यो की योजनाओ में भी विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में सड़क विकास का काम जिन अनेक संस्थाओं के पास है, उन सब के काम में वाछित समन्वय के लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

20. **सड़क परिवहन**—तीसरी योजना मे व्यापार के लिए चलने वाली मोटरो और ठेलो की सख्या मे वृद्धि हमारे मोटर कारखानो की मोटर बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। मोटे तौर पर यह अनुमान है कि ऐसी गाड़ियो की संख्या 82 प्रतिशत बढ जाएगी अर्थात 1960-61 में दो लाख से बढकर 1965-66 मे 3 लाख 65 हजार हो जाएगी। मोटर-ठेलों की सख्या इस अवधि मे 1 लाख 60 हजार से बढकर 285,000 और सवारी बसो की 50,000 से बढकर 80,000 हो जाएगी।

21. सरकारी सड़क परिवहन सस्थानों के विकास कार्यक्रमो पर राज्य सरकारें तीसरी योजना मे, अनुमान है, 26 करोड रुपया खर्च करेंगी। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में इनमें लगभग 7,500 मोटर गाड़िया और बढ़ जाएंगी।

22. रेलो पर बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए और परिवहन के विभिन्न साधनो के समन्वित विकास को ध्यान में रखकर तीसरी योजना में यह आवश्यक हो सकता है कि माल की ढुलाई के क्षेत्र में भी सरकार को उतरना पड़े। परिवहन नीति और समन्वय समिति की सिफारिशो के आधार पर राज्य सरकारो से परामर्श करके इस काम के लिए संगठन का क्या रूप हो और कार्यक्रम किस प्रकार चले, ऐसे अनेक सवालो पर विचार किया जाएगा।

23. **अन्तर्देशीय जल-परिवहन**—तीसरी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का कार्यक्रम अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (1959) की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशो के आधार पर बनाया गया है। इस कार्यक्रम पर साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसमें 6 करोड़ केन्द्रीय सरकार और डेढ़ करोड़ रु० राज्यो की योजनाओ में होगा। केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में दूसरी योजना में चलाए गए कार्यक्रमो को पूरा करने के अलावा सुन्दरवन में गगा-ब्रह्मपुत्र मण्डल द्वारा चलाए जाने वाले प्रारम्भिक कार्यक्रम और उसके लिए नदी-तल को गहरा करने की मशीने तथा छोटे जहाज खरीदने और अन्तर्देशीय जल-परिवहन से सम्बन्धित मामलो पर परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सगठन बनाने का भी प्रस्ताव है। राज्यों के क्षेत्रो में अन्य कार्यक्रमो के अलावा केरल मे पश्चिमी तटवर्ती नहर का विस्तार और सुधार, उड़ीसा मे तालदण्ड और केन्द्रपाड़ा नहरो का सुधार और राजस्थान नहर मे परिवहन की सुविधाओं का विकास शामिल है।

24. **जहाजरानी**—जहाजरानी के विकास का कार्यक्रम अधिकतर इस काम के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है। अभी हमें इस ओर धीरे-धीरे बढ़ना है। तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाजरानी विकास निधि के 4 करोड़ रुपये और जहाजरानी कम्पनियो के अपने साधनो से 7 करोड़ रुपये और इस कार्यक्रम में लगेंगे। आधे से कुछ अधिक राशि निजी क्षेत्र मे और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमो के कार्यक्रम में लगेगी। आशा है कि इस योजना की अवधि में 57 जहाज खरीदे जाएगे जिनकी क्षमता 375,000 टन होगी। इसमें से 194,000 टन क्षमता तो पुराने जहाजों को बदलने मे लगेगी, और शेष 181,000 टन क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार कुल क्षमता 11 लाख टन हो जाएगी। लगभग 216,000 टन के जहाज निजी कम्पनियो द्वारा और शेष 159,000 टन के जहाज सार्वजनिक क्षेत्र में आएगे। इसमें से 132,500 टन के जहाज तटवर्ती व्यापार के लिए और शेष 242,000 टन के जहाज विदेश व्यापार के काम आएगे। तटवर्ती व्यापार के लिए योजना की अवधि मे अधिकाश काम पुराने जहाजो की जगह नए लाने का है। जहाजरानी के और तीन कार्यक्रम मे चार तेलवाही जहाज भी खरीदे जाएगे जिनमें से एक तटवर्ती व्यापार के लिए विदेशी व्यापार के लिए होगे।

25. **बन्दरगाह**—मौजूदा बड़े बन्दरगाहो के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में बनाए गए है, उनका प्रमुख ध्येय यहां उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है। यह अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त मे बड़े बन्दरगाहों की क्षमता 4.9 करोड़ टन हो जाएगी। योजना में कलकत्ता बन्दरगाह के रख-रखाव की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल किए गए है। पहला हलदिया मे सहायक बन्दरगाह बनाने का और दूसरा फरक्का पर गंगा पर

पर एक बांध बांधने का। हलदिया कलकत्ते से 56 मील नीचे की तरफ होगा। वहां कोयला, लोहा, अनाज आदि बड़ी मात्रा वाला माल उतारा-चढ़ाया जाएगा। गंगा पर बांध बनाना हुगली नदी की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक समझा गया है। कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के साथ ही बेलारी चैनल के सुधारने का काम भी शामिल है। बम्बई बन्दरगाह के कार्यक्रम में मुख्य बन्दरगाह के समीपवर्ती समुद्र को गहरा करने, प्रिंसेस और विक्टोरिया गोदियों के आधुनिकीकरण और बैलार्ड पायर के विकास के कार्यक्रम हैं। मद्रास में कोयला और लोहा आदि सामान के लिए यार्ड बनाने और इन्हें उतारने-चढ़ाने के लिए मशीनें आदि खरीदने की व्यवस्था है। विशाखापत्तनम के कार्यक्रम में कच्चा धातु लादने की मशीनें लगाने का कार्यक्रम है। और बातों के अलावा काण्डला में दो अतिरिक्त बर्थ पूरा करने का कार्यक्रम है। बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रमों में तूतीकोरण और मंगलौर के छोटे बन्दरगाहों को सब मौसमों में काम आने वाला बनाना भी शामिल है।

26. बन्दरगाह विकास कार्यक्रम पर कुल 115 करोड़ रु० खर्च होंगे। इसमें से 80 करोड़ रु० बड़े बन्दरगाहों पर, 25 करोड़ रु० फरक्का के बांध पर और 10 करोड़ रु० मंगलौर और तूतीकोरण के नए बन्दरगाहों के विकास पर खर्च होगा।

27. योजना में छोटे बन्दरगाहों के कार्यक्रमों पर 15 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम बिचौलिया बन्दरगाह विकास समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। तीसरी योजना में शामिल कार्यक्रमों के पूरा होने पर छोटे बन्दरगाहों की क्षमता 60 लाख से बढ़ कर 90 लाख टन हो जाएगी।

28. प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश जहाजों के विकास के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। नए कार्यक्रमों में एक प्रकाश स्तम्भ खरीदने की भी बात है जिस पर 140 लाख रुपया व्यय होगा।

असैनिक वायु परिवहन

29. **असैनिक उड्डयन**—दूसरी योजना में बम्बई (शान्ताक्रुज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली (पालम) हवाई अड्डों पर जैट हवाई जहाजों के आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनेक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो तीसरी योजना की अवधि में पूरे किए जाएंगे। तीसरी योजना में जहां कहीं आवश्यकता हो, हवाई पट्टियों को बढ़ाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मद्रास में जैट हवाई जहाजों के आवागमन के लिए हवाई अड्डे के विस्तार, लखनऊ, गया और अहमदाबाद हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों के विस्तार के कार्यक्रम भी शामिल हैं। अन्य अनेक नए हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां बनाने की भी व्यवस्था है, जिनसे पर्यटक यातायात के विकास में सहायता मिलेगी।

30. **वायुयानों के निगम**—एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के पास इस समय 3 बोइंग और 9 सुपर कांस्टलेशन हवाई जहाज हैं। तीसरी योजना में चार और जैट हवाई जहाज खरीदने की व्यवस्था की गई है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास 1960-61 के अन्त में 54 डकोटा, 5 स्काई मास्टर और 10 वाईकाउण्ट जहाज थे। तीसरी योजना में

चार वाईकाउण्ट और डकोटा जहाजो के स्थान पर 25 आधुनिक जहाज खरीदने की व्यवस्था है। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजना के अन्त में केवल 10 डकोटा रखे जाएं, जो माल ढोने के काम में लाए जाएंगे।

31. पर्यटन—पर्यटन के विकास के लिए योजना मे 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी पर्यटकों के लिए यातायात और ठहरने की सुविधाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा। होटल उद्योग को सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है। नए होटलो के निर्माण और पुरानों के सुधार और विस्तार के लिए ऋण देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

संचार साधन

32. पिछले दस वर्षों मे औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों में विस्तार के कारण सचार सुविधाओ की मांग बहुत वढ गई है। पिछली दो योजनाओ की अवधि में डाक घरो का काम 80 प्रतिशत वढ गया है अर्थात् 227 करोड पत्रादि से बढ कर 405 करोड पत्रादि का वितरण किया गया। तारो की सख्या 43 प्रतिशत बढी अर्थात् 1950-51 से 1960-61 तक 2 79 करोड से बढ कर 4 करोड हो गई। ट्रंक टेलीफोनो की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। जहा 1950-51 में 71 लाख काल वुक की गई, वहां 1960-61 में उनकी सख्या 3 करोड 40 लाख हो गई। डाक और तार घरो में अत्यधिक विस्तार के बावजूद भी पिछले कुछ सालो मे ये सेवाए अत्यधिक व्यस्तता से कार्य कर रही हैं।

33. डाक और तार—डाक-तार विभाग के कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 77.6 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमे से 49 6 करोड रु०स्थानीय तथा ट्रंक टेलीफोन सेवाओ पर जिनमें ट्रक टेलीफोन के तार भी शामिल हैं; 2 करोड रु० तार सेवाओ पर, 11 करोड भवनो पर, 13 करोड रु० दूर संचार की सुविधाओ पर जिसकी आवश्यकता रेलो के विद्युतीकरण तथा अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओ के कारण है, और 2 करोड़ रु० विविध कार्यक्रमो पर व्यय किया जायगा।

34. स्थानीय टेलीफोन सेवा के कार्यक्रम मे इस योजना की अवधि में 2 लाख नए सीधे टेलीफोन लगेगे और 50,000 लाइने स्वचालित कर दी जाएगी। ट्रंक टेलीफोन सेवाओ के कार्यक्रम मे 10 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज और अनेक मानव चालित एक्सचेंज तथा 2,000 पब्लिक काल आफिस खोले जाएगे। दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली और बम्बई के बीच 'को-एक्सिल केवल' डालने का काम पूरा हो जाएगा और मद्रास और कोयम्बटूर, बम्बई और नागपुर, और दिल्ली और अमृतसर के बीच को-एक्सिल केवल डालने की व्यवस्था की गई।

35. देश मे तारघरों की सख्या 1960-61 में 6,450 से बढ कर 1965-66 में 8,450 हो जाएगी। तारघरो में दूरमुद्रक और टेप-रिले आदि आदि आधुनिक यन्त्र बहुतायत से लगानें की भी व्यवस्था की गई है जिससे तारो की पुनरावृत्ति न हो।

36. तीसरी योजना के अन्त तक देश में डाकघरो की सख्या 1960-61 से 7,00,000 से वढ़ कर 94,000 हो जाएगी।

37. **अन्य संचार सेवाएं**—तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूरमुद्रक बनाने का कारखाना लगाने की व्यवस्था है। इसमें 1963-64 तक 1,000 दूरमुद्रक तैयार होने की आशा है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के विकास कार्यक्रम पर 2.8 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इससे इस कारखाने की क्षमता तीसरी योजना की अवधि में प्रति वर्ष 1 लाख एक्सचेंज लाइन बनाने और 1,60,000 टेलीफोन यंत्र बनाने की हो जाएगी।

38. विदेश सचार सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम में तीसरी योजना में रेडियो प्रेषक लगाए जाएंगे इनकी संख्या 1960 में 22 से बढ कर तीसरी योजना के अन्त में 31 हो जाएंगी और टेलीफोन संचार सरकिटों की सख्या 7 से 30 हो जायेगी। इस सेवा के आधुनिकीकरण का भी कार्यक्रम है जिसमें स्वचालित गलती पकड़ने वाले यन्त्र लगाए जाएगे और टेलैक्स सेवा तथा लीज्ड चैनलो का विकास किया जाएगा जिससे सेवा में क्षिप्रता तथा कुशलता बढ़े।

39. भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के कार्यक्रम मे प्रमुख वेधशालाओं में आधुनिक यन्त्र लगाए जाने की व्यवस्था है। विभाग नई दिल्ली मे एक केन्द्र खोल रहा है जहां उत्तरी गोलार्द्ध की ऋतु सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जाएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा और फिर उसे चारों ओर भेजा जाएगा। पूना में उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान सस्थान खोला जाएगा जहां उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान में प्रशिक्षण और गवेषणा की व्यवस्था रहेगी।

40. **प्रसारण**—दूसरी योजना मे प्रसारण के विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश के अधिक से अधिक भागो मे शार्टवेव प्रेषक लगा कर रेडियो सुविधा पहुचाना और विदेशी प्रसार सुविधाओं को मजबूत बनाना था। तीसरी योजना का उद्देश्य अन्तर्देशीय सेवा को मजबूत बनाने के लिए मीडियम वेव प्रसार सेवा का विस्तार और कार्यक्रमो को रिकार्ड करने का प्रबन्ध करना है। आजकल अन्तर्देशीय मीडियम वेव सेवा कुल क्षेत्र के 37 प्रतिशत और जनसख्या के 55 प्रतिशत तक पहुचती है। इसे बढ़ा कर 61 प्रतिशत क्षेत्र और 74 प्रतिशत जनता तक पहुचाया जाएगा। तीसरी योजना मे विदेशी सचार सेवा में और अधिक सुधार करने की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में अन्य कार्यो के अतिरिक्त बम्बई में एक टेलिविज़न केन्द्र भी खोलने का प्रस्ताव है।

41. गावों में सामुदायिक रूप से रेडियो लगाने के कार्य के विस्तार की भी व्यवस्था की गई है और तीसरी योजना मे ऐसे केन्द्रों को लगभग 32,000 नए रेडियो दिए जाएगें। ये रेडियो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रेडियो के अतिरिक्त होंगे

अध्याय 17

शिक्षा : सामान्य और तकनीकी

भूमिका

तीसरी पचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यो में से एक यह है कि शिक्षा-प्रसार कार्यक्रम का विस्तार करके इसे हर घर तक पहुचाना है, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की हर शाखा में आयोजित विकास की केन्द्र-बिन्दु बन जाए। तीसरी योजना के शिक्षा-कार्यक्रम व्यापक हैं। इस अध्याय में सामान्य, तकनीकी और अन्य विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र मे आयोजन के मुख्य लक्ष्यो का और तीसरी योजना के कार्यक्रमो की कुछ विशेषताओं और समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

2. विकास के सब साधनो मे से शायद सबसे मूल इस समय प्रशिक्षित जन-शक्ति है। विभिन्न दिशाओ में कितनी प्रगति हो सकती है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगी कि देश मे प्रशिक्षित जन-शक्ति और प्रशिक्षण-सुविधाए कहा तक उपलब्ध हैं। अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ हमें संख्या के अतिरिक्त, कुशलता और अनुभव पर भी जोर देना होगा। आवश्यक प्रशिक्षित जन-शक्ति तैयार करने की समस्याओं पर व्यापक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। एक ओर तो उनको स्कूल और कालेज में हर स्तर पर दी गई शिक्षा और घरेलू जीवन पर प्रभाव पडता है; दूसरी ओर औद्योगिक और अन्य सस्थाओ के प्रबन्ध और सगठन की सम्पूर्ण प्रणाली और अनुसधान तथा इसके परिणामो का प्रयोग इसकी सीमा में आते हैं। विज्ञान और टैक्नोलाजी तथा प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति अन्ततः सामान्य शिक्षा प्रणाली के मूल परिवर्तनो पर निर्भर होती है। इसलिए हर कदम पर सामान्य शिक्षा और तकनीकी तथा अन्य विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध होता है। शिक्षा की समस्याओ पर इसके विभिन्न पहलुओ के आपसी सम्बन्धों को ध्यान मे रखते हुए विचार करना चाहिए। भारत की वर्तमान अवस्था में शिक्षा-कार्यक्रमो का पहले से कहीं अधिक महत्व है–एक समान नागरिकता की भावना पैदा करने, लोगो की कार्य-क्षमता का उपयोग करने और देश के हर भाग के प्राकृतिक और मानवीय साधनो का विकास करने के प्रयास की तह मे शिक्षा-कार्यक्रम हैं। पिछले दस वर्षों में जो विकास हुआ है, उससे आर्थिक प्रगति का आधार तैयार हो गया है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र मे अभी काफी खामियां हैं। अगर हमें प्रगति को जारी रखना है और स्थायी बनाना है तो इस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा।

I सामान्य शिक्षा

3. सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना में हमें 6 से 11 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करने, विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में विस्तार और सुधार करने, हर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने, शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार और विस्तार करने, छात्रवृत्तियो, फ्री-शिपों और अन्य सहायताओं में वृद्धि करने पर जोर देना होगा। लड़कियों की शिक्षा पर किस तौर पर ध्यान देना और लड़को तथा लड़कियों के वर्तमान शिक्षा स्तरों के अन्तर को काफी कम करना होगा। सभी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल देना होगा। विश्वविद्यालयो में तीन-साला डिग्री कोर्स पूरी तरह लागू किया जाएगा और स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) और अनुसन्धान-सुविधाओं में विस्तार और सुधार किया जाएगा।

4. 1951-61 की दशाब्दी में छात्रों की सख्या 235 लाख से बढ़ कर 435 लाख हो गई। 6 से 11 वर्ष की उम्र के छात्रों की सख्या मे 79 प्रतिशत वृद्धि, 11 से 14 वर्ष की उम्र के छात्रो की संख्या में 102 प्रतिशत की वृद्धि और 14 से 17 वर्ष की उम्र के छात्रों मे 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन वर्गों में स्कूल जाने वाले छात्रों की सख्या भी क्रमशः 43 प्रतिशत से 61 प्रतिशत, 13 से 23 प्रतिशत और 5 से 12 प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों की सख्या में 2 करोड़ 40 हजार वृद्धि होने की सम्भावना है।

पहली दो योजनाओ में स्कूलों की सख्या मे 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई—कुल संख्या 2,30,555 से बढ़कर 3,98,200 हो गई। प्राथमिक स्कूलों की सख्या मे 63 प्रतिशत की, मिडिल स्कूलों की संख्या मे 191 प्रतिशत की और हाई स्कूलो की सख्या में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना की अवधि मे कुल स्कूलों की सख्या में 24 प्रतिशत वृद्धि होगी, अर्थात् स्कूलों की कुल सख्या बढ़ कर 4,94,500 के लगभग हो जाएगी।

विश्वविद्यालयो और कालेजो के छात्रो की सख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। 1950-51 मे कला, विज्ञान, और वाणिज्य-पाठ्यक्रमो मे छात्रों की कुल संख्या 3,60,000 थी; यह संख्या 1955-56 में 6,34,000 और 1960-61 में लगभग 9 लाख हो गई। दूसरी योजना की अवधि में देश मे विज्ञान-पाठ्यक्रम लेने वालो की संख्या भी 33 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई। कुछ राज्यो मे उल्लेखनीय प्रगति हुई, परन्तु कुछ अन्य राज्यो में इस दिशा मे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तीसरी योजना में विश्वविद्यालय स्तर पर जिन 4 लाख छात्रो के बढने की व्यवस्था है उसमे लगभग 60 प्रतिशत विज्ञान के छात्र होगे। इस वृद्धि के पश्चात् विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कुल के 42 प्रतिशत से अधिक हो जाएगे।

व्यय

5. नीचे दी गई सारिणी मे पहली, दूसरी और तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा की योजनाओ के लिए निर्धारित व्यय का अलग-अलग ब्योरा दिया गया है।

शिक्षा पर होने वाले व्यय का विभाजन

मद	राशि (करोड़ रु०)			प्रतिशत		
	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209	63.9	41.9	50.0
2. माध्यमिक शिक्षा	20	48	88	15.1	23.1	21.1
3. विश्वविद्यालय शिक्षा	14	45	82	10.5	21.6	19.6
4. अन्य कार्यक्रम						
समाज शिक्षा	—	4	6	—	1.9	1.4
शारीरिक शिक्षा और	14			10.5		
युवक कल्याण	—	10	12	—	4.8	2.9
अन्य	—	10	11	—	4.8	2.6
5. योग	133	204	408	100.0	98.1	97.6
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम	(*)	4	10	—	1.9	2.4
7. कुल योग	133	208	418	100.0	100.0	100.0

शिक्षा-मद के अन्तर्गत जो राशि रखी गई है, उसके अतिरिक्त भी शिक्षा-कार्यक्रमों पर 37 करोड़ रुपये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि में से और लगभग 42 करोड़ रुपये पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि में से व्यय किए जाएंगे। इस प्रकार तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा पर कुल मिलाकर 497 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जबकि दूसरी योजना में 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। दूसरी योजना में शिक्षा-संस्थाओं को चलाने पर 375 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे—अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में इन्हें चलाने पर कुल 700 करोड़ रुपये खर्च आएगा। शिक्षा के विकास के लिए गैर-सरकारी सूत्रों से जो राशि प्राप्त होगी, वह उपरोक्त राशि के अतिरिक्त होगी।

6. स्कूल-पूर्व शिक्षा—तीसरी योजना में बाल-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की, वर्तमान बाल-वाड़ियों में सुधार करने की और नई बाल-वाड़ियां खोलने इत्यादि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा-कार्यक्रम में से शिशु कल्याण और सम्बद्ध योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये केन्द्र में और 1 करोड़ रुपये राज्यों में रखे गए हैं। यह राशि सामुदायिक विकास और समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के अतिरिक्त है।

*पहली योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को मद 4 में शामिल कर लिया गया था।

प्रारम्भिक शिक्षा

7. प्राथमिक शिक्षा—तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से 6 से 11 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करना है। चौथी और पांचवी योजनाओं में 11 से 14 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 6 से 11 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए तीसरी योजना में शिक्षा-सुविधाएं प्रस्तुत करने के रास्ते में जो मुख्य समस्याएं आती हैं, उनके कारण निम्नलिखित हैं—

(क) पर्याप्त संख्या में लड़कियों को स्कूलों में लाने में कठिनाइयां;

(ख) शिक्षा के मामले में कुछ क्षेत्रों और जनसंख्या के कुछ वर्गों का अत्यधिक पिछड़ापन; और

(ग) बच्चों के कमाने योग्य होते ही उनके माता-पिताओं द्वारा उनको स्कूल से उठा लेने से 'अपव्यय'—इस प्रवृत्ति के कारण आधे से अधिक बच्चे चौथी श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार स्थायी रूप से साक्षर होने से वंचित रह जाते हैं।

लड़कियों की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार करने के लिए जिन विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, उनमें से कुछ हैं: शिक्षिकाओं के लिए क्वार्टरों का प्रबन्ध, देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली शिक्षिकाओं के लिए विशेष भत्ता, शिक्षिकाओं की संख्या बढाने के लिए वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा-पाठ्यक्रम, शिक्षिका-प्रशिक्षणार्थियों के लिए वृत्तियां, पारितोषिक और छात्रवृत्तियां इत्यादि। बिखरी हुई बस्तियों जैसे, पहाड़ी इलाके और दूर-दूर बसे हुए गांवों में शिक्षा के प्रसार के रास्ते में कई विशेष कठिनाइयां हैं। इनमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, हालांकि इन पर अपेक्षाकृत अधिक खर्चा आएगा। 'अपव्यय' को घटाने के लिए जो कदम उठाए जाएं उनमें से कुछ ये हैं: अनिवार्य शिक्षा, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा-प्रणाली में सुधार, मां-बाप को यह समझाना कि बच्चों को स्कूल भेजना बच्चों के हित में है; और स्कूल की छुट्टियों का इस ढंग से आयोजन कि वे फसल की कटाई और बुवाई के मौसमों से मेल खाएं, इत्यादि।

8. 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे किसी राज्य में स्थगित नहीं करना चाहिए। यह सम्भव है कि हमें इस दिशा में अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े जिन्हें थोड़े समय में दूर नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना तक लगभग 90 प्रतिशत लड़के तथा 62 प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में होंगे—6 से 11 वर्ष की उम्र के कुल बच्चों का लगभग 76 प्रतिशत। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 153 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में दाखिल होंगे जिनमें से 86 लाख लड़कियां होंगी। राज्यों के विकास-स्तरों में अन्तर हालांकि कुछ कम हो जाएगा, फिर भी यह काफी रहेगा।

9. मिडिल स्कूल-शिक्षा—1951-61 की अवधि में 11 से 14 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग दुगुनी और लड़कियों की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई। फिर भी इस अवधि के अन्त में 34 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले केवल 11 प्रतिशत

लडकियां स्कूलो में थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस वय-वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चो में 54 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य है, परन्तु स्कूल जाने वाली लड़कियो की संख्या लगभग दुगुनी की जाएगी। इसके बावजूद भी लडको और लड़कियों का अन्तर उल्लेखनीय रहेगा क्योकि इस वय-वर्ग के जहां 40 प्रतिशत लड़के स्कूलो में होंगे, वहां 17 प्रतिशत से भी कम लड़किया स्कूलो में शिक्षा पा रही होंगी।

10 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा–सविधान में 6 से 14 वर्ष के वय-वर्ग की शिक्षा की चर्चा की गई थी—व्यावहारिक और प्रशासनिक कारणों से इस वर्ग को 6 से 11 और 11 से 14 दो वर्गों में बांट दिया गया है। मगर 6 से 14 वर्ष के सारे वय-वर्ग को लिया जाए, तो पिछले दस वर्षों में कुल जनसंख्या में से इस वय-वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की सख्या 32 प्रतिशत से बढकर 49 प्रतिशत हो गई है। लड़को के मामले में यह वृद्धि 46 से 65 प्रतिशत और लडकियो के मामले में 18 से 31 प्रतिशत हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस वय-वर्ग का प्रतिशत बढकर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा, लडकियो और लडको का क्रमश: 46 प्रतिशत और 73 प्रतिशत। इन अको से हमें उस बाकी काम का भी अन्दाजा मिलता है जो हमें चौथी और पांचवीं योजनाओ में करना है।

11. बुनियादी शिक्षा—तीसरी पचवर्षीय योजना में 57,760 स्कूलो को बुनियादी स्कूलों में बदलने, वर्तमान स्कूलों में बुनियादी ढाचे के ढग पर लाने, सभी प्रशिक्षण संस्थाओ का बुनियादी प्रणाली के आधार पर पुनर्गठन करने, शहरी इलाको में बुनियादी स्कूल खोलने और बुनियादी शिक्षा को हर स्थानीय समुदाय के विकास-कार्यों से सम्बद्ध करने की व्यवस्था है।

12. शिक्षकों का प्रशिक्षण—दूसरी योजना के अन्त मे 1307 संस्थाओं में प्रारम्भिक स्कूलो के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था—इन स्कूलों में से 70 प्रतिशत का बुनियादी प्रणाली के अनुसार पुनर्गठन हो चुका था। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण संस्थाओ की संख्या बढकर 1424 हो जाएगी, जिनमें से सभी बुनियादी प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण देंगी। इन संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियो की संख्या 1960–61के1,35,000 से बढ कर 1965–66 में लगभग 2 लाख हो जाएगी। कुछ प्रशिक्षण सस्थाओ में विस्तार विभाग भी खोले जाएगे जिनका काम आसपास के स्कूलों में अध्यापन के स्तर में सुधार करना होगा।

13. सामुदायिक प्रयास—राज्यों की योजनाओ में जो व्यवस्था की गई है, उसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायो को भी कुछ कार्यक्रमो में योग देना चाहिए; जैसे बच्चो को स्कूल में भर्ती करवाने का आन्दोलन, स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि। कई राज्यो में स्थानीय साधनों के जुटाने में उत्साहवर्द्धक सफलता मिली है और आशा है कि पंचायती राज संस्थाओ के विभिन्न राज्यो में स्थापित होने के पश्चात् और भी अधिक स्थानीय सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कई राज्यो न अपनी योजनाओ में स्कूलों में बच्चो को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। हालांकि वित्तीय कठिनाइयो के कारण इस समय इस प्रकार की सीमित व्यवस्था ही की जा सकती है, फिर भी राज्य-

सरकारों को इस दिशा में यथासम्भव प्रयास करना चाहिए, विशेष तौर पर उस अवस्था में जहां स्थानीय समुदाय भी इस पर होने वाले व्यय मे अपना योग देने को तैयार हैं।

माध्यमिक शिक्षा

14. अर्थ-व्यवस्था के विकास, माध्यमिक स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि और 14 से 17 वर्ष की उम्र के छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण, हमें माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। माध्यमिक स्कूलों का इस ढंग से पुनर्गठन किया जाए कि उनमे छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षा-सेवाओ की व्यवस्था की जाए। आर्थिक जीवन की कई शाखाओं के बीच के और नीचे के स्तर के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति माध्यमिक स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को प्रशिक्षण दे कर की जानी है। ये शाखाएं हैं: प्रशासन, ग्राम विकास, वाणिज्य, उद्योग और पेशे इत्यादि। हाल के वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास के जो कार्यक्रम पूरे किए गए हैं उनका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तार करना और इसे शिक्षा-क्रम के अन्तर्गत एक पूर्ण इकाई बनाना है। इसके लिए जो कदम उठाए जाएगे, वे हैं हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलना, बहूद्देशीय स्कूलों का विकास, जिनमे कई ऐच्छिक विषय पढाने की व्यवस्था हो, विज्ञान पढाने की सुविधाओ मे विस्तार और सुधार, शिक्षा और व्यावसायिक सम्बन्धी निर्देशन की व्यवस्था, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, व्यावहारिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, लडकियों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार, योग्य छात्रो को छात्रवृत्तियो द्वारा प्रोत्साहन, इत्यादि। इन बातो को ध्यान में रखते हुए हमें माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना होगा। इस पुनर्गठन की मुख्य विशेषताएं होंगी: माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रमो मे रद्दोबदल, नई प्रणालियों और तौर-तरीकों की शुरुआत और अध्यापकों की शिक्षा योजना मे परिवर्तन।

15. पिछली दशाब्दी में नवी से ग्यारहवी श्रेणी तक पढने वाले बच्चो की सख्या 12 लाख से बढ़ कर 29 लाख हो गई है। तीसरी योजना के अन्त में इसके 46 लाख हो जाने की सम्भावना है। हालांकि स्कूल जाने वाली लडकियो की कुल सख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी, सारे वय-वर्ग मे कुल मिलाकर उनका प्रतिशत काफी कम होगा; 24 प्रतिशत लडकों के मुकाबले केवल 7 प्रतिशत लडकियां शिक्षा प्राप्त कर रही होंगी।

16. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और उसे सुदृढ बनाने के लिए तीसरी योजना में जो कदम उठाए जाएगे उनमे से कुछ महत्वपूर्ण विषयों का यहां संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की सख्या द्वितीय योजना के अन्त मे 3121 से बढ़कर 6390 हो जाएगी। जहां तक बहूद्देशीय स्कूलो के बनाए गए कार्यक्रम का सम्बन्ध है जिनमें बौद्धिक पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐच्छिक विषयो की शिक्षा की व्यवस्था है। योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी योजना के अन्त तक बने 2115 स्कूलो को सुदृढ़ बनाना है—विस्तार कार्यक्रम केवल 331 नए स्कूलो तक सीमित रहेगा। बहूद्देशीय स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करने के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जाएगे। बहूद्देशीय स्कूलो में निर्देशन की व्यवस्था करने के लिए राज्यों के वर्तमान शिक्षा और

व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशन ब्यूरो के विस्तार करने का सुझाव है। *विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे वर्तमान विज्ञान पाठ्यक्रमों की समीक्षा, अध्यापकों के लिए हैण्डबुक, छात्रों के लिए मैन्युअल और विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करवाना, विज्ञान अध्यापकों की संख्या बढ़ाना, प्रयोगशाला सहायकों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक उपक्रमों के डिज़ाइनों के मानक निर्धारण करना, इत्यादि। सभी माध्यमिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान के अनिवार्य विषय की व्यवस्था तो की ही जाएगी, इसके अतिरिक्त 21,800 माध्यमिक स्कूलों में से 9,500 से अधिक में विज्ञान एक ऐच्छिक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। परीक्षा प्रणाली सुधार सम्बन्धी जो कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा।

17. प्रशिक्षण कालेजों की संख्या 1960-61 के 236 से बढ़ाकर 1965-66 में 312 कर दी जाएगी। माध्यमिक स्कूलों की वर्तमान अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्गठन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। माध्यमिक स्कूलों में लगे हुए अध्यापकों को काम करते हुए भी प्रशिक्षण सुविधाएं दिलवाने के लिए तीसरी योजना की अवधि में 54 चुने हुए प्रशिक्षण कालेजों में जो विस्तार केन्द्र खोले गए थे उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा

18. प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उच्चतर शिक्षा की मांग भी बहुत बढ़ गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या भी 1950-51 के 27 से बढ़ कर 1955-56 में 32 और 1960-61 में 46 हो गई है। तीसरी योजना की अवधि में लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालय और खोले जाएंगे। इण्टरमीजिएट कालेजों के अतिरिक्त कालेजों की कुल संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में 772 से बढ़कर 1,050 हो गई है। तीसरी योजना में भी इस संख्या में हर वर्ष 70 से 80 तक की वृद्धि होने की आशा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर छात्रों के स्तर में होने वाली गिरावट पर काबू पाना है तो यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की वृद्धि के साथ-साथ भौतिक और अन्य अध्यापन सुविधाओं में भी विस्तार हो।

19. तीसरी योजना में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में अधिक छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। यह समस्या इतनी विशाल है कि इन सुविधाओं के पश्चात् भी कला, विज्ञान और वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक रहेगी। इसलिए उनमें से चुनाव करने के लिए हमें उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित करने पड़ेंगे। योजना में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की जो व्यवस्था की गई है उसके अतिरिक्त सायंकालीन कालेज खोलने, डाक-पाठ्यक्रम शुरू करने और बाहरी (एक्स्टर्नल)डिग्रियां देने पर भी विचार हो रहा है। तीसरी योजना की अवधि में विज्ञान की शिक्षा सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य विशेषताएं हैं अधिक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था, अधिक विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति और योग्य विज्ञान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां। विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर

विभागों को स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें विज्ञान की शिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना में छात्राओं को अधिक सुविधाएं देने, ग्राम्य संस्थाओं के विकास और तीन-साला डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वह जारी रहेंगे।

लड़कियों की शिक्षा

20. विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के कुछ पहलुओं का पहले ही जिक्र किया जा चुका है। इस समस्या के कुछ मोटे-मोटे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 34 प्रतिशत है जब कि लगभग 13 प्रतिशत स्त्रियां ही साक्षर हैं। तीसरी योजना के अन्त तक लड़कों और लड़कियों का यह अन्तर कुछ कम हो जाने के बावजूद भी काफी रहेगा। तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हर स्तर पर लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाओं में विस्तार करना होना चाहिए। तीसरी योजना के अनुमानों को प्राप्त करने के लिए भी सारे देश में बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष कर उन राज्यों में जिनमे लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है।

21. ऐसा अनुमान है कि योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि में से लगभ 175 करोड़ रुपये लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किए जाएगे जिसमें से लगभग 114 करोड़ रुपये प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा के विस्तार के लिए होंगे। लड़कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम की विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ राशि निर्धारित की गई है। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो व्यवस्थ की गई है उसको पूरा करते समय राज्य सरकारें महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की विस्तृत सिफारिशों को ध्यान में रखें। ऐसा वातावरण बनाने, जिससे माता-पिताओं को लड़कियों को स्कूलों मे भेजने के लिए प्रोत्साहन मिले, जनमत को शिक्षित करने, अध्यापन के पेशे में अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लाने और शहरी क्षेत्रों से अधिक से अधिक औरतों को देहाती स्कूलों में अध्यापिकाओं का कार्य करने की प्रेरणा देने पर खास तौर से जोर देना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रम की प्रगति का हर वर्ष ध्यान से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तीसरी योजना के लक्ष्यों का प्राप्ति के लिए जो और कदम उठाना जरूरी ह वे कदम उठाए जाएं। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की खास तौर पर आवश्यकता है कि जो तरीके देश के विभिन्न भागों में सरलता-पूर्वक अपनाए गए हों, उनका ध्यान से अध्ययन किया जाए और उन्हें सब के सामने रखा जाए। वार्षिक योजना बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रम मे किसी प्रकार की रुकावट न पड़े और जिन सामाजिक और संगठन सम्बन्धी कठिनाइयों से प्रगति के रास्ते में रुकावट पड़ती है, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।

छात्रवृत्तियां

22. 1960-61 से छात्रवृत्तियों के रूप में हर वर्ष 18 करोड़ रुपये दिए जाएंगे—तीसरी योजना में इस राशि के अतिरिक्त 37 करोड़ रुपये और छात्रवृत्तियों के लिए

उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुसन्धान छात्रवृत्तियां और फेलोशिप तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान इत्यादि के लिए दी गई छात्रवृत्तिया इस राशि के अतिरिक्त होंगी।

तीसरी योजना में छात्रवृत्तियो को जो महत्व दिया गया है उसको देखते हुए राज्य सरकारो और केन्द्रीय मन्त्रालयों को चाहिए कि वे अपनी वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करें और छात्रवृत्तिया देने के ऐसे नियम बनाएं कि जरूरतमन्द योग्य छात्रों को, अगर उनकी प्रगति सन्तोषजनक हो, तो शिक्षा की समाप्ति तक छात्रवृत्तियां मिलती रहें और सामान्यतः उन्हे बीच में बन्द न किया जाय। पिछड़े हुए आर्थिक वर्गों के छात्रों की पूरी संख्या के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना और उनमे से अधिक से अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस बात का अध्ययन किया जाए कि हर राज्य में किस-किस वर्ग के कर्मचारियो की कमी है। यह जानने के बाद मैट्रिक के बाद की शिक्षा पाने वाले छात्रो में से प्रतिभाशाली छात्रों को चुन कर उन्हें सारे प्रशिक्षण-काल के लिए छात्रवृत्तिया दी जाए। ऐसे छात्रों के लिए नौकरी-निश्चित होगी। उन्हें भी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् न्यूनतम नियत अवधि तक नौकरी करने का वायदा करना होगा।

सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता

23. साक्षरता, स्वास्थ्य, वयस्कों का मनोरंजन और उनका घरेलू जीवन, नागरिकता के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक दक्षता मे सुधार के लिए निर्देशन—यह सब सामाजिक शिक्षा के अंग है। जनतन्त्र में अन्तिम विश्लेषण में आयोजन की सफलता सामाजिक शिक्षा के प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण और एक समान नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर करती है। परन्तु कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और अन्य कल्याण-कार्यक्रमों के शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यो की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। पिछले दस वर्षों में कई दिशाओं में प्रगति हुई है, जैसे सामुदायिक केन्द्रो का विकास, गावो मे वाचनालयो का निर्माण, युवकों और महिलाओं में सगठित कार्रवाइयो का प्रसार, और ग्राम-पंचायतो और सहकारी आन्दोलन को फिर से शक्तिशाली बनाना। सामाजिक शिक्षा का एक पहलू, जो कई दृष्टियो से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है चिन्ता का विषय बना हुआ है। 1951-61 की अवधि में साक्षरता में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी यह, इस अवधि में 17 प्रतिशत से बढ़ कर 24 प्रतिशत हो गई है।

24. जिला और खण्ड स्तरो पर पंचायती राज की शुरुआत और ग्राम-पंचायतो को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाने के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि हमारी वयस्क जनसख्या का बड़ा भाग जल्दी से जल्दी पढने-लिखने लायक हो जाए। यह उनके और समाज के हित में है। चूंकि इस दिशा में अब तक पर्याप्त प्रगति नही हुई है इसलिए अब इस समस्या का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है ताकि वयस्क-साक्षरता का तेज रफ्तार से विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा सकें। इसके लिए देश में जनशक्ति और

धन के रूप में जितने भी साधन उपलब्ध होंगे, उन्हें जुटाना होगा, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और संगठनों को गतिशील करना होगा, हर शहर और कस्बे में खण्ड और ग्राम स्तर पर वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्य का प्रसार करना होगा, ताकि यह एक लोकप्रिय आन्दोलन का रूप ले ले।

शिक्षा और सामुदायिक विकास में हर स्तर पर लगे हुए कर्मचारियों का निकटतम सहयोग बड़े और प्रभावशाली वयस्क साक्षरता आन्दोलन के लिए अनिवार्य है। सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता का विकास शिक्षा संस्थाओं, विशेष तौर पर गाव के स्कूलों, पंचायतों और स्वयसेवी संगठनों से मिल-जुल कर की जाने वाली विस्तार कार्रवाइयों के रूप में किया जाना चाहिए। मोटे तौर पर यह लक्ष्य होना चाहिए कि जहां एक कक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं जो साक्षर होना चाहते हैं, उनके लिए अध्यापकों और शिक्षा उपकरणों के रूप में सब सुविधाए उपलब्ध हो जाए। हर शिक्षा संस्था को इस प्रयास में योग देना चाहिए; इसमें भाग लेने वाले अध्यापको को उचित पारिश्रमिक दिया जाए। साथ ही ग्राम-पंचायतों और अन्य अभिकरणो को भी इस कार्य में पूरा योग देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताओ, खण्ड शिक्षा अधिकारियो और निजी शिक्षा सस्थाओं को मिल-जुल कर आवश्यक सुविधाएं स्थानीय संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। पंचायत समितियों, ग्राम-पंचायतों और स्वयंसेवी सस्थाओ को चाहिए कि वे जनता में इसके लिए जोश पैदा करें और उसे बनाए रखें; वयस्क शिक्षा और साक्षरता का अपनी आवश्यकताओं और अवस्था के अनुसार निरन्तर विकास करते रहें। पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता बढाने के इस आन्दोलन में हर कदम पर स्थानीय नेताओं, अध्यापकों, और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का योग प्राप्त किया जाए। वयस्क साक्षरता के एक व्यापक कार्यक्रम के सुझावों पर आजकल विचार हो रहा है और आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में इसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी।

शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम

25. आगामी कुछ वर्षों में पूरे किए जाने वाले कुछ अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को भी योजना में स्थान दिया गया है। इनमें अध्यापकों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था में सुधार, शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे मे अनुसन्धान, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन, और हिन्दी और सस्कृत का विकास शामिल हैं। योजना मे शारीरिक शिक्षा, खेलकूद के विकास, युवक कल्याण कार्रवाइयों के विकास और पुस्तकालयों के विस्तार की व्यवस्था भी की गई है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

26. सांस्कृतिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का, जो पहली और दूसरी योजनाओं में शुरू की गई थीं, अब और विस्तार किया जाएगा। इनमें ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय कला दीर्घा का विस्तार, संग्रहालयों का विकास, और पुरातत्व विभाग की योजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण

27. नई सन्तति में राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण पैदा करने में शिक्षा संस्थाओं को महत्वपूर्ण योग देना है। स्कूल कार्यक्रम ऐसे बनाए जाएं जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करें। इस कार्यक्रम के पूरक के रूप में अन्य कार्रवाइयां भी करनी होंगी जिनके द्वारा विद्यार्थियों को समृद्ध और मिली-जुली संस्कृति के बारे में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

II तकनीकी शिक्षा

जन-शक्ति आयोजन

आर्थिक विकास की तेज रफ्तार की माग यह है कि निम्नलिखित कदम उठाए जाए, वर्तमान सस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार, बड़ी सख्या में नई संस्थाओं की स्थापना, शिक्षकों और प्रशिक्षकों की सख्या बढाने के लिए विशेष कार्रवाई, प्रशिक्षण को और गहन बनाने और इसकी अवधि घटाने के लिए नए-नए उपायों का प्रयोग, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का विस्तार, और पर्याप्त सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का नए-नए तरीकों से एक महत्वपूर्ण दुर्लभ साधन के रूप में उपयोग। जनशक्ति सम्बन्धी आयोजन करते समय हमें सारी अर्थ-व्यवस्था को एक अभिन्न इकाई मान कर चलना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी सभी उद्यमों में उपलब्ध सुविधाएं और सम्भावनाएं सारे समुदाय की सेवा में लगाई जानी चाहिए।

2. हर क्षेत्र में कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान सावधानी से और लम्बे अर्से के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सांख्यिकी सूचना-सेवा और जन-शक्ति मूल्याङ्कन-प्रणाली में सुधार करना होगा। बदली हुई आवश्यकताओं और अनुभवों के प्रकाश में कर्मचारियों की आवश्यकता की समय-समय पर आवश्यक रूप से समीक्षा करनी होगी। हर क्षेत्र में और हर सगठन में जन-शक्ति आयोजन को आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग मान कर चलना होगा।

3. विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जन-शक्ति आवश्यकताओं का मोटे तौर पर अन्दाजा लगाने के लिए, जन-शक्ति आयोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रस्तुत करने और नए-नए तरीके शुरू करने के लिए निकट भविष्य में व्यावहारिक अनुसन्धान सस्था (इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च) की स्थापना करने का विचार है।

4. तीसरी योजना में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में इतने प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने की योजना है जो चौथी और बाद की योजनाओं में और अधिक गहन विकास के काम आ सकते हैं। काफी क्षेत्र ऐसे होंगे, जिनमें पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी काफी सख्या में उपलब्ध नहीं होंगे। इन क्षेत्रों के लिए ऊंचे दर्जे के

प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ओर जहां स्थानीय कर्मचारियों का सर्वाधिक उपयोग किया जाए, साथ ही तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और अन्य साधनों का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए।

5. कर्मचारी से सम्बन्धित आवश्यकताओं का अनुमान सामान्यत: पिछले और वर्तमान अनुभव के आधार पर भावी सम्भावनाओं का अन्दाजा लगाकर किया जाता है। ऐसी स्थिति में तीव्र गति से देश में और विदेशों में होने वाले टैक्नोलोजिकल परिवर्तनों और अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मांग में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए सम्भव है कि हमें अपने वर्तमान अनुमानों को बढ़ाना पड़े। तीसरी योजना की अवधि में हमें चाहिए कि हम समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाते समय तात्कालिक जरूरतों को तो सामने रखें ही, चौथी और पांचवीं योजनाओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखें।

6. इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यकताओं पर तीन मुख्य स्तरों पर विचार किया जा सकता है—स्नातक, डिप्लोमा-प्राप्त कर्मचारी और दक्ष कारीगर। दूसरी योजना की अवधि में हमें 29,000 अतिरिक्त इजीनियरी-स्नातकों की आवश्यकता पड़ी थी; वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसके मुकाबले तीसरी योजना में हमें 51,000 नए इंजीनियरी-स्नातकों की आवश्यकता पड़ेगी। चौथी योजना की आवश्यकताओं का अनुमान लगभग 80,000 है। इंजीनियरी और टैक्नोलाजी के डिप्लोमा-प्राप्त अतिरिक्त कर्मचारियों की तीसरी योजना की आवश्यकता का अनुमान 1 लाख है, जबकि दूसरी योजना में लगभग 56,000 था। चौथी योजना की आवश्यकताओं का वर्तमान अनुमान लगभग 1,25,000 है।

इंजीनियरी, टैक्नोलाजी और विज्ञान

7. तीसरी योजना में शामिल किए गए तकनीकी शिक्षा-कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया है : विभिन्न क्षेत्रों में हर स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों और शिष्यवृत्तियों (फैलोशिप) की व्यवस्था, अंशकालिक और डाक-पाठ्यक्रमों की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रमों का विकास, उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का पहले से बेहतर प्रयोग, अपव्ययिता में कमी और अनुसन्धान को बढ़ावा। इन कार्यक्रमों पर 142 करोड़ रुपये, अर्थात् तीसरी योजना की शिक्षा-योजनाओं पर होने वाले कुल व्यय का 25 प्रतिशत खर्च होगा। पहली और दूसरी योजनाओं में यह खर्च कुल शिक्षा-व्यय का क्रमशः 13 और 19 प्रतिशत था। तीसरी योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, नेशनल अप्रैंटिसशिप योजना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सायंकालीन कक्षाओं और दस्तकारी-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 49 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

8. अब तक हुई प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं—

अध्यापकों की पेशगी भर्ती, अध्यापकों के लिए नियत से अधिक नौकरियां (सुपरन्यूमरेरी पोस्ट्स) और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार । दूसरी योजना में इन दिशाओं में जो कार्य शुरू किए गए थे, उनका अब और अधिक विस्तार किया जाएगा ।

12. औद्योगिक विकास के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि दक्ष श्रमिकों या कारीगरों की संख्या में काफी वृद्धि हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनका काम पहले से निरन्तर बेहतर होता जाए । इसलिए कई देशों में व्यापारिक स्कूलों में दाखिले की न्यूनतम योग्यताएं और सामान्य शिक्षा स्तर ऊंचा करने की प्रवृत्ति है । तीसरी योजना की अवधि में लगभग 13 लाख कारीगरों की आवश्यकता होगी जिसमें से 8 लाख 10 हजार इंजीनियरी व्यवसायों में और बाकी गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में होंगे । इस समय कारीगरों या दक्ष श्रमिकों और कामगारों (आपरेटिव) को कई प्रकार की संस्थाओं में और अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि संस्थाओं की संख्या 167 से बढ़ाकर 318 और उनमें दाखिले की संख्या 42,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जाएगी । इसके अतिरिक्त नेशनल अप्रेन्टिसशिप योजना के अन्तर्गत 12,000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का सुझाव है । सायंकालीन कक्षाओं में दाखिलों की संख्या 2,000 से बढ़ाकर 11,000 से अधिक की जाएगी । रेल, प्रतिरक्षा, डाक-तार जैसे कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों के अपने विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हैं । सभी सरकारी उद्योगों और निजी उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं । ग्राम और लघु उद्योगों से सम्बद्ध अखिल भारतीय मण्डलों, लघु उद्योग सेवा संस्थाओं और राज्यों के उद्योग विभागों के भी अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं ।

13. दस्तकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान चारों केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं का, जिनमें से एक महिला प्रशिक्षकों के लिए है, पूरा विकास किया जाएगा और तीन नई संस्थाएं स्थापित की जाएंगी । तीसरी योजना की अवधि में इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 7,800 होगी और विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1,800 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

14. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में लगभग 1,06,000 लोगों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 66,000 इंजीनियर और टैक्नोलाजिस्ट हैं । वैज्ञानिकों की सूची में उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों के और कुछ अन्य नाम दर्ज हैं—विशेष कर उनके जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे हैं । इस सूची में से अब तक 653 वैज्ञानिकों और टैक्नोलाजिस्टों का चुनाव हो चुका है । दूसरी योजना में वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या 23,300 से बढ़कर 37,500 हो गई है । तीसरी योजना की अवधि में माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के स्तर पर विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाओं में काफी विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयों में विज्ञान के छात्रों की संख्या में 2 लाख 30 हजार की वृद्धि की जाएगी जिसके फलस्वरूप यह संख्या लगभग 4 लाख हो जाएगी । तीसरी योजना में कालेजों के लिए 27,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिसमें से 17 हजार विज्ञान के होंगे ।

अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता

15. विकास के विभिन्न क्षेत्रो की तीसरी योजना और जहां सम्भव हुआ है, चौथी योजना की कर्मचारियों की आवश्यकताओ का अनुमान लगाया गया है। इन क्षेत्रो में उल्लेखनीय है : कृषि और ग्राम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, प्रशासन और सांख्यिकी। कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रो में काफी हद तक आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास दूसरी योजना मे ही किया जा चुका है और इन क्षेत्रों मे कर्मचारियो की भावी मांग को आधुनिक सुविधाओ मे थोड़ा विस्तार करके पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस बात का हमे अवश्य ध्यान रखना होगा कि योजना की प्रगति के साथ-साथ इस मांग के बढ़ने की भी सम्भावना है। कुछ वर्गों के कर्मचारियो की आवश्यकताओ के अनुमानो का यहां संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है।

16. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो के लिए तीसरी और चौथी योजनाओ में कितने अतिरिक्त कर्मचारियो की आवश्यकता होगी, यह नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाएगा।

कृषि और सम्बद्ध कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान

	1960-61 मे काम पर लगे हुए	तीसरी योजना की अतिरिक्त आवश्यकताए	चौथी योजना की अतिरिक्त आवश्यकताएं
कृषि स्नातक	14,000	20,000	30,000
पशु चिकित्सा के स्नातक	5,000	6,800	7,000
दुग्ध टैक्नोलाजिस्ट			
स्नातक	52	625	1,150
डिप्लोमा वाले	308	975	1,150
वन-विद्या :			
वन अधिकारी	1,100	480	600
रेंजर्स	3,000	1,520	1,900
मछली पालन :			
प्रशासनिक और सांख्यिकी कर्मचारी	460	1,475	2,410
मछली पालन इंजीनियर	150	240	
मछली पकड़ने की नौकाओ के कर्मचारी	120	250	
तकनीकी तट कर्मचारी	50	170	

तीसरी योजना में जिन अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओ की व्यवस्था की जाएगी, उसका विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है।

तीसरी योजना में अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधाएं

	1960-1961			1965-66		
	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए
कृषि कालेज	53	4,600	2,300	57	6,200	4,500
पशु चिकित्सा कालेज	17	1,300	1,200	19	1,460	1,350
दुग्ध टैक्नोलाजिकल शिक्षा संस्थाएं	5	110	100	7	170	154
मछली पालन शिक्षा संस्थाएं	2	50	50	3	80	75

सामुदायिक विकास खण्डों के लिए और सहकारिता के विकास के लिए आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

17. तीसरी योजना में प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में 61 प्रतिशत मिडिल स्कूलों में लगभग 81 प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार है। तीसरी योजना के अन्त में तीनों वर्गों में कुल अध्यापकों में से लगभग 75 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित होंगे। इसलिए बाकी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी हमें पुनरभ्यास पाठ्यक्रम और काम करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

18. तीसरी योजना के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पूरा करने में कई वर्गों के कर्मचारियों की कमी होने की सम्भावना है। नीचे की सारणी में दूसरी योजना के अन्त की अवस्था और तीसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रस्तावित विस्तार पर प्रकाश डाला गया है :

स्वास्थ्य और डाक्टरी कर्मचारियों के प्रशि... की अतिरिक्त सुविधाएं

	1960-61			1965-66		
	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए
डाक्टर	57	5,800	3,200	75	8,000	4,830
नर्स	250	4,000	2,800	350	6,200	4,500
सहायक नर्स मिडवाइफ/मिडवाइफ	420	5,200	4,000	550	9,100	7,000
स्वास्थ्य निरीक्षक	30	650	375	50	850	500
दारोगा सफाई	28	2,250	2,250	38	2,850	2,850
फार्मेसिस्ट	10	550	480	15	1,450	1,270

19. तीसरी योजना में भारतीय प्रशासन सेवा और राज्यों की प्रशासन सेवाओं के विस्तार की व्यवस्था है।

20. दूसरी योजना की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में सांख्यिकी प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या 4,000 से बढ़कर 10,000 हो गई। तीसरी योजना में ऐसे लगभग 6,000 और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। निजी उद्योगों और वाणिज्य की मांग में वृद्धि होगी। भारतीय सांख्यिकी संस्था, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राज्यों के सांख्यिकी ब्यूरो, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में सांख्यिकी की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

21. संयुक्त राष्ट्र संघ की तकनीकी सहायता योजनाओं, कोलम्बो योजनाओं तथा अन्य देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों और फाउण्डेशनों से हुए तकनीकी सहायता समझौतों के अन्तर्गत विशेष और उच्च अध्ययन के क्षेत्रों में काफी लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। जहां तक सम्भव हुआ है, भारत ने भी अन्य देशों को अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं से लाभ उठाने का मौका दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हम विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ उठाएं तो हमें चाहिए कि हम भावी कमियों का इस समय सही-सही अन्दाजा लगाएं और तीसरी और चौथी योजनाओं की आवश्यकताओं का ध्यान से अध्ययन करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों और उनके प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का चुनाव करें। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करते समय और प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य देश भारत से भी विशेषज्ञ मांग सकते हैं।

अध्याय 18

प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान

प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण

देश के प्राकृतिक साधनों पर समन्वित रूप से विचार होना चाहिए, और उनके अन्वेषण और उपयोग की योजना दीर्घकालीन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर बनाई जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक साधनो के सर्वेक्षण और उपयोग से सम्बद्ध विभिन्न संगठनो का काफी विस्तार किया गया है और उन्होने अनेक नए सर्वेक्षण और अन्वेषण किए हैं। इनके फलस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्णतर निर्धारण हो सका है। तीसरी योजना तैयार होने के बाद हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जब सुचिन्तित दीर्घकालीन योजनाओं की आवश्यक शर्त के रूप में मुख्य प्राकृतिक साधनो सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी की किस्म और मात्रा के विषय में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। भूमि के उपयोग, वनो के विकास और सिंचाई तथा बिजली, इस्पात, कोयला, तेल और खनिजों के विकास के विषय में निश्चित दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह देखना है कि मुख्य कमियां क्या हैं, कैसे-कैसे सर्वेक्षण की जरूरत है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

2. अपने प्राकृतिक साधनों के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की भारत में बहुत क्षमता है और अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में एक आत्मनिर्भर और आत्मवाहन अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस क्षमता का विकास आवश्यक है। राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति और कृषि एवं उद्योग तथा आर्थिक जीवन के अन्य अंगो का विकास तभी सम्भव है, जब देश के प्राकृतिक साधनों के स्वरूप और मात्रा और उनके विकास के लिए आवश्यक बातो का निर्धारण कर लिया जाए और इसके लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास के लिए यह निर्धारित करना भी उतना ही जरूरी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रो में क्या प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, इन क्षेत्रों की क्या-क्या जरूरतें हैं और वहां उपलब्ध साधनों के विकास की क्या-क्या सम्भावनाएं हैं।

3. भावी विकास की दृष्टि से प्राकृतिक साधनो के निर्धारण और विकास की समस्या को सामने लाने के लिए तीसरी योजना में पिछले कुछ वर्षों में हुई मुख्य बातो की सक्षिप्त समीक्षा की गई है और भूमि, जल, खनिज, ऊर्जा और अन्य साधनों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। योजना आयोग ने अब एक विशेष विभाग स्थापित किया है जो प्राकृतिक साधनों के निर्धारण और विकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

करेगा' सर्वेक्षण और अन्वेषण-कार्य में लगे विभिन्न अभिकरणों के काम को तेजी से उन्नति कर रही अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करेगा और विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक समान मार्ग निर्धारित करने में सहायता देगा। यह आशा है कि अन्य संगठनों के सहयोग से प्राकृतिक साधनों के निरन्तर समन्वित अध्ययन का प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे वर्तमान जानकारी की कमियों, विशेषकर दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से महसूस होने वाली कमियों, को बताया जा सके और इस समन्वित अध्ययन को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उचित नीतियां और कदम सुझाए जा सकें।

4. अगले पन्द्रह वर्ष और उससे भी अधिक अवधि को छूनेवाली आर्थिक विकास की दीर्घकालीन योजना तैयार करने से वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों और देश के साधनों की इस समय प्राप्त की जा रही अधिक जानकारी का महत्व समझने में सहायता मिलेगी। यह कार्य बहुत विशाल है और इसे पूरा करने के लिए योजना आयोग, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अनुसंधान-संगठनों, राज्यों के संगठनों, वैज्ञानिक और आर्थिक अनुसंधानकार्य में लगे प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों में निरन्तर सहयोग की आवश्यकता रहेगी। भारत के प्राकृतिक साधनों का वृहद्काय विकास हो सकता है। इन साधनों के व्यवस्थित अध्ययन और अन्वेषण से तथा उनके निर्धारण और उपयोग में विज्ञान और टेक्नालाजी की सहायता से आर्थिक उन्नति की सम्भावना वर्तमान आशा से कहीं अधिक बढ़ सकती है।

5. वैज्ञानिक अनुसंधान के लक्ष्य : प्राकृतिक साधनों के विकास का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की प्रगति से गहरा सम्बन्ध है। द्वितीय महायुद्ध के बाद समुन्नत देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की गति बहुत बढ़ी है। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि उन्नत और अल्प-उन्नत देशों में अन्तर पहले से अधिक बढ़ गया है। भारत के सम्मुख कार्य यह है कि वह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के विकास का पूरा प्रयत्न करके इस अन्तर को कम करे और अपने विकास-कार्यक्रमों के लिए विज्ञान की सहायता ले।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करना देश की समृद्धि में बहुत बड़ा और स्थायी योग देना है। अतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए पहले से अधिक राशि रखी गई है। इस कार्य में अब उद्योगों के अंशदान की पहले से अधिक आवश्यकता है। शुद्ध, व्यावहारिक और शिक्षाप्रद विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना भारत सरकार के मार्च 1958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में स्वीकृत मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पहली योजना में मुख्यतः राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान-संस्थानों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। दूसरी योजना में वर्तमान सुविधाओं को और बढ़ाया गया, अनुसंधान-कार्य का आधार व्यापक किया गया और विश्व-विद्यालयों और अन्य विभिन्न अनुसंधान-केन्द्रों में अनुसंधान की सुविधाएं बढ़ाई गईं।

7. पहली दो योजनाओं में जो कार्य हुए, उनके फलस्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य में लगे संस्थानों का जाल बिछ गया और अब पहले से अधिक केन्द्रों में शुद्ध और व्यावहारिक अनुसंधान और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। तीसरी योजना

में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाएगा—

(1) वर्तमान अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाना और अनुसंधान की सुविधाओं को व्यापक क्षेत्र में प्रसारित करना;

(2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(3) विशेष रूप से इंजीनियरी और प्रौद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना;

(4) अनुसंधान-कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अनुसंधान–फैलोशिपों एवं वृत्तियों के कार्यक्रम को विस्तृत करना;

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और विकास के विषय में अनुसंधान करना;

(6) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, शिल्पिक संस्थानों, वैज्ञानिक संघों की प्रयोगशालाओं और सरकारी विभागों की अनुसंधान-शाखाओं में होने वाले अनुसंधान-कार्य का समन्वय करना, और

(7) आजमायशी तौर पर उत्पादन करना और सम्पूर्ण रूप से क्षेत्र-परीक्षण आदि के बाद के अनुसंधान के परिणामों की सार्थकता सिद्ध हो जाने पर उनका उपयोग करना।

8. तीसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्र के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-कार्यक्रमों के लिए 130 करोड़ रु० रखे गए हैं, जब कि दूसरी योजना में 72 करोड़ रु० रखे गए थे। इस व्यय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार है:–

(करोड़ रु० में)

	दूसरी योजना का अनुमित व्यय	तीसरी योजना
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बड़े पैमाने पर क्षेत्र-परीक्षण सहित) और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	20.00	35.00
अणुशक्ति विभाग	27.00	35.00
कृषि अनुसंधान	13.80	26.40
चिकित्सा अनुसंधान	2.20	3.50
अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों (प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर) के अधीन होनेवाला अनुसन्धान-कार्य	9.00	30.10
जोड़ :	72.00	130.00

तीसरी योजना का यह व्यय 5 वर्ष की अवधि में किए गए उस 75 करोड़ रु० के

व्यय के अतिरिक्त है, जो दूसरी योजना के अन्त में मुहैया की गई सुविधाओं को चालू रखने के लिए किया गया।

9. तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं मे हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की प्रगति की कुछ विस्तृत समीक्षा की गई है, और निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई है:—

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,

(2) वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय,

(3) अणुशक्ति विभाग,

(4) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान,

(5) चिकित्सा अनुसंधान,

(6) अनुसंधान के अन्य कार्यक्रम—(क) सिंचाई और बिजली, (ख) परिवह और निर्माण, (ग) खनिज, (घ) संचार,

(7) चीनी, पटसन और अन्य उद्योग,

(8) विश्वविद्यालयों और उच्च प्रौद्योगिक संस्थानों में अनुसंधान (इंजीनियरी औ सांख्यिक अनुसंधान सहित)

(9) वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग,

(10) वैज्ञानिक उपकरण, और

(11) मानकीकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता।

10. **वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग :** वैज्ञानिक अनुसंधान की उपलब्धियों के शी और व्यापक व्यावसायिक उपयोग के महत्व पर अनेक वर्षों से जोर दिया जाता रहा है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन के लिए लाभ उठाने के उद्देश्य से हुई थी। फिर भ देश में जो बहुत से आविष्कार हुए हैं, उनसे लाभ उठाना बाकी है। प्रयोगशालाओं में हो वाले अनुसंधान के परिणाम प्राप्त होने के बाद उन पर व्यापक रूप से अमल होने त अभी काफी समय लगता है, और इस दिशा में अधिक प्रभावशाली कदम उठाने व आवश्यकता है। अनुसंधान की उपलब्धियों के शीघ्र उपयोग में रुकावटें इसलिए हैं ि आजमायशी संयंत्रों और डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं नहीं हैं, उद्योगों औ अनुसंधान-संगठनों के बीच सम्पर्क अपर्याप्त है, उद्योग इस बात की आवश्यकता की ओ पर्याप्त ध्यान नहीं देते कि आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही बनाया जाए औ अनुसंधान-विकास के कार्यक्रमों तथा लाइसेंस देने की नीतियों में समन्वय नहीं है। आज मायशी संयंत्रों के डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं अब पहले से कहीं अधिक उपलब्ध हैं, और जो कमी बाकी है, उसे तीसरी योजना में काफी हद तक पूरा कर दिया जाएगा जिन अन्य पहलुओं का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में नए मार्ग-निर्धारण क

आवश्यकता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं और उद्योगों में गहरा सम्पर्क रहे; दोनों की समस्याओं और उन्हें हल करने के प्रयत्नों के परिणामों का ज्ञान रहे और उद्योग अनुसंधान के परिणामों के उपयोग की सुचिन्तित योजनाओं को अपनाएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं देश ही में बनाई जाएं और देश में अनुसंधान के आधार पर निर्धारित स्तर ऊपर उठाए जाएं। विशेषकर विकास-परिषदों और विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित अन्य संगठनों को इन योजनाओं को तीसरी योजना के विकास कार्यक्रमों का आवश्यक अंग मानना चाहिए। उन्हें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं को उद्योगों और उनके संचालकों तथा इंजीनियरों से आवश्यक सहायता और सुविधाएं मिलती रहें।

11. उद्योगों में अनुसंधान की उपलब्धियों के उपयोग की जो कमी नजर आती है, वही कमी परिवहन, निर्माण और बिजली जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों में भी है। अनुसंधान के परिणामों पर विस्तृत रूप से अमल न होने से अनुसंधान-कार्य पर किए जाने वाले व्यय का पूरा लाभ नहीं होता जिससे शिल्पिक उन्नति और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। केन्द्रीय सरकार के सड़क-निर्माण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि सम्भावित जोखिमों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और सड़क-निर्माण की नई विधियों के विस्तृत परीक्षण पर जो अतिरिक्त खर्च आए, उसे उठाया जाए। निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में भी इसी मार्ग पर चला जा सकता है।

12. किसी देश की औद्योगिक उन्नति नए आविष्कारों की बड़ी संख्या से प्रतिलक्षित होती है। इनमें से कुछ बहुत महत्व के होते हैं और प्रयोगशालाओं में दीर्घ काल तक अनुसंधान के बाद किए जाते हैं। अन्य आविष्कार कुशल कर्मचारियों और शिल्पिकों के नित्य प्रति के काम के दौरान में कामचलाऊ हलों के रूप में होते हैं। औद्योगीकरण का काम जड़ पकड़ ले, इसके लिए यह जरूरी है कि सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, शिल्पिकों तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं की रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाए। यह सुझाव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे कर्मचारियों और शिल्पिकों को आविष्कार करने में प्रोत्साहन मिले। उन्हें अपने विचारों को विकसित करने और क्रियान्वित करने में आवश्यक सहायता भी देनी चाहिए।

वैज्ञानिक उपकरण

13. वैज्ञानिक उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के कारण, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास और स्कूलों तथा कालेजों में विज्ञान की शिक्षा के विस्तार और सुधार में बहुत बड़ी बाधा रही है। अक्टूबर, 1959 में वैज्ञानिक उपकरण समिति की रिपोर्ट के बाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना की। वर्तमान और भावी उत्पादक दीर्घकालीन आधार पर उत्पादन की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी विभाग और शिक्षा संस्थाएं अपनी

जरूरतों का हिसाब पहले से लगा लें और उत्पादकों को उनकी सूचना दे दें और, जहां तक सम्भव हो, सामान सप्लाई करने का पहले से ही पक्का आर्डर दे दें। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामान खरीदने वाले संगठनों और वस्तु-आदेश देने वाले विभिन्न अधिकारियों को वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के विकास के लिए अपने वर्तमान तरीके में सुधार के लिए सहयोग करना चाहिए।

मानकीकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता

14. दशमिक माप और तौल शुरू करने के निर्णय पर कितना अमल हुआ है, इसकी तीसरी योजना में समीक्षा की गई है। अगले तीन वर्षों में दशमिक प्रणाली अन्य सब प्रणालियों को काफी हद तक हटा देगी और दिसम्बर, 1966 के बाद दशमिक प्रणाली ही कानून द्वारा मान्य एकमात्र प्रणाली रह जाएगी।

15. भारतीय मानक निर्धारित करने की दिशा में उठाए गए कदमों और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने और किस्म-नियंत्रण का आरम्भ करने में हुई प्रगति की संक्षिप्त समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी किस्म निर्धारित करने की योजनाएं शुरू की जाएं। विशेषकर, निर्यात किया जाने वाला माल बढ़िया किस्म का हो, इसके लिए जहाज पर माल लादने से पहले उसकी जांच तथा ऐसे ही अन्य उपायों को व्यवस्थित रूप से सभी क्षेत्रों में अपनाया जाए और यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए कानून भी बनाया जाए।

अध्याय 19

स्वास्थ्य, आवास और कल्याण

इस अध्याय में तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, आवास और शहरी तथा ग्रामीण आयोजन, पिछड़े हुए वर्गों का विकास, समाज कल्याण, मद्य निषेध और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी मुख्य नीतियों और कार्यक्रम की चर्चा है। तीसरी योजना में इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पर 736 करोड़ रु० खर्च किया जाएगा जबकि दूसरी योजना में लगभग 474 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में तीसरी योजना में जिन नीतियों और प्राथमिकताओं की सिफारिश की गई है, वे पहली दो योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन और सामाजिक परिस्थितियों की नए सिरे से की गई समीक्षा पर आधारित हैं।

1 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

2. तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है और जनता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार लाना है। निरोधात्मक जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में घरों के बाहर की सफाई, विशेषत. ग्रामीण और शहरी जल व्यवस्था की उन्नति, संक्रामक रोगों के नियमन, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधा का संगठन और स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा और पौष्टिक आहार जैसी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिवार नियोजन को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। पहली और दूसरी योजनाओं में क्रमशः 140 करोड़ और 225 करोड़ रुपयों की अपेक्षा तीसरी योजना में कुल 342 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. गत दस वर्षों में विभिन्न दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। मलेरिया के नियमन और उन्मूलन के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनसे रोग में काफी कमी हो गई है। फाइलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ और यौन रोगों के नियमन में भी काफी प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं का काफी बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। शहरी जल पूर्ति और निकासी की लगभग 664 योजनाएं या तो पूरी की जा चुकी हैं या उन पर काम हो रहा है। समस्त देश में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं चालू हैं।

जीवन और मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों के इकट्ठा करने की काफी परिसीमाएं हैं, जैसा कि नीचे की सारिणी से स्पष्ट है। जनता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।

जन्म दर, मृत्यु-दर और जीवनावधि—1941-61

अवधि	जन्म-दर	मृत्यु-दर	शिशु-मृत्यु-अनुपात		जन्म के समय जीवनावधि	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1941-51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.45	31.66
1951-56	41.7	25.9	161.4	146.7	37.76	37.49
1956-61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

4. दूसरी योजना के अन्त तक सुधारों के बावजूद कुछ दिशाओं में प्रत्यक्ष कमियां थीं। जरूरतों को देखते हुए संस्थाओं की सुविधा बिल्कुल नाकाफी थी, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में। देहाती और शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों का अनुपात समान नहीं है। गांवों में डाक्टरों की बहुत कमी है। डाक्टरों की कमी के कारण संक्रामक रोगों की रोकथाम के कार्य की प्रगति में काफी बाधा पहुंची है यद्यपि गांवों में पानी की सुविधा पहुंचाने में काफी प्रगति हुई है, फिर भी एक बड़े देहाती क्षेत्र में पीने के पानी की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहुत से शहरी क्षेत्रों में आबादी के एकदम बढ़ जाने के कारण जल-निकासी की समस्या बहुत विकट हो गई है। तीसरी योजना का उद्देश्य इन विभिन्न कमियों को और दोषों को दूर करना है। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो सके, योजना के अन्त तक देश के ज्यादा से ज्यादा भागों में पीने के पानी की सुविधा पहुंचाई जाए। मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और चेचक के उन्मूलन और फाइलेरिया, हैजा, तपेदिक, कुष्ठ और अन्य संक्रामक रोगों के नियमन के लिए प्रयास किए जाएंगे।

5. तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य-मुख्य भौतिक लक्ष्य दूसरी और तीसरी योजनाओं की प्रगति के आंकड़ों के साथ संक्षिप्त रूप में नीचे की सारिणी में दिए गए हैं :

सफलताएं और लक्ष्य 1951-66

मद एकक	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
अस्पताल और डिस्पेंसरियां				
संस्थाएं	8600	10000	12600	14600
रोगी शय्याएं	113000	125000	185600	240100
प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक		725	2800	5000
डाक्टरी शिक्षा				
डाक्टरी कालेज	30	42	57	75
वार्षिक दाखिले	2500	3500	5700	8000
दन्त चिकित्सा-शिक्षा				
दन्त चिकित्सा कालेज	4	7	10	14

वर्ग एकक	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
वार्षिक दाखिले	150	231	281	400
प्रशिक्षण कार्यक्रम				
डाक्टर*	56000	65000	70000	81000
नर्सें*	15000	18500	27000	45000
सहायक नर्सें मिडवाइफ्ज और				
मिडवाइफ्ज*	8000	12780	19900	48500
स्वास्थ्य निरीक्षक*	521	800	1500	3500
नर्स-दाई, दाई*	1800	6400	11500	40000
सफाई दारोगा*	3500	4000	6000	19200
फार्मेसिस्ट	उ० न०	उ० न०	42000	48000
संक्रामक रोगों का नियमन				
मलेरिया एकक		133	390	390‡
परिधि में आई आबादी		107	438	497
फाइलेरिया एकक		11	48	48
परिधि में आई आबादी (दस लाख में)		15.1	24.6	उ० न०
तपेदिक				
बी०सी०जी० दल	15	119	167	167
तपेदिक क्लिनिक	110	160	220	420
तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र		3	10	15
रोगी शय्याएं	10371	22000	26500	30000
कुष्ठ निवारक केन्द्र		33	135	235
यौन रोग–यौन रोग क्लिनिक			83	189
जच्चा, बच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र	1651	1856	4500	10000

6. **पानी की व्यवस्था और स्थानीय सफाई**—तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिए 67 करोड़ रुपये की व्यवस्था है—35 करोड़ रुपये ग्रामीण जल व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत और शेष स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। ग्रामीण जल व्यवस्था कार्यक्रम का प्रारम्भिक उद्देश्य गावों के स्तर पर ग्रामीण जल व्यवस्था की समस्या को सुलझाना है और विकास खण्डों में गाव पंचायतें और पंचायत समितियां ये काम करेंगी। अधिकाश गांवों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध

*इस संख्या में सेवा में और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले दोनों ही शामिल हैं।

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

‡तीसरी योजना के उत्तरार्द्ध में इन एककों को धीरे-धीरे हटा लिया जाएगा।

कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि न केवल पृथक प्रयास किया जाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि हर स्तर पर कार्यक्रम बनाने में सभी सम्बद्ध अभिकरण सम्मिलित हे और उनमें प्रभावकारी समन्वय है। और स्थानीय लोगों का आगे बढ़ कर काम करने और सहायता का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों में वर्तमान ग्रामीण जल व्यवस्था की स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

7. ग्रामीण जल व्यवस्था के साथ-साथ ही गावों की सफाई की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से गावों में मानव मल-मूत्र विसर्जन की ओर। गावों में शौचालयों के प्रारम्भ और इस्तेमाल सम्बन्धी सक्रिय कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा अब काफी अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विकास खण्ड में गांवो की सफाई की समस्या के बारे में जागृति पैदा की जाए और स्कूलों और कैम्पों, मकानो के समूहों और जहा सम्भव हो, अलग-अलग मकानो में स्वच्छ शौचालयो के उपयोग को प्रारम्भ कराया जाए। स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा गावो की सफाई के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। स्वच्छ, बदबू रहित और सस्ते शौचालयो की सुविधाएं तथा लाभ स्पष्ट हैं। मानव मलमूत्र के उर्वरक मूल्य को सुरक्षित रखने और भूमि को समृद्ध बनाने के लिए इनकी आवश्यकता किसी से कम नही है।

8. **शहरों में पानी की व्यवस्था और सफाई**—शहरों में पानी की व्यवस्था और जल-निकासी की योजनाओं के लिए योजना में 89 करोड रुपये की व्यवस्था है। जल-निकासी और मल विसर्जन तथा पानी की व्यवस्था करने वाली योजनाओं पर साथ-साथ ही विचार करना और उन्हे एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करना महत्वपूर्ण है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में जल पूर्ति के कार्यक्रम का अनुमानित लागत का 20 से 30 प्रतिशत तक मल विसर्जन योजनाओ के लिए अलग कर देना वाछनीय होगा। दूसरी योजना में शहरो मे पानी की व्यवस्था करने की योजनाओ के अनुभव ने यह सिखाया है कि काम का विभिन्न सोपानो में सावधानी से बटवारा किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यक्रम के विभिन्न सोपान एक सही शृंखला में हैं। उपलब्ध साधनो को अनेक योजनाओ में थोडा-थोडा बाटने से बचना आवश्यक है। उचित मानदण्ड के आधार पर शहरो मे पानी की व्यवस्था की योजनाओ का चुनाव करना चाहिए। नगरपालिका निकायो को न केवल इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सभालनी चाहिए बल्कि जहा तक सम्भव हो, इनके निर्माण की लागत में भी हाथ बटाना चाहिए। जल पूर्ति योजनाओं के इंजीनियरी और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओ में समन्वय की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

9. **प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक, अस्पताल और डिस्पेंसरियां**—तीसरी योजना मे 2,000 और अस्पतालों और डिस्पेंसरियो और 54,500 अतिरिक्त रोगी-शय्याओ की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विस्तार होगा, उसके अतिरिक्त सभी विकास खण्डो में प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक स्थापित किए जाएगे। गावो के लिए डाक्टरो की उपलब्धि की समस्या को सुलझाने के लिए ये उपाय सुझाए गए हैं।

(1) जैसा कि कुछ राज्यों में रिवाज है, शहरी और देहाती क्षेत्रो में काम करने वाले कर्मचारियों का एक ही सवर्ग होना चाहिए। सेवा के नियमो को इस तरीके का बनाया जाए कि सवर्ग का प्रत्येक पदाधिकारी जब तक गावो मे निश्चित अवधि तक सेवा न कर ले, उसको अगला ग्रेड न दिया जाए और न ही प्रथम दक्षता-अवरोध पार करने दी जाए। शीघ्र उन्नति, अग्रिम सवृद्धि या स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के चुनाव के लिए देहाती क्षेत्रो में की गई सेवा का विशेष ख्याल रखा जाए।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मचारियो को रहने के लिए मकान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके अतिरिक्त व्यय जैसे उनकी बच्चो की शिक्षा का व्यय का भी उचित ध्यान रखना चाहिए।

(3) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को पर्याप्त संख्या मे छात्रवृत्तिया उपलब्ध की जानी चाहिए और इनके लिए यह शर्त होनी चाहिए कि स्नातक हो जाने के बाद वे एक न्यूनतम निर्धारित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्य करेंगे।

(4) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले लोगो की सेवाओं का आंशिक समय के आधार पर अस्पतालो, औषधालयो और विद्यालय स्वास्थ्य सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त देशी चिकित्सा प्रणाली मे योग्यता प्राप्त और उचित प्रकार से प्रशिक्षित स्नातको की सेवाओ का प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा उपकेन्द्रों में उपयोग किया जाना चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सहायको के प्रशिक्षण के लिए एक नया अल्पकालीन पाठ्यक्रम चालू किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियो को ग्रामीण क्षेत्रो के प्रारम्भिक स्वास्थ्य एककों में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए काम करना चाहिए जिसके बाद उन्हे साधारण चिकित्सा योग्यताएं प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिएं और उन्हें सार्वजनिक सेवा करते रहनी चाहिए।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकको का स्तर उन्नत करने के लिए उन्हे जिला अस्पतालों से सम्बद्ध किए जाने का विचार है।

10. **संक्रामक रोगों का नियंत्रण**—तीसरी योजना मे संक्रामक रोगो के नियत्रण के लिए बनाए गए कार्यक्रमो के निमित्त कुल लगभग 70 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई।

दूसरी योजना के अन्त में 390 मलेरिया उन्मूलन एकक कार्य कर रहे थे। इसके साथ-साथ ही निरीक्षण कार्य चालू किए गए और ज्यो-ज्यो तीसरी योजना मे प्रगति होगी, ये एकक धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे।

तीसरी योजना में फाइलेरिया के नियमन के लिए उन शहरों मे नालियां बनाने के

काम को प्राथमिकता दी जाएगी जहां यह रोग अधिक फैला हुआ है। भारत में चेचक स्थानिक रोग है और यह अन्य देशों में छूत फैलने का एक साधन है।

चूंकि इस रोग की रोकथाम की जा सकती है और इसका उन्मूलन करने में टीके लगाना बड़ा प्रभावशाली उपाय है इसलिए तीसरी योजना मे इस रोग को उन्मूलित करन के लिए प्रयत्न की व्यवस्था है।

तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। तीसरी योजना की अवधि में बी० सी० जी० आन्दोलन के अंतर्गत लगभग 10 करोड लोगो की जाच की जाने की आशा है। तपेदिक क्लिनिको की संख्या 220 से बढा कर 420 कर दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों मे सेवा के लिए 25 चलते-फिरते क्लिनिक सगठित किए जाएगे। लगभग 3,500 और शय्याएं बढाई जाएगी जिससे रोगी शय्याओं की कुल सख्या 300,00 हो जाएगी।

कुष्ठ रोग के नियामक कार्यक्रम मे 100 और नियामक एककों की स्थापना तथा पर्यवेक्षण, शिक्षा एव उपचार केन्द्रो की स्थापना सम्मिलित है।

गिल्लड के उन्मूलन, कैंसर विषयक अनुसन्धान तथा यौन रोगो के निदान एव उपचार से सम्बन्धित कार्यक्रम भी चालू किए जा रहे हैं।

11. हैजा—भारत हैजे के लिए एक स्थानिक क्षेत्र रहा है। पश्चिमी बगाल, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की पाच प्रमुख नदियो के डेल्टा वाले इलाकों मे हैजे के पाच मुख्य केन्द्र स्थल हैं। पश्चिमी बगाल और उडीसा में हैजा सब से अधिक और बार बार होता है। बार बार फैलने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए इन मुख्य केन्द्र स्थलो को दूर करना होगा। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि लोगो को पीने का अच्छा पानी पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो विशेष तौर पर हैजे वाले क्षेत्रों में; और मलमूत्र की निकासी के लिए आधुनिक तरीके बरते जाए। भारत में हैजा फैलने का सबसे बड़ा स्थनिक केन्द्र महानगरी कलकत्ता है। यह सुझाव दिया गया है कि जिन राज्यो में हैजा फैलता है है वहा हैजा फैलने वाले क्षेत्रो में पानी की आपूर्ति और सफाई विषयक कार्यक्रम मुख्य रूप से किए जाने चाहिए। इन इलाको के लिए शीघ्र विशिष्ट कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो योजना के अन्तर्गत साधनो को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नही है कि तीसरी योजना की अवधि में इस रोग को कम किया जाना सम्भव न हो और चौथी योजना के अन्त तक इसे पूरी तरह उन्मूलित न किया जा सके

12. स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्य पहलू—तीसरी योजना की अवधि में स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिन कुछ अन्य पहलुओं पर काफी ध्यान देना होगा उनका यहां संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहिए।

13. स्वास्थ्य शिक्षा—व्यापक अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा ही एक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की नीव है। अधिकाश रूप से स्वास्थ्य खराब रहने का कारण यह है कि लोग सफाई के साधारण नियमों को भी नहीं जानते या उन नियमो का पालन करने में वे

उदासीन रहते हैं। इस लिए स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़ कर सम्भवतः कोई अन्य उपाय ऐसा नही है कि जिस पर किए व्यय के अनुपात से लाभ अधिक हो। यह सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में दिया जाना चाहिए और इस पर तथा सामुदायिक विकास खण्डों में सामाजिक शिक्षा के कार्य पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

14. **स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य**—स्कूलों के बच्चो के स्वास्थ्य की देखभाल न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है बल्कि समूचे समुदाय के स्वास्थ्य का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्यों के स्वास्थ्य कार्यक्रमो में स्कूलों के बच्चो के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यून तम सेवाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। ज्यो ज्यो स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा अदा करने के लिए तैयार हों स्कूलों में दोपहर के भोजन के कार्यक्रम को निरन्तर बढाना चाहिए यथासमय अधिकाश स्कूलो के बच्चे, विशेष तौर पर कम आय वाले लोगो के बच्चे, दोपहर के भोजन आन्दोलन के अन्तर्गत आ जाने चाहिए।

15. **जन्म-मृत्यु के आंकड़े**—जन्म-मृत्यु के महत्वपूर्ण आंकड़ों की कमी मौजूदा साख्यिकीय प्रणाली की अनेक गम्भीर कमजोरियों मे से एक है। एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण आकड़ों में सुधार करने के प्रस्ताव हाल मे ही बनाए गए हैं। इनमें ये बातें सम्मिलित हैं : महत्वपूर्ण आकड़ो के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की सिफारिश, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रो मे जन्म और मरण के विश्वसनीय आकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्रो के नमूना पंजीकरण की एक योजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थाओ के सुझाव तथा आकड़ो की प्राप्ति तथा सग्रह। आवश्यक आकड़ो के सुधार का कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इसके लिए केन्द्र द्वारा जिस ओर सहायता की आवश्यकता हो वह भी दी जानी चाहिए।

16. **मानसिक स्वास्थ्य**—स्वास्थ्य सेवाओ के विकास कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओ के बढ़ते हुए महत्व की दृष्टि से यह जरूरी है कि चिकित्सा विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता विशेषत. वे लोग जो मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करें।

17. **औषधि**—ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य सरकारो को औषधि अधिनियम 1940 के दैनिक प्रशासन के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए तथा नमूनो के लिए अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

18. **खाद्य वस्तुओं में मिलावट**—खाने पीने की आम चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है। थोक तथा फुटकर दोनों स्तरों पर चीजों के बनने, तैयार होने और वितरण के समय उनमें मिलावट की जाती है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक प्रारम्भिक अवस्था में मिलावट की इस समस्या का ठीक प्रकार से सामना किया जाए और मिलावट करने वाले सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। स्थानीय संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों तथा उपभोक्ता संघों द्वारा देखभाल किए जाने के अतिरिक्त विशेषतः शहरों में सहकारी उपभोक्ता दूकानें खोली जानी चाहिए ताकि खाने-पीने की शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

19. देशी चिकित्सा प्रणालियां—आयुर्वेद की शिक्षा के प्रति इस समय जो दृष्टिकोण है उसके सन्तोषजनक परिणाम नही निकले हैं। 'एकीकृत' चिकित्सा के पाठ्यक्रम से यह उद्देश्य पूरा नही हुआ है कि इस पाठ्यक्रम से दीक्षित व्यक्ति आयुर्वेदीय ढंग से चिकित्सा करें। प्रवेश, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण आदि के लिए निर्दिष्ट योग्यताओं के बारे में विभिन्न राज्यो में कोई एकरूपता नही है। आयुर्वेद विषयक योजना आयोग के विशेषज्ञों ने चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली को बढावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं। आयुर्वेद के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

20. पोषण—1935-48 तथा 1955-58 में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की ओर से किए गए आहार सम्बन्धी पर्यवेक्षणो से पता चलता है कि यद्यपि अन्नों और दालों की खपत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ किन्तु यह सम्भव है कि कुछ अन्य-भिन्न खाद्यो की प्रति व्यक्ति खपत मे थोडी-सी कमी हुई हो। जनता के गरीब वर्गों के बढती उम्र के बच्चों पर खाद्य विषयक कमियो का सबसे अधिक बुरा असर पड़ता है। पोषण में सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम है उसके दो भाग हैं—अर्थात आम लोगो तथा मजदूरो के विभिन्न वर्गों को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और समुदाय के अपुष्ट वर्गों की पौष्टिक आवश्यकताओ को पूरा करने के उपाय। अपुष्ट वर्गों में, जिनकी ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताए, छोटे बच्चे, स्कूल-पूर्व बच्चे, और स्कूलों के बच्चे विशेषत: छोटी आय वाले लोगो के बच्चे हैं। दोपहर के भोजन के कार्यक्रम द्वारा स्कूलों के बच्चो को सबसे अधिक अच्छे रूप में आहार दिया जा सकता है। अर्द्ध पुष्ट बच्चों के लिए दूध आदि सरक्षण खाद्यो तथा उनके आहार में बहुद्देशीय खाद्य जैसे विटामिन आदि के द्वारा वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। सामान्य जनता के लिए औद्योगिक कारखनो की केन्टीनो, होस्टलों, रेस्टोरा तथा अन्य खाने के स्थानो पर सस्ते और सन्तुलित भोजनों की व्यवस्था करने की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र में पहले से ही एक राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति विद्यमान है। राज्यो के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में पोषण सम्बन्धी विशेष विभागो की स्थापना पर वारवार जोर दिया गया है।

परिवार नियोजन

21. तीसरी तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक जोर परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर देना होगा। इसके लिए भरपूर शिक्षा, सुविधाओं तथा यथासंभव बड़े पैमाने पर परामर्श की व्यवस्था और प्रत्येक शहरी तथा ग्रामीण समुदाय में व्यापक प्रयत्न की आवश्यकता है। देश की मौजूदा परिस्थितियों मे परिवार नियोजन का कार्य न केवल एक मुख्य विकास कार्यक्रम के रूप में करना होगा वल्कि उसे एक ऐसे देशव्यापी आन्दोलन के रूप में करना होगा कि जिसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए एक अधिक अच्छे जीवन के प्रति एक बुनियादी दृष्टिकोण निहित है।

22. पहली योजना में शहरी क्षेत्रो में 126 परिवार नियोजन क्लिनिक और ग्रामीण क्षेत्रों मे 21 परिवार नियोजन क्लिनिक स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना मे शहरी क्षेत्रो में इनकी सख्या बढ़कर 549 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1100 हो गई। इनके प्रति-

रिक्त 1864 ग्रामीण तथा 330 शहरी चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। कई बन्ध्याकरण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इस कार्य का पथ-प्रदर्शन केन्द्रीय और राज्यीय परिवार नियोजन बोर्डों द्वारा होता है। बम्बई तथा अन्य स्थानों पर गर्भ-निरोधक उपकरण परीक्षण एकको में काफी अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। जनसख्या सम्बन्धी 4 अनुसधान केन्द्र भी खोले गए हैं। कई महत्व-पूर्ण क्षेत्रीय जाच भी की गई हैं। एक व्यापक आधार वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाया गया है।

23. तीसरी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम में इन बातों की व्यवस्था की गई है— (अ) परिवार नियोजन के लिए शिक्षा और प्रयोजन, (ब) सेवाओं की व्यवस्था, (स) प्रशिक्षण, (द) आपूर्तियां, (च) सचार तथा प्रयोजन, (छ) जनसख्या सम्बन्धी अनुसन्धान, और (ज) चिकित्सा और जीवविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान। इस कार्य-क्रम पर कुल 50 करोड रुपये का व्यय होगा।

इस समस्त आन्दोलन की सफलता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को बढाना बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा एक अधिक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा का ही एक भाग है। इसे अन्य रचनात्मक कार्रवाइयों के साथ सम्बद्ध करना होगा। तीसरी योजना के लिए बनाए गए अस्थायी कार्यक्रमों के अनुसार द्वितीय योजना के अन्त में परि-वार नियोजनक्लिनिकों की सख्या लगभग 1 800 से बढ कर लगभग 8,200 हो जाने की सम्भावना है। इनमें से लगभग 6,100 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 2,100 शहरी क्षेत्रों में होंगे।

24 तीसरी योजना में अनुसन्धान का एक विस्तृत कार्यक्रम लागू किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पहलुओं की जाच की जा रही है :

(1) मानवीय जनन सम्बन्धी अध्ययनों का विकास;
(2) प्रजनन सम्बन्धी शरीर विज्ञान का अध्ययन;
(3) अधिक प्रभावशाली स्थानीय गर्भनिरोधक उपकरणों का विकास;
(4) एक उपयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक दवाई का विकास, और
(5) जो स्त्री और पुरुष बन्ध्या किए जाए उनके बारे में यह मालूम करते रहना कि बन्ध्याकरण के क्या परिणाम निकलते हैं।

24. मौखिक गर्भनिरोधक दवाइयों के बारे में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है जो इस क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले विकास कार्य की समीक्षा करेगी और सिफा-रिशें करेगी। परिवार नियोजन के लिए सचार, प्रयोजन तथा कार्य-अनुसन्धान का पथ-प्रदर्शन करने के लिए एक समिति हाल में बनाई गई है। वर्तमान समय की अपेक्षा और अधिक व्यापक रूप से परिवार नियोजन की समाजशास्त्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने की आवश्यकता है।

25. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक आधार पर किए गए बन्ध्या-करण का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी योजना में जिला अस्पतालों और उप-विभागीय अस्पतालों में बन्ध्याकरण की सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है।

26. तीसरी योजना में परिवार नियोजन क्षेत्र में जो मुख्य कार्य करना है वह यह है कि कुछ बुनियादी समस्याओं का प्रभावशाली रूप से समाधान किया जाए तथा परिवार नियोजन के समर्थन के लिए शैक्षणिक एवं विस्तार कार्य करने वाले सभी उपलब्ध अभिकरणो को गतिशील किया जाए। केन्द्र में तथा राज्यो मे प्रशासनिक व्यवस्थाओ को अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता होगी। हजारो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा यथासमय उनके उपकेन्द्रो मे आवश्यक कर्मचारियो तथा सामान की व्यवस्था करना ताकि गावों तक पहुचा जा सके और वहा न केवल परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाए बल्कि परिवार नियोजन के साधन भी पहुचाए जाए। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी विशालता और पेचीदगी को कम नहीं समझना चाहिए। निजी चिकित्सको, आयुर्वेदिक चिकित्सको तथा गाव की दाइयो आदि विभिन्न उपकरणों का परिवार नियोजन क्लिनिकों और प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो के साथ परिवार नियोजन कार्य के लिए उपयोग करने के निमित्त स्थानीय स्तर पर अत्यन्त सावधानी के साथ आयोजन करना होगा। आवश्यक स्तर पर गर्भ-निरोधको के उत्पादन का सगठन करना एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह आवश्यक है कि यथासभव बडे पैमाने पर स्वयसेवी संगठनो, श्रमिक सगठनो तथा राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में अन्य सघो की सहायता प्राप्त की जाए और उसे, प्रत्येक क्षेत्र मे कार्य के व्यावहारिक कार्यक्रमो के साथ एकीकृत किया जाए।

अन्त मे, यह कह देना आवश्यक है कि जिन सुविधाओ की आवश्यकता है उनके अतिरिक्त परिवार नियोजन के लिए बडे पैमाने पर किए जाने वाले किसी भी प्रयत्न में नतिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वो पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सयम तथा ऐसी सामाजिक नीतियो पर बल दिया जाना चाहिए जैसे कि स्त्रियो की शिक्षा, उनके लिए रोजगार के नए अवसर जुटाना, और शादी की आयु बढाना। बच्चे पैदा करने पर नियन्त्रण के बारे में सलाह देने के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम में यौन-विषय तथा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी शिक्षा तथा परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अन्य आवश्यक उपायो के बारे में परामर्श देना सम्मिलित होना चाहिए।

II आवास और देहाती तथा शहरी विकास

जनसंख्या, विशेषकर शहरी जनसख्या, में वृद्धि का तीसरी और उसके बाद आने वाली पचवर्षीय योजनाओ में आवास-कार्यक्रम पर मोटे तौर से तीन प्रकार से प्रभाव हो सकता है। पहला यह है कि आवास-नीतियो को आर्थिक विकास और औद्योगीकरण तथा अगली एक या दो दशाब्दी मे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करना होगा। उद्योगों को छितराने और स्थापित करने के प्रस्तावो का आवास-समस्या के हल के लिए महत्व बढ़ता जाएगा। दूसरा यह कि सरकारी, सहकारी अथवा गैर-सरकारी सभी अभिकरणो के प्रयत्नो में समन्वय करना जरूरी होगा। शहरी क्षेत्रो के लिए वृहत्तर योजनाएं बनाने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि विभिन्न अभिकरणो को दीर्घकाल के

लिए व्यवस्थित रूप से एक सुस्पष्ट लक्ष्य की दिशा में ले जाने और उनके योगदान को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है । तीसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी कि समस्त आवास-कार्यक्रम, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र मे, इस प्रकार ढाले जाएं कि उनसे समाज के कम आय वाले वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति हो । पहली योजना मे आवास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियो और कम आय वाले वर्गों के लिए मकान बनाना था ।

2. दूसरी योजना में इस कार्यक्रम मे गन्दी बस्तियो को सुधारने, बागान-मजदूरो के लिए मकान बनाने, गांवो में मकान बनाने और जमीन लेकर उसका विकास करने की योजनाए शामिल की गई थी । इन कार्यक्रमो को तीसरी योजना में जारी रखा और बढाया जाएगा । जमीन प्राप्त करने और विकास करने के काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योकि यही सब आवास-कार्यक्रमो की सफलता का आधार है । समाज के निर्धन वर्गों, गोदी कर्मचारियो और सड़क की पटरियों पर रहने वालो के लिए मकान बनाने के नए कार्यक्रम भी शुरू किए जाएगे । बड़े नगरों, औद्योगिक नगरो और साधन-क्षेत्रो के लिए बृहत्तर योजनाए और प्रादेशिक विकास-योजनाएं तैयार करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने का प्रस्ताव है ।

3. **आवास पर व्यय**—तीसरी योजना मे आवास और शहरी विकास-कार्यक्रमो के लिए 142 करोड़ रु० रखे गए हैं, जबकि दूसरी योजना मे इन कार्यक्रमो पर 80 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है । इसके अलावा यह आशा है कि जीवन बीमा निगम भी आवास-कार्य के लिए लगभग 60 करोड़ रु० दे सकेगा ।

तीसरी योजना मे शामिल किए गए आवास-कार्यक्रमो के अतिरिक्त कोयले और अबरक की खानो मे काम करने वालों, अनुसूचित जातियो और पिछड़े वर्गों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएगे और अनेक केन्द्रीय मत्रालय भी अपने-अपने आवास-कार्यक्रम प्रारम्भ करेगे । मोटे तौर पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान मत्रालयो के आवास-कार्यक्रमो के अन्तर्गत 9 लाख मकान बनाए जाएगे, जबकि दूसरी योजना मे कुल 5 लाख मकान बनने थे । आवास और अन्य निर्माण-कार्यों पर तीसरी योजना मे लगभग 1125 करोड़ रु० की निजी पूजी लगने का अनुमान है ।

4. **आवास-मण्डल**—मकान बनाने के लिए सरकार सीधे जितना पैसा देगी, उससे मकानो की जरूरत का अल्पांश ही पूरा हो सकेगा । अतः ऐसे संस्थान बनाने होंगे, जो मकान बनाने में बहुत ज्यादा लोगो की, जिनमे से अनेक की आय कम होगी, मदद कर सकें । इस सम्बन्ध मे एक केन्द्रीय आवास-मण्डल की स्थापना की सम्भावना पर इस समय विचार किया जा रहा है । इस प्रकार के सगठन से आवास के लिए मिलने वाली अतिरिक्त निधि निर्माण-कार्य मे लगाई जा सकेगी, आसान किस्तो ऋण मिलने को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ऋण देने की पद्धति मे सुधार किया जा सकता है और मकानो को बन्धक रखने की उचित व्यवस्था के लिए प्रवन्ध किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, आवास-मण्डल किसी हद तक स्वय वित्त जुटाकर जमीन खरीदने और उसका विकास करने, मकान बनाने और गन्दी बस्तियो को सुधारने के लिए राज्य सरकारो या राज्य आवास-मण्डलों को ऋण दे सकता है । जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार से

मिलने वाला धन भी आवास-मण्डल की मार्फत आगे दिया जा सकता है। केन्द्रीय आवास-मण्डल और राज्यों में आवास-मण्डलो की स्थापना से आवास-विकास के लिए ऐसे साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, जो अन्यथा आसानी से उपलब्ध नही हो सकते। ये सस्थान आपस मे मिलकर ऐसी आवास-नीतिया निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं, जिनसे सीमित आय वाले लोग ही अपने-अपने लिए मकान बना सकें और बैंक तथा अन्य वित्तीय सस्थान आवास-कार्य के लिए विभिन्न सेवाए जुटा सकें।

5. भूमि प्राप्ति और विकास—आवास-कार्यक्रम को सफल रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मकान बनाने के लिए स्थान काफी मात्रा में और उचित दामो पर उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में 26 करोड रु० का (जिसमें जीवन बीमा निगम का अशदान भी शामिल होगा) कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो साधन उपलब्ध होगें, वे जमीन लेने और उसका विकास करने के लिए राज्यो मे परिभ्रमण-निधि स्थापित करने के काम आ सकते हैं।

6 औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान—औद्योगिक श्रमिको के लिए मकान बनाने के हेतु सहायता देने की योजना 1952 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 1 लाख मकान बनाए जा चुके थे और 40 हजार मकान, जो निर्माण के विभिन्न सोपानो मे थे, बन रहे थे। श्रमिको के एक बहुत बडे भाग के लिए मकान बनाने को यदि मालिक द्वारा अनिवार्य उत्तरदायित्व के रूप मे स्वीकार न किया जाए, तो बहुत अधिक प्रगति नही हो सकती। औद्योगिक श्रमिको के आवास की स्थिति में सुधार के बिना औद्योगिक कुशलता और उत्पादकता पर असर पडेगा। अत. नए और पुराने उद्योगो के लिए ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि श्रमिको के लिए मकान बनाना उन्हे वित्तीय और अन्य दृष्टियो से साध्य जान पडे और वे आवास-समस्या के हल करने मे प्रभावशाली योगदान कर सकें। यह सुझाव है कि एक नियत परिदत्त पूजी (उदाहरणार्थ 20 लाख रु० या उससे अधिक) वाले नए प्रतिष्ठानो के लिए यह जरूरी कर दिया जाए कि वे अपने श्रमिको के लिए आवश्यक कुल मकानो मे से आधे स्वय 10 वर्ष की अवधि मे बना लें। पुराने प्रतिष्ठानों के मामले मे इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि श्रमिको के आवास के लिए मालिक लोग कितना अशदान करते हैं। उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे उद्योग 50 प्रतिशत मकान एक नियत अवधि मे बनाए और बाकी मकान आवास की साधारण योजना के अन्तर्गत बनवाए जाए। जहा मालिक सीधे मकान नही बनवा सकते, वहा सरकार या आवास-मडल मकान बनाने का काम हाथ मे लें। ऐसे मामलो मे मालिको को मकान बनाने की लागत का एक भाग चुकाना होगा। कोई सन्तोषजनक योजना बनाने के लिए इन तथा अन्य सुझावो पर मालिको और श्रमिको के प्रतिनिधियो के साथ मिलकर विचार करने का प्रस्ताव है।

7. कम आय वालों के लिए मकान—कम आमदनी वालो के लिए मकान बनाने की योजना 1954 में शुरू की गई थी। तब से 85 हजार मकानो के लिए ऋण मजूर किए जा चुके हैं और दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53 हजार मकान बनाए जा चुके थे। समाज के निर्धन वर्ग, जैसे वे लोग जिनकी वार्षिक आय 1,800 रु० या इससे कम है, इस

योजना से लाभ उठा सकें; इसके लिए तीसरी योजना में विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि स्थानीय निकायों को रियायती दर पर लम्बी अवधि के लिए ऋण दिए जाएं और ये निकाय निर्धन वर्ग के लिए किराये के मकान बनवाएं। निर्धन वर्गों की आवास सहकारी समितियों को भी इसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है। यह विचार है कि जब कम आय वाले वर्गों को विभिन्न संस्थानों से मकान बनाने के लिए धन मिलने लगेगा, तब सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन का उपयोग अधिकतर निर्धन वर्ग के लिए मकान बनाने के हेतु होगा।

8. **गन्दी बस्तियों को हटाना और सुधार**— यह प्रस्ताव है कि गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण होना चाहिए और उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए—एक तो वे क्षेत्र, जिन्हें साफ करके पूर्णतः नए सिरे से विकसित करना है और दूसरे वे क्षेत्र, जिन्हें अड़ोस-पड़ोस की स्थिति में सुधार करके रहने योग्य बनाया जा सकता है। दूसरी श्रेणी की गन्दी बस्तियों के मकान-मालिक यदि ये सुधार न करें तो स्थानीय निकायों को यह काम करना चाहिए और काम की लागत मालिकों से वसूल कर लेनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, सम्पत्ति को कानूनी रूप से स्थायी/अस्थायी आधार पर ले लेना चाहिए। जहां स्थानीय निकाय सरकारी भूमि या अधिगृहीत भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में सफाई कार्य करें, वहां इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि स्थानीय निकायों को अनुदान दिए जाएं, जिससे वे इन बस्तियों में आवश्यक सेवाओं का प्रबन्ध कर सकें। सफाई और सुधार के लिए गन्दी बस्तियों को चुनते समय, उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें भंगी बसते हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रम को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग पूर्णतः प्राप्त किया जाना चाहिए।

गन्दी बस्तियों की सफाई की वर्तमान योजना में 6 बड़े शहरों—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद—की गन्दी बस्तियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। तीसरी योजना में इन 6 शहरों में भी अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। परन्तु सिद्धान्त रूप से राज्य सरकारों को उन सभी क्षेत्रों में सफाई और सुधार का काम करना चाहिए, जहां यह समस्या विकराल रूप में उपस्थित हो। साधन सीमित होने के कारण सामान्य रूप से उन्हीं कस्बों और नगरों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी जन-संख्या 1 लाख या उससे अधिक हो।

9. वर्तमान गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के काम के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि नई गन्दी बस्तियां न पनपने दी जाएं। यह कोई आसान काम नहीं है। सभी बढ़ते हुए कस्बों और नगरों के लिए बृहत्तर योजना बनाने और उस पर अमल करने के अलावा, यह भी जरूरी होगा कि नगरपालिका के उपनियमों और निर्माण सम्बन्धी नियमों को लागू किया जाए और इसके साथ ही साथ कम आय वाले और निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में पटरियों पर रहने वालों और परिवारहीन मजदूरों के लिए रैन-बसेरे और कोठरियां बनाने के काम पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार भंगियों के लिए मकान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

शहरी नियोजन और भूमि-नीति

10. 1 लाख या उससे अधिक जनसख्या वाले नगरो की संख्या 1951 में 75 से बढकर, 1961 मे 115 हो गई है और उनकी कुल जनसख्या कुल शहरी जनसंख्या का 43 प्रतिशत है। आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शहरो के बढने का अन्य कई समस्याओ से गहरा सम्बन्ध है; जैसे, लोगों का गांवो से शहरो में आकर बसना, देहाती और शहरी क्षेत्रों का भिन्न-भिन्न जीवन स्तर, विभिन्न आकार के कस्बो में आर्थिक और सामाजिक सेवाओ की व्यवस्था की लागत, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था, पानी, सफाई, परिवहन और बिजली जैसी सुविधाओं के प्रबन्ध, आर्थिक विकास का ढाचा, उद्योगों को स्थापित करना और छितराना, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतिया और भूमि के उपयोग की योजना। दीर्घकालीन दृष्टि से आर्थिक विकास का ढाचा और उद्योगों को किस स्थान में रखा जाए यही बातें निर्णायक पहलू हैं। शहरी क्षेत्र जिस तरह से विकसित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उस पर इन्ही का विशेष प्रभाव पड़ता है। विकास की नीति के मूल तत्व निम्नलिखित हैं :

(1) जहा तक सम्भव हो, नए उद्योगो को बड़े और भीडभाड वाले नगरों से दूर स्थापित किया जाए;

(2) बड़े उद्योगों की योजना बनाते समय पूरे प्रदेश को ध्यान में रखा जाए और नए उद्योग बृहत्तर क्षेत्र के विकास का केन्द्र-बिन्दु बनें, और वहां का नया उद्योग उस क्षेत्र के विकास में योगदान दे।

(3) सामुदायिक विकास परियोजनाओं या जिले के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में विकास के शहरी और देहाती तत्वो को मिलाकर ऐसी योजना बनाई जाए, कि नगर और उनके आसपास के देहाती क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भर हों ;

(4) प्रत्येक देहाती क्षेत्र मे इस बात का प्रयत्न किया जाए कि लोग कृषि पर ही अत्यधिक निर्भर न रहे, बल्कि विविध प्रकार के धन्धे अपनाएं।

11. तेजी से बढने वाले शहरी क्षेत्रो में रहन-सहन की स्थिति अधिकतर इसलिए बिगडती है कि वहा विकास-कार्यों का खर्च बहुत आता है और यह खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगारी, भीड़भाड, गन्दी बस्तियों के पनपने और अनेक नगरों में जनता के एक भाग के निराश्रित रहने के कारण स्थिति और भी बिगड़ जाती है। तीसरी योजना के दौरान कुछ दिशाओ में कदम उठाना तो अनिवार्य ही है, जिससे भविष्य में प्रगति के लिए ठीक मार्ग निर्धारित हो जाए। वे कदम ये हैं

(1) सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति और समुचित वित्तीय नीतियो द्वारा शहरी भूमि के मूल्य का नियत्रण।

(2) भूमि-उपयोग का भौतिक नियोजन और बृहत्तर योजनाओ की तैयारी।

(3) नगरों की आवश्यकताओं के अनुसार वहा आवास और अन्य सेवाओ की व्यवस्था का न्यूनतम मानक नियत करना और जहां तक जरूरी हो, उच्चतम मानक भी निर्धारित करना।

(4) नए विकास-कार्यों को शुरू करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को दृढ करना।

12. जमीन की कीमत बढने से मकान बनाने आदि की लागत भी बढ जाती है और कम आय वाले लोगो के हित के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, वे भी उसी अनुपात से कम हो जाते हैं। सामान्य कारणो के अलावा, सट्टेबाजी के कारण भी जमीन की कीमते बढ जाती हैं। जमीन की कीमत बढाने वाले हालात तो सभी शहरी क्षेत्रो में रहते हैं, परन्तु ऐसे हालात वहा अधिक होते हैं, जहां नए उद्योग, नया सार्वजनिक अथवा अन्य प्रकार का काम शुरू किया जा रहा हो। शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कर लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत सभी नगरो में है। अनेक शहरी क्षेत्रो में कानूनी और दूसरे उग्र कदम उठाने की जरूरत है, जिनके द्वारा जमीन की कीमतें स्थिर की जा सके और सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि की अवाप्ति की जा सके। यदि विशेषकर महानगरो, बढ़ते हुए नगरो और नए औद्योगिक नगरों में और उनके आसपास भूमि के उपयोग को नियमित किया जाए तो भूमि कीमतो में वृद्धि को रोकने के उपाय प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे नगरो के लिए भी मास्टर योजनाएं बनाने का विशेष महत्व है।

जमीन की कीमतों पर नियत्रण के लिए जो मुख्य कदम उठाए जा सकते हैं, वे ये हैं: भूमि के मूल्य को निश्चल करना, जिससे सार्वजनिक अधिकारी शीघ्र भूमि का अधिग्रहण कर सकें, अन्तरिम सामान्य योजनाओ के अनुसार भूमि की अवाप्ति और विकास, भूमि को पट्टे पर देना, खेती के काम में न लाई जाने वाली कृषि-भूमि पर सुधार-कर, निरधीन सम्पत्ति के हस्तातरण पर पूजी-कर, विकसित क्षेत्रो मे खाली पडे प्लाटो पर कर और प्रशासन को इस बात का अधिकार कि यदि नियत समय में वहा निर्माण न हो तो ऐसे प्लाट सरकार अपने अधिकार मे कर ले, प्लाटो के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और यह निश्चित करना कि एक व्यक्ति के पास कितने प्लाट हो, और किरायों का उचित प्रमाप निश्चित करना तथा किरायो को नियमित और नियन्त्रित करना। ये कदम सुनियोजित शहरीकरण के आधार हैं।

13. कस्बों और नगरो के व्यवस्थित विकास के लिए नगर-नियोजन अनिवार्य है। इस दिशा में पहला कदम यह उठाना होगा कि भूमि के उपयोग के निर्धारण के लिए अन्तरिम सामान्य योजना बनाई जाए और विकास-कार्य भूमि-उपयोग के इस प्रतिरूप के अनुसार ही हो। इसके बाद शहरी और प्रादेशिक विकास के लिए मास्टर योजनाएं बनाई जाएं। शुरू में मास्टर योजनाए महानगरो, राज्यो की राजधानियो, बन्दरगाह वाले नगरों, नए औद्योगिक केन्द्रों और उन बढे और बढते हुए नगरों के लिए बनाई जानी चाहिए, जहा स्थिति और बिगड़ने की सम्भावना हो। तीसरी योजना के लिए एसे नगरो की

अस्थायी सूची* तैयार की गई है । मास्टर योजनाएं तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारो और सम्बद्ध स्थानीय प्रशासनो पर है । मास्टर योजनाए बनाने के कार्य मे केन्द्र द्वारा सहायता देने की भी सीमित व्यवस्था की गई है । एक आवश्यक कार्य यह है कि नगर-नियोजन के विषय मे उपयुक्त कानून बनाया जाए । यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें नगर-नियोजन-संगठन स्थापित करें, जिनमें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी हों और नगर-नियोजन के काम के लिए नगरो और क्षेत्रो को चुन लें ।

14. वर्तमान नगरो के विकास और नए नगरो के निर्माण करते समय प्रादेशिक विकास का दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है । आर्थिक और सामाजिक विकास मे उचित सतुलन रखने यथा विकासोन्मुख शहरी समाज के जीवन में अधिक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समग्रता के लिए भी यह बहुत आवश्यक है । दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओ तथा वातावरण मे सुधार करने से सब नागरिको के शहरी जीवन में सहचारिता की भावना का उदय होने में बडी सहायता मिलेगी ।

15. नगरपालिकाए ही सामाजिक स्तर पर शहरी क्षेत्रो के विकास के लिए आवश्यक सेवाए उपलब्ध करने, आवास के विस्तार और रहन-सहन की स्थित मे सुधार का काम सफलतापूर्वक निभा सकती हैं । अधिकाश नगरपालिकाओ में इन कामो को निभाने की क्षमता नही है । उन्हें अधिक साधन और कर्मचारी देकर तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करके उन्हे अधिक सूक्ष्म बनाना चाहिए । जिन शहरी क्षेत्रो की वर्तमान परिधि इन समस्याओ को हल करने के लिए नाकाफी है वहा उसे बढ़ा देना चाहिए । बढ़ते हुए शहरों के मामले मे यह वाछनीय है कि शुरू से ही उन्हे छोटे के बजाय बड़े नागरिक क्षेत्र दिए जाए जिससे इन शहरो के निकटवर्ती गावो का भी उनके साथ ही साथ समन्वित रूप मे विकास हो और बाद मे विभिन्न कार्य-क्षेत्रो के कारण कठिनाइया पैदा न हो । वर्तमान परिकल्पना के अनुसार जब अधिकाश नगरो की अपनी विकास योजनाए होंगी और उन्हे

---

*(क) महानगर, राज्यो की राजधानिया और बन्दरगाह वाले नगर	अहमदाबाद, बगलौर, भोपाल, कोचीन, (दिल्ली, महानतर क्षेत्र), बृहत्तर बम्बई, बृहत्तर कलकत्ता, हैदाराबाद-सिकन्दराबाद, जयपुर, कडला, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना, पूना, शिलाग, श्रीनगर, वाराणसी, विशाखपत्तनम्, और तिरुअनन्तपुरम् ।
(ख) औद्योगिक केन्द्र—	इलाहाबाद, आसनसोल, बरौनी, भद्रावती, भिलाई, बोकारो, चित्तरजन, कोयमुत्तूर, डेरी-ओन सोन, धनबाद, डिगबोई, दुर्गापुर, गुवाहाटी, गोरखपुर, देवरिया, गुटूर, जमशेदपुर, कोठागुडम, मिर्जापुर, मुगलसराय, नगल, पनवेल, राची, ऋषिकेश-हरिद्वार, राउरकेला, सिन्दरी, तिनसुखिया, विजयवाड़ा और वारगल ।
(ग) साधन-क्षेत्र—	भाखड़ा-नगल क्षेत्र, दामोदर घाटी, दण्डकारण्य, राजस्थान-नहर क्षेत्र और रिहद क्षेत्र ।

राज्यो की विकास योजनाग्रो मे मिला दिया जाएगा तो इनके विकास में और सुविधा हो जाएगी ।

ग्रामीण अ.वास और आयोजन

16. ग्रामीण ग्रावास यथार्थतः सामुदाजिक विकास ग्रौर ग्राम ग्रायोजन का ग्रग है। इसलिए ग्रामीण ग्रावास का कार्यक्रम खंड स्तर पर सामुदायिक विकास ग्रान्दोलन के साधनो को बढ़ाने ग्रौर गांवो की सहायता की दृष्टि से बनाया गया है । इस कार्यक्रम मे प्राविधिक परामर्श, प्रदर्शन, बढिया डिजाइन ग्रौर नक्शे, स्थानीय सामान का बेहतर इस्तेमाल ग्रौर कुछ हद तक वित्तीय सहायता देना शामिल है । इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के सब वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाना ग्रौर सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन का सन्तुलित विकास करना है ।

17. चार साल पहले जो ग्रामीण ग्रावास योजना बनाई गई थी उसका उद्देश्य चार से छः गांवों को लेकर उनका भौतिक ग्रौर सामाजिक–ग्रार्थिक सर्वेक्षण करना ग्रौर उन गावों के लिए नक्शे तैयार करना था। दूसरी योजना के ग्रन्त तक दो हजार गांवो के इस प्रकार सर्वेक्षण किए जा चुके थे ग्रौर लगभग 1600 गावो के नक्शे तैयार हो चुके थे । इस ग्रवधि में 15,400 मकानो के लिए ऋण दिए गए जिनमे से लगभग 3000 मकान बन कर पूरे हो गए । दूसरी योजना मे इस स्कीम के चलने से जो ग्रनुभव हुए उनसे निम्नलिखित सुझाव मिलते है :

(1) एक ग्राम की ग्रपेक्षा दस-पाच गावो को लेना बहुत जरूरी है क्योकि इससे वहा ईंट पकाने का भट्टा लगाना या सहकारी ग्राधार पर माल उपलब्ध करना सभव हो जाता है । ग्रावास कार्यक्रम से रोजगार बढ़ने गौर रहन-सहन के वातावरण मे जो सुधार होता है वह कई गाव एक साथ लेने से अधिक स्पष्ट रूप से लोगों के सामने ग्राता है ।

(2) उपलब्ध साधनो का सबसे प्रथम उपयोग ग्राम आबादी के विस्तार पर, सड़को ग्रौर नालियो के सुधार पर तथा सामुदायिक हित के कामो के लिए भूमि देने के लिए होना चाहिए ।

(3) सुधरे हुए ग्रावास के लिए सबसे पहली ग्रावश्यकता गावो के विस्तार के लिए ग्रावश्यक भूमि की उपलब्धि है । जहा तक सम्भव हो ग्रतिरिक्त ग्रावश्यक भूमि गाव वालो को ही ग्रापसी प्रबन्ध करके देनी चाहिए । फिर भी खेतिहर मजदूरो ग्रौर हरिजनों के मकान बनाने के लिए भूमि लेने में कुछ हद तक ग्राम समाज की मदद की जा सकती है ।

(4) ग्रामीण ग्रावास के सुधार के कार्यक्रमो में सबसे ग्रधिक प्राथमिकता ग्रनुसूचित जातियों, खेतिहर श्रमिकों ग्रौर समाज के उन वर्गों को देनी चाहिए जिनके मकान दयनीय दशा में हो । ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जातियो के मामलो में पिछडी जातियों के कल्याण के कार्यक्रमो से जो धन मिले उसका ग्रन्य साधनो से उपलब्ध धन के साथ समन्वित ढग से उपयोग होना चाहिए ।

(5) ग्रामीण आवास कार्यक्रम में पहले की अपेक्षा और भी अधिक जोर इस बात पर हो कि सडकें और नालिया बनाने, गाव के विस्तार के लिए जमीन देने और अच्छे घर बनाने में गाव वाले स्वय एक-दूसरे की मदद करें। इस कार्यक्रम को सामुदायिक प्रयास जैसे पानी की व्यवस्था, सड़कें, नालिया, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, आदि कार्यक्रमो के साथ मिला कर चलाना चाहिए। साथ ही इसका अन्य सबंधित आर्थिक कार्यक्रमो से भी असरदार तरीके से समन्वय होना चाहिए।

(6) इस कार्यक्रम के लिए किन गावो को चुना जाए इसके लिए ग्रामीण आवास स्कीम में निर्देश हैं जैसे बाढ ग्रस्त गाव या पिछडी जातियो और खेतिहर मजदूरो की काफी जनसंख्या वाले गाव या ऐसे गाव जिनकी जनसख्या में काफी फेरबदल हुई हो। जिन गावो में कारीगरों का आधिक्य हो उन्हे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो गांव चुने जाए उनमे सहकारी भावना तथा ग्राम समाज द्वारा गाव के विकास के लिए भूमि और हरिजनो तथा अन्य पिछड़ी जातियो के मकानो को प्राथमिकता देने की भावना होनी चाहिए।

18. खेतिहर मजदूरों के मकानो के लिए स्थान—ग्रामीण आवास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें से 5 करोड़ रुपये राज्यो को खेतिहर मजदूरों की काफी जनसंख्या वाले गावो में उनके मकानो के लिए जमीन प्राप्त करने तथा आवास कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान स्वरूप देने का प्रस्ताव है।

III पिछड़ी जातियों की उन्नति

अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित जातियो और अन्य पिछडी जातियो की उन्नति करके उन्हे समाज के और वर्गों के बराबर स्तर तक लाने के कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना के मुख्य कार्यक्रमो मे से थे। सविधान के 46 वें अनुच्छेद में यह निदेशक सिद्धान्त है कि राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों की, विशेषतः अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो की शिक्षा तथा अर्थ सबधी हितो की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषणो से उनकी रक्षा करेगा। अगली दो-तीन योजनाओ मे अनुसूचित आदिमजातियो और अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए भरपूर प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे वे वस्तुत में देश की अन्य जातियो के बराबर स्तर तक पहुच जाए।

2. पंचवर्षीय योजनाओ में पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए गये हैं जिन से विभिन्न क्षेत्रो के विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभ इन जातियों को भी मिलें। सामान्यत. समाज के दुर्बल वर्ग विभिन्न क्षेत्रो में से उचित लाभ प्राप्त नही कर पाते। उन्हे यह लाभ मिलें, इस के लिए यह वांछनीय है कि जहा आवश्यक हो वहा दुर्बल वर्गों के लोगो को विशेषत. पिछड़ी जातियों के लोगो को विशेष सहायता दी जाए। विकास

के सामान्य कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएं कि पिछड़ी जातियों के लोगों की पर्याप्त उन्नति हो, इसके साथ ही साथ योजना में यथासंभव इन वर्गों की पूरी उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. पिछड़ी जातियों की भलाई के कामों के लिए तीसरी योजना में इस समय लगभग 114 करोड़ रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में 79 करोड़ और पहली योजना में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था थी। इस राशि में से 42 करोड़ रु० शिक्षा कार्यक्रमों पर, 47 करोड़ रु० आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर और 25 करोड़ रु० स्वास्थ्य, मकान तथा अन्य कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की समस्याएं मूलतः समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए ऐसे वर्ग की समस्याएं हैं जो सामाजिक उपेक्षा के भी शिकार हैं। विमोचित जातियों का एक विशेष वर्ग है जिसे शेष समाज में मिलाने में कुछ अजीब कठिनाइयां हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी यह काम बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में अनुसूचित आदि जातियां अब पहले की तरह अलग नहीं रह सकेंगी। बहुत से क्षेत्रों में उद्योग, सिंचाई और बिजली के विकास के कारण अब यह समस्या उत्पन्न हो गयी है कि अनुसूचित आदिम जातियों को किस तरह इस नये वातावरण में खपाया जाए और किस तरह उन्हें फिर से बसाया जाए। यद्यपि बहुत सी बातें समान हैं, लेकिन फिर भी देश के विभिन्न भागों में रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियां एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं और प्रत्येक आदिम जाति वर्ग के संबंध में उनकी विशेष स्थितियों और समस्याओं को सदैव ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अनुसूचित आदिम जातियां

4. विकासमान स्थितियों में आदिम जाति क्षेत्रों का अलग रहना कठिन है लेकिन फिर भी विकास के नाम पर अनावश्यक प्रशासनिक कड़ाई करना भूल होगी। इन दोनों सीमाओं के बीच का कोई रास्ता खोजना है। खेती, संचार साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का विकास करते हुए आदिम जातियों को अपने ही ढंग से आगे बढ़ने देना चाहिए। उनकी परम्परागत कला और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उन पर बाहर से कोई जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए। आदिम जाति क्षेत्रों में उन्हीं लोगों में से प्रशिक्षण देकर प्रशासन और विकास का काम करने के लिए टोली तैयार करनी चाहिए और इस काम में बराबर यह उद्देश्य रखना चाहिए कि सरकारी काम-काज तथा सामाजिक सेवाओं को संभालने के लिए स्थानीय लोगों को ही तैयार करना है। इन क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम चुनते समय इस बात पर विशेष जोर होना चाहिए कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को छेड़े बिना गरीबी को दूर किया जाए, उन्हें आधुनिक तरीके सिखाए जाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो, उनके रहन-सहन का स्तर बढ़े और इन क्षेत्रों में संचार के साधनों का सुधार हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक काम आदिम जाति समुदाय के लोग ही संभालें।

5. आदिम जाति के विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां तथा रुकावटें हैं। विशेषतः ये कि लोगों में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय

लोग नहीं हैं और जो लोग विकास के काम में लगे हैं उनके बीच तथा आदिम जातियों के परम्परागत नेताओं और संस्थाओं के बीच सपर्क के साधन नहीं हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस समस्या के निम्नलिखित पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया है :

(1) अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कुछ क्षेत्रों में उसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है,

(2) आदिम जाति क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न स्तर के लोगों को विशेष संस्थाओं के द्वारा काम करने के लिए प्रशिक्षण का अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए;

(3) आदिम जाति क्षेत्रों की ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन का वैज्ञानिक अध्ययन और मूल्यांकन करना जरूरी है, और

(4) विकास कार्यक्रमों के आधार पर गैर सरकारी स्वयसेवी संस्थाओं को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। कार्यक्रम बड़ी सावधानी के साथ बनाये जाने चाहिए, और दूसरे कार्यक्रमों में उन्हें सम्बद्ध करना चाहिए।

6. यह प्रस्ताव है कि कार्यक्रम बनाते समय आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में आदिम जाति के लोगों के आर्थिक पुनर्संस्थापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा कार्यक्रमों में मिडिल तथा माध्यमिक कक्षाओं तक मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और छात्रवासों की व्यवस्था होनी चाहिए। शिल्पिक शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साधारण विकास कार्यक्रमों में मुख्य-मुख्य बड़ी सड़कें बनानी चाहिएं, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुलिया और पुल, छोटी सड़कें, जगलों में जीप के चलने लायक सड़कें बनानी चाहिए तथा दूर के क्षेत्रों के लिए इस समय जो सचार साधन हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए। योजना में 300 आदिम जाति विकास खण्ड खोलने की व्यवस्था है। ये विकास खण्ड सामुदायिक विकास के तरीकों पर आदिम जाति क्षेत्रों में सब दिशाओं में भरपूर विकास के लिए प्रयत्न करेंगे लेकिन आदिम जाति क्षेत्रों की स्थितियों के अनुकूल इनके तरीकों में कुछ सशोधन होगा।

7. बहुत हद तक अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, खेती के स्तर में सुधार की सफलताओं पर निर्भर है। जहां-जहां स्थायी रूप से खेती होती है इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए कि सुधरे हुए औजार अपनाये जाए तथा तकनीकी सलाह ली जाए। झूम की खेती वाले क्षेत्रों में मुख्यतः इस उद्देश्य से काम होना चाहिए कि खेती वैज्ञानिक ढग से की जाए जिससे कि झूम की खेती की हानिया कम हों और मिट्टी की उर्वरता बढ़े। आदिम जातियों में बहुत सी बातें सहकारिता के आधार पर विकास करने के अनुकूल हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग पहले से ही कर्ज से लदे हुए हैं और इस समस्या को बुनियादी तौर पर हल करना चाहिए। राज्यों की योजनाओं में आदिम जाति क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास करने के अनेक कार्यक्रम हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में इस समय जो भी कला और दस्तकारी मौजूद है उसका पूरी तरह अध्ययन किया जाए और यह विचारा जाए कि उसका किस तरह विकास किया जा सकता है। साथ ही

ऐसी नई दस्तकारियो के बारे मे भी विचार किया जाए जिन्हे आर्थिक दृष्टि से इन क्षेत्रो में शुरू किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग अपनी आखिरी रिपोर्ट में जो कुछ भी सुझाव और सिफारिशें देगा उनके आधार पर बाद मे आदिम जातियो के विकास कार्यक्रमो पर फिर विचार किया जाएगा। आदिम जातियो के विकास कार्यक्रमो के लिए विभिन्न मदो मे जितनी और राशि की आवश्यकता होगी उसे योजना मे आदिम जातियों के लिए की गई व्यवस्था मे से पूरा किया जाएगा और इसमे केन्द्र और प्रत्येक राज्य के हिस्से पर समयानुसार विचार किया जाएगा।

8. हाल के वर्षो मे उन क्षेत्रो मे जहा आदिम जातियो के लोग रहते हैं, सिचाई, बिजली और उद्योगों के विकास की बहुत सी योजनाए शुरू की गई हैं। इन योजनाओ के तात्कालिक परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में काफी उखाड-पछाड हुई है। इसके लिए जमीन या नकदी के रूप मे या दोनों तरह मुआवजे दिये गये हैं। यह देखा गया है कि जिन्होंने नकदी के रूप मे मुआवजा लिया उन्होंने उसे तुरन्त खर्च कर दिया और जहा जमीन के रूप में मुआवजा मिला वहां बहुत से कारणों से संतोषजनक रूप से पुनस्संस्थापन नहीं हुआ है। यह समस्या विकराल रूप ले सकती है और इसे बडी सावधानी से हल करना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि जहां बेदखली और पुनस्संस्थान अनिवार्य ही है वहा इस काम में यथा समव आदिम जातियो की भलाई के काम करने के लिए बने विभागो और स्वयसेवी सस्थाओ का सहयोग लेना चाहिए।

9. यद्यपि पहली दो योजनाओ मे काफी काम हुआ है लेकिन फिर भी राज्यो मे आदिम जातियो के लोगों के विकास के कार्यक्रम चलाने के लिए नियुक्त किये गये विभाग जन और साधन की दृष्टि से पूर्णत सम्पन्न नही हैं। यह बात विचारणीय है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारे मिलकर अनुसूचित क्षेत्रो तथा ऐसे क्षेत्रो में जहा आदिम जातियो के लोग अधिक सख्या मे बसे हों विकास का काम करने वाले शिल्पिक तथा अन्य लोगो का विशेष कर्मचारी वर्ग बनाएं।

अनुसूचित जातियां

10. अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न, अनुसूचित जातिया देश के सभी भागो में बसी हैं और यद्यपि वे शेष समुदाय का अग ही हैं फिर भी कुछ सामाजिक उपेक्षाओं के कारण और आर्थिक दृष्टि से पिछडे होने के कारण इनका एक विशेष वर्ग है। राज्यो की योजनाओं में अनुसूचित जातियो के लिए 30 करोड रु० की व्यवस्था है। इसमे से आधी राशि शिक्षा कार्यक्रमो के लिए और शेष आधी में से लगभग बराबर-बराबर राशि—(1) आर्थिक विकास, और (2) स्वास्थ्य, मकान तथा अन्य कार्यक्रमो के लिए है।

11. तीसरी योजना मे पूरे समुदाय के विकास के लिए जो कार्यक्रम रखे गये हैं उन्ही के साथ पूरक रूप मे अनुसूचित जातियो के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। सामान्यत: अनुसूचित जातियो के विकास कार्यक्रमो के लिए राज्यो की योजनाओ मे ही व्यवस्था की जाती है लेकिन केन्द्र द्वारा चलायी गयी निम्नलिखित योजनाओ के लिए स्वराष्ट्र मंत्रालय व्यवस्था करता है—

(1) गन्दगी आदि उठाने के कामो में लगे हुए लोगो की काम की स्थितियों में सुधार करना जिसमें सिर पर मैला उठाने की प्रथा को खत्म करना भी शामिल है;

(2) भगियों को मकानो के लिए सहायता देना;

(3) अनुसूचित जातियों के ऐसे लोगों के मकानो के लिए जगह की व्यवस्था करना जो—

(क) गन्दगी उठाने का काम करते हे; और

(ख) जो भूमिहीन मजदूर हे;

(4) मैट्रिक के बाद पढाई के लिए छात्रवृत्तिया देना; और

(5) स्वयसेवी सस्थाओं को सहायता देना;

12. मकान निर्माण के साधारण कार्यक्रमो मे खेत मजदूरों, जिनमें अधिकांश अनुपात अनुसूचित जातियो का है, को मकानो के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए अलग से व्यवस्था है। स्वयसेवी सस्थाओं को, जनता को अस्पृश्यता निवारण की शिक्षा देने के लिए सहायता दी जाती है। इसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि इस सहायता से स्वयसेवी संस्थाओं को प्रचार के अतिरिक्त स्कूल, अस्पताल, मकान, सहकारिया, औद्योगिक केन्द्र, स्थापित करने या उन्हे चलाने के लिए काम करना होना है।

13. अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछडी जातियों के विकास के लिए जो काम किये जा रहे हैं उनका क्या परिणाम होता है, इसकी जल्दी-जल्दी और पूरी जाच करने की आवश्यकता है जिससे कि अनुभव के आधार पर नये तरीके अपनाए जाएं और मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

विमोचित जातियां

14. विमोचित जातियो का एक विशेष वर्ग है जिसे शेष समाज मे मिलाने मे कुछ अजीब कठिनाइया हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी यह काम बहुत जरूरी है। 1952 में जरायमपेशा जाति अधिनियम, 1924, के रद्द होने पर विमोचित जातियो के प्रति नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ। पहले इन पर निगरानी रखने और सजा देने की नीति थी लेकिन अब उन्हे सुधारने, पुनरुद्धार और शेष समुदाय मे मिलाने की नीति अपनायी गयी। इन जातियो को फिर से बसाने में अनेक समस्याए है। अब तक जो कुछ भी किया गया उसमे बहुत सफलता नही मिली है। अतएव अब यह विचार है कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओ का अध्ययन किया जाए और निम्नलिखित आधार पर कार्यक्रम बनाए जाए—

(1) विमोचित जातियो के पुनस्सस्थापन के लिए एक ऐसी मिली-जुली नीति की आवश्यकता है जिसमे सुधार के साथ-साथ उनकी भलाई के काम भी किए जाए और साथ ही उन्हे सामाजिक शिक्षा भी दी जाए;

(2) इन जातियो की साहसी वृत्ति और परम्परागत गुणो को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास के विशेष कार्यक्रम बनाए जाए,

(3) औद्योगिक तथा अन्य सहकारी सस्थाए बनाई जाएं;

(4) इन जातियो के लोगो को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा नयी जानकारिया प्राप्त करने की सुविधाए दे कर सरकारी नौकरियो मे लगाने का अवसर दिया जाए; और

(5) जिन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या विमोचित जातियों के लोगों की है, वहां काम करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित लोगों का एक कर्मचारी वर्ग बनाया जाय जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों से परिचित हो तथा उनके साथ मिलकर काम कर सकें।

पुनरसंस्थापन तथा विकास के कार्यक्रमो में शुरू से ही यह उद्देश्य रखा जाना चाहिए कि इन लोगो को शेष समुदाय में मिलाना है। इस काम के लिए इन लोगो में से गतिशील तथा समझदार लोगो को सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

IV समाज कल्याण

पिछले दस वर्षों मे पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनिवार्य अंग के रूप में समाज कल्याण कार्यक्रमों का जो विकास हुआ है उसका महत्त्व पहले से शुरू हुई सेवाओं या अब तक प्रयुक्त सभी साधनो की अपेक्षा कही अधिक है। इन कार्यक्रमों मे जनता के कई पीड़ित वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिन्ता सूचित होती है, और इन कार्यों में राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण अंग पर जोर दिया जाता है। सृजनात्मक सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वंयसेवी कार्यकर्ताओ, विशेष कर स्त्रियो को लाने से स्वय समाज ही उन्नत एवं बलशाली बनता है।

2. समाज कल्याण कार्यों मे, जिनको स्वयंसेवी संगठनो ने केन्द्रीय और राज्य सरकारो की सहायता से कार्यान्वित किया है, कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं जैसे केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण मण्डलों द्वारा आरम्भ किए गए कल्याण विस्तार योजनाकार्य, समाज सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं और सावधानी सम्बन्धी सेवाएं तथा अन्य कल्याण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमो को विकसित करने के उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और बेतरतीब सहायता और दान के स्थान पर आम जनता की सहायता लेकर संगठित और नियमित रूप से शिक्षा, कल्याण और पुनरुद्धार के कार्यक्रमो को संगठित किया और कायम रखा जाय।

3. हाल ही के वर्षों मे केन्द्रीय और राज्य सरकारो से आर्थिक सहायता लेकर कई तरह के कल्याण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। विकास के प्रत्येक चरण के बाद स्थायी रूप से नई सेवाओं को स्थायी आधार पर चलाने के लिए उचित व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तीसरी योजना में जिन साधनो की व्यवस्था है उन्हे विद्यमान कल्याण सेवाओ का विस्तार करने और उन्हें जारी रखने के लिए स्वयसेवी सगठनो को ही सहायता देने के लिए उपयोग मे लाया जा रहा है। इस तरह कुछ हद तक नई सेवाओ का विकास सीमित हो गया है। भावी विकास के हित में यह जरूरी है कि पुरानी सेवाओं को जारी रखने के लिए स्वयसेवी संगठनो को दी जाने वाली सहायता और नई सेवाओ के विकास के लिए आवश्यक साधनो में भेद रखा जाए।

4. कल्याण सेवाओ के विकास मे अब एक ऐसा सोपान आ गया है जब उपलब्ध साधनो का पहले से अच्छा उपयोग किया जा सकता है और सेवाओ को भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय और राज्य स्तरो पर काम करने वाली विभिन्न सरकारी संस्थाओ को आपस में अधिक मेल-जोल से काम करना चाहिए। स्वयसेवी संगठनो को विशेष रूप से अपनाई हुई दिशाओं में विकसित होना चाहिए जिससे प्रत्येक संगठन अपने लिए काम करने का एक विशेष क्षेत्र चुन ले और उसके कार्यकर्ता अनुभव तथा अपने विषय का अतरग ज्ञान प्राप्त करें।

5. समाज कल्याण की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें हुई प्रगति को मापना मुश्किल है। इसका असली माप तो यही है कि कितने ऐसे स्वयसेवी कार्यकर्ता हैं जो समाज कल्याण के कार्यक्रमो में भाग लेते हैं, और अपनी सामाजिक समस्याओ को सुलझाने के प्रति उस स्थान विशेष की जनता की प्रतिक्रिया कितनी और किस रूप में होती है। इस कार्यक्रम में चाहे कितनी भी कमिया क्यो न हो और कमिया तो इतने कठिन काम म होनी स्वाभाविक ही हैं—पिछले दस वर्षों में जो कुछ भी काम हुआ है वह अनेक रूपों में विशिष्ट है। केन्द्रीय और राज्यीय समाज-कल्याण-मण्डलो ने लगभग छ हजार स्वयंसेवी कल्याण सगठनों को देश के विभिन्न भागो मे सहायता दी है। केन्द्र और राज्य कल्याण मण्डलो ने नगर, सामुदायिक केन्द्र और उत्पादन-एकक भी खोले हैं जिनमें काम कर के स्त्रियां अपने परिवार की आय बढा सकती हैं।

कुछ शहरो में रैन-बसेरे खोले गए हैं। कुछ प्रौढ महिलाओ के लिए सक्षिप्त पाठ्य-क्रमो की व्यवस्था कर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए जरूरी कम-से-कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करने मे समर्थ बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण काम कल्याण विस्तार कार्यक्रमो को चालू करने की दिशा मे हुआ है। प्रत्येक योजना कार्य में जच्चा-बच्चा और शिशु-स्वास्थ्य-सेवाओ, शिल्प कक्षाओ, स्त्रियों के लिए सामाजिक शिक्षा और बालवाडियों के माध्यम से बच्चो की देखभाल करने की व्यवस्था की गई है।

6. तीसरी योजना मे इस कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 25 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमे 16 करोड केन्द्र में और 9 करोड़ राज्यो में खर्च किया जाएगा। अनुमान है कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की योजनाओ मे, जिनमे स्वयसेवी सगठनो और कल्याण विस्तार योजनाकार्यों को दी जाने वाली सहायता सम्मिलित है, कुल 12 करोड रुपए खर्च होगा। समाज कल्याण कार्यक्रमो की व्यवस्था करने के अतिरिक्त शिशु कल्याण योजनाओ के लिए 'शिक्षा' के अन्तर्गत 3 करोड रुपये की व्यवस्था रखी गई है। समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अन्य योजनाए आरम्भ की गई हैं वे शहरी जनता के लिए कल्याण योजनाकार्यों, प्रशिक्षण, शोध और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सावधानी के कार्यक्रमो और सुधार सम्बन्धी प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने से सम्बन्धित हैं। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि स्त्रियो, बच्चो और उन बेसहारा लोगो के लिए जो या तो शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हैं या वृद्धावस्था के कारण काम नही कर सकते सहायता देने की दिशा में भी कुछ काम आरम्भ किया गया है।

7. तीसरी योजना में शिशु कल्याण कार्यक्रमों पर काफी जोर दिया गया है। प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र मे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आरम्भ की गई सेवाओं मे पूर्ण समन्वय के आधार पर कम-से-कम एक अग्रगामी शिशु कल्याण योजना आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि स्कूल न जाने वाले वय वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी योजना और बाल सेविकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाएं।

8. समाज प्रतिरक्षा के कार्यक्रम में बाल अपराधियो को अपराध करने से रोकने और अपराधी वृत्ति को दूर करने, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा वेश्यावृत्ति और स्त्रियों के व्यापार को रोकने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। 1960 के शिशु अधिनियम के साथ ही जो केवल संघीय क्षेत्रो में ही लागू है, यह सुझाव रखा गया है कि मूल बातों के विषय में समस्त देश मे एकरूपता होनी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि समाज प्रतिरक्षा के इन कार्यक्रमों को किस प्रकार अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाए और किस तरह स्त्रियों और लड़कियों के पुनरुद्धार के लिए जनता तथा परिवार का अधिक-से-अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए।

9. भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक सदियो पुराना अभिशाप है। इससे लोगो का मानसिक पतन तो होता ही है, देश के लिए भी यह बड़े शर्म की बात है। कई बार इस समस्या पर विचार किया जा चुका है और अब इस बात की जरूरत है कि राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाएं इसको दूर करने मे तन-मन से लग जाएं। सबसे पहले इस प्रथा को बड़े शहरों, तीर्थ स्थानो और पर्यटक केन्द्रो से हटाना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति की समस्या पर पहले अलग से विचार होना चाहिए क्योंकि भीख मागनेवाले बच्चे ज्यादातर शोषक गिरोहों के चगुल में फस कर ही यह काम करते हैं। जो भिखारी बीमार, असमर्थ, वृद्ध, या कमजोर, हैं, उन्हें स्वयंसेवी कल्याण सगठनो द्वारा इस काम के लिए निर्धारित की गई संस्थाओं मे रख कर उनकी देखभाल की जानी चाहिए। हट्टे-कट्टे भिखारियों को खोज-खोज कर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगाए गए कार्य-शिविरो में काम करने के लिए भेज देना चाहिए। समर्थ शरीर वाले लोगों का भीख मांगना एक सार्वजनिक अपराध घोषित कर देना चाहिए। भिक्षावृत्ति और आवारागर्दी को रोकने और उसका उन्मुलन करने के लिए यह उचित है कि एक केन्द्रीय कानून बनाया जाय।

10. असमर्थ और अपाहिजों के विभिन्न वर्गों के लिए आरम्भ की गई सेवाओं का मूल लक्ष्य उन्हें काम के द्वारा उनका पुनरुद्धार करना होना चाहिए। इनकी सेवाओं को नीचे लिखे तरीको से और भी विकसित किया जा सकता है :

(क) असमर्थ लोगों को उनके घर पर शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाए।

(ख) जो लोग चल-फिर नही सकते उनके लिए घर अथवा पड़ोस में काम का प्रबन्ध किया जाए।

(ग) असमर्थ, वृद्धों और अशक्त लोगों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

(घ) विशेष सहायता की व्यवस्था की जाए।

11. शहरी क्षेत्रों में तरह-तरह के विभेदों के बावजूद सामाजिक और वातावरण सम्बन्धी परिवर्तन करने के अवसर बहुत अधिक हैं। इस कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग अपनी सहायता अपने आप कितनी करते हैं। सरकार तो केवल उनके स्वयंसेवी प्रयत्नों को ही आगे बढ़ा सकती है। स्वयंसेवी संगठनों के लिए इस दिशा में कार्य करने की बहुत भारी गुंजाइश है।

V मद्य निषेध

संविधान के निदेशक सिद्धान्तों और मार्च 1956 में लोकसभा द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव को कि, मद्य निषेध आयोजित विकास का एक अभिन्न अंग बना दिया जाए, ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्य निषेध कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। इन सिफारिशों पर राज्यों में अमल हुआ है लेकिन कुल मिला कर सारे देश में प्रगति पर्याप्त नहीं हुई। 1960 के अन्त में मद्य निषेध कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और देश के विभिन्न भागों में मद्य निषेध कार्यवाहियों को संयोजित करने के लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई।

2. मद्य निषेध आवश्यक रूप से समाज कल्याण आन्दोलन है। समाज सुधार के एक स्वयंसेवी आन्दोलन के रूप में इसकी सफलता के लिए कई बातों का होना आवश्यक है, विशेष तौर पर नीचे दी गई बातों का—

(1) इसे सार्वजनिक नीति के रूप में स्वीकार किया जाए और इस नीति को वास्तविकता का रूप देने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाएं;

(2) इसे जनता के बड़े भाग का समर्थन और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुख्य-मुख्य स्वयं-सेवी संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो;

(3) मद्य निषेध की समस्याओं के व्यावहारिक हल निकाले जाएं, जैसे रोजगार की समस्या और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का कुछ अन्य उपयोग तथा औद्योगिक;

(4) मद्य निषेध कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व के घाटे की पूर्ति की व्यवस्था;

3. मद्य निषेध के कारण होने वाला राजस्व का घाटा एक महत्वपूर्ण समस्या है। हो सकता है कि यह घाटा स्थायी न होकर केवल अस्थायी प्रभाव डाले और कुल मिला कर घाटा इतना अधिक न हो कि जितने का अनुमान किया गया हो। अगर मद्य निषेध आन्दोलन सही दिशा में प्रगति करता है—यही मान कर मद्य निषेध सम्बन्धी कार्यक्रम नहीं बनाए जाने चाहिएं—तो यह व्यक्ति और समाज को अधिक स्वस्थ जीवन

प्रदान करने, और निजी रूप से श्रमिक और उसके परिवार को अधिक उत्पादक बनाने और राष्ट्रीय बचत बढ़ाने में सहायक होगा। यह सम्भव है कि आरम्भ मे मद्य निषेध नीति के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के फलस्वरूप राजस्व में इतने से भी अधिक कमी आ जाए जितने का राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएं बनाते समय अनुमान लगाया था। इस पहलू पर केन्द्र और राज्य सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। देश की अपार जनता के हित में जो सामाजिक कार्यक्रम आवश्यक हैं उसे केवल वित्तीय कारणों से बन्द नहीं किया जा सकता।

4. मद्य निषेध के वित्तीय पहलुओं के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हुए हर राज्य के लिए और अधिक कदम उठाने सम्भव होने चाहिए। राज्यों से यह आशा नहीं की जाती कि वे सम्पूर्ण मद्य निषेध आरम्भ करने के लिए लक्ष्य-तिथियां निर्धारित करें क्योंकि व्यवहार में इन लक्ष्यों पर अमल करना या चलना कठिन होता है। परन्तु अगर देशव्यापी कदम उठाए जाएं तो सब राज्यों के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करना और अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जिला तस्करी रोकना आसान होगा। दूसरी योजना में जो आवश्यक कदम सुझाए गए हैं, वह एक ऐसा सीमित परन्तु व्यावहारिक कार्यक्रम है जिसे आगामी दो या तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए। जिन राज्यों ने कुछ जिलों में मद्य निषेध लागू किया है उन राज्यों के लिए इसे धीरे-धीरे और क्षेत्रों में बढ़ाना भी सम्भव होना चाहिए।

5 मद्य निषेध जैसे कार्यक्रम में यह बात विशेष महत्व रखती है कि कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और किस अभिकरण के मार्फत किए जाते हैं। अगर मद्य निषेध को लागू करने का काम मुख्यतः पुलिस और आबकारी कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया जाए तो, स्पष्ट है कि अधिक प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें मुख्यतः निम्नलिखित पर निर्भर करना होगा—

(क) मद्य निषेध को सार्वजनिक हित का एक समाज कल्याण कार्यक्रम मानते हुए इसके हक में जनमत को अधिकाधिक तैयार करना;

(ख) स्वयंसेवी संगठन, जिन्हें सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आवश्यक सहायता और अनुदान दिया जाए;

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में सरकारी अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की पूर्ति में मद्य निषेध पर जोर दिया जाए; और

(घ) केन्टीनों में सस्ते और पोषक खाद्यों और गैर-नशीले पेय पदार्थों की उपलब्धि और वर्ग तथा सामुदायिक आधार पर खेलों और मनोरंजन कार्रवाइयों को प्रोत्साहन।

इन दिशाओं में अधिक प्रगति करने के लिए जनता में शिक्षा सम्बन्धी और अन्य उन्नयन कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना और मद्य निषेध की गति में सहायक अन्य कार्रवाइयों को बढ़ावा देना लाभदायक हो सकता है।

VI विस्थापितों का पुनर्वास

विभाजन के पश्चात् लगभग 89 लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, लगभग 47 लाख पश्चिम पाकिस्तान से और बाकी पूर्वी पाकिस्तान से। 1947-48 और 1960-61 के बीच सहायता और अन्य कार्रवाइयों पर 128 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं। इनके अतिरिक्त विस्थापितों के पुनर्वास पर लगभग 239 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से 133 करोड़ रुपये पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों पर और 106 करोड़ रु० पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों पर खर्च हुआ।

2. पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का काम मुख्यतः पहली योजना के पूर्व और पहली योजना के दौरान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का मुख्यतः पहली और दूसरी योजना में। पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत कई प्रकार की कार्रवाइयां की गई हैं जैसे भूमि पर बसाना, मकानों की व्यवस्था, कस्बों और उपनगरों का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, व्यापार और उद्योग के लिए वित्तीय सहायता और नए उद्योगों की स्थापना।

3. विस्थापितों के पुनर्वास का काम समाप्त प्रायः है, जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उनके लिए आवास योजनाओं की बकाया आवश्यकताओं की पूर्ति और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो विशेष कार्य किए जाएंगे : पहला पश्चिम बंगाल के कैम्पों और अन्य केन्द्रों में बसे हुए 28,600 परिवारों का पुनर्वास, और दूसरा, पश्चिम बंगाल में बसने वाले 2 लाख अंशतः पुनर्वासित रिवारों का पुनर्वास। दण्डकारण्य परियोजना का विकास-कार्य दूसरी योजना में आरम्भ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के कैम्पों में बसने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है; इसके साथ ही स्थानीय जनता, विशेष तौर पर आदिवासियों को भी इस योजना से लाभ होगा।

4. विस्थापितों के पुनर्वास के काम के अन्तिम चरणों में अब पहले से बचे हुए कुछ खास-खास काम ही बाकी रह गए हैं। पुनर्वास कार्य अब राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के विशालकार्य का एक अंग बनता जा रहा है, विशेष कर उन राज्यों और क्षेत्रों में जिनको ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं। विकासशील अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्वास और विकास के कार्यों के समन्वय द्वारा विस्थापितों को देश के आर्थिक जीवन का अंग बन जाने में सहायता मिलेगी।

अध्याय 20

श्रम नीति

उद्योग और श्रमिक वर्ग की विशेष आवश्यकताओं और आयोजित अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए, श्रम नीति का विकास किया गया है। मालिकों, मजदूरो और सरकार—तीनों दलो की राय विचार-विनिमय से जान ली जाती है। इस त्रिदलीय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन है। उक्त त्रिदलीय मत कानूनी तथा प्रशासनिक कार्य का आधार बन कर राष्ट्रीय श्रम नीति की शक्ति तथा चरित्र में परिणत होता है। यह नीति स्वयसेवी आधार पर चालू रहती है। दूसरी योजना की अवधि में अनुचित प्रवृत्तियो को रोकने और औद्योगिक सम्बन्धो को सुदृढ़ करने के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो कानूनी शक्ति के स्थान पर नैतिक मान्यताओं पर आधारित था। इस समय हर स्तर पर यथासमय कार्यवाही करके अशान्ति को रोकने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी योजना की अवधि मे जो उल्लेखनीय विकास हुए, उनमें से कुछ हैं—उद्योग मे अनुशासन-सहिता और आचार-सहिता लागू करना, प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजनाएं और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के महत्व के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता। उद्योगीकरण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए, तीसरी योजना मे श्रमिकों को महत्वपूर्ण योग देना है और बढ़ती हुई जिम्मेदारियो को पूरा करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप श्रम-आन्दोलन के कर्तव्य में गुणगत अन्तर आ जाएगा। इस विस्तार के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था को समाजवाद की ओर ले जाने मे आसानी होगी।

2. **औद्योगिक सम्बन्ध**—सभी मालिकों और श्रमिकों को अनुशासन-सहिता के अन्तर्गत अपने-अपने उत्तरदायित्वो को पूरी तरह समझना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्धों के रोजमर्रा के सचालन मे इस सहिता को एक जीवित शक्ति बनाना है। स्वयसेवी पंचनिर्णय के सिद्धान्त को अधिक से अधिक लागू करने के रास्ते निकाले जाएगे। यह आवश्यक है कि कारखानो में मालिक-मजदूर समितियो को सशक्त बनाया जाए ताकि वे श्रम सम्बन्धी मामलों के जनतान्त्रिक प्रशासन का सक्रिय अभिकरण बन जाए। संयुक्त प्रबन्ध परिषद योजना को धीरे-धीरे नए उद्योगो और औद्योगिक इकाइयो पर लागू किया जाए ताकि वे औद्योगिक व्यवस्था का एक सामान्य अंग बन जाए।

3. तीसरी योजना की अवधि में श्रमिकों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर फैलाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को विविध बनाने और इसे चलाने में श्रमिकों के प्रतिनिधियो का पूरा सहयोग प्राप्त करने की योजना है।

4. मजदूर सघों को औद्योगिक और आर्थिक प्रशासन के ढांचे का एक अनिवार्य अंग माना जाए और इन्हें इन उत्तरदायित्वों को सम्हालने के लिए तैयार किया जाए। अधिका-

धिक मात्रा में श्रमिकों से ही श्रमिकों का नेतृत्व किया जाना चाहिए—श्रमिकों के शिक्षा कार्यक्रम में प्रगति के साथ-साथ यह प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। अनुशासन-संहिता में मजदूर संघों की मान्यता देने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उनके फलस्वरूप देश में एक सशक्त और स्वस्थ मजदूर आन्दोलन का विकास होगा।

5. मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा—न्यूनतम मजदूरी विधेयक को पहले से अधिक अच्छी तरह लागू करने के लिए हमें निरीक्षण व्यवस्था को और अच्छा बनाना होगा। जैसे-जैसे सम्भव हो, वेतन मण्डलों को और उद्योगों में भी स्थापित करना चाहिए। बोनस सम्बन्धी दावों और बोनस की अदायगी के लिए निदेशक सिद्धान्त और आदर्श निर्धारित करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी।

6. जहां-जहां 500 या इससे अधिक औद्योगिक कर्मचारी हैं, उन सभी केन्द्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाएगी। इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर लगभग 30 लाख श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे। कर्मचारी प्राविडेन्ट फंड योजना का, जो इस समय 58 उद्योगों पर लागू है, और विस्तार किया जाएगा।

7. अब तक केवल संगठित उद्योगों के मजदूरों को ही सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभ पहुंचा है। मजदूरों के ऐसे वर्ग भी हैं, जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी ओर समाज को अधिक ध्यान देना चाहिए। इनमें विशेषतौर पर वे विकलांग व्यक्ति, काम के अयोग्य वृद्ध व्यक्ति और स्त्रियां और बच्चे शामिल हैं, जिनकी आय का कोई उपयुक्त साधन नहीं है। स्वयंसेवी और खैराती संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पंचायतों और पंचायत समितियों को स्थानीय समुदायों की सहायता से अपनी कार्यवाहियां चलाने योग्य बनाने और उन्हें थोड़ी सहायता देने के लिए एक छोटा सहायता कोष स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है। इस सुझाव पर राज्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से और अधिक विचार किया जाएगा।

8. काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण—काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उनको और अच्छी तरह कार्यान्वित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में काम करने की व्यवस्था और दक्षता सुधारने में केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों को विशेष योग देना है। कारखानों में दुर्घटनाएं कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाएगी। खान उद्योग में सुरक्षा-शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। इमारती और निर्माण श्रमिकों के लिए अलग सुरक्षा कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। जिस प्रकार कोयला और अबरख श्रमिकों के लिए कल्याण कोष है, उसी प्रकार मैंगनीज और कच्चा लोहा खान उद्योगों के श्रमिकों के लिए भी कल्याण कोषों की स्थापना की जाएगी। सहकारी ऋण और उपभोग समितियों के कामकाज तथा सहकारिता पर आधारित अन्य कार्यवाहियों में मजदूर संघों और स्वयंसेवी संस्थाओं को और अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रमिकों के आवास और मनोरंजन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। कृषि

और असंगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं पर सरकार और श्रमिक संगठनों को विशेष ध्यान देना होगा।

9. **रोजगार और प्रशिक्षण योजनाएं**—कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 58,000 और जगहों की व्यवस्था की जाएगी। इस वृद्धि के फलस्वरूप कुल प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाएगी ताकि उनकी रोजगार की सम्भावनाएं व्यापक हो जाएं। दस्तकारी प्रशिक्षकों के लिए जो तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं उनका उन्नयन होगा और योजना की अवधि में तीन और केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अप्रेन्टिस प्रशिक्षण योजना को अनिवार्य रूप देने का विचार है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। हर जिले में कम से कम एक रोजगार दफ्तर खोलने के लक्ष्य को सामने रखते हुए तीसरी योजना की अवधि में लगभग 100 नए रोजगार दफ्तर खोले जाएंगे। छटनी किए गए कर्मचारियों की सहायता के लिए छोटे पैमाने पर एक कोष की स्थापना करने का विचार है।

10. उत्पादकता—प्रबन्धकों को चाहिए कि वे श्रमिकों के लिए मशीन, काम करने की उपयुक्त स्थिति और तरीके, पर्याप्त प्रशिक्षण और उपयुक्त मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रेरणाएं प्रदान करने की कोशिश करें। काम में लगे श्रमिकों की योग्यता और दक्षता में वृद्धि करने के लिए उद्योग, मजदूर संघों और सरकार को मिलजुल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए। इस देश में जब तक उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि नहीं होती, तब तक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। श्रमिकों को अपने तथा देश के हित में वैज्ञानिकन के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें इसकी मांग करनी चाहिए। वैज्ञानिकन का अधिक से अधिक विस्तार हो सकता है, बशर्ते कि वैज्ञानिकन के फलस्वरूप निकाले हुए लोगों को श्रमिकों की सहमति से नौकरी में रखने और दूसरे कामों में लगाने की ठीक व्यवस्था हो। भारतीय श्रमिक सम्मेलन अब कार्यकुशलता और कल्याण-संहिता बनाने के काम को अपने हाथ में लेगा। विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले प्रबन्धकों को मालिक-मजदूर सम्बन्धों के बारे में प्रशिक्षण देने पर और अधिक ध्यान देना होगा।

11. श्रम अनुसन्धान का समन्वय करने के लिए एक छोटी केन्द्रीय समिति की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बाहर श्रम सम्बन्धी मामलों पर अनुसन्धान करने के लिए संस्थाओं को सुविधाएं देने का विचार है।

परिशिष्ट I

उत्पादन और विकास : प्रगति और लक्ष्य

मद	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61 अनुमित	1965-66 लक्ष्य	1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61 से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खेती और सामुदायिक विकास							
1.1 कृषि उत्पादन							
अनाज	लाख टन	522(क)	658(क)	760	1000	46	32
रुई	लाख गाठें	29	40	51	70	76	37
गन्ना-गुड़	लाख टन	56	60	80	100	43	25
तेलहन	लाख टन	51	56	71	98	39	38
पटसन	लाख गाठें	33	42	40	62(ख)	21	55
चाय	लाख पौंड	6130	6780	7250	9000	18	24
तम्बाकू	हजार टन	257	298	300	325	17	8
मछली	लाख टन	7	10	14	18	100	29
दूध	लाख टन	171	193	220	253	29	15
ऊन	लाख पौंड	600	650	720	900	20	25
1.2 कृषि सेवाएं							
सिंचित क्षेत्र (कुल)	लाख एकड़	515	562	700	900	36	29
भूमि पुनरुद्धार (अतिरिक्त क्षेत्रफल) (घ)	लाख एकड़	..	27	12	36	..	200

भूमि संरक्षण (अतिरिक्त लाभान्वित क्षेत्र) (घ)	लाख एकड़	..	7	20	110	..	450
नत्रजनीय उर्वरक की खपत	हजार टन नत्रजन.	55	105	230	1000	318	335
फास्फेटयुक्त उर्वरक की खपत	हजार टन पी$_2$ ओ$_5$	7	13	70	400	900	471
फौज फार्म (घ)	संख्या	..	..	4000	4800	..	20
1.3 सामुदायिक विकास							
खण्ड	संख्या	—	1069	3110	5223	..	68
अन्तर्गत आने वाले गाव	हजार में	—	106	368	550	..	49
अन्तर्गत आने वाली आबादी	करोड़ में	—	6.9	20.4	35.9	..	76
1.4 सहकारिता							
प्राथमिक कृषि ऋण समितिया	हजार में	105	160	210	230	100	10
लघु और मध्यावधि ऋण	करोड़ रु०	22.9	49 6	200.0	530 0	773	165
2. बिजली							
2.1 बिजली							
स्थापित क्षमता	लाख कि०वा०	23(ग)	34(ग)	57	127	148	123
पैदा की गई	करोड़ किलोवाट घंटे	657.5(ग)	1077.7(ग)	1985.0	4500.0	202	127
2.2 कस्बे और गाव, जहां बिजली लगी	हजार में	3 7	7·4	23·0	43·0	523	87
3. खनिज पदार्थ							
खनिज लोहा	लाख टन	30	43	107	300	234	180
कोयला	लाख टन	323	384	546	970	69	76

(क) 1956-57 तक आंकडों की उपलब्धि और प्राक्कलन के तरीकों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के ये अनुमान तैयार किए गए हैं।

(ख) इसमें मेस्टा का उत्पादन शामिल नहीं है, जिसकी मात्रा तीसरी योजना में 13 लाख गांठ हो सकती है।

(ग) पांच वर्ष की अवधि में

मद	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61 अनुमित	1965-66 लक्ष्य	1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
4. बड़े उद्योग							
4.1 धातु शोधन उद्योग							
इस्पात के ढोके	लाख टन	14	17	35	92	150	163
तैयार इस्पात	लाख टन	10	13	22	68	120	209
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	लाख टन	35	38	90	150	157	67
मिश्रित औजार और विशेष इस्पात (तैयार)	हजार टन	—	—	40	200	..	400
अलमुनियम	हजार टन	3·7	7·3	18·5	80·0	400	322
ताबा (अग्नि शोधित और विद्युतजन्य)	हजार टन	6 6	7·5	8.9	20·0	35	125
4 2 मैकेनिकल और विद्युतीय इंजीनियरी उद्योग							
सीमेंट की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	34(ग)	60	450	..	650
चीनी की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	19	330	1000	..	203
औद्योगिक बायलर	मूल्य लाख रु० में	—	—	40	2500	..	6150
मशीनी औजार (वर्गीकृत)	मूल्य लाख रु० में	34	78	550	3000	1518	445
बाल और रोलर बीयरिंग	लाख अदद	1	9	29	140 (ङ)	2800	383
डीजल इंजन (स्थिर)	हजार अदद	5·5	10 0	40·0	66·0	627	65
ट्रैक्टर	अदद	—	—	2000	10000	..	400
बिजली के मोटर (200 अश्वशक्ति और कम के)	हजार अश्वशक्ति	100	272	700	2500(च)	600	257

बिजली के ट्रांसफार्मर (33 किलोवाट और कम के)	हजार किलोवाट	179	625	1200	3500	570	192
बिजली के केबल (ए सी एस आर) कंडक्टर	हजार टन	1·7	8·7	22·0	44·0	1194	100
रेल इंजन							
वाष्पीय	अदद	7	179	295	1175(घ)	3214	..
डीजल	अदद	—	—	—	434(घ)	..	..
बिजली	अदद	—	—	—	232(घ)	..	..
4.4 रबड़ के उत्पादन							
मोटर गाड़ियों के टायर	लाख अदद	—	9	13·5	30	..	122
बाइसिकिल के टायर	लाख अदद	—	58	110	310	..	182
4.5 रसायन							
नत्रजनयुक्त उर्वरक	नत्रजन के हजार टन	9	79	110	800	1122	627
फास्फेटयुक्त उर्वरक	पी$_2$ ओ$_5$ के हजार टन	9	12	55	400	511	627
गंधक का तेजाब	हजार टन	99	164	363	1500	267	313
सोडा ऐश	हजार टन	45	81	145	450	222	210
कास्टिक सोडा	हजार टन	11	35	100	340	809	240
सल्फा दवाएं	टन	—	83(ग)	150	1000	..	567
डी० डी० टी०	टन	—	284	2800	2800	..	—
रंगाई का सामान	लाख पौंड	—	40	115	180	..	57

(ग) कैलेंडर वर्ष से सम्बद्ध

(घ) पंचवर्षीय अवधि से सम्बद्ध

(ङ) तीनों पालियों में काम करके

मद	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61 अनुमित	1965-66 लक्ष्य	1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61 से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6 अन्य उद्योग							
सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार अदद	33	111	207	700	800	136
बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार अदद	101	513	1050	2000	940	90
मोटर साइकिल और स्कूटर	हजार अदद	—	1 6	18	50	..	178
मोटर गाड़ियां	हजार अदद	16·5	25·3	53·5	100 0	224	87
जहाज निर्माण	हजार जी० आर० टी०	—	60(ग)	20	50-60	..	150-200
सूती वस्त्र (मिल के बने)	करोड़ गज	372.0	512.0	512·7	580·0	38	13
रेयन के वस्त्र	लाख पौंड	4	160	470	1400	11650	198
चीनी (छ)	लाख टन	11·2	18·6	30	35	168	17
इस्पाती ढांचा विषयक सामान	हजार टन	—	90	150	1000	..	567
सीमेंट	लाख टन	27	46	85	130	215	53
पैट्रोलियम के उत्पादन	लाख टन	—	36	57	99	..	74
कागज और गत्ता	हजार टन	114	187	350	700	207	100
प्लास्टिक	हजार टन	—	0.7	10.0	74.0	..	640
शीशा और शीशे का सामान	हजार टन	92	125	225	440	145	96
औद्योगिक गैसें—आक्सीजन	करोड़ घनफुट	—	—	70 0	165·0	..	136

5. ग्राम और लघु उद्योग							
खादी							
परम्परागत	लाख गज	73	289	480	—	558	49 (परम्परागत, अम्बर, हथकरघा, बिजली के करघे)
अम्बर	लाख गज	—	—	260	35000	..	
हथकरघा	करोड़ गज	74·2	147·1	190·0	—	156	
बिजली के करघे	करोड़ गज	14·8(ग)	27·3(ग)	37 5	—	153	
रेशम	लाख पौंड	25(ज)	32(ग)	36(ग)	50	44	43
6. परिवहन और संचार							
6.1 परिवहन सेवाएं							
रेलें : माल ढोया	लाख टन	915	1140	1540	2450	68	59
सड़कें : राष्ट्रीय राजपथ समेत पक्की सड़कें	हजार मील	97 5	122·0	144·0	169·0	48	17
सड़क परिवहन : सड़कों पर व्यापारिक वाहन	हजार अदद	116	166	210	365	81	74
जहाजरानी	लाख जी० आर० टी०	3 9	4·8	9 0	10·9	130	21
बड़े बन्दरगाह : सामान की क्षमता .	लाख टन	200	250	370	490	85	32
6.2 संचार							
डाक घर	हजार में	36	55	77	94	114	22
तार घर	हजार में	3·6	5·1	6·5	8·5	81	31
टेलीफोनों की संख्या . . .	हजार में	168	280	460	660	174	43

(ग) कैलेण्डर वर्ष से सम्बद्ध

(घ) पंचवर्षीय अवधि से सम्बद्ध

(च) 300 अश्वशक्ति और नीचे

(छ) फसल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर) से सम्बद्ध

(ज) कैलेंडर वर्ष 1951

मद	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61 अनुमित	1965-66 लक्ष्य	1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61 से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
7. शिक्षा							
7.1 सामान्य शिक्षा							
स्कूलों में विद्यार्थी	लाख में	23·5	31·3	43·5	63.0	85	47
विभिन्न वय वर्गों के बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत							
प्राथमिक कक्षाएं	6-11 वर्ष	42.6	52·9	61·1	76·4	79(क)	45(क)
मिडिल कक्षाएं	11-14 वर्ष	12·7	16·5	22·8	28·6	102(क)	[illegible](क)
हाई/हायर सैकेंडरी कक्षाएं . . .	14-17 वर्ष	5 3	7·8	11·5	15 6	130(क)	57(क)
संस्थाएं							
प्राथमिक/जूनियर बुनियादी स्कूल	हजार मे	209·7	278·1	342 0	415 0	63	21
मिडिल/सीनियर बुनियादी स्कूल . . .	हजार में	13 6	21·7	39·6	57·7	191	46
हाई/हायर सैकेंडरी स्कूल . . .	हजार में	7·3	10 8	16·6	21·8	128	31
बहुद्देशीय स्कूल	हजार में	—	0·3	2·1	2·4	..	14
7.2 तकनीकी शिक्षा							
इंजीनियरी टेक्नोलाजी							
डिग्री (दाखिला)	संख्या	4120	5890	13858	19137	236	83
डिप्लोमा (दाखिला)	संख्या	5900	10480	25570	37390	333	46
कृषि कालेज (दाखिला)	संख्या	1060(ज)	1989	4600	6200	334	35
पशुचिकित्सा कालेज (दाखिला) . . .	संख्या	434(ज)	1269	1300	1460	200	12

8. स्वास्थ्य							
8.1 सस्थाएं							
अस्पताल और औषधालय	हजार में	8·6	10·0	12 6	14·6	47	16
अस्पताल-शय्याएं	हजार में	113	125	186	240	65	29
प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां	संख्या	—	725	2800	5000	..	79
परिवार नियोजन केन्द्र	संख्या	—	147	1649	8200	..	397
8.2 कर्मचारी							
मेडिकल कालेज (दाखिला)	संख्या	2500	3500	5800	8000	132	38
डाक्टर (ट)	हजार में	56	65	70	81	25	16
नर्सें (ट)	हजार में	15·0	18·5	27.0	45·0	80	67
सहायक नर्स-मिडवाइव्स और मिडवाइव्स (ट)	हजार में	8·0	12·8	19·9	48·5	140	144
नर्स-दाइयां और दाइयां (ट)	हजार में	1·8	6·4	11.5	40 0	539	248
स्वास्थ्य सहायक और सफाई निरीक्षक	हजार में	3.5	4.0	6·0	19·2	71	220

(झ) दाखिले के आंकड़ों के आधार पर

(ञ) 1951-52 से सम्बद्ध

(ट) प्रचलन या सेवा में संलग्न

परिशिष्ट II

दूसरी योजना में व्यय और तीसरी योजना के वास्तविक कार्यक्रमों की लागत—मदों के अनुमान

(लाख रु०)

विकास की मद	दूसरी योजना में अनुमित व्यय					तीसरी योजना के कार्यक्रमों की अनुमित लागत				
	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र	कुल जोड़	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि उत्पादन . .	8367	268	8635	1075	9810	18351	598	18949	3658	22607
छोटी सिंचाई	9166	98	9264	230	9494	17269	177	17446	230	17676
भूमि संरक्षण	1553	8	1561	200	1761	5732	246	5978	1295	7273
पशुपालन	1869	73	1942	200	2142	4592	172	4764	680	5444
दुग्ध उद्योग और दूध की आपूर्ति	958	3	961	244	1205	3086	24	3110	498	3608
वन . . .	1656	122	1778	150	1928	4204	268	4472	667	5139
मछली उद्योग . . .	710	26	736	170	906	2090	102	2192	672	2864
गोदाम और हाट आदि की व्यवस्था	310	18	328	170	498	843	10	853	3300	4153
I. कृषि कार्यक्रम	24589	616	25205	2439	27644	56167	1597	57764	11000	68764
सहकारिता . . .	3278	55	3333	[illegible]	3383	6959	151	7110	900	8010
सामुदायिक विकास . .	18744	463	19207	200	19407	28189	578	28767	600	29367
पंचायत . . .	160	30	490	1976(क)	2466	2824	56	2880	—	2880
II. सामुदायिक विकास और सहकारिता . .	22482	548	23030	2226	25256	37972	785	38757	1500	40257

सिंचाई	34479	21	34500	2717	37217	58121	10	58131	1803	59934
बाढ़-नियन्त्रण	(ख)	(ख)	(ख)	4800	4800	5995	137	6132	—	6132
बिजली	41882	914	42796	1753	44549	88315	2345	90660	11312	101972(ग)
III सिंचाई और बिजली	76361	935	77296	9270	86566	152431	2492	154923	13115	168038
उद्योग और खनिज	2859	2	2861	87128	89989	7958	32	7990	180240	188230
लघु और ग्रामोद्योग	6949	294	7243	10323	17566	13703	425	14128	12300	26428
IV उद्योग और खनिज	9808	296	10104	97451	107555	21661	457	22118	192540	214658
रेलवे	—	—	—	86011	86011	—	—	—	94000	94000
सड़कें	14326	1598	15924	6440	22364	21830	2575	24405	8000	32405
सड़क परिवहन	1502	91	1593	225	1818	2044	559	2603	—	2603
पर्यटन	144	13	157	60	217	394	22	416	350	766
बंदर और बंदरगाह	314	45	359	2980	3339	490	18	508	12500	13008
जहाजरानी	—	—	—	5268	5268	—	263(घ)	263	5500	5763
डाक और तार	—	—	—	5059	5059	—	—	—	7900	7900
असैनिक विमानन	—	—	—	4900	4900	—	—	—	5500	5500
प्रसारण	—	—	—	468	468	—	—	—	1100	1100
अन्य परिवहन	52	99	151	53	204	273	25	298	1200	1498
अन्य संचार	—	—	—	327	327	—	—	—	930	930
V परिवहन और संचार	16338	1846	18184	111791	129975	25031	3462	28493	136980	165473

(क) 'स्थानीय विकास कार्यों' के व्यय सहित

(ख) दूसरी योजना में बाढ़ नियंत्रण का व्यय केन्द्र के अन्तर्गत दिखाया गया है।

(ग) इसमें डी. वी. सी. बिजली कार्यक्रम और बंडोल तापीय केन्द्र के लिए अंश सम्मिलित है।

(घ) अन्दमान और निकोबार द्वीपों के लिए।

विकास की मद	दूसरी योजना म अनुमित व्यय					तीसरी योजना के कार्यक्रमो की अनुमित लागत				
	राज्य	सघीय क्षेत्र	राज्य और सघीय क्षेत्र	केन्द्र	कुल जोड	राज्य	सघीय क्षेत्र	राज्य और सघीय क्षेत्र	केन्द्र	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सामान्य शिक्षा और सास्कृतिक कार्यक्रम	16011	721	16732	4072	20804	31906	2104	34010	7800	41810
तकनीकी शिक्षा	2141	31	2172	2600	4772	6986	173	7159	7000	14159
वैज्ञानिक और टेक्नोलाजिकल अनुसधान	—	—	—	—	—	—	—	—	7000	7000
स्वास्थ्य	13021	566	13587	8047	21634	27114	2566	29680	4500	34180
आवास	6411	266	6677	1356	8033	9620	2076	11696	2500	14196
पिछडी हुई जातियो का कल्याण	5080	214	5294	2647	7941	7498	389	7887	3500	11387
समाज कल्याण	327	10	337	1181	1518	1048	114	1162	1600	2762
श्रम और श्रम कल्याण	769	12	781	1200	1981	2519	189	2708	4400	7108
पुनर्वास	—	—	—	6341	6341	—	—	—	4000	4000
जनसहयोग और स्थानीय सकार्य	—	—	—	—	—	34 (ङ)	—	34	5000	5034
VI. समाज सेवाएं	43760	1820	45580	27444	73024	86725	7611	94336	473000	141636
साख्यिकी और अनुसंधान	403	7	410	5086(च)	9980	322	27	349	500	849
सूचना और प्रचार	276	21	297			562	58	620	600	1220
स्थानीय निकाय	415	44	459			310	65	375	—	375
राज्यीय पूजीगत परियोजनाएं	3196	—	3196			2475	—	2475	—	2475
अन्य	507	25	532			1075	933	2008	4100	6108

विविध . . .	4797	97	4894	5096(च)	9980	4744	1083	5827	5200	11027
कुल जोड़ . . .	198135	6158	204293	255707	460000	384731 (छ)	17487	402218	407635(ज)	809853(ज)

(ङ) इस राशि के अतिरिक्त, जन सहयोग पर व्यय तीसरी योजना के लिए निश्चित उच्चतम सीमा के भीतर ही निम्नलिखित राज्यो के म उचित समायोजन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा . आध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बगाल मे से हरेक मे 6 लाख, मैसूर में 5 लाख और असम मे एक लाख ।

(च) इसमें परमाणु शक्ति विभाग, वित्त मत्रालय की योजनाओ और निर्माण, आवास तथा पूर्ति मत्रालय के दफ्तरों की इमारतो और रिहायशी मकानों के लिए अनुमित व्यय भी सम्मिलित है ।

(छ) पश्चिम बगाल मे व्यय का वितरण इन समायोजनों के अनुरूप होगा : (i) डी. वी. सी. मे पश्चिम बगाल के भाग खाते, (ii) अनुमित 43 करोड रुपये के ससाधन मे वृद्धि, जिसे राज्य सरकार 90 करोड रुपये तक पहुचा देने की आशा करती है, जैसा कि अध्याय 6 वित्तीय संसाधन मे दिखाया गया है ।

(ज) इसमे 'सूचियो' के लिए निर्धारित 200 करोड रुपया सम्मिलित नही है ।

परिशिष्ट III

राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी योजना में व्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य संघीय क्षेत्र	पहली योजना (वास्तविक)	दूसरी योजना (अनुमान)	तीसरी योजना (कार्यक्रम-व्यय)
आन्ध्र प्रदेश	108	175	305
असम	28	51	120
बिहार	102	166	337
गुजरात	224 (क)	143	235
जम्मू और कश्मीर	13	25	75
केरल	44	76	170
मध्य प्रदेश	94	145	300
मद्रास	85	167	290.9
महाराष्ट्र	(ख)	207	390
मैसूर	94	122	250
उड़ीसा	85	85	160
पंजाब	163	148	231.4
राजस्थान	67	99	236
उत्तर प्रदेश	166	227	497
पश्चिम बंगाल	154	145	250 (ग)
कुल राज्य	1427	1981	3847.3
अन्दमान और निकोबार द्वीप	2	3	9.8
दिल्ली	10	14	81 8
हिमाचल प्रदेश	8	16	27.9
मणिपुर	2	6	12.9
उत्तरी पहाड़िया और तेन्साम क्षेत्र	—	4	7.1
त्रिपुरा	3	9	16.3
लकदीव, अमीनदीवी और मिनिकाय द्वीप	—	0 4	1.0
उत्तर-पूर्व सीमा एजेन्सी	4	5.6	7 1
पाण्डिचेरी	1	4	6 9
कुल संघीय क्षेत्र	30	62	174 8(घ)
समस्त भारत	1457	2043	4022 1

क. अविभाजित बम्बई के लिए

ख. गुजरात के सामने देखिए

ग. अस्थायी

घ. इसमें बिना आवण्टन किए हुए 4 करोड़ रुपये भी शामिल हैं